खण्ड-389, अंक-3
सोमवार, 24 माघ, शक संवत् 1910
(13 फरवरी, 1989 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 389 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	ग–घ
प्रश्नोत्तर	1–101
नियम 301 की सूचनाएं	102
जनपद गाजीपुर के कृषि प्रसार विभाग द्वारा कथित रूप से की जा रही धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	103
बरेली महानगर से निकलने वाले दैनिक "विश्वमानव" समाचार पत्र के संवाददाता को अराजक तत्वों द्वारा मारने-पीटने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	103
जनपद गोरखपुर के थाना महराजगंज के ग्राम भीटहनियां में आग से हुयी जन धन की हानि के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	104
जनपद मुरादाबाद में विद्युत ट्रान्सफार्मरों की कमी के कारण फसलों को भारी हानि के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	104
जनपद गोण्डा के बलरामपुर तहसील को जनपद बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	105
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को प्रोन्नति में आरक्षण दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	105
जनपद देवरिया में गन्ने के सट्टे तथा पर्चियों के वितरण में धांधली से त्रस्त गन्ना कृषकों की स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	106
जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील बांसी में ओला वृष्टि से हुयी क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	106
जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा में नहरों में पानी के अभाव के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	107
जनपद वाराणसी की सेवापुरी ब्लाक में बरुणा नदी पर स्थित जर्जर पुल के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	107
जनपद आगरा की तहसील फिरोजाबाद के ग्राम डबरई में हुए अग्निकांड से हुई क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108
मांट ब्रांच गंगा नहर जिला मथुरा में पानी की कमी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के दैनिक श्रेणी लिपिकों की सेवा विसंगतियों को समाप्त किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	109
जनपद इटावा के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109
आज की कार्य सूची के नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या 3 को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास	110
जनपद बुलन्दशहर के थाना जहांगीराबाद के ग्राम साखनी में सामूहिक हत्या कांड के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	110

विषय	पृष्ठ संख्या
दिनांक 9 फरवरी, 1989 को निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 2 को निरस्त किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	113
जिलाधिकारी देवरिया द्वारा सरकारी खर्चे पर कांग्रेस पार्टी की मीटिंग कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास	117
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	118
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री-कराधान (संशोधन) विधेयक, 1989 (पुरःस्थापित)	119
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1989 (पुरःस्थापित) ..	119
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	121–173
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	174
नत्थियां	175–178

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 13 फरवरी, 1989

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:—

अकबर अहमद (डम्पी), श्री	नैनीताल	मनहरन नाथ कौल, श्री	बहराइच
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर	मनोहर लाल, श्री	उन्नाव
अजीत सिंह, सेठी, श्री	मेरठ	महरम सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
अतर सिंह यादव, श्री	एटा	माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
अमर नाथ सिंह , श्री	फतेहपुर	मैनेजर सिंह, श्री	बलिया
अमिताभ लवानियां, श्री	आगरा	योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली	रफीक अहमद, श्री (उर्फ रफ्फन)	बरेली
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	रमाकान्त, श्री	आजमगढ़
अरुण प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा	राज बहादुर, श्री	जौनपुर
अलमेलु अम्माल , कुमारी	बस्ती	राजेश कुमार खैरा, श्री	ललितपुर
अशोक बाजपेयी, श्री	हरदोई	रामगोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
इन्द्रजीत, श्री	फतेहपुर	राम शरण दास, श्री	सहारनपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच	रिछपाल सिंह बन्सल, श्री	मेरठ
ओसान सिंह, श्री	इटावा	लोकेन्द्र दत्त सकलानी, श्री	टिहरी-गढ़वाल
कल्यान सिंह, श्री	अलीगढ़	विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
कान्ती सिंह बिसेन, श्रीमती	खीरी	विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	शतरुद्र प्रकाश, श्री	वाराणसी
केशरी सिंह, कर्नल	बस्ती	शफीकुर्रहमान बर्क, श्री	मुरादाबाद
कोकब हमीद, श्री	मेरठ	शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद	शीनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
चारुशीला, श्रीमती	मुजफ्फरनगर	शिवानन्द नौटियाल, डा0	चमोली
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली	शेर बहादुर सिंह, श्री	फैजाबाद
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ	श्याम लाल, चौधरी	जालौन
तिलक सिंह, श्री	अलीगढ़	संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर	संजय सिंह, डा0	सुल्तानपुर
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती	सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर	सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	फैजाबाद
नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़	सुरेशचन्द्र, श्री	नैनीताल
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
निहाला सिंह, श्री	वाराणसी	स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
प्रवीण कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर	हरनारायण सिंह, श्री	रायबरेली
फागू चौहान, श्री	आजमगढ़	हरशरण सिंह, श्री	मेरठ
बलदेव सिंह, कैप्टन	अलीगढ़	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी	हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
बुधपाल सिंह खुर्जावाले, श्री	बुलन्दशहर	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

सोमवार, दिनांक 13 फरवरी, 1989 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की नई नियुक्तियों पर लगाई गयी रोक का हटाया जाना

**1–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नई नियुक्तियों पर लगाई गई रोक को तात्कालिक प्रभाव से उठाने की घोषणा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

जी नहीं । मितव्ययिता की दृष्टि से दिनांक 13 नवम्बर, 1987 को यह निर्देश किये गये थे कि आयोजनेतर पक्ष में श्रेणी–3 (लिपिक वर्ग) व श्रेणी-4 (तकनीकी पदों को छोड़कर) के सीधी भर्ती के जितने भी पद रिक्त हैं अथवा भविष्य में रिक्त होंगे उनके विरुद्ध 31 मार्च, 1988 तक नई नियुक्तियां न की जायं । यह भी आदेश किया गया था कि 31 मार्च, 1988 के बाद सीधी भर्ती द्वारा तब तक नई नियुक्तियां न की जायं जब तक सम्बन्धित संवर्ग के कुल पदों के 5 प्रतिशत के बराबर पद कम न कर लिये जायं ।

उक्त प्रतिबन्ध को उठाने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि प्रश्नगत आदेश के अनुसार 1-4-88 के पश्चात 5 प्रतिशत पद कम कर लेने की दशा में स्वत: नई नियुक्तियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रह जाता।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि 5 प्रतिशत पद कम करने की बात है उसका तात्पर्य क्या है ? यह फार्मूला लागू करने से प्रदेश भर में कुल कितने पद कम हो जायेंगे और क्या जो लोग कार्यरत हैं उनको हटाया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, इसका मतलब यह है कि जिन विभागों में जो खाली पद हैं उनमें 5 प्रतिशत कम करेंगे । उदाहरण के लिए यदि किसी दफ्तर में 100 पद सृजित हैं और उनमें 95 व्यक्ति कार्यरत हैं तो उस विभाग में 5 पद स्वत: ही कम हो जायेंगे । किसी भी कार्यरत कर्मचारी को हटाये जाने की बात नहीं है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं जानना यह चाहता हूं कि 5 प्रतिशत कम करने की जो बात कही गयी है उसके हिसाब से अब तक प्रदेश में कुल कितने पद कम किये गये हैं ? दूसरा प्रश्न यह है कि उससे बजट में कुल कितनी बचत हो पायेगी ? तीसरा प्रश्न यह है अगर यह कम नहीं करते तो कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सकता था ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, प्लान साइड में यह नहीं है । यह तो नान प्लान साइड में कम करने की बात है । जहां पर जो पद खाली है उन्हीं में कम किये जायेंगे । इसलिए जो कार्यरत हैं वे नहीं हटाये जायेंगे । जहां पर कोई पद खाली नहीं है वहां के लिए यह किया गया है कि जब तक टोटल सृजित पद का 5 प्रतिशत कम नहीं किया जाता तब तक वहां पर कोई नई नियुक्ति न की जाये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, शासन ने दो आदेश निर्गत किए । एक आदेश के माध्यम से तो नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई और दूसरे आदेश के माध्यम से 5 प्रतिशत पद कम करने की बात कही गई है । 5 प्रतिशत कम करने की बात जब कही गई तो उस समय यह हिसाब भी लगाया गया होगा कि लोग रिटायर भी हुए होंगे, कुछ लोग दिवंगत भी हुए होंगे, किसी ने नौकरी भी छोड़ दी होगी और कुछ पहले से ही रिक्त होंगे । माननीय श्री तिवारी जी ने जो प्रश्न पूछा था, उसमें उनकी मन्शा यह थी कि 5 प्रतिशत पदों के रिक्त होने से कितने पद रिक्त हुए हैं । दूसरा, यह कि 1988 के इस आदेश के बाद कितने पद रिक्त और हैं, जिन पर नियुक्तियां होनी शेष हैं । कहने का मतलब यह है कि कितने पद रिक्त हैं और कितनों पर अभी नियुक्तियां होनी शेष हैं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जीरो बजटिंग प्रणाली जब शुरू हुई तो प्रत्येक विभाग से कहा गया कि 31 मार्च, 1988 तक कोई नियुक्ति न की जाय और 31 मार्च, 1988 के बाद जब तक 5 प्रतिशत पद कम न कर लिये जायं तब तक कोई नियुक्ति न की जाय । माननीय श्री गुप्ता जी ने जो पूछा है कि शेष कितने पद रिक्त हैं, इसके लिए अभी कुछ ही दिन पूर्व ट्रेजरी को एक लेटर लिखा गया है कि यह जानकारी प्राप्त की जाय कि प्रत्येक विभाग ने 5 प्रतिशत पद कम कर दिये हैं कि नहीं । अभी प्रत्येक विभाग से इसकी सूचना नहीं आई है । जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि यह नान प्लान एक्सपेन्डीचर है, इसे कन्ट्रोल करें जिससे हमारे प्लान का खर्च बढ़ेगा और रोजगार का सृजन किया जा सकेगा जिससे बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सकेगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जो उत्तर दे रहे हैं वह सेल्फ कन्ट्राडिक्टरी है। माननीय गुप्ता जी ने पूछा कि आपने कितने पद कम किए हैं। अभी आप बजट पेश करने जा रहे हैं । आपको यही नहीं मालूम कि आपने कितने पद कम किए हैं और उससे कितना लाभ आपको है । उन पदों पर कितने लोगों को काम मिलता और कितने आप सृजन करने जा रहे हैं ।बल्कि हुआ यह है कि जहां काम मिल भी रहा था, वह भी बन्द हो गया है । माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा कि कितने पद रिक्त हैं और कितने लोगों को रोजगार से वंचित रहना पड़ा है ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त तिवारी)–

मान्यवर, मैं अपने सम्मानित मित्र का आभारी हूं । जो जवाब दिया गया है, उसमें यह निहित है कि आयोजनेत्तर कक्ष में जितने भी श्रेणी–3 व श्रेणी–4 के पद हैं, उनमें 5 प्रतिशत की कमी की जाय । जब तक 5 प्रतिशत की कमी नहीं होगी, तब तक कोई नियुक्ति नहीं होगी । इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति काम में लगे हुए हैं, वे तो काम में ही रहेंगे । जो भविष्य में नई रिक्तियां होंगी या जो नये पद सृजित किये जायेंगे, जो रिक्त हैं, भरे नहीं गये हैं, वे भविष्य में नहीं भरे जायेंगे । यह जो प्रश्न है बेरोजगारी पर अंकुश लगाने का, यह सदन स्वीकार करेगा कि आयोजनेतर पक्ष में निरंतर वृद्धि करने से कोई लाभ नहीं है, इस सदन का मत है कि नान-प्लान एक्सपेण्डीचर कम हो और प्लान एक्सपेण्डीचर बढ़े । बेरोजगारी पर अंकुश उत्पादक क्षेत्रों में लगाना है, अनुत्पादक में नहीं । प्लान के माध्यम से रोजगार में कटौती का प्रश्न नहीं उठता। जहां तक आयोजनेतर पक्ष में कटौती का प्रश्न है, सम्मानित नेता, विरोधी दल का भी यही सुझाव रहा है । जहां तक बेरोजगारी का प्रश्न है, अनेक दूसरे उपाय हैं जिससे बेरोजगारी पर अंकुश लगा सकते हैं । इसके प्रस्ताव आते रहे हैं । कल जब मैं बजट प्रस्तुत करूंगा, उसमें भी आयेंगे । मैं आग्रह करूंगा कि प्रश्न में अवश्य है, लेकिन बेरोजगारी से इसे जोड़ना उचित नहीं है। यह उत्पादन बढ़ाने वाले किसी क्षेत्र की बेरोजगारी नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, परस्पर विरोधाभास का है । नान-प्लान एक्सपेण्डीचर अगर बढ़ रहा है तो उस पर अंकुश लगाया जाय, लेकिन उससे बेरोजगारी का संबंध कितना है, बेरोजगारी तो बढ़ रही है । अभी तक इन्होंने मर्क आउट नहीं किया है कि 5 प्रतिशत कम कर देंगे हैं तो बचत कितनी होगी । इन्होंने नियुक्ति पर तो रोक लगा दी लेकिन नियुक्तियां चल रही हैं । अभी खड्डा चीनी मिल में 78 लोगों की नियुक्ति 10–10 हजार रु0 लेकर हुई है, टाउन एरिया में टेम्पोरेरी नियुक्तियां हो रही हैं, धन की उगाही की जा रही है । मेरी निश्चित जानकारी है कि इसी प्रकार से सारे प्रदेश में सारा काम सरकार का रुका हुआ है । क्या मा0 मंत्री जी जो सुपरवाइजरी स्टाफ के लोग हैं गजेटेड अफसर हैं, उनकी नियुक्ति पर रोक लगायेंगे, क्या उनको पता है कि उनकी वजह से कितना एक्सपेण्डीचर बढ़ रहा है ?

श्री अध्यक्ष–

आप अपना प्रश्न कीजिए ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

वही पूछ रहा हूं, मान्यवर, 15–20 साल पहले जितने क्लास–4 के लोग थे, उतने ही हैं, जबकि मैनेजेरियल स्टाफ के लोग 10 गुना बढ़ गये हैं । इन तमाम तथ्यों को देखते हुए क्या यह सरकार पुनर्विचार करेगी और कटौती का जो प्रस्ताव है, उसको रोककर क्लास–4 की नियुक्तियों को तरजीह देने का काम करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां, जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है, अच्छा है । श्रेणी–3 और श्रेणी–4 के अलावा भी आयोजनेतर पक्ष में कितनी तक कटौती कर सकते हैं, इसे देखेंगे ।

भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन पर प्रतिबन्ध लगाये जाने सम्बन्धी विधेयक लाने का सुझाव

*2–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य में सिंचाई/पेय जल योजना के अंतर्गत भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन (डिलिंग) से भू-जल स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है जिससे पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों में प्रतिबंधित डिलिंग के प्रावधान हेतु कोई विधेयक सदन के समक्ष लायेगी ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सुरन उपाध्याय)–

राज्य में सिंचाई/पेयजल योजनाओं के अंतर्गत भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन से भूजल स्तर में निरन्तर गिरावट होने के कारण पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न होने के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है । यद्यपि यह सही है कि लघु सिंचाई साधनों के द्वारा होने वाले अपेक्षीकृत भूजल के अधिक निकास तथा वर्षा में कमी होने के फलस्वरूप रिचार्ज में कमी के कारण प्रदेश के कुछ भागों में जल स्तर में गिरावट पाई गई है ।

राज्य में कृषि उत्पादन के लिए लघु सिंचाई साधनों की समुचित व्यवस्था तथा उपलब्ध भूगर्भ जल भण्डारों के दोहन के नियमन के संदर्भ में वर्ष 1972 में गठित राज्य भूगर्भ जल परिषद् को शासन के संकल्प दिनांक 30 मार्च, 1988 द्वारा पुनर्गठित कर दिया गया है । राज्य भूगर्भ जल परिषद् की भूमिगत जल के दोहन सम्बन्धी संस्तुतियों के आधार पर ही यथा आवश्यकता, आगे में अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में कि जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि राज्य में सिंचाई/पेयजल योजनाओं के अंतर्गत जल के अत्यधिक दोहन से भूजल स्तर में निरन्तर गिरावट होने के कारण पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न होने के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है और इसके आगे कह रहे हैं कि यद्यपि यह सही है कि लघु सिंचाई के द्वारा होने वाले अपेक्षाकृत भूजल के अधिक निकास तथा वर्षा में कमी होने के फलस्वरूप रिचार्ज में कमी के कारण प्रदेश के कुछ भागों में जल स्तर में गिरावट पाई गई है ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न तो पूछिये।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

वही तो पूछ रहा हूं कि इससे पर्यावरण बहुत प्रभावित हो रहा है । प्रदेश के विभिन्न विभागों में कोई सामंजस्य नहीं है जहां मन चाहता है, वहीं बोरिंग की जा रही है। इसलिए प्रदेश में कोई 'ड्रिलिंग एक्ट' बन जाना चाहिए क्योंकि इससे लघु कृषक प्रभावित होते हैं और बड़े कृषक पैसा दे कर अपने मन चाहे स्थान पर ड्रिलिंग करवा लेते हैं। बुन्देलखण्ड, विन्द को तराई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ व आगरा का कुछ हिस्सा एसा है जहां भूमिगत जल में गिरावट अयी है, क्या माननीय मंत्री जी इन चारों स्थानों पर इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे और कहां कितने फुट बोरिंग होनी चाहिए इस सम्बन्ध में कि पंचवर्षीय योजना में कितनी बोरिंग की जानी चाहिए, इस सम्बन्ध में ड्रिलिंग एक्ट बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में इस सम्बन्ध में ड्रिलिंग एक्ट बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, भू-जल स्तर के गिरावट के संबंध में कहीं-कहीं की शिकायतें प्राप्त हुई थीं । अभी यह प्रदेश के लिये बहुत चिन्ता का विषय नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में इसके गिरावट से संकट उत्पन्न हो जायेगा । इस संबंध में अवगत कराना चाहूंगा कि हरियाणा में जल का उपयोग 82 प्रतिशत हो रहा है, पंजाब में भी जल का उपयोग 82 प्रतिशत हो रहा है, तामिलनाडु में जल का उपयोग 73 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में भू-जल का उपयोग केवल 34.6 प्रतिशत ही है। अभी इसके लिए हरियाणा में कोई ड्रिलिंग एक्ट नहीं बना है, न पंजाब में बना है। अभी हमारी पोटेंशियलिटी बहुत ज्यादा है, इस सम्बन्ध में अनावश्यक रूप से कोई एक्ट बनाने से किसानों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो जायेगी बजाय आराम पहुंचने के। उन्हें इसके लिए लाइसेन्स लेना पड़ेगा, सर्वे किया जायेगा जो कि किसानों के हित में नहीं होगा बल्कि इसका प्रतिकूल प्रभाव होगा। मैं अनुभव करता हूं कि इस तरह का एक्ट बनाने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि जैसा इन्होंने कहा है कि 30 मार्च, 1988 को भूगर्भ जल भण्डारों के दोहन के नियमन का पुनर्गठन कर दिया गया है। पर मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि राज्य भूगर्भ जल परिषद् के पास केवल 8 रेजिस्टीविटी मीटर हैं जिससे कि वे परीक्षण करते हैं किन्तु वे भी दोषपूर्ण हालत में हैं और कार्य नहीं कर रहे हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी उन दोषपूर्ण रेजिस्टीविटी मीटरों को हटा कर उनके स्थान पर आधुनिक मीटर खरीद कर विभाग को हस्तान्तरित करने की कृपा करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जहां कहीं भी सूचना शासन से आती है जल स्तर के गिरने के संबंध में, वहां पर सर्वे कराया जाता है और सर्वे के आधार पर जो नतीजा सामने आता है, कार्यवाही उसके अनुसार कर दी जाती है।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, कृपया उसे माननीय मंत्री जी से दिलवा दीजिए । मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि जो रेंजिस्टीविटी के दोषपूर्ण मीटर थे, उनको बदल कर दूसरे मीटर मंगवा लिये गये अथवा नहीं? यह मेरा प्रश्न था और माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह दूसरा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, हमारी कोई भी स्कीम दोषपूर्ण है, यह तो मैं मानता नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी यह तो स्वीकार किया है कि जल का स्तर कहीं-कहीं गिरा है इस आशय की सूचना शासन से विभाग के पास आती है तो यह उस स्थान का सर्वे भी कराते हैं तो इस आशय की सूचना (कि जल का स्तर गिर रहा है) किन-किन स्थानों से आपके पास अब तक आयी है, वह जानकारी क्या आप देने की कृपा करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

माननीय सदस्य जहां की भी जानकारी इस आशय की कराना चाहें कि पर्यावरण में दिक्कत आ रही है, वहां पर हम जानकारी करा लेंगे।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या अब तक भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुयी है कि जल उपलब्धता में कोई कठिनाई पैदा हुयी है या किसी स्थान पर काश्तकारों द्वारा अधिक पानी का उपयोग किया गया है, जिसकी वजह से यह स्थिति सामने आयी है? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र हैं और किन किन जनपदों में यह स्थिति है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, लखनऊ द्वारा जो सूचना शासन को अब तक प्राप्त हुयी है डाई एवं ग्रे विकास खण्डों के सम्बन्ध में वह इस प्रकार है :–

1–बिजनौर में नहटौर

2–बुलन्दशहर में-बी0 बी0 नगर, दानपुर, जहांगीराबाद, लखोंडी, शिकारपुर तथा सियाना में।

गाजियाबाद में निल, मुजफ्फरनगर में बुधना, शाहपुरा, सहारनपुर में नांगला।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

नगरपालिका बांदा द्वारा पावर उपभोक्ताओं को वर्ष 1952 से 10 रुपया प्रति हार्स पावर के हिसाब से वसूली की नोटिस

*1–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा नगरपालिका के पावर उपभोक्ताओं से 10 रुपये प्रति हार्स पावर वार्षिक दर से 1952 से अब तक की वसूली की नोटिस वर्ष 1985 में जारी की गयी है? यदि हां, तो इसका आधार क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस प्रकार की वसूली की नोटिस प्रदेश की ओर से किन-किन नगरपालिकाओं ने जारी की है?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री नरेश चन्द्र)–

नगरपालिका बांदा द्वारा पावर उपभोक्ताओं को मिल्स एवं कारखाना उपविधियों (6718/xx111-73(3) 51 दिनांक 26 जुलाई, 1951) के अन्तर्गत वर्ष 1967, 1969, 1973, 1983, 1984 व 1985 में शुल्क वसूली हेतु निम्नांकित दर से नोटिस दिये गये थे।

दर सूची

1 से 5 हार्स पावर तक	50 रु0 प्रतिवर्ष
6 से 10 हार्स पावर तक	100 रु0 प्रतिवर्ष
11 से 20 हार्स पावर तक	200 रु0 प्रतिवर्ष
21 से 50 हार्स पावर तक	300 रु0 प्रतिवर्ष
51 से ऊपर	500 रु0 प्रतिवर्ष

यह सही नहीं है कि नोटिसों में शुल्क की दर 10 रु0 प्रति हार्स पावर थी तथा वर्ष 1985 में ही 1952 से अब तक की अवधि के नोटिस दिये गये हैं।

प्रदेश की अन्य किसी नगरपालिका द्वारा इस प्रकार बकाये की वसूली की नोटिस जारी किए जाने की सूचना शासन को प्राप्त नहीं है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने तो अपना उत्तर दे दिया, लेकिन बांदा के लोगों द्वारा जानकारी दी गयी है कि 1952 से लेकर 1985 तक नगरपालिका के पावर उपभोक्ताओं से दस रुपये प्रति हार्स पावर वार्षिक की दर से वसूली की नोटिसें जारी की गयी हैं। क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि ऐसा किया गया है और इस प्रकार के नोटिसें सभी पावर उपभोक्ताओं को दी गयी हैं।

श्री नरेश चन्द्र–

माननीय, जो नोटिसें दी गयी हैं, वह 1952 से 1985 तक एक साथ संकलित करके नहीं दी गयी हैं।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

माननीय, मैं यह जानना चाहता हूं कि 1985 में ही शासन को क्यों ध्यान आया कि पैसा वसूल करना है ? लोग इतना पैसा एक मुश्त कैसे दे सकेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र–

माननीय, हर वर्ष नोटिस दिये जाते रहे हैं। उनका भुगतान नहीं किया गया इसलिए एरियर्स होते रहे। ऐसा नहीं है कि एकमुश्त नोटिस दिये गये हैं।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

माननीय, मेरी जानकारी है कि 1985 में एक मुश्त नोटिस दिये गये हैं। अगर दिये गये हैं तो इसमें विभाग की कमी है और एक दो साल तक का तो पैसा वसूल कर सकते हैं, लेकिन 1952 से पैसा वसूल करने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री नरेश चन्द्र–

माननीय, सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन अगर सदस्य बता दें, तो विचार कर लूंगा।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मैंने तो बता ही दिया है।

तहसील नरैनी जनपद बांदा में सिंचाई सुविधा हेतु भौरा नाला में चेक डैम बनाया जाना

*2–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ श्री छोटे लाल तिवारी ग्राम प्रधान रोली (कल्याणपुर) तहसील नरैनी जनपद बांदा का पत्र दिनांक 13 नवम्बर, 1986 सिंचाई सुविधा के लिए भौरा नाला में चेक डैम बनवाने के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या भौरा नाला में चैक डैम बनवाने के लिए सर्वे करा कर रूपरेखा तैयार की जायेगी? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*3–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

दिनांक 13 फरवरी, 1989, सोमवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में सिंचाई हेतु शारदा सहायक, रामगंगा, व गंडक परियोजना अथारिटी द्वारा गूलों के निर्माण व्यय किसानों से लेना

*1–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में शारदा सहायक, राम गंगा व गंडक परियोजना अथारिटीज द्वारा गूलों का निर्माण कराया गया है तथा पैसा किसानों से वसूला जा रहा है? क्या सरकार गूल निर्माण का पैसा किसानों से न वसूलने पर विचार कर रही है? क्या यह सही है कि हरियाणा व अन्य राज्यों में इस प्रकार की परियोजनाओं द्वारा गूलों का निर्माण व्यय किसानों से नहीं लिया गया है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

जी नहीं।

हरियाणा ने सूचना नहीं उपलब्ध कराई है। राजस्थान सरकार द्वारा गूलों पर हुए व्यय की वसूली न करने हेतु कोई आदेश नहीं दिए गये हैं। मध्य प्रदेश में गूलों के निर्माण पर हुए व्यय को 10 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रति फसल के अनुसार लाभार्थी कृषकों से वसूला जाता है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, थोड़ा आपकी जानकारी में ला दूं कि तीन परियोजनायें–शारदा, राम गंगा और गंडक–चल रही हैं। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत किसान के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए पक्की गूलें बनायी जाती हैं, इस समस्या से लाखों किसान प्रभावित हैं कि पक्की गूलें सरकार द्वारा बनायी जाती हैं। नहर से जो पानी कच्ची गूलों से जाता है या पक्की गूलों से जाता है, उस . . .

(इस समय 11 बजकर 28 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

पानी की सिंचाई का पैसा किसान देता है फिर वहां पर पक्की गूल बनाकर उनका निर्माण-व्यय किसानों से वसूल किये जाने का क्या औचित्य है, यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, भारत सरकार की सहायता से यह योजना किसानों के हित में लागू की गई है। यू0 पी0 कैनाल एक्ट के अन्तर्गत नहरों से कुलाबों तक पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और उसके बाद किसानों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन किसानों के हित में भारत सरकार की सहायता से यह योजना इन क्षेत्रों में चलाई जा रही है जिससे 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है और 50 प्रतिशत किसानों से वसूल किया जाता है और इस 50 प्रतिशत में जो सीमान्त कृषक हैं उनको 33⅓ प्रतिशत अनुदान के रूप में और लघु कृषकों को 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में देते हैं जिससे किसान इन नहरों का अच्छी तरह से उपयोग कर सकें । ये नालियां किसानों के हित में ही बनी है इसलिए यह मार्जिनल मनी किसानों से वसूल किया जाता है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि अन्य राज्यों में भी 10 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रति फसल लाभार्थियों से वसूल किया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रदेश में इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रति हेक्टेयर अनुमानित कितना है और उनसे कितना पैसा वसूल किया जा रहा है? पूरे प्रदेश में एक हेक्टेयर में एक किसान से कितना पैसा किसानों से निर्माण-व्यय के रूप में प्रस्तावित है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रति हेक्टेयर कितना खर्च आ रहा है, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन जैसा कि मूल प्रश्न में बताया गया है अन्य प्रदेश सरकारें, निर्माण पर जितना व्यय हुआ है, उसकी वसूली नहीं कर रही हैं। जहां तक हमें जानकारी है कोई भी प्रदेश सरकार ने उसको पूरी तरह से माफ नहीं किया है। इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जितनी जमीन किसान के पास होती है उसका भू-राजस्व किसान देता है, उसका वह लगान देता है और गूल में पानी निकलने पर आबपाशी भी जो आप किसानों पर लगाते हैं, उसकी जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर होती है जब कि इसका भार सरकार को वहन करना चाहिए न कि किसान को। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस गलत कानून पर पुनः विचार करेंगे कि नहरों से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए जो गूल का लगान वह देता है उसकी जिम्मेदारी किसान की न होकर शासन की होगी ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया कि यू0 पी0 कैनाल एक्ट में केवल कुलावे तक पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है और उसके बाद किसान की है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैंने सीधा प्रश्न किया है। आपने कुलावे तक अपनी जिम्मेदारी ओढ़ ली लेकिन कुलावे तक जितने खेत पड़ेंगे उसका पैसा आप उनसे ले लेते हैं, उनसे शुल्क ले लेते हैं। कुलावे के बाद गूल बनाकर बीसियों खेत पड़ेंगे, उनका बनाने का खर्चा किसान वहन करता है और आप उसका पैसा वसूल करते हैं और आबपाशी भी उनसे वसूल करते हैं जब कि इन गूलों पर जो निर्माण-व्यय होता है उसकी जिम्मेदारी भी शासन की होनी चाहिए उनकी जमीन का पैसा भी उनको मिलना चाहिए। अगर पूरी गूलें पक्की कर दी जायं तो उससे ज्यादा पानी बचेगा। अगर नहरों में ज्यादा पानी बचेगा तो उससे किसानों का ही फायदा होगा।

श्री उपाध्यक्ष–

आप सवाल करिये।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

तो क्या आप इस समूची व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे जिससे किसानों का हित हो सके?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मैं यही बता रहा था कि कुलावे तक पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और उसके बाद खेत तक पानी ले जाना किसान का दायित्व होता है। फिर भी राज्य सरकार और भारत सरकार ने किसानों के हित में यह व्यवस्था चालू की गयी है और कमाण्ड एरिया सृजित किया है। किसान स्वयं नाली नहीं बना पाते हैं और पूरे नहर के पानी का उपयोग नहीं कर पाते हैं इसलिए 50 प्रतिशत अनुदान किसानों को दिया जाता है और जो 50 प्रतिशत वसूल होता है उसमें भी लघु और सीमान्त किसानों को अनुदान दिया जाता है। 1986 तक कुलावे से 5–8 हेक्टेयर ब्लाक खेत तक पानी ले जाने में जो खर्च होता था वह किसान से वसूल किया जाता रहा लेकिन 1986 के बाद शासन ने निर्णय लिया कमांड तक पानी ले जाने में जो व्यय होगा उसे सरकार वहन करेगी। इसलिए किसानों की सहूलियत के लिए यह रियायत दी गयी है । इसके अलावा भी मैं बता दूं कि पूर्व में जो नालियों का निर्माण हुआ था वह क्षतिग्रस्त हो गया और किसान मरम्मत नहीं करा सके थे उसके लिए भी इस वर्ष माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर 2.22 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है और जो नालियां क्षति-ग्रस्त हो गयी हैं उनकी मरम्मत की व्यवस्था शासन द्वारा की गयी है। इस तरह से 5–8 हेक्टेयर ब्लाक तक पानी की व्यवस्था किसानों के हित में की गयी है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, बड़े आश्चर्य की बात है कि माननीय मंत्री जी को, मध्य प्रदेश में किस दर से किसानों से वसूली हो रही है, इसकी जानकारी है लेकिन उत्तर प्रदेश की जान-कारी नहीं है। यह ताज्जुब और आश्चर्य की बात है और यह खेद जनक बात है। दूसरा माननीय मंत्री जी ने यू0 पी0 कैनाल एक्ट की बात कही। तो वह 1930 का बना हुआ है जब कि ब्रिटिश हुकूमत थी। उस समय बहुत कम नहरें थी अब तो आपने जाल बिछा दिया है जिससे सीपेज और वाटर लागिंग हो रही है और किसान उससे मर रहा है। उसकी चर्चा माननीय राम चन्द्र बक्श जी ने की । कई ऐसे गांव हैं जहां चकबन्दी हो गयी है लेकिन गूलों का निर्माण नहीं हुआ है । मीलों मील पानी फैला है और किसानों से फाइन के रूप में वसूल किया जाता है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गण्डक कमांड एरिया के अन्तर्गत कोई इस तरह का मास्टर प्लान बना कर ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे ठीक ढंग से सिंचाई हो सके और उसके निर्माण का खर्च सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

गण्डक समादेश क्षेत्र ड्रेनेज प्लान के तहत ही यह व्यवस्था है और उसमें छूट की व्यवस्था की गयी है । यदि कहीं यह सुविधा नहीं मिल रही है और माननीय सदस्य उसकी सूचना देंगे तो वह निर्माण करा दिया जायेगा ।

श्री बदन सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राम गंगा कमांड परियोजना के अन्तर्गत गूलें पक्की की जाती हैं तो उसमें केवल 10वें अंश तक ही पक्की की जाती हैं और बाकी में कच्चे में पानी जाता है यानी किसी कुलावे का 10वां अंश ही पक्का किया जाता है तो क्या बाकी हिस्से को भी पक्का कराने की व्यवस्था करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

इसके लिये तो संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश के किसानों का करोड़ों रुपया इस विभाग को जा रहा है । आप गोरखपुर के प्रभारी हैं इसलिए कभी आप स्वयं निरीक्षण कर लें और जो आपकी व्यवस्था है उससे किसानों का कोई लाभ नहीं हो रहा है और इस पर करोड़ों रुपया व्यय हो रहा है और किसानों से जबरदस्त वसूली हो रही है उसे पानी नहीं मिलता है और उसे टैक्स देना पड़ रहा है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

वाटर टैक्स को आप डिफाल्ट कर दें । विभाग कैसे पानी पहुंचायेगा यह विभाग की जिम्मेदारी है । इसलिये क्या सरकार कैनाल एक्ट 1923 को संशोधन करने पर विचार करेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

इस बिन्दु पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

ग्राहक चाय लेता है तो चाहे जिसमें मिले वह पैसा देता है । इसी प्रकार किसान को पानी चाहे जैसे मिले वह पैसा देता है। मैं चाहता हूं कि नम्बर एक, कि मेरी एक निश्चित जानकारी है कि पंजाब और हरियाणा ने किसानों से गूलों का पैसा नहीं वसूला है, नम्बर दो, क्षेत्रीय विकास अधिनियम जिसके तहत गूलें बनायी गयी हैं उसके नियमों का उल्लंघन किया गया है, नम्बर तीन, नालियां बनीं और सभी समाप्त हो गयी हैं क्षति-ग्रस्त नालियों को सुधारा नहीं गया है । क्या मंत्री जी जो किसानों से पैसा वसूला जा रहा है उसको माफ करने पर विचार करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, जैसा पूर्व में बताया है कि क्षतिग्रस्त नालियों की मरम्मत के लिये 2.22 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

(तारांकित प्रश्न संख्या-2 पुकारे जाने तथा माननीय सदस्यों के अनुपस्थित रहने पर)

श्री सुखपाल पाण्डे–

इसमें मेरी रुचि है।

श्री उपाध्यक्ष–

इसको बाद में लिया जाएगा ।

शिव हर्ष किसान पी0 जी0 कालेज, बस्ती के भैंसहिया फार्म की जमीन पर पब्लिक नलकूप लगाये जाने की स्वीकृति

*2—श्री राम शरण दास, श्री दिवाकर विक्रम सिंह तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

द्वितीय सत्र 88 के पहले सोमवार के तारांकित प्र0 सं0-8 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शिव हर्ष किसान पी0 जी0 कालेज, बस्ती के भैंसहिया फार्म की जमीन पर पब्लिक नलकूप निर्माण खण्ड बस्ती द्वारा किसी नलकूप का निर्माण वर्ष 1987 में कराया गया है? यदि हां, तो उक्त जमीन पब्लिक नलकूप निर्माण खण्ड को किसकी अनुमति से दी गयी और उक्त कालेज की उक्त जमीन को देने हेतु कौन अधिकृत है? यदि कोई अधिकृत नहीं है, तो अनाधिकृत रूप से उक्त जमीन देने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? इस संबंध में विद्यालय को हुई क्षति की पूर्ति किस प्रकार की जायगी?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

जी हां।

कोई लिखित अनुमति नहीं दी गई।

सम्बन्धित महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त भूमि हस्तांतरित करने के लिए अधिकृत है। विश्व बैंक परियोजनान्तर्गत सार्वजनिक हित में लगाए गए नलकूप के लिए किसी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है।

प्रश्नगत भूमि का मुआवजा नियमानुसार निर्धारित दर पर महाविद्यालय को दिए जाने के आदेश जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा दिए जा चुके हैं।

इलाहाबाद के सिविल लाइन्स, जार्ज टाउन, टैगोर टाउन तथा राजापुर में 'साइट एण्ड सर्विसेज' योजना लागू करने की मांग

*3—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नजूल भूमि पर पुश्त दरपुश्त से निवासित कमजोर वर्ग के लोगों को उसी स्थान पर 'साइट एण्ड सर्विसेज' योजना के अंतर्गत बसाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो यह योजना इलाहाबाद के सिविल लाइन्स, जार्ज टाउन, टैगोर टाउन तथा राजापुर में कब तक लागू कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो भारतीय संविधान के अनु0 14 के अनुसार कमजोर वर्ग को संरक्षण न दिये जाने का क्या कारण है?

नगर विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

ऐसी कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

नजूल भूमि के अधिकांश मामले अत्यन्त विवादास्पद हैं। विकास प्राधिकरण द्वारा नजूल भूमि अधिग्रहण किये जाने पर यथा सम्भव कमजोर वर्ग के लोगों के लिये भी आवासीय योजनायें बनाई जाती हैं।

पेयजल समस्या ग्रस्त ग्रामों की परिभाषा तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने की योजना का लागू किया जाना

*4–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेयजल समस्याग्रस्त ग्राम की परिभाषा क्या है तथा जिलावार ऐसे ग्रामों की संख्या 31-10-88 तक क्या है ? इन ग्रामों को पेयजल की समस्या से स्थाई छुटकारा दिलाने के लिए कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी तथा तब तक इन ग्रामों के निवासियों को स्वच्छ पेयजल कैसे उपलब्ध कराया जायेगा?

आवास एवं जल सम्पूर्ति राज्य मंत्री (श्री श्रीनाथ सिंह)–

भारत सरकार के अनुसार पेयजल समस्याग्रस्त ग्रामों की परिभाषा निम्न प्रकार है:–

1–ऐसे ग्राम जहां पेयजल का श्रोत 1.6 कि0 मी0 या उससे अधिक दूर स्थित हो या ऐसे ग्राम जहां भूमिगत जल भूतल से 15 मी0 या उससे अधिक गहराई पर उपलब्ध हो। पर्वतीय क्षेत्रों में वे ग्राम जहां पेयजल का स्रोत 100 मी0 ऊंचाई या निचाई पर स्थित हो।

या

2–ऐसे ग्राम जो हैजा, अतिसार एवं अन्य पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से ग्रसित हैं।

या

3–ऐसे ग्राम जहां श्रोत से उपलब्ध जल खारी हो जहां क्लोराइड की मात्रा अधिक हो।

सूची संलग्न है।

समस्याग्रस्त ग्रामों में इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प/पाइप द्वारा धन की उपलब्धता के अनुसार स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 175-176 पर)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर के भाग-2 में बताया है कि ऐसे ग्राम जो हैजा, अतिसार एवं अन्य पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से ग्रसित है, मेरी जानकारी के अनुसार जो सूची मंत्री जी ने दी है तो बरेली जिले में ही केवल 2200 से अधिक ग्राम समस्या ग्रस्त हैं जबकि मंत्री जी ने 900 ग्राम ही समस्याग्रस्त बताये हैं । इन्हीं का स्वास्थ्य विभाग बाकी सभी गांवों में ब्लीचिंग पाउडर भेजता है चूंकि वहां पेयजल प्रदूषित है जबकि बताये 900 ग्राम ही समस्याग्रस्त हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो शर्त नम्बर 2 पढ़ा है, वहां का पेयजल शुद्ध नहीं है और इंडिया मार्क हैण्ड पम्प-2 जो लगाये जाते हैं, यदि उनका पानी स्वास्थ्यप्रद है तो वहां पर आपको स्वास्थ्य विभाग क्यों ब्लीचिंग पाउडर भेजता है और यदि नहीं है तो वह ग्राम समस्याग्रस्त क्यों नहीं है?

श्री श्रीनाथ सिंह–

इन ग्रामों की सूचना आ जाएगी तो वह दे दी जायेगी ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

यह प्रदेश व्यापी समस्या है और सरकार इसको चलना चाहती है। एक-एक ब्लाक में ऐसे गांव हैं, जहां कहीं 8-8 हैण्डपम्पस लग गये हैं और अगले वाले में एक भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनको उसमें शामिल नहीं किया है और फिर अगले वाले में 10-10 लग गये हैं। सरकार स्वीकार करती है कि खुले कुंवें का पानी लाभप्रद नहीं हो सकता है, उससे छूत की बीमारी फैलती है, तो इस टाईप के पम्प यहां सभी गांवों में क्यों नहीं लगाये जाते हैं?

श्री श्रीनाथ सिंह–

एक्सपर्ट इसकी जांच करते हैं और जो जांच रिपोर्ट आ जाती है उसी के अनुसार कार्य करते हैं। एक्सपर्टों की जांच आ जाएगी तो निश्चित रूप से लगा दिये जायेंगे।

श्री मोहम्मद असलम खां–

पहली शर्त जो है कि जिन ग्रामों में जल भूतल से 15 मीटर नीचे हो, मेरे क्षेत्र में, पार क्षेत्र में सहारनपुर में, मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में बता रहा हूं, 191 ग्राम सभा में यह बताया गया है कि 188 में पेयजल योजना पूरी हो गई है और केवल 3 ग्राम शेष बचे हैं, तो मैं यह पूछना चाहता हूं- मेरी जानकारी में है कि 127 गांवों में आज भी पेयजल नहीं है और हर साल वहां पर टैंकर उपलब्ध कराये जाते हैं पानी पिलाने के लिए तो क्या यह सूची जो किसी ने गलत दी है, उसमें सुधार करवाकर इन सारे गांवों में वह पानी प्रदान करने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीनाथ सिंह–

विधायक जी हमको सूची दे दें कि किन गांवों में नहीं लगे हैं तो उनमें निश्चित तौर पर लगवा दिए जाएंगे।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी विकास खण्ड में बाह क्षेत्र जो राप्ती नदी के उत्तर में है, मेरी जानकारी के अनुसार उस क्षेत्र के अधिकांश गांवों में पेयजल दूषित है, जिसके चलते वहां पर विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो उनमें बड़े हैण्ड पम्प लगवाकर शुद्ध जल दिया जा सकता है । खासकर इस क्षेत्र के तीन गांवों-बाले जिनवां, सूपाघाट और टकापार का पानी पीते ही लोगों का पैर फूलता है, गला फूलता है, मलेरिया फैलता है । अस्पताल में इनके नाम दर्ज हैं, मरने वालों की संख्या ज्यादा है, तो क्या मंत्री जी इस क्षेत्र का पूरा सर्वेक्षण कराकर जिन गांवों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, दिलाने की कृपा करेंगे और विशेष कर इन तीन गांवों बाले-जिनवां, सूपाघाट और टकापार में ?

श्री श्रीनाथ सिंह–

माननीय सदस्य के विचारों का हम आदर करते हैं और इसका सर्वेक्षण करा लिया जायेगा, जहां ऐसी समस्या होगी, वहां अवश्य लगा दिये जायेंगे ।

श्री बदन सिंह–

अभावग्रस्त गांव में पेयजल की व्यवस्था दो तरह से की जाती है एक हैण्डपम्प लगाकर और दूसरी पाइप्ड योजना के द्वारा । मान्यवर, आगरा जिले में फतेहपुर सीकरी जो क्षेत्र है यहां पर 303 में से 268 गांव का पानी खारा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि हैण्डपम्प लगाने से पूर्व जैसा कि क्षेत्रीय विकास मंत्री जी ने कहा था कि हैण्डपम्प लगाने से पूर्व भू-गर्भ सर्वेक्षण से उसकी जांच कराते हैं कि उस क्षेत्र का पानी खारा है या मीठा, तो अगर यह जांच कराते हैं तो फिर बार-बार खारे पानी के हैण्डपम्प क्यों लगते हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी इस संबंध में भू-गर्भ जल सर्वेक्षण से जांच करायेंगे ? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पाइप्ड योजना के अन्तर्गत जो अभावग्रस्त गांव होते हैं वहां गांव के सिरे पर पाइप डालते हैं और दो स्टैम्प पोस्ट लगा देते हैं। 40 एल0 पी0 सी0 डी0 के अन्तर्गत यह ऐसा करते हैं जिसकी वजह से पूरा गांव प्यासा मरता है, तो हम चाहते हैं कि 40 एल0पी0सी0डी0 योजना के बदले 60 एल0 पी0 सी0 योजना लागू हो ?

श्री श्रीनाथ सिंह–

जहां तक हैण्डपम्प की बात है इस संबंध में विभाग को निर्देश दे दिए जायेंगे कि खारे पानी को देखकर ही हैण्डपम्प लगाये जायें दूसरे सवाल के बारे में जरा फिर से बता दें ।

श्री बदन सिंह–

इन्होंने कहा कि दूसरा प्रश्न सुना नहीं तो मैं इन्हें दूसरा प्रश्न बता दूं, पाइप्ड योजना के अन्तर्गत 40 एल0 पी0 सी0 डी0 के अन्तर्गत गांव के सिरे पर दो स्टैम्प पोस्ट लगा देते हैं जिससे पूरा गांव प्यासा मरता है तो क्या पूरे गांव में पाइप लाइन बिछाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, कोई उत्तर सही नहीं मिल रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी वह उत्तर दे रहे हैं उन्होंने प्रश्न सुना नहीं था ।

श्री श्रीनाथ सिंह–

यदि संशोधन उपलब्ध रहेंगे तो जरूर विचार कर लिया जायगा ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है । यह सवाल वैसे ही नहीं जायेगा, वहां हमको आना पड़ेगा। इस सवाल को स्थगित करवाइये या निश्चित रूप से इसका जवाब दिलवाइये ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, नियम 49 के अन्तर्गत इस पर चर्चा करवाइये ।

श्री उपाध्यक्ष–

मंत्री जी ने इस पर विचार करने का आश्वासन दे दिया है ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, इस प्रश्न का जवाब निश्चित रूप से दिलवाइये । यह पेयजल व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

उन्होंने विचार करने की बात कही है । निश्चित इससे ज्यादा जवाब क्या देंगे ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में 78 हजार ग्राम समस्याग्रस्त ग्राम हैं । भारत सरकार के अनुसार पेयजल समस्या ग्रस्त ग्रामों की परिभाषा उन्होंने बतायी है जिसमें 3 बिन्दुओं के बारे में उन्होंने बताया है । तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इन तीन बिन्दुओं के अनुसार समस्याग्रस्त गांवों की सूची बनाते समय किन अधिकारियों का सहयोग लिया जाता है । यह सूची क्या जिले के अधिकारी बनाते हैं या तकनीकी अधिकारी बनाते हैं । इस सूची को तैयार करते समय क्या इस पक्ष और उस पक्ष में बैठे हुए विधायकों के सुझाव प्राप्त किये जाते हैं । यदि अब तक यह सुझाव प्राप्त किये जाते हैं तो क्या आगे इस संबंध में सुझाव प्राप्त करके यह सूची बनाई जायेगी? माननीय मंत्री जी क्या इसका आश्वासन देंगे?

श्री श्रीनाथ सिंह–

मान्यवर, शासन द्वारा अधिकारियों को यह आदेश दिया जाता है कि वे जन-प्रतिनिधियों की सलाह पर समस्या ग्रस्त गांवों की सूची बनायें । यदि वह नहीं बनाते हैं तो आगे से निर्देश दे दिया जायेगा कि भविष्य में जन प्रतिनिधियों की राय लेकर समस्याग्रस्त गांवों का चयन करें ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

कौन-कौन से अधिकारी सूची बनाते हैं, इसका जवाब नहीं आया है?

श्री नरेश चन्द्र–

मान्यवर, आदरणीय दीक्षित जी ने जिस प्रश्न का उत्तर चाहा है तो इस समय यह हैण्ड पम्प जल निगम और जल संस्थान के अधिकारी सी0 डी0 ओ0, डी0 एम0 से परामर्श करते हैं तब लगाते हैं। जैसा कि दीक्षित जी ने कहा कि इस पक्ष और उस पक्ष के माननीय सदस्यों की राय ली जाये तो अगर राय नहीं ली गयी है तो स्पष्ट निर्देश दिए जायेंगे कि जन प्रतिनिधियों की राय के बिना न लगाया जाय।

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, हमारे जनपद प्रतापगढ़ का एक भाग शारदा सहायक कमाण्ड के अधीन है । वहां का जल स्तर बहुत ऊपर हो गया है । छोटे-छोटे बच्चे दूषित जल के कारण तरह-तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं । तो क्या मंत्री जी इसका इंसपेक्शन, सर्वेक्षण करवाकर पेयजल व्यवस्था करेंगे?

श्री श्रीनाथ सिंह–

मान्यवर, निश्चित रूप से सर्वेक्षण कराया जायगा और पानी के लिए जो व्यवस्था होगी वह कर दी जायगी ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बस्ती जिले में हर्रैया तहसील उप ग्राम से लेकर कलवारी तक के बेल्ट तक पानी पीने का कोई साधन नहीं है, लोग नदियों और गड्ढों से पानी लेकर पीते हैं और आपके जल निगम के द्वारा वहां पर कोई भी काम नहीं किया गया, ताकि वहां के लोगों को पीने का पानी मिल सके। मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से, जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र–

मान्यवर, आदरणीय पाण्डे जी ने जिस ओर ध्यान आकर्षित किया है, उस पर जल निगम से सर्वे कराकर कि उस स्थान पर अगर पानी की समस्या है, तो उसका निदान कराने का अवश्य प्रयास किया जायगा।

श्री अमर चन्द्र–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आगरा जनपद की तहसील बाह की ओर दिलाना चाहता हूं । उस क्षेत्र में पेय जल का भारी अभाव है । वहां पर चार साल से भू-गर्भ का जल स्तर गिर जाने के कारण उस क्षेत्र में हैण्ड पम्प भी सफल नहीं होते हैं । मान्यवर, भदरौली, पुराहर लाल, कारेथ गांवों में खारा पानी होने के कारण भू-गर्भ का जल-स्तर बहुत ज्यादा गिर गया है । क्या माननीय मंत्री जी इन तीनों गांवों को टेक्नालाजी मिशन में शामिल करने की अनुकम्पा करेंगे ?

श्री श्रीनाथ सिंह–

इन तीनों को टेक्नालाजी मिशन में ले लिया जायगा ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या जल निगम का यह भी फंक्शन है कि जो हैण्ड पम्प इंडिया मार्क (2) खराब हो गया है, उसको भी ठीक करें । मान्यवर, इनकी एक शाखा रख-रखाव के लिए हर जनपद में मौजूद है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या फिरोजाबाद के 22 ग्रामों में, जिनकी सूची मैं माननीय मंत्री जी को दे चुका हूं, उन हैण्ड पम्पों को ठीक कराने में कितने वर्ष लगा देंगे ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि 1972 में समस्या ग्रस्त ग्रामों की जो सूची बनी थी, इन सूची के समस्या ग्रस्त ग्रामों को कब तक पानी मुहैय्या करा देंगे ?

श्री श्रीनाथ सिंह–

मान्यवर, माननीय विधायक सूची दे दें, मैं मार्च के सत्र समाप्त होने तक उन्हें ठीक करा दूंगा ।

दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि 78,050 समस्याग्रस्त ग्रामों में से 7,278 ग्रामों में हैंड पम्प लगा दिये गये हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें ।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, आपसे अनुरोध कि इस प्रश्न को नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा के लिए स्वीकार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

चर्चा का यह कोई सवाल नही है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

नहीं मान्यवर, यह बहुत अहम् सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष–

इसे नियम 49 में आप लिखकर दे दें ।

*5–चौधरी पराग लाल–

[10वें मंगलवार में तारां0प्र0सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ नगर की सीमा बढ़ाये जाने से समाप्त हुई ग्राम पंचायतों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था

*6–बी वीरेन्द्र सिंह (एटा) (अनुपस्थित)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर की सीमा बढ़ाये जाने पर जो सैकड़ों गांव सीमा के अन्तर्गत आ गये हैं और जिनमें पंचायतें समाप्त हो गई हैं, में विकास एवं अन्य नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु क्या कोई योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

नगर महापालिका लखनऊ की सीमाबृद्धि के फलस्वरूप सीमा के अन्तर्गत आये हुए सम्मिलित ग्रामों में विकास एवं अन्य नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में वर्ष 1988–89 में 'जीवनधारा' योजना के अन्तर्गत बनाये जाने वाले कुएं

*7–कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में "जीवन धारा" योजना के अन्तर्गत किन-किन जनपदों में कुंये बनाये जायेंगे एवं वर्ष 88–89 में कितने कुंए बनाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? क्या कुंए के सफल निर्माण एवं दीर्घ आयु के लिए भूगर्भ जल विभाग द्वारा विधिवत सर्वेक्षण कराने का भी प्राविधान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

"जीवन धारा" योजना के अन्तर्गत जनपद रामपुर, बरेली, अलीगढ़, जालौन, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, सीतापुर, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ फैजाबाद, बहराइच, बाराबंकी, गोण्डा, प्रतापगढ़ एवं सुल्तानपुर में कुओं का निर्माण प्रस्तावित था । सिंचाई के श्रोत के रूप में कुओं की ग्राह्यता और लागत के सापेक्ष्य लाभ प्रदत्त के संबंध में क्षेत्र से प्राप्त प्रतिक्रिया के सन्दर्भ में जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों को यह विकल्प दे दिया गया है कि इन पहलुओं को ध्यान में रखकर अभिव्यक्त निश्चित मांग के आधार पर ही योजना का कार्यान्वयन करें ।

योजना के कार्यान्वयन के लिये निर्गत निर्देशों में यह व्यवस्था की गयी है कि कुओं का निर्माण भूगर्भ जल संस्थान से भूगर्भ जल की उपलब्धता का प्रमाण पत्र प्राप्त करके ही किया जाय ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, हमारे प्रदेश में जब सिंचाई की प्रक्रिया पहले कूपों से चलती थी तो वह पुरानी हो गयी, अब तो नलकूपों से सिंचाई हो रही है. तब प्रदेश ने जीवन धारा योजना ली । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो 19 जनपद इन्होंने लिखे हैं उनका मुख्य आधार क्या था किन सिद्धान्तों और मापदण्डों के आधार पर इसका चयन किया गया जब कि सबसे प्रभावित बुन्देलखण्ड के क्षेत्र को इसमें शामिल नहीं किया गया है? दूसरे सवाल में इस "जीवन धारा" योजना में प्रदेश में कुल कितने रुपये आवंटित किये गये और उसमें से कितने अब तक खर्च हो चुके हैं । क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि 19 जनपदों में अब तक कितने कूप बनाये जा चुके हैं और इनसे कूपों के असफल होने पर कौन विभाग जिम्मेवार होगा ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, माननीय सदस्य को उनकी चिन्ता के अनुरूप यह स्पष्ट करना उचित समझता हूं कि जो आपने चिन्ता प्रकट की कि यह 'जीवन धारा' स्कीम आज के परिवेश में पुरानी हो गयी है और परम्परागत साधन जैसे रहट प्रदेश में लोकप्रिय नहीं है और इसमें बैलों वगैरा की जरूरत पड़ती थी वह भी नहीं है । इसलिए आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस पर विचार करने के बाद यह पाया गया यह योजना यहां के लिए व्यवहारिक नहीं है । जो इसके लिए धनराशि 12 हजार रुपये थी उससे कुंवा भी नहीं बन सकता था और बैलों की आवश्यकता होती, पम्पिंगसेट लगाने की आवश्यकता होती इसलिए इसको यह कह दिया गया कि जनपदों में जीवन धारा का लाभ गांवों को हो सकता है । बाद में इस पैसे को डाइवर्ट कर दिया गया । एन0 आर0 ई0 पी0 से 48 करोड़ लेना था तो इसमें डी0 आर0 डी0 ए0 की बैठक करके यह कहा गया कि यह व्यवहारिक नहीं है । इस धनराशि को अन्य कार्यों में खर्च करने के लिए छूट दी गयी है जो फ्री बोरिंग यहां की लोकप्रिय है उससे तो लाभ मिला है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को और जिनके पास थोड़ी जमीन है उनको लाभ दिया गया है तो आपकी चिन्ता पर विचार करके शासन ने यह विकल्प निकाल लिया और 'जीवन धारा' स्कीम के अन्तर्गत कुवों को खोदने का काम नहीं करना है । उस धनराशि का उपयोग निर्बल वर्ग के आवास के लिए भी कर दिया गया है। मान्यवर, माननीय सदस्य ने इन जनपदों के जो जिले मैंने गिनवाये, केवल उन्हीं जनपदों में मांग की थी, कुवों के निर्माण की, दूसरे जनपदों ने कहा कि हमारे यहां व्यवहारिक नहीं है । हमारे यहां निर्माण अप्रैल से जून तक होना है और वह प्रारम्भ हो गया है । गति धीमी है इसमें कोई दो राय नहीं है । इस योजना पर विचार हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

गति तेज कर दीजिए ।

श्री धनराज यादव—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि प्रक्रिया की गलती थी और दूसरी बातें भी आपने स्वीकार कर ली तो इसकी अनुपयोगिता के कारण इसको रोक दिया गया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया कि कितना पैसा एलाट था और कितना खर्च हुआ है 2, 4, 10, 20, 100, 50 कुओं को बनाने में उसमें इस अनुपयोगी स्कीम को बनाने और लागू करने वाली सरकार के कौन लोग जिम्मेदार हैं? मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह की अनुपयोगी योजना बनाने का कौन जिम्मेदार है? इसका उत्तरदायित्व निश्चित करें और इसकी सूचना दें।

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, मैं मा0 सदस्य के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए इतनी बात कहने की अनुमति चाहता हूं कि मा0 सदस्य द्वारा शासन की सदाशयता पर सन्देह करने का कोई औचित्य नहीं है, बल्कि उन्हें शासन को बधाई देना चाहिये कि आज की परिस्थिति में जब यह योजना लोकप्रिय नहीं है तो इसके बारे में जनपदों में जो प्रस्ताव हुए तो उनसे कह दिया गया कि वे इसको न करें । यह तो आपके संज्ञान में है ही कि यह धनराशि भारत सरकार की है । उत्तर प्रदेश सरकार का ऐसा कोई निर्णय नहीं है कि यह योजना लागू की जाय । भारत सरकार पूरे देश के संदर्भ में यह निर्णय लेती है और यदि आप अप्रासंगिक न समझें तो मैं एक उदाहरण दूं । विगत वर्ष में आया कि फ्री बोरिंग की स्कीम बन्द की जाय मध्य प्रदेश के सन्दर्भ में भारत सरकार में किसी पत्र पर विचार किया गया...,

(व्यवधान)

कहने का आशय सीधा है कि इस धनराशि का उपयोग आप जिस योजना में चाहें करें और शौक से करावें । उत्तर प्रदेश शासन की नीति कहीं बाधक नहीं है । आप उस पैसे को दूसरी योजना में खर्च करें ।

श्री धनराज यादव—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो स्कीम आपने ड्राप की है, इसको जल धारा में परिवर्तित करने की कृपा करेंगे, क्योंकि अनेक गांवों में पानी नहीं है । कुएं सूख गये हैं, तो इस स्कीम को जल धारा के रूप में प्रयोग करेंगे ?

श्री गौरी शकर—

मान्यवर, जैसा कि मा0 यादव जी ने कहा कि कुएं सूख रहे हैं, इसी को दृष्टि में रखते हुए मैंने पहले ही इंगित कर दिया है और विस्तृत रूप से बता रहा हूं कि जिन गांवों में पानी नहीं है, वहां जीवन धारा लागू नहीं होगी । इसलिये इस पैसे का उपयोग फ्री बोरिंग कराने या निर्बल वर्ग के लोगों के लिये आवास की योजना आदि किसी भी योजना में खर्च करें ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं इसके लिये मा0 मंत्री जी को बधाई देते हुए जानना चाहता हूं

कि क्या मा0 मंत्री जी जिलों को निर्देश देंगे जीवन धारा योजना के लिये आवंटित धन को केवल सिंचाई कार्यों के लिये ही व्यय किया जाय । अन्य योजनाओं जैसे सड़के बनाने या अन्य किसी कार्य पर व्यय न किया जाय, केवल सिंचाई के कार्यों पर ही उपयोग किया जाय, इस प्रकार के निर्देश देंगे ?

श्री गौरी शंकर—

यह जनपदों के प्रस्ताव पर निर्भर करता है । मैं स्वत: स्पष्ट कर दूं कि इस धनराशि से जहां तक सिंचाई के साधनों के लिये व्यय करने की बात है, फ्री बोरिंग स्कीम पापुलर है, लेकिन किसी जनपद में प्रेशर है कि एन0 आर0 ई0 पी0 में आवास योजना में अनुसूचित जाति के लोगों के लिये व्यवस्था की जाय, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको खुशी होगी, मुझे आपको यह सूचना देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 64 करोड़ रुपये इस धनराशि में से ग्रामीण आवास योजना में अनुसूचित जाति के लोगों के लिये पहले ही डाइवर्ट कर दी गयी है ।

प्राथमिक अध्यापकों की मांगों के संबंध में चट्टोपाध्याय कमीशन की सिफारिशें लागू करने की जानकारी

*8—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक अध्यापकों ने अपनी मांगों के समर्थन में गाह अक्टूबर, 88 में राजधानी में प्रदर्शन किया था ? क्या सरकार चट्टोपाध्याय कमीशन की सिफारिशों को माने जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

जी हां ।

जी नहीं ।

राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न वर्गों के शिक्षकों के वेतन पुनरीक्षण हेतु शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक "वेतन पुनरीक्षण समिति" का गठन कर दिया है ।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में जो समिति गठित की है, उसमें चट्टोपाध्याय कमीशन की सिफारिशें सन्दर्भित की गयी हैं या नहीं ?

दूसरे, समिति में शिक्षकों के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है या नहीं ? समिति अपनी रिपोर्ट कब तक सरकार को दे देगी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, अखिल भारतीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रदर्शन/रैली हुई थी। चट्टोपाध्याय कमीशन के संबंध में हमें कोई भी निर्देश भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिये उस सन्दर्भ में कोई विचार नहीं हो रहा है । यह जो समिति गठित हुई है शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में, जल्दी ही इसके परिणाम हमारे सामने आ जायेंगे।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

माननीय, प्राथमिक अध्यापकों ने अपनी मांगों के समर्थन में माह अक्टूबर 1988 में राजधानी में प्रदर्शन किया था। उनकी मांगों में यह भी था कि सरकार चट्टोपाध्याय कमीशन की सिफारिशें मानें। मंत्री जी कह रहे हैं कि उन्हें चट्टोपाध्याय कमीशन की सिफारिशों के संबंध में भारत सरकार से कोई निर्देश नहीं मिले हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

माननीय, मैं सवाल ही कर रहा हूं, जो समिति गठित की गयी है उसमें शिक्षकों के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है या नहीं ? दूसरे, यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक सरकार को दे देगी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

माननीय, हमारे समक्ष कोई प्रतिवेदन या मांग पत्र प्रस्तुत ही नहीं हुआ, चट्टोपाध्याय कमीशन की सिफारिशों के सम्बन्ध में न यहां पर कोई रैली या प्रदर्शन हुआ। अखिल भारतीय स्तर पर ही प्रदर्शन हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष इस तरह का कोई प्रतिवेदन या मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए चट्टोपाध्याय कमीशन की सिफारिशों के सम्बन्ध में हम कोई भी विचार नहीं कर रहे हैं। जहां तक गठित समिति की रिपोर्ट का प्रश्न है मैंने पहले ही कहा कि शीघ्र ही इसकी रिपोर्ट हमारे सामने आ जायेगी।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

माननीय, एक प्रश्न यह पूछा था कि गठित समिति में शिक्षकों के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है या नहीं ? अगर नहीं शामिल किया गया है, तो क्या शामिल किया जायेगा ? समिति की रिपोर्ट कब तक देंगे ?

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–9 पुकारे जाने पर)

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

माननीय, मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष—

जवाब तो उन्होंने दे ही दिया। अब हम आगे बढ़ गये हैं, अगला सवाल ले लिया है।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

माननीय, पूरा उत्तर नहीं आया है।

श्री शारदा प्रताप—

माननीय, सवाल का एक अंश रह गया है, उत्तर दिला दें, माननीय दीक्षित जी ने प्रश्न भी दोहरा दिया है कि समिति में शिक्षकों के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी अपना जवाब दे चुके हैं।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

माननीय, इसका जवाब मंत्री जी से दिलवा दें कि शिक्षकों के प्रतिनिधि को उसमें शामिल किया जायेगा या नहीं ? अगर नहीं रखा जायेगा, तो क्यों ? स्पष्ट उत्तर दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, इस सम्बन्ध में।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, देख लेंगे।

इन्दिरा नगर लखनऊ की द्वितीय विस्तार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1979–80 में मुंशीपुरवा (मौजा इस्माइलगंज) के किसानों की अधिग्रहीत की गई भूमि

*9–श्री इम्तियाज मोहम्मद खा–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80 में इन्दिरा-नगर, लखनऊ के द्वितीय विस्तार योजना के अंतर्गत मुंशीपुरवा (मौजा इस्माइलगज) के किसानों की भूमि किस दर से अधिग्रहीत की गयी थी और क्या यह सही है कि इस दर को बाद में पुनरीक्षित किया गया था ? यदि हां, तो वह दर क्या है और अब तक किस दर से भुगतान किया जा चुका है ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त मुंशीपुरवा के सभी किसानों के मुआवजे की कुछ धनराशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि मुआवजे की बकाया धनराशि का भुगतान अब तक न किये जाने का क्या कारण है और उक्त विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है ? इसका कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रश्नगत भूमि, भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894 में प्राविधानों के अनुसार, रु0 1.88 प्रति वर्ग फुट की दर तथा उस पर 15 प्रतिशत सोलेशियम व 6 प्रतिशत की दर से ब्याज को सम्मिलित करते हुये अधिग्रहीत की गई थी और यह दर वर्ष 1984 में भूमि अध्याप्ति अधिनियम में संशोधन हो जाने के कारण पुनरीक्षित हो गयी है। अधिनियम में संशोधन के अनुसार 15 प्रतिशत सोलेशियम के स्थान पर 30 प्रतिशत सोलेशियम तथा 6 प्रतिशत ब्याज के स्थान पर 9 प्रतिशत व 15 प्रतिशत ब्याज तथा 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देने का प्राविधान है और अब तक उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् ने विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को जो धनराशि पुरानी दर पर घोषित एवार्ड के अनुसार उपलब्ध कराई थी उसमें से विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा अधिकांश व्यक्तियों को संशोधित दरों पर प्रतिकर का भुगतान किया गया है।

जी हां।

संशोधित भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1984 आवास एवं विकास परिषद् पर लागू होता है या नहीं यह वाद मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण मुआवजे की बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया जा सका है। इसके लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है।

न्यायालय के निर्णय के उपरान्त तद्नुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

(मंत्री जी द्वारा उत्तर पढ़ा गया)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

नोट–नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या-9 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् लखनऊ द्वारा इन्दिरा नगर में अल्प आय वर्ग के आवंटियों द्वारा निर्धारित समय पर किस्तों के भुगतान न करने के कारण निरस्त किये गये मकानों का मूल्य

*10–श्री राजित प्रसाद यादव–

द्वितीय सत्र 1986 के पहले मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 61 भवनों का कब्जा आवास विकास परिषद् को मिल गया है ? यदि नहीं, तो कब्जा लेने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि कब्जा मिल गया है तो क्या उनका विक्रय एक मुश्त अदायगी पर अथवा मासिक किस्तों पर किया जायेगा तथा क्या इनका मूल्य पूर्व घोषित सूची में अंकित मूल्य ही होगा अथवा उनका मूल्य पुनः निर्धारित किया जायेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं ।

61 भवनों में से 31 भवनों के आवंटियों द्वारा उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप इन भवनों का आवंटन पूर्व आवंटियों के पक्ष में पुनर्जीवित कर दिया गया है । एक भवन बिक्रीकर विभाग को प्रदिष्ट है , जिसका कब्जा उन्हें दिया जा चुका है । 3 भवनों के आवंटियों द्वारा उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के नियमानुसार आवंटन पुनर्जीवित कराने की कार्यवाही की जा रही है । अतएव आवंटन पुनर्जीवित कराने की बात विचाराधीन है । 16 भवनों के आवंटियों को भवन खाली कराने हेतु नोटिस दी गई है, जिसमें से 6 के बारे में सक्षम न्यायालय मे वाद भी दायर किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर रामगढ़ परियोजना में उद्घोषित तारामंडल के निर्माण कार्य में शिथिलता एवं अनियमितता की शिकायत

*11–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर रामगढ़ परियोजना में उद्घोषित तारामंडल के निर्माण के लिए 3.50 करोड़ रुपये की योजना बनायी गई और 40 लाख रुपये का भुगतान बिना रजिस्टर्ड ठेकेदार को अग्रिम धनराशि के रूप में बिना कार्य किये , कर दिया गया और कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां, 5 करोड़ रुपये की योजना बनायी गई है ।

उक्त तारामंडल के लिए राष्ट्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से टेण्डर आमंत्रित करने के पश्चात कार्लजाइस कम्पनी से अनुबंध किया गया । अनुबंध की शर्तों के अनुसार 15 प्रतिशत अग्रिम देने का प्राविधान है । अभी लगभग तीन प्रतिशत अग्रिम दिया गया है ।

तारामंडल के निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पेयजल की व्यवस्था के संबंध में उप प्रशासन नगर महापालिका बरेली को ज्ञापन देने गये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार

*12—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 14-6-88 को भा0 ज0 पा0 के कार्यकर्ता पेयजल की सुचारु रूप से आपूर्ति के लिए जब नगरमहापालिका बरेली के उप प्रशासक को ज्ञापन देने गए थे तो धरने के दौरान उप-प्रशासक के इशारे पर कुछ सफाई कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन-कारियों पर कुर्सी, डन्डों आदि से हमला किया गया व माईक आदि तोड़ दिया गया जिससे अनेक कार्यकर्ता घायल हुए तथा प्रश्नकर्ता भी घायल होते-होते बचे ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी उप-प्रशासक को दण्डित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

दिनांक 14-6-88 को भा0 ज0 पा0 के कार्यकर्ता पेयजल की सुचारु आपूर्ति के लिये नगर महापालिका बरेली के उप प्रशासक को ज्ञापन देने नगर महापालिका के द्वार तक आये थे, किन्तु द्वार पर पुलिस आदि की समुचित व्यवस्था होने के फलस्वरूप वह अपने साथ लाये गये खाली घड़ों को फोड़कर नारे लगाते हुये वापस चले गये थे ।

इस अवसर पर कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बेसिक शिक्षा परिषद् फैजाबाद का पी0 एल0 ए0 जाम होने के कारण स्कूल के भवन निर्माण कार्य में व्यवधान

*13—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् का पी0 एल0 ए0 केवल पेंशन, वेतन और भविष्य निधि को छोड़कर दिसम्बर, 87 से जाम है जिसके परिणाम-स्वरूप स्कूलों के भवन निर्माण तथा रख-रखाव का कार्य भी ठप्प हो गया है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है और स्कूलों के भवन निर्माण तथा रख-रखाव हेतु आवश्यक धन कब तक अवमुक्त कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

वित्त विभाग की राजाज्ञा दिनांक 22 अक्टूबर, 1988 द्वारा भवनों के निर्माण एवं रख-रखाव हेतु पी0 एल0 ए0 में जमा रु0 41,93,695/- की धनराशि आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विश्वविद्यालयों के पेंशनरों के हित में शासन के शिक्षा अनुभाग-15 द्वारा राजाज्ञाओं की अवहेलना

*14—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री इस तथ्य से अवगत है कि शासन द्वारा दिनांक 22 जून, 1987, 28 जुलाई, 1987, 16 मई, 1988 व 16 अगस्त, 1988 को निर्गत राजाज्ञाओं में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि विश्वविद्यालयों के पेंशनरों को दिनांक 1 जनवरी,

1986, 1 जुलाई, 1986, 1 जनवरी, 1987, 1 जुलाई, 1987 तथा 1 जनवरी, 1988 से पेंशन तथा महंगाई भत्ते, में स्वीकृत बढ़ोत्तरी का भुगतान करने हेतु शिक्षा अनुभाग–15 द्वारा इन राजाज्ञाओं का अलग से निर्गत करना अपेक्षित है किन्तु शिक्षा अनुभाग-15 ने ऐसा न करके शासनादेश को अवहेलना ही नहीं की वरन् वि0 वि0 के अल्प पेंशन भोगी कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ से पिछले ढाई वर्षों से वंचित कर रखा है ? यदि हां, तो इस संबंध में शिक्षा मंत्री ने क्या कार्यवाही की ? शिक्षा अनुभाग-15 उपरोक्त राजाज्ञाओं को अलग से निर्गत करने में अभी और कितना समय लेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

शासनादेश जारी हो गया है ।

शासनादेश जारी करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका शाहगंज जौनपुर का स्तर तृतीय श्रेणी का होने पर भी आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था न किये जाने की शिकायत

*15–श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या नगर विकास मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में नगरपालिका, शाहगंज को वर्ष 1978-79 में चतुर्थ श्रेणी स्तर की संज्ञा प्रदान की गयी थी तथा वर्ष 1986-87 में तृतीय श्रेणी का स्तर प्रदान किया गया है? क्या नगर पालिका शाहगंज में अवर अभियन्ता सिविल, प्रधान लिपिक, टैक्स कर अधीक्षक, चुंगी अधीक्षक तथा कर अधिकारी के पद अभी तक सृजित नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो क्या शासन स्तर पर पद सृजित करने का विचार चल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

अधिसूचित क्षेत्र समिति, शाहगंज के दिनांक 5-5-78 से वर्गोत्थान के फलस्वरूप नगर पालिका शाहगंज, चतुर्थ श्रेणी, सृजित हुयी जिसे दिनांक 1-8-87 से तृतीय श्रेणी नगर पालिका का स्तर प्रदान किया गया ।

जी नहीं ।

शासन स्तर पर प्रश्नगत पदों के सृजन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई प्रस्ताव उक्त नगरपालिका से प्राप्त नहीं हुआ है ।

पाठा जल, संस्थान, कबीं की सम्पूर्ति क्षमता

*16–डाक्टर बंगाली सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि पाठा जल संस्थान कबीं से कितने गांवों को पेयजल की आपूर्ति होती है ? क्या यह सही है कि पैसे के अभाव में 121 गांवों की जल आपूर्ति बन्द कर दी गई है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां,

पाठा पेयजल योजना के अन्तर्गत राजस्व ग्रामों व पुरवों को सम्मिलित करते हुए कुल 250 आबादियों की जलापूर्ति किये जाने की व्यवस्था है ।

जी हां,

इस योजना की पाइप लाइनें जंगलों, पठारों, पहाड़ों से होकर डाली गई हैं, जिनकी अवांछनीय तत्वों द्वारा तोड़-फोड़ एवं पाइप की चोरी करने के कारण वर्तमान में 121 ग्रामों की जलापूर्ति में व्यवधान है ।

राजा जी पुरम आवास विकास कालोनी लखनऊ के ए0 ब्लाक में पीने के पानी की व्यवस्था

*17–श्री वीरेन्द्र सोन–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजा जी पुरम आवास विकास कालोनी, लखनऊ के ए0 ब्लाक में पीने के पानी की आपूर्ति व्यवस्था सुधारने के संबंध में श्री राम शरण दास विधायक (सभापति आश्वासन समिति) का कोई पत्र माह सितम्बर/अक्टूबर, 1988 में सचिव, नगर विकास विभाग को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो वह पत्र क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अभियन्ताओं द्वारा विकास खण्ड बृजमनगंज के ग्राम गोपालपुर में स्थित गांधी चबूतरे को तोड़ने का मामला

*18–श्री हर्ष वर्धन–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद के विकास खण्ड बृजमनगंज अंतर्गत ग्राम गोपालपुर में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अभियन्ताओं द्वारा गांधी चबूतरा तोड़कर उक्त स्थल पर अग्रगामी धान योजना के अंतर्गत बनने वाले बीज एवं खाद भण्डार को बनाया गया है ? यदि हां, तो महात्मा गांधी के प्रति किये गये इस अपमानजनक कार्य को करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

नहीं, विकास खण्ड-बृजमनगंज के अन्तर्गत ग्राम गोपालपुर में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अभियन्ताओं द्वारा गांधी चबूतरा तोड़कर नहीं वरन् उसके बराबर में बीज एवं खाद भण्डार का निर्माण कार्य कराया गया है ।

उक्त स्थिति में किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

बाबा बरुआदास डिग्री कालेज परुहय्या आश्रम फैजाबाद में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी

*19–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबा बरुआदास डिग्री कालेज, परुहय्या आश्रम फैजाबाद में शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के कितने पद ऐसे हैं जो शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) की अनुमति से भरे गये हैं और वेतन संदाय खाते से भुगतान

कराया जा रहा है ? उक्त अनियमित वेतन भुगतान को रोकने के संबंध में क्या शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

शिक्षकों के 39 पद तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 32 पद ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सर्वोदय इण्टर कालेज गोपालगंज, फतेहपुर को छात्रों द्वारा क्षतिग्रस्त किये जाने तथा क्षतिपूर्ति का मामला

*20–श्री अचल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के सर्वोदय इण्टर कालेज गोपालगंज में 27-4-83 को व्यक्तिगत परीक्षा दे रहे छात्रों ने नकल न करने देने के कारण कालेज में काफी सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया था और आग लगा दी थी? क्या इस प्रकरण की जांच परगनाधिकारी, बिन्दकी द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो परगनाधिकारी बिन्दकी की जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या परगनाधिकारी ने कालेज को आर्थिक सहायता प्रदान की संस्तुति की थी ? यदि हां, तो कितनी आर्थिक सहायता दी गयी है ? यदि नहीं, तो आर्थिक सहायता प्रदान न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा द्वारा की गई अनियमितता एवं तत्सम्बन्धी कार्यवाही की जानकारी

1–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या शिक्षा मंत्री को विमल सिंह, महामंत्री जिला युवक कांग्रेस का दिनांक 6-3-87 का कोई शिकायती पत्र जो कि तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी (एटा) द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच के तथ्य क्या हैं तथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

प्रारम्भिक जांच की गयी है । जांच आख्या का अभी परीक्षण किया जा रहा है ।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 13 नवम्बर, 1986 को शासन को भेजे गये पत्र की जानकारी

2–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13 नवम्बर, 86 को श्री रज्जन यादव ग्राम प्रधान करारी नरैनी जनपद बांदा के संलग्न पत्र के राहत कार्य के संबंध में उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्याम सुन्दर उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विकास खण्ड खेसरहा जिला बस्ती में स्थित साधन सहकारी समिति सुहई कनपुरवा में बने खाद गोदाम के बारे में कतिपय विवरण

3–श्री हीरालाल, हरीश जी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में खेसरहा विकास खण्ड में स्थित साधन सहकारी समिति सुहई कनपुरवा के खाद गोदाम के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो उसका निर्माण किस संस्था द्वारा हुआ है तथा उसके निर्माण में कितना धन लगा है ? क्या यह भवन साधन सहकारी समिति, सुहई कनपुरवा को हस्तान्तरित हो चुका है ? यदि नहीं, तो निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, बस्ती द्वारा समिति में भवन के निर्माण हेतु लगे धन की ऋण अदायगी के लिए बार-बार मांग करने का औचित्य क्या है ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री समर पाल सिंह)–

जी हां। गोदाम का निर्माण उ0 प्र0 सहकारी बैंक लि0, लखनऊ के अधीन विशेष केन्द्रीय परियोजना अवस्था द्वारा कराया गया और इसके निर्माण में रु0 1,17,543·83 पै0 व्यय हुये हैं ।

जी हां । नियमानुसार ऋण की अदायगी समिति द्वारा किया जाना अनिवार्य है, अतः ऋण की अदायगी की मांग की जा रही है ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी (पुरुष) बदा द्वारा महिला अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण नियुक्तियों व पदस्थापना में की गई अनियमितताएं

4–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या शिक्षा मंत्री को जनपद एटा के बेसिक शिक्षा अधिकारी पुरुष द्वारा महिला अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण नियुक्तियों व पदस्थापना में की गई अनियमितताओं के संबंध में जो वर्ष 1984 से 1987 तक के कार्यकाल की है, शिकायतें प्राप्त हुई हैं? क्या इस संदर्भ में निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश को भी शिकायती पत्र भेजे गये ? यदि हां, तो बे0 शि0 अधि0 (महिला) के होते हुए उनसे ये कार्य कैसे लिया गया ? क्या सरकार द्वारा उक्त शिकायत की कोई जांच कराई गई ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां, जांच करायी गई तथा दोषी अधिकारी को कठोर चेतावनी दी गयी है, एवं भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न करने के लिए सचेत कर दिया गया है ।

जिला लखनऊ के ग्राम जबरौली में विकास खण्ड मोहनलालगंज द्वारा इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत बनाये जा रहे कतिपय भवनों के निर्माण में अनियमितताएं

5–श्री शारदा प्रताप–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड मोहनलालगंज लखनऊ के ग्राम जबरौली में विकास खण्ड मोहनलालगंज, लखनऊ द्वारा निर्मित कराये जा रहे इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत आठ आवासों में मानक के अनुसार मसाला नहीं लगाया गया तथा पीला ईंटा लगा है जिसकी जांच प्राविधिक परीक्षक से कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 13 फरवरी, 1988 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या विषय की जांच प्राविधिक परीक्षक से करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 13-2-88 प्राप्त हुआ । इस पर मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ द्वारा करायी गयी जांच से स्पष्ट हुआ है कि प्रश्नगत निर्माण में ईंटों एवं मसाला मानक के अनुसार ही लगाये गये हैं । अतः अग्रेत्तर जांच कराने की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई ।

जनपद पिथौरागढ़ के मुख्यालय में स्थित राजकीय पुस्तकालय की व्यवस्था में जन-प्रतिनिधियों की भागीदारी का सुझाव

6–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्त्ता के पत्रांक 1167/86 दिनांक 2-7-86 तथा पत्रांक 1329/86 दिनांक 24-12-86 द्वारा शिक्षा मंत्री को भेजे गये पत्रों द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के मुख्यालय में स्थित राजकीय पुस्तकालय में पुस्तकों के चयन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को रखने, पुस्तकालय में पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षित कर्मचारियों को ही सेवा में रखने, पुस्तकालय के कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन मानों को संशोधित करने तथा इस पुस्तकालय की महत्ता को देखते हुए वहां शोध अधिकारी के अंतर्गत शोध कोष्ठ बनाये जाने विषयक पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो सीमान्त जनपद के इस अत्यन्त महत्वपूर्ण पुस्तकालय के सुनिश्चित विकास हेतु दिनांक 11 जून, 87 तक क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

माननीय सदस्य के पत्रांक 1167/86 दिनांक 2-7-86 तथा पत्रांक 1329/86 दिनांक 24-12-86 शिक्षा विभाग में प्राप्त नहीं हुये ।

मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र फैजाबाद में आर0 एल0 आई0 जी0 पी0 की भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सम्पर्क मार्ग विवरण

7–श्री मित्रसेन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर, फैजाबाद के अंतर्गत आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 की भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से सम्पर्क मार्ग स्वीकृत एवं कब से निर्माणाधीन हैं ? वर्ष 1987-88 में किन-किन मार्गों पर कितना-कितना काम कराया गया ? अवशेष कार्य पूर्ण न कराये जाने के संबंध में कौन लोग उदासीनता के दोषी हैं ? क्या उनके विरुद्ध भी कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वांछित सूचना अत्यन्त विस्तृत होने के कारण प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। इसे मेरे कार्यालय के कक्ष में देखा जा सकता है ।

हरदोइया लिंक मार्ग तथा दबौरिया लिंक मार्ग के विषय में श्री अशोक कुमार सहायक अभियंता, श्री सीताराम दूबे अवर अभियंता एवं श्री आर0 के0 श्रीवास्तव अवर अभियन्ता उत्तरदायी पाये गये हैं। इनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की गई है।

8–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

[1ले शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 171 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मो0 सिद्दीकी पुत्र स्व0 सुबराती निवासी पुराना महानगर धुसियाना लखनऊ के पुश्तैनी मकान के गिराने हेतु धमकी देने का मामला

9–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री काजी कलीमुर्रहमान (सभापति), प्रतिनिहित विधायन समिति के पत्र संख्या-861 के साथ 20 जुलाई, 1988 को श्री मो0 सिद्दीक पुत्र स्व0 श्री सुबराती, निवासी पुराना महानगर धुसियाना, लखनऊ को उनके पुश्तैनी रूप से बने मकानों को लखनऊ विकास प्राधिकरण के जूनियर इंजीनियर द्वारा अवैधानिक ढंग से गिराये जाने की धमकी देने व अनेक प्रकार से परेशान करने और बिना नक्शा पास कराये मकान बनाने की अनुमति देने के संबंध में कोई संलग्न प्रार्थना-पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित मामलों के सम्बन्ध में जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या है? यदि नहीं, तो क्या प्रसंगत मामले की शीघ्र जांच करकर जांच आख्या सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

जी हा।

आरोप निराधार पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

बेसिक शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय में सेवारत कर्मचारियों का विवरण

10–श्री सुक्खन सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय में सेवारत लिपिकों की संख्या कितनी है तथा तीन वर्ष से अधिक समय से कितने लिपिक इस कार्यालय में सेवारत हैं और इनका तबादला अन्यत्र न किये जाने का क्या कारण है? क्या यह सच है कि इस कार्यालय में सेवारत प्रत्येक लिपिक अपने अधीनस्थ क्षेत्र के अध्यापक से प्रति वर्ष पांच सौ रुपया सुविधा शुल्क के रूप में लेते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ने सुविधा शुल्क की दर किसी विशेष आदेश द्वारा लेने की अनुमति इन लिपिकों को दी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मामले की जांच सी0आई0डी0 तथा अन्य विभागीय अधिकारियों से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

बेसिक शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय में सेवारत लिपिकों की संख्या-6 है, जिनमें से 5 तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं।

ऐसा कोई नियम नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल की बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नियुक्त सहायक अध्यापकों के वेतन में विसंगतियां

11–श्री सुक्खन सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 30 नवम्बर, 1981 को श्री इन्द्र सिंह असवाल की नियुक्ति बेसिक शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा सहायक अध्यापक के पद पर आधारिक विद्यालय डुमैला (तल्ला) विकास क्षेत्र वीरोंखाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल में की गई थी ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि श्री इन्द्र सिंह असवाल को जुलाई, 1988 में सहायक अध्यापक के पद पर आधारिक विद्यालय तोली (द्वारी खाल ब्लाक) में रुपये चार सौ पन्द्रह मात्र मूल वेतन दिया जाता रहा है जबकि एक साथ ही नियुक्ति पाये सहायक अध्यापक आधारिक विद्यालय गूमखाल में सेवारत को चार सौ पैंतीस रुपये मूल वेतन दिया जाता रहा है ? यदि हां, तो जुलाई, 1988 में मूल वेतन में बीस रुपये का अन्तर किस आधार पर किया गया है ? क्या सरकार सभी सहायक अध्यापकों को मूल वेतन नियुक्ति माह के आधार पर भुगतान समान रूप से करेगी ?यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

लिपिकीय त्रुटि के कारण श्री असवाल को 425/- के बजाय 415/- वेतन दिया गया था अब उक्त त्रुटि को ठीक कर दिया गया है। आधारिक विद्यालय गूमखाल में नियुक्त अध्यापकों श्री आनन्द मणि थिलिडवाल व श्री मदन मोहन को जुलाई 88 से मूल

वेतन 435/-रु0 दिया गया है । क्योंकि इनकी नियुक्ति दिनांक 29-9-81 से पूर्व होने के कारण इन्हें एक वेतनवृद्धि प्राप्त हो गई है। जबकि श्री असवाल की नियुक्ति उक्त तिथि के पश्चात हुई थी।

आवश्यक कार्यवाही कर दी गयी है।

दुगड्डा रेंज लैंसडाउन वन प्रभाग गढ़वाल में अप्रैल, मई, 1988 में हुआ अग्नि काण्ड

12–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या वन मंत्री को मालूम है कि श्री अशोक कुमार कश्यप वन दरोगा दुगड्डा रेंज लैंसडौन वन प्रभाग गढ़वाल में अप्रैल-मई, 1988 में सेवारत थे तथा उक्त वन दरोगा द्वारा पांच सौ चीड के पेड (मोटाई 3-6 फुट) अपने सेक्सन से अवैध रूप से कटाये गये थे ? क्या यह सच है कि इसके तुरन्त पांच दिन बाद 20 अप्रैल, 1988 को इनके कार्य क्षेत्र में जंगल में भीषण अग्नि कांड जानबूझ कर श्री कश्यप द्वारा कराया गया था और इस अग्निकांड में लगभग सोलह लाख रुपये की अनुमानित क्षति हुई थी? यदि हां, तो उक्त वन दरोगा के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)–

जी हां।

श्री अशोक कुमार कश्यप, वन दरोगा द्वारा अपने सेक्शन में चीड़ के पेड़ अवैध रूप से नहीं कटवाये गये थे।

जी नहीं।

गधेरा कक्ष-1 में दिनांक 13 अप्रैल, 1988 को आकस्मिक अग्निकाण्ड हुआ। इससे वृक्षों को कोई क्षति नहीं पहुंची थी। श्री कश्यप द्वारा जानबूझकर कोई अग्निकाण्ड नहीं कराया गया। अत: इनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुण्डनेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल के विज्ञान वर्ग के अध्यापकों की प्रोन्नति का मामला

13–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के समस्त राजकीय इण्टर कालेजों में विज्ञान वर्ग में प्रवक्ताओं की नियुक्ति एल0 टी0 वेतनक्रम में सेवारत अध्यापकों के माध्यम से की जायेगी ? यदि हां, तो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुण्डनेश्वर, जनपद पौड़ी गढ़वाल में एल0 टी0 वेतनक्रम में विज्ञान वर्ग में सेवारत सहायक अध्यापकों की प्रोन्नति रोकने का क्या कारण है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्रवक्ता वेतनक्रम के रिक्त पदों के केवल 50 प्रतिशत पदों पर एल0 टी0 वेतनक्रम के अर्ह अध्यापकों को प्रोन्नति देकर नियुक्ति किया जाता है।

प्रश्नगत विद्यालय के विज्ञान वर्ग के किसी अर्ह अध्यापक की प्रोन्नति नहीं रोकी गई है।

मोहल्ला गाजी मंडी यहियागंज लखनऊ के नाले को पटवाने का मामला

14—श्री धनराज यादव—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 87 के तीसरे गुरुवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 160 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मो0 गाजी मंडी, यहिया गंज नाले के पटवाने हेतु शासन द्वारा धन उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो अभी तक धन उपलब्ध न कराये जाने के लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या यह भी सच है कि धन उपलब्ध कराने हेतु अभी कार्यवाही नहीं शुरू की गयी है ? यदि हां, तो इस कार्य में विलम्ब के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? क्या मंत्री जी उक्त नाले हेतु धन उपलब्ध कराने व दोषी व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

प्रश्नगत नाले के पाटने का कार्य नगर महापालिका लखनऊ द्वारा कराया जाना है । नगर महापालिका के व्ययों में वृद्धि होने के कारण इस कार्य हेतु धन उपलब्ध नहीं हो सका । इस कार्य के लिये कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत कर्मचारी सहकारी समिति लिमि0 लखनऊ द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को दिये गये रुपये पर आपत्ति

15—श्री धनराज यादव—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 विद्युत कर्मचारीगण सहकारी समिति लि0 लखनऊ द्वारा वर्ष 1975-76, 1976-77 को किया गया ग्रुप इन्श्योरेन्स का एक लाख सात हजार रुपया जीवन बीमा निगम को देने पर आडिट द्वारा आपत्ति किये जाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र, कर्मचारियों के सामूहिक हस्ताक्षर युक्त, मा0 सदस्य श्री गया प्रसाद वर्मा के उपरिपत्र के साथ अप्रैल, 1988 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या संचालक मण्डल से धन वसूली के आदेश कर दिए गए हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री समर पाल सिंह—

जी हां ।

प्रश्नसंगत समिति के संचालक मडल में बीमा कम्पनी में जमा की गई धनराशि को समिति एवं सदस्यों के हित में उचित ठहराया जिसे समिति के विशेष सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 24-9-77 में भी सर्वसम्मति से मान्यता दी गई ।

चूंकि बीमा कम्पनी को किया गया भुगतान समिति व सदस्यों के हित में किया था, अतः संचालक मंडल से वसूली का प्रश्न नहीं उठता ।

तत्सम्बन्धित आडिट आपत्ति का निराकरण समिति द्वारा किया जा चुका है तथा भुगतान सदस्यों व समिति के हित में हुआ है, अतः वापसी का प्रश्न नहीं उठता है ।

16–श्री यदुनाथ सिंह—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

वाटर वर्क्स रोड एशबाग रामनगर लखनऊ के तिराहे पर अवैध कब्जा

17–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि एशबाग लखनऊ में वाटर वर्क्स रोड पर रामनगर तिराहे के पास असामाजिक तत्वों द्वारा गली घेर लेने व अवैध निर्माण कराने के बारे में पत्र जोनल अधिकारी जोन–2 नगर महापालिका को ता0 16-7-86 को मिला है ? यदि हा, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या अवैध निर्माण व कब्जा को हटा करके गली को नागरिकों के आवागमन के लिए चालू कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक गली को चालू किया जावेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

प्रश्नगत गली के अवैध कब्जों को हटवाकर सफाई आदि करवा दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ नगर के एशबाग क्षेत्र के रामनगर में मेनहोल के खुल जाने की शिकायत

18–श्री यदुनाथ सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ में एशबाग रामनगर में स्थित मेनहोल की गत 6 माह से मरम्मत न होने के बारे में सदस्य, विधान परिषद् खान अब्दुल वदूद खां का पत्र महाप्रबन्धक, जल संस्थान, लखनऊ को ता0 22-7-88 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? जून 1988 के अन्तिम सप्ताह तक मेनहोल न बनवाने व सफाई न कराने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है ? उनके प्रति क्या कार्यवाही की गयी है ? मेनहोल कब तक मरम्मत करवाया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

पत्र प्राप्ति से पूर्व मेनहोल कवर लग चुका था ।

वर्णित मेनहोल की स्लैब टूट गई थी तथा सीवर लाइन में भी सिल्ट जमा हो गई थी । पहले सीवर लाइन की सफाई कराई गई, उसके बाद स्लैब ढलवाया गया लेकिन ट्रकों के आने-जाने से स्लैब फिर टूट गयी थी, जिसे पुनः गरडर का सपोर्ट देकर लगाया गया । इन परिस्थितियों में इस कार्य में थोड़ा समय लगना स्वाभाविक था जिसके लिये कोई जिम्मेदार नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मरम्मत करायी जा चुकी है ।

लखनऊ नगर में स्थित ग्राम इस्माइलगंज में खड़ंजा लगाये जाने की व्यवस्था

19–श्री भोपाल सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–22 के सन्दर्भ में क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत खड़ंजे का निर्माण कब तक करवा दिया जायेगा ताकि हरिजनों व निर्बल वर्ग के लोगों को असुविधा न हो ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

नगर महापालिका लखनऊ की वित्तीय स्थिति ठीक न होने एवं धन उपलब्ध न होने के कारण प्रश्नगत कार्य कराये जाने की अवधि बताया जाना सम्भव नहीं है ।

इन्दिरा नगर कालोनी लखनऊ के 'सी' ब्लाक में लगने वाले बाजार से होने वाली गन्दगी

20–श्री भोपाल सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि इन्दिरा नगर कालोनी, लखनऊ के 'सी' ब्लाक में एच0 ए0 एल0 से चर्च की ओर जाने वाली सड़क पर एक बड़ा बाजार लगता है जिससे वहां पर भीषण गन्दगी रहती है? यदि हां, तो इस बाजार की सफाई की क्या व्यवस्था की गयी है? क्या इस मार्केट के लिए स्थायी रूप से सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

बाजार लगता है किन्तु गन्दगी नहीं रहती है।

इस क्षेत्र की सफाई का कार्य दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों से कराया जा रहा है।

इन्दिरा नगर कालोनी लखनऊ के 'सी' ब्लाक में लगने वाले बाजार की तहबाजारी के संबंध में कतिपय विवरण

21–श्री भोपाल सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि इन्दिरा नगर कालोनी, लखनऊ में 'सी' ब्लाक में एच0 ए0 एल0 से चर्च जाने वाली सड़क पर एक बड़ा बाजार लगता है जिसकी तहबाजारी लखनऊ नगर महापालिका द्वारा वसूली जाती है? यदि हां, तो तहबाजारी का ठेका कितने रुपये का चालू वर्ष हेतु स्वीकृत किया गया है? यदि यह तहबाजारी अनधिकृत रूप से वसूल की जा रही है तो क्या इसको तुरन्त रुकवाने की व्यवस्था की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

वर्तमान समय में महापालिका द्वारा तहबाजारी की विभागीय वसूली हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् के अधीन प्रथम वृत्त के सर्वेयर्स की कतिपय सुविधाओं का रोका जाना

22–श्री राजित प्रसाद यादव–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के अधीन प्रथम वृत्त में अनेक ऐसे सर्वेयर्स हैं जिनका वेतन, नकदीकरण एक्सग्रेसिया, इंक्रीमेन्ट अनुचित रूप से उनके अधिकारियों द्वारा रोका गया है ? क्या इन सर्वेयरों की बकाया धनराशि का भुगतान शीघ्र कराया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के अधीन प्रथम-वृत्त में कार्यरत किसी भी सर्वेयर का वेतन, नकदीकरण, एक्सग्रेसिया, इन्क्रीमेन्ट अनुचित रूप से उनके अधिकारियों द्वारा नहीं रोका गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

23–श्री राजित प्रसाद यादव–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

24–श्री राजित प्रसाद यादव–

[दिनांक 25-4-88 को अता0 प्र0 सं0 1 द्वारा उत्तरित]

जनपद फैजाबाद के बेसिक शिक्षा परिषद् और शिक्षा विभाग के कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार

25–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता का शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी) को सम्बोधित दिनांक 5-8-88 का पत्र संलग्नकों सहित सरकार को मिल गया है जिसमें जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् और शिक्षा विभाग के कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार की गम्भीर शिकायतें की गयी हैं ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतों पर अब तक बिन्दुवार कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

शिक्षा निदेशक (बेसिक) को जांच शीघ्र पूर्ण करवाने के आदेश दे दिये गये हैं।

लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत बी0 काम0 द्वितीय वर्ष की परीक्षा में 1988 की कापियों की जांच में गड़बड़ी

26–श्री बलराम यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अंतर्गत बी0 काम0 द्वितीय वर्ष की परीक्षा वर्ष 1988 ग्रुप द्वितीय की स्टैटिसटिकल मैथड विषय की कापियां क्रमांक 8201 से 8300 तक कुल 100 अंकों के स्थान पर कुल 50 अंकों से जांची गयी थी? क्या यह सही है कि जांचकर्ता ने इस सम्बन्ध में खेद प्रकट करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र भी लिखा है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस प्रकरण की जांच कराकर उपरोक्त कापियों को पुनः जंचवाने हेतु आदेश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

लखनऊ विश्वविद्यालय की वर्ष 1988 की बी0 काम0 (द्वितीय वर्ष) की द्वितीय ग्रुप स्टैटिसटिकल मैथड की उत्तर पुस्तिकायें अनुक्रमांक 6220 से 6296 तथा 8079 से 8278 तक सम्बन्धित परीक्षक द्वारा कुल 100 अंकों के स्थान पर 50 अंकों में जांची गई थी।

जी नहीं ।

विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि जब यह त्रुटि विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञात हुई तो परीक्षाफलों को पुनः संशोधित किया गया तथा सम्बन्धित अभ्यर्थियों की अंक तालिकायें संशोधित करके वितरित कर दी गई।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ महानगर योजना के अन्तर्गत 152 बी के सेक्टर ए0 के भवनों के पीछे छोड़ी गई भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नये सिरे से निर्माण कराये गये मकान

27–श्री राम चन्द्र बख्श-सिंह तथा श्री बलराम यादव–

प्रथम सत्र 88 के दूसरे गुरुवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 73 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत अनधिकृत निर्माण के संबंध में उ0 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अन्तर्गत किस अधिकारी द्वारा कार्यवाही की गयी है ? क्या प्रश्नगत कार्यवाही पूरी हो गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त अनधिकृत निर्माण हटा दिया गया है ?यदि नहीं, तो क्यों? यदि हटा दिया जायेगा, तो कब तक?

श्री श्रीनाथ सिंह–

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विहित प्राधिकारी अर्थात संयुक्त सचिव (एस0) द्वारा कार्यवाही की गई है।

वाद विहित प्राधिकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण के न्यायालय में विचाराधीन है, निर्णय के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव है।

महानगर लखनऊ योजना के अन्तर्गत बने मकान नं0 152 बी के निर्माण की स्वीकृति

28–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह तथा श्री बलराम यादव–

क्या नगर विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि महानगर लखनऊ योजना के अन्तर्गत बने मकान नम्बर 152 बी, सेक्टर ए0 के निर्माण हेतु स्वीकृत पुराने मानचित्र के अनुसार कितने कमरों आदि की स्वीकृति थी, स्वीकृत पुराने नक्शे के अलावा भी क्या कोई निर्माण कार्य उक्त मकान के अन्दर कराया गया है? यदि हां, तो कितने कमरों आदि का निर्माण कराया गया है? क्या अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु कोई नक्शा पास कराया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या अतिरिक्त निर्माण कर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीनाथ सिंह–

सम्पूर्ण प्रकरण विहित प्राधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही आवश्यक कार्यवाही सम्भव होगी।

जनपद इलाहाबाद के जूनियर हाई स्कूल व बेसिक प्राइमरी पाठशाला के अवकाश प्राप्त अध्यापकों के पेंशन भुगतान का मामला

29–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के जूनियर हाई स्कूल व बेसिक प्राइमरी पाठशाला के अवकाश प्राप्त अध्यापकों को पेंशन भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-9-88 शासन को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

माह अगस्त, 1988 तक की पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। सितम्बर, 1988 से नवम्बर, 1988 तक की पेंशन के भुगतान हेतु बिल कोषागार को प्रेषित कर दिया गया है।

जनपद इलाहाबाद के हंडिया तहसील के कन्या हायर सेकेन्डरी स्कूल के भवन निर्माण का मामला

30–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि तहसील हंडिया जनपद इलाहाबाद में कन्या हायर सेकेन्डरी स्कूल के भवन निर्माण हेतु शासन द्वारा धन आवंटित किया गया है? यदि हां, तो अब तक उक्त विद्यालय के भवन निर्माण न कराये जाने के क्या कारण हैं और निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-9-88 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

नहीं।

भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी है।

हां।

शिक्षा निदेशक को भूमि की व्यवस्था करवाने के लिए पत्र भेज दिया गया है।

श्री श्रीराम यादव अतिरिक्त रजिस्ट्रार एवं प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ लिमि0 द्वारा पद का दुरुपयोग करने की जांच की मांग

31–श्री हर्ष वर्धन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1123/ज0 पा0/88 दिनांक 21 सितम्बर, 1988 जो श्री श्रीराम सिंह यादव, अति0 रजिस्ट्रार एवं प्रबन्ध निदेशक उ0 प्र0 सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ लिमिटेड द्वारा पद का दुरुपयोग एवं अनियमितता कर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो संबंधित विषय पर क्या कार्यवाही की गयी है तथा संबंधित पूरे तथ्य क्या हैं ?

श्री सागर पाल सिंह–

माननीय सदस्य विधान सभा का प्रश्नगत पत्र शासन को प्राप्त हुआ है, शिकायतों की जांच कराई जा रही है। जांचोपरान्त तथ्य प्रकाश में आयेंगे।

विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर लखनऊ में लगे सरकारी हैण्ड पाइपों का वितरण

32–श्री शारदा प्रताप–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के प्रथम गुरुवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 92 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन स्थानों पर इण्डिया मार्क–2 के हैण्ड पम्प अभी तक नहीं लगाये गये हैं, जिनका उल्लेख संलग्नक सूची–2 में दिया गया था? क्या जिन स्थानों पर इण्डिया मार्क–2 के हैण्ड पम्प नहीं लगाये गये हैं उन स्थानों पर निकट भविष्य में हैण्ड पम्प लगा दिये जायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य–

सूची में अंकित सभी स्थानों पर हैण्ड पम्प लगा दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लिमि0 लखनऊ से विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु वर्ष 1987-88 में जमा धनराशि

33–श्री शारदा प्रताप–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ से विद्युत कनेक्शन (लाइट एवं पावर) प्राप्त करने के लिए वर्ष 1987-88 में कितने व्यक्तियों ने अपना सदस्यता शुल्क व इस्टीमेट की धन-राशि जमा कर अपनी समस्त औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं किन्तु उन्हें अभी तक कनेक्शन नहीं दिये गये हैं? जिन्होंने अपनी सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण कर ली हैं उन व्यक्तियों को कब तक कनेक्शन दे दिए जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री समर पाल सिंह–

वर्ष 87-88 में लाइट एवं पावर के लिए कुल 3516 व्यक्तियों ने अपनी सदस्यता शुल्क व अपनी सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण कर ली हैं, उनके विरुद्ध समिति द्वारा वर्ष 87-88 में 3143 कनेक्शन दे दिये गये थे। इसके अतिरिक्त 366 कनेक्शन माह दिसम्बर, 88 तक दिये जा चुके हैं। अब केवल 7 कनेक्शन देना शेष है।

उक्त कनेक्शन को देने हेतु भूमि, जिस पर विद्युत लाइन बनाने हेतु पोल खड़े किये जाने हैं, विवादित है, जिसके फलस्वरूप समस्त मामलों में वर्तमान में विद्युत कनेक्शन दिया जाना सम्भव नहीं है विवाद हल हो जाने पर शेष 7 व्यक्तियों को भी कनेक्शन दे दिये जायेंगे।

अशोक इण्टर कालेज रामपुर कारखाना जिला देवरिया के चपरासी श्री श्याम देव का बकाया वेतन

34–श्री अवनीश कुमार सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 31 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अशोक इण्टर कालेज के श्री श्याम देव चपरासी के 1-5-83 से 30-6-84 तक का वेतन भुगतान के लिए कथित कालेज के व्यवस्थापक व प्रधानाचार्य के विरुद्ध अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है जबकि श्री श्याम देव की अधिवर्षता की तिथि 1-5-83 मानी गयी है? श्री श्याम देव को 30-6-84 तक का ही भुगतान हुआ है तो 11-7-84 तक क्यों बनाये रखा गया है? क्या जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु व्यवस्थापक के नाम से कोई गोपनीय पत्र लिखा है जिसमें प्रधानाचार्य के विरुद्ध 15 दिनों के अन्तर्गत कार्यवाही करने अन्यथा नियमों के तहत मैनेजमेंट भंग करने की कार्यवाही करने हेतु कहा गया है? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

श्री श्याम देव चपरासी अशोक इण्टर कालेज, रामपुर कारखाना जिला देवरिया को 1.5.83 से 30.6.84 तक के अनियमित वेतन भुगतान कराने के लिए दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रबन्धक को आदेश दिया था। प्रबन्धक ने सूचित किया कि इस अनियमितता के लिए जिम्मेदार तत्कालीन प्रधानाचार्य श्री जगन्नाथ सिंह सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

भूतपूर्व प्रधानाचार्य श्री जगन्नाथ सिंह द्वारा श्री श्यामदेव को दिनांक 11.7.84 तक अनियमित रूप से कार्यरत रखा गया था।

जिला विद्यालय निरीक्षक ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु लिखा था।

भूतपूर्व प्रधानाचार्य श्री जगन्नाथ सिंह सेवा निवृत्त हो चुके हैं तथा श्री श्यामदेव चपरासी का निधन हो चुका है। अतः कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

अशोक इण्टर कालेज रामपुर कारखाना जिला देवरिया के अध्यापक श्री शहीद को दिनांक 26-4-85 से 17-5-85 तक वेतन दिये जाने की शिकायत

35–श्री अवनीश कुमार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अशोक इण्टर कालेज, रामपुर कारखाना जिला देवरिया में कार्यरत सी0 टी0 ग्रेड के अध्यापक श्री शहीद को चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट देवरिया के आदेश पर दिनांक 26-4-85 से 17-5-85 तक विचाराधीन बन्दी के रूप में जिला जेल देवरिया में निरुद्ध रखा गया था ? यदि हां, तो उक्त अध्यापक का दिनांक 26-4-85 से 30-4-85 तक का पूरा वेतन तथा 1-5-85 से 17-5-85 तक का अर्द्ध वेतन किन नियमों के तहत उक्त कालेज के व्यवस्थापक एवं प्रधानाचार्य द्वारा आहरित कर भुगतान किया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

उक्त भुगतान अनियमित ढंग से किया गया है ।

अशोक इण्टर कालेज रामपुर कारखाना जिला देवरिया में कार्यरत चपरासी श्री श्यामदेव की सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि परिवर्तन किया जाना

36–श्री अवनीश कुमार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अशोक इण्टर कालेज रामपुर कारखाना, जिला देवरिया के तत्कालीन प्रधानाचार्य को उक्त कालेज के चपरासी श्री श्याम देव की सेवा पुस्तिका में अंकित जन्मतिथि 1-5-23 के बजाय 20-5-19 करने के लिए कथित कालेज के व्यवस्थापक के आदेश/पत्र संख्या 511 दिनांक 10-9-79 के द्वारा दण्डित किया गया था तो दण्डित करने के बावजूद कैसे व किस अभिलेख के आधार पर उक्त तत्कालीन प्रधानाचार्य जो जुलाई 81 में सेवानिवृत हो गये थे, के द्वारा श्री श्यामदेव की उक्त जन्म-तिथि के मिटाकर 20-5-29 व अधिवर्षता की तिथि 20-5-89 किया जाना एवं उस पर उनके लघु हस्ताक्षर किये गये हैं ? क्या सेवा पुस्तिका में लिखी गयी तिथियों की लिखावट व उस पर किसके हस्ताक्षर या लघु हस्ताक्षर हैं, का परीक्षण करायेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं ।

प्रधानाचार्य द्वारा यह परिवर्तन अनियमित ढंग से किया गया था ।

जी नहीं ।

जिला देवरिया के अशोक इण्टर कालेज रामपुर कारखाना के श्री मुन्नर यादव चपरासी की सेवा पंजिका में अंकित जन्मतिथि की जांच कराने की मांग

37–श्री अवनीश कुमार सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के 9वें सोमवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 76 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री मुन्नर यादव चपरासी की नियुक्ति 4-10-70 के पूर्व भी उक्त विद्यालय में कथित पद पर रही है ? यदि हां, तो उस नियुक्ति के संबंध में उक्त प्रश्न के उत्तर में ही अवगत न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

संदर्भित प्रश्न के उत्तर में श्री मुन्नर यादव की नियुक्ति की तिथि 4-7-70 बतायी जा चुकी है । अतएव इस संबंध में अवगत न कराये जाने का कारण स्पष्ट करने का प्रश्न नहीं उठता ।

राजाजीपुरम् आवास विकास परिषद् की कालोनी ताल कटोरा लखनऊ में सामाजिक वानिकी के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु ली गयी भूमि

38–श्री भगौती सिंह–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजाजीपुरम् आवास विकास परिषद् की कालोनी (तालकटोरा) में सामाजिक वानिकी के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु कितना क्षेत्र उपलब्ध कराया गया था ? उपरोक्त क्षेत्र पर कितनी संख्या में वृक्षारोपण हुआ और फेंसिंग की गई तथा वर्तमान में कितनी संख्या में पेड़ बचे हैं व फेंसिंग बची है ? इस कालोनी के मध्य में दो बड़े नालों के दोनों किनारों जो ई0 ब्लाक से व एवं दक्षिण की तरफ से बहता है वृक्षारोपण किए जाने की कोई योजना है ? क्या सरकार नालों व सड़कों के दोनों किनारों व खाली भूमि पर फल-फूल वाले पेड़ जैसे शहतूत, कचनार, अमलतास, गुलमोहर, सेमल, ताड़ आदि प्रजातियां लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अजीत प्रताप सिंह–

राजाजीपुरम् आवास विकास परिषद् की कालोनी (तालकटोरा) में सामाजिक-वानिकी के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु कोई क्षेत्र वन विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । कालोनी में बहने वाले नालों के दोनों ओर खाली भूमि पर वृक्षारोपण की योजना, अगले वर्षों में प्रस्तावित शहरी वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत है ।

वन विभाग को भूमि उपलब्ध हो जाने तथा योजना के अनुमोदन एवं धनराशि का प्राविधान होने पर ही, आगामी वर्षों में , नालों व सड़कों के किनारे, खाली भूमि पर, भूमि की उपयुक्तता के अनुसार फलदार एवं शोभाकार वृक्ष वन विभाग द्वारा लगाया जाना संभव हो सकेगा ।

मोहन लाल शाह बालिका विद्या मंदिर जिला नैनीताल की सहायक अध्यापिका श्रीमती भगवती जोशी को एल0 टी0 प्रशिक्षण में छूट

39–श्री राजित प्रसाद यादव–

क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि श्रीमती भगवती जोशी सहायक अध्यापिका , मोहन लाल शाह बालिका विद्या मंदिर जिला नैनीताल की 29 वर्ष की लगातार सेवाओं को देखते हुए एल0 टी0 प्रशिक्षण से छूट प्रदान किये जाने हेतु माह मार्च/अप्रैल, 1988 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0 प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय बरेली को आदेश दिये थे ? यदि हां, तो इस संबंध में उप निदेशक, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल की संस्तुति संबंधी अ0 शा0 पत्रांक शिक्षा स0/ 12988/88–89 दिनांक 6 सितम्बर, 1988 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

श्रीमती भगवती जोशी को एल0 टी0 प्रशिक्षण से छूट प्रदान कर दी गयी है ।

श्री पी0 पी0 एस0 चौहान सेवा निवृत्त पंचायत राज अधिकारी मथुरा के पेंशन ग्रेच्युटी आदि का भुगतान

40–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपथ मथुरा में सन् 1984 में सेवा निवृत्त जिला पंचायत राज अधिकारी पी0 पी0 एस चौहान की ग्रेच्युटी पेंशन का भुगतान उनकी मृत्योपरांत भी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो शासन इस धन को उनके वारिसों को भुगतान कराने की व्यवस्था करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद मथुरा में श्री पी0 पी0 एस0 चौहान नाम का कोई जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यरत नहीं था । ऐसी स्थिति में उसके पेंशन ग्रेच्युटी के भुगतान करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अलीगंज प्रखण्ड के निलंबित अधिशासी अभियंता श्री अफाक अहमद की बहाली का मामला

41–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अलीगढ़ प्रखण्ड के अधिशासी अभियन्ता श्री अफाक अहमद का निलम्बन आदेश शासन ने वापस ले लिया है ? यदि नहीं, तो निलम्बित अधिशासी अभियंता को अधीक्षण अभियंता आगरा परिमंडल ने किसके आदेश पर सेवा में योगदान कराया ? क्या यह सत्य है कि मुख्य अभियन्ता ने शासन के आदेश की अवहेलना करते हुए निलंबित अधिशासी अभियंता के बहाली के आदेश जारी किए थे ? यदि हां, तो इस पर शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं ।

माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच के अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 2-9-87 के क्रम में श्री अफाक अहमद निलम्बित अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधिशासी अभियंता श्री फूलन सिंह द्वारा वर्ष 1985 में अतिरिक्त वेतन आहरण का मामला

42–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधिशासी अभियंता श्री फूलन सिंह द्वारा वर्ष 85 में अपने स्वयं के वेतन आहरण में 60 हजार रुपए से अधिक की धनराशि का आहरण अधिशासी अभियंता शाहजहांपुर के पद से किया है ? यदि हां, तो फूलन सिंह के विरुद्ध अधिक धनराशि आहरण करने के लिए क्या प्रशासनिक कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां,

तत्कालीन अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा शाहजहांपुर श्री फूलन सिंह ने वर्ष, 84-85 में अपने वेतन भत्तों के रूप में 64774.60 रुपये की धनराशि आहरित की।

इस प्रकरण पर जांच की जा रही है।

टेक्निकल आडिट सेल ग्राम विकास विभाग द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग से कतिपय जिलों के लिए मेसर्स ओ0 पी0 इंडस्ट्री एण्ड मेसर्स वी0 एन0 एस0 डी0 कम्पनी से खरीदे गये सामानों का विवरण

43–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टेक्निकल आडिट सेल ग्राम्य विकास विभाग उ0 प्र0 शासन द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के 13 जनपदों इलाहाबाद, फतेहपुर, झांसी, कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी, ललितपुर, उन्नाव, उरई, बांदा, हमीरपुर, में मेसर्स ओ0 पी0 इण्डस्ट्रीज एवं मेसर्स वी0 एन0 एस0 डी0 कम्पनी से क्रय किए गए सामानों का विवरण मांगा गया था ? यदि हां, तो क्या यह विवरण टेक्निकल आडिट सेल को प्राप्त हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों यह विवरण टेक्निकल आडिट सेल को कब तक उपलब्ध करा दिया जायगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं । प्रश्नगत फर्मों से क्रय की गई सामग्री के सम्बन्ध में अलग से कोई विवरण नहीं मांगा गया था। अतः उसे उपलब्ध कराने का प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद नगर में वर्ष 1988 में लगाये गये हैण्ड पम्प

44–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के नगर क्षेत्र में कितने हैण्ड पम्प अक्टूबर, 88 में लगाने हेतु स्वीकृत किये गये थे उसमें से कितने हैण्ड पम्प अक्टूबर, 88 तक लगा दिए गए हैं ? शेष हैण्ड पम्प कब तक लगा दिए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य–

इलाहाबाद नगर क्षेत्र में वर्ष 1988 में कुल 585 हैण्ड पम्प स्वीकृत हुए हैं।

अक्टूबर, 1988 तक कुल 540 हैण्ड पम्प लगा दिये गये हैं।

शेष 45 हैण्ड पम्प मार्च, 1989 तक लगवा दिये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

45–श्री अवनीश कुमार सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

विकास खण्ड सरोजनी नगर, काकोरी लखनऊ के दस हजार से अधिक आबादी वाले गांव में सुलभ शौचालय बनाया जाना

46–श्री शारदा प्रताप–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड सरोजनीनगर एवं काकोरी, लखनऊ के जिन गांवों को नगरमहापालिका की सीमा में सम्मिलित किया गया है तथा जिन गांवों की आबादी 10 हजार से ऊपर है, में सुलभ शौचालयों का निर्माण कराने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28 मई, 1988 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां । प्रश्नकर्ता का सन्दर्भगत पत्र प्राप्त हुआ था । पत्र प्राप्त होने के बाद स्थल का सर्वेक्षण आदि कराया गया । परन्तु इस मद में धन उपलब्ध न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

ग्रामीण विकास तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र गोविन्दपुर खुर्द जनपद मुरादाबाद के कच्चे माल का भुगतान

47–कुंवर रेवती रमण सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के 9वें सोमवार के लिए पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-62 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विकास तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र गोविन्दपुर खुर्द जनपद मुरादाबाद के कच्चे माल के 1986-87 के बिल परियोजना निदेशक के कार्यालय में कब प्राप्त हुए और उनका भुगतान अभी तक न होने का क्या कारण है? यह भुगतान कब तक किया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

ग्रामीण विकास तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, गोविन्दपुर खुर्द, जनपद मुरादाबाद के कच्चे माल के वर्ष 1986-87 के बिल परियोजना निदेशक के कार्यालय में दिनांक 4 सितम्बर, 1986 को प्राप्त हुए । संस्था द्वारा कच्चे माल से निर्मित सामानों का रजिस्टर कच्चे माल के वाउचर एवं स्टाक बुक उक्त कार्यालय को उपलब्ध न कराये जाने के कारण अभी तक भुगतान नहीं किया गया । संस्था से वांछित अभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना संभव हो सकेगा ।

इलाहाबाद में वर्ष 1987-88 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा सूखा राहत कार्य में व्यय किया गया धन

48–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद में सन् 1987-88 में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सूखा राहत कार्यों में कितना पैसा खर्च हुआ है? कितना पैसा आवंटित था और शेष जो नहीं खर्च हुआ है वह कितना है? खर्च न होने का क्या कारण है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वर्ष 1987-88 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के इलाहाबाद प्रखण्ड को सूखा राहत के कार्यों हेतु 46.36 लाख रुपये की धनराशि (खाद्यान्नों सहित) प्राप्त हुई। मार्च, 1988 तक 33.90 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई।

वर्ष 1987-88 में प्राप्त धनराशि में से 12.46 लाख रुपये की शेष धनराशि का व्यय जून, 1988 तक किया जा चुका है।

रीजस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं कार्यालय इलाहाबाद के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में अनुसूचित जाति का कांटा

49–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि रीजस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं, कार्यालय इलाहाबाद में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर अनुसूचित जाति के आरक्षण का कांटा पूरा नहीं है? यदि हां, तो इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

अनुसूचित जाति का कांटा पूरा न होने के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

विकास खण्ड मोंगढ़ जिला बस्ती में वर्ष 1983 व 1984 में सेवानिवृत्त बेसिक प्राइमरी अध्यापकों के देयों का भुगतान

50–श्री धनराज यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के विकास खण्ड मोंगढ़ में वर्ष 1983 एवं वर्ष 1984 में कितने बेसिक (प्राइमरी) अध्यापक सेवामुक्त हुए? क्या उन सेवामुक्त अध्यापकों को पेंशन, सेलेक्शन ग्रेड एवं पी0 एफ0 ब्याज का पैसा प्राप्त हो गया? यदि नहीं, तो किन-किन अध्यापकों का प्रश्नगत धन अवशेष है ? सेवामुक्त उक्त अध्यापकों का अवशेष धन उन्हें कब तक मिल जावेगा?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

वर्ष 83 में तीन तथा वर्ष 84 में एक ।

केवल एक अध्यापक को छोड़कर शेष सभी का भुगतान हो गया है।

श्री गोमती प्रसाद मिश्र, के ब्याज की धनराशि तथा सेलेक्शन ग्रेड का भुगतान अवशेष है।

भुगतान तथा शीघ्र कर दिया जायेगा।

डी0 आर0 डी0 ए0 बरेली में वर्ष 1986-87 में ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत टूलकिट की आपूर्ति में हुई अनियमितता

51—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि डी0 आर0 डी0 ए0 बरेली में वर्ष 86-87 में ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत टूलकिट की सप्लाई में विभाग द्वारा भारी अनियमितताएं बरते जाने के आरोप हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कोई जांच कराई गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी, बरेली से जांच कराई गयी तथा आरोप निराधार पाये गये।

अधिशासी अभियन्ता एकादश निर्माण खण्ड आवास विकास परिषद् इन्दिरा नगर, लखनऊ के इंचार्ज अवर अभियन्ता द्वारा अंतिम देयक से की गई कटौती

52—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अनुबन्ध सं0—7/एस0 ई0 आई0 दिनांक 10-12-84 के अंतिम देयक का भुगतान अधिशासी अभियन्ता एकादश निर्माण खण्ड उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् इन्दिरा नगर, लखनऊ के इन्चार्ज अवर अभियन्ता के द्वारा दिनांक 30-6-86 को 2000/- रुपया अंतिम देयक से काटकर भुगतान हेतु प्रस्तुत करने के पश्चात तुरन्त भुगतान किया? यदि हां, तो कब और कितना काटकर? यदि नहीं, तो भुगतान की प्रक्रिया में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह सही है कि इन्चार्ज अवर अभियन्ता द्वारा रु0 2000/- काटते हुए अंतिम देयक दिनांक 30-6-86 को संबंधित सहायक अभियन्ता को प्रस्तुत किया गया था, किन्तु भुगतान तुरन्त न करके अपेक्षित कटौतियों को सम्मिलित करते हुए कुल रु0 53781/- अंतिम देयक से काटने के पश्चात् रु0 6,129/- का भुगतान दिनांक 14-9-87 को किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

गोविन्द वल्लभ पन्त महाविद्यालय प्रतापगढ़ जौनपुर में लेखाकार के पद पर श्री महात्माराय यादव की की गई अनियमित नियुक्ति

53—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोविन्द बल्लभ पन्त महाविद्यालय प्रतापगंज, जौनपुर में लेखाकार पद पर हाल में ही नियुक्त श्री महात्माराय यादव जिनकी नियुक्ति का अनुमोदन शिक्षा उपनिदेशक पंचम मण्डल वाराणसी द्वारा किया गया है उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है तथा उ0 प्र0 विश्वविद्यालय (एलाइड एसोसिएटेड कालेज शिक्षणेत्तर स्टाफ योग्यता तथा सेवा शर्तें) प्रथम स्टेट्स 1977 के अनुसार लेखाकार पद पर योग्यता हेतु क्या शर्तें निर्धारित हैं? नियमों के अनुसार योग्यता की शर्तें न पूरी करने के बाद भी उनकी नियुक्ति का अनुमोदन करने का क्या कारण है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

श्री महत्ता राय को नियुक्ति नहीं किया गया है, बल्कि श्री महन्थाराम जिनकी शैक्षिक योग्यता बी0 ए0, बी0 एड0 है, को सहायक लेखाकार के पद पर नियुक्त किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

सहायक लेखाकार के पद के लिए न्यूनतम अर्हता एकाउन्टेन्सी तथा आडिट विषय के साथ बी0 काम0 है।

अनुमोदन अनियमित रूप से प्रदान किया गया है जिसे निरस्त किये जाने के निर्देश शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, पंचम मंडल, वाराणसी को दे दिये गये हैं।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लखनऊ नगर के मोहल्ला रामगंज हुसैनाबाद के अनाधिकृत भूखण्ड संख्या 400 से कब्जा का न हटाया जाना

54–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 20-8-87 को लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-एच डी-99/एल0 डी0 ए0/एल0 एम0/ द्वारा-लखनऊ नगर के मोहल्ला-रामगंज हुसैनाबाद के अनधिकृत भूखण्ड संख्या–400 में स्थित कब्रिस्तान से अवैध कब्जा हटवाये जाने के आदेश निर्गत हुए थे? यदि हां, तो अभी तक अवैध कब्जा न हटवाये जाने का क्या कारण है? क्या सरकार उक्त भूखण्ड में अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

55–श्री मैनेजर सिंह–

[मा0 सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

जनपद एटा के विकास खण्ड सिढ़पुरा के ग्राम नगला भीमसेन में समाज मिलन केन्द्र का निर्माण होने में विलम्ब

56–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद एटा के विकास खण्ड सिढ़पुरा के ग्राम नगला भीमसेन में समाज मिलन केन्द्र निर्माण हेतु धन को निर्गत किया जा चुका है परन्तु उक्त मिलन केन्द्र का पूर्ण निर्माण न होने का क्या कारण है? क्या शासन उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर, निर्माण पूर्ण कराने की व्यवस्था करेगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां, विकास खण्ड सिढ़पुरा के ग्राम नगला भीमसेन में निर्मित होने वाले समाज मिलन केन्द्र (सामुदायिक विकास केन्द्र) के निर्माण हेतु सामग्री की आपूर्ति ठेकेदार द्वारा समय से न करने के कारण निर्माण में विलम्ब हुआ था । कार्यहित में विभागीय कर्मचारियों द्वारा सामग्री की आपूर्ति कराई गयी और माह नवम्बर, 1988 में कार्य पूर्ण करा दिया गया।

किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

लखनऊ वाटर वर्क्स रोड पर स्थित जीलट स्कूल के सामने जल भराव को रोकथाम

57–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ वाटर वर्क्स रोड पर जीलट स्कूल के सामने व आगे की सड़कों व गलियों में जल भराव को रोकने के बारे में प्रश्नकर्ता ने एक पत्र प्रशासक, नगर महापालिका को दिया है और उसकी प्रतिलिपि पत्र सं0–824 मुख्य मंत्री को ता0 26-7-88 को दी है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? जल भराव को दूर करने के लिए क्या ठोस उपाय किये गये? पत्र में जो छोटे नाले बनाने का सुझाव दिया गया था उस पर क्या निर्णय लिया गया?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र में जल निस्तारण हेतु 9 इंच से 12 इंच व्यास का ह्यूम पाइप पड़ा है । जल निकासी की सुगमता हेतु अतिरिक्त गली पिट भी बना दिया गया है ।

नाला निर्माण की मद में धन उपलब्ध न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

लखनऊ जल संस्थान के अभियन्ताओं द्वारा कार खरीदे जाने की, की गयी शिकायत

58–श्री यदुनाथ सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ जल संस्थान के अभियन्ताओं द्वारा कार खरीदने के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–627 मुख्य मंत्री को ता0 9-6-88 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र के किन-किन बिन्दुओं पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

शिकायती पत्र में वर्णित समस्त बिन्दुओं पर जांच के आदेश शासन के पत्र दिनांक 11 जुलाई, 1988 द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ जल संस्थान को दे दिये गये हैं ।

इलाहाबाद जनपद के भारत स्काउट एण्ड हायर सेकेन्डरी स्कूल में नागरिक शास्त्र विषय पढ़ाने की मान्यता

59–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के भारत स्काउट एण्ड गाइड हायर सेकेन्डरी स्कूल की हाईस्कूल में नागरिक शास्त्र विषय पढ़ाने की मान्यता मिल गई है ? यदि हां, तो कब से और अभी तक यह विषय न पढ़ाए जाने का क्या कारण है ? इस स्कूल का आडिट कब से नहीं कराया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

हां ।

संस्था को परिषद् की वर्ष 1968 की परीक्षा से हाई स्कूल साहि0 वर्ग की नवीन मान्यता नागरिक शास्त्र विषय सहित प्रदान की गई थी । मान्यता प्राप्ति के पश्चात यह विषय वर्ष 1981 तक बराबर पढ़ाया जाता रहा । विद्यालय जनवरी, 1981 से वेतन वितरण अधिनियम में आया । विद्यालय के वेतन वितरण में आने से पूर्व सात अध्यापक कार्यरत थे, जबकि मानक के अनुसार छः अध्यापकों की आवश्यकता थी । जुलाई, 1981 से एल0 टी0 वेतनमान में कार्यरत एक अध्यापिका श्रीमती ममता खरे के लम्बे अवकाश पर जाने से तथा इसी तारतम्य में 1-10-85 से उनके सेवा निवृत्त हो जाने के कारण नागरिक शास्त्र विषय का अध्यापन कार्य अवरुद्ध हो गया ।

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अन्तर्गत बनाये गये विनियमों के अध्याय–7 के अन्तर्गत मान्यता के लिये निर्धारित मानक के सामान्य नियम-13 के अनुसार कक्षायें बन्द होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर निरीक्षण अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर कक्षायें पुनः संचालित न करने की दशा में उक्त मान्यता स्वतः समाप्त हो गयी है ।

विद्यालय के वर्ष 1981 में वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत आने के पश्चात् विद्यालय के वर्ष 1982-83, 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 के लेखों का आडिट स्थानीय निधि लेखा द्वारा किया गया है ।

श्री तपस्वी महाराजा इण्टर कालेज राजपुर पो0 राजपुर जिला वाराणसी, के प्रबन्धक द्वारा (इण्टर वैज्ञानिक वर्ग) की मान्यता हेतु दिया गया प्रार्थना-पत्र

60–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री तपस्वी महाराज इण्टर कालेज राजपुर पो0 राजपुर जिला वाराणसी के प्रबन्धक ने (इण्टर वैज्ञानिक वर्ग) प्रार्थना-पत्र वित्त विहीन मान्यता हेतु ता0 28-8-85 को जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी को दिया था ? यदि हां, तो क्या जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी द्वारा इस कालेज की जांच करने के बाद भी अब तक इण्टर वैज्ञानिक वर्ग की मान्यता न दिए जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र के इस विद्यालय को इण्टर में विज्ञान की वित्त विहीन मान्यता तुरन्त देने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

हां । प्रश्नगत विद्यालय को इण्टर वैज्ञानिक वर्ग की मान्यता प्रदान करने के सिलसिले में जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी को आख्या माध्यमिक शिक्षा परिषद् में दिनांक 28-10-88 को प्राप्त हुई है ।

अभी तक इस सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है ।

परिषद् का निर्णय हो जाने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायगी ।

निलम्बित श्री जयपाल सिंह, सचिव साधन सहकारी समिति लिमि0 कटरा सादातगंज विकास क्षेत्र उसावां, बदायूं की बहाली का आधार

61—श्री राज किशोर सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गम्भीर अनियमितताओं के आरोप में श्री जयपाल सिंह सचिव सा0 स0 समिति लि0 कटरा सादात गंज वि0 क्षेत्र उसावां, बदायूं को दिनांक 7-3-88 को निलम्बित कर दिया गया था ? यदि हां, तो जिला सहकारी बैंक बदायूं के प्रशासक ने किस आधार पर उक्त सचिव को दिनांक 11-5-88 को बहाल कर पनौड़ी सा0 स0 स0, वि0 ख0, विसौली पर सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया है ? क्या पुनः जांच कराकर जयपाल सिंह को दण्डित करने की कृपा करेंगे ?

श्री समर पाल सिंह—

जी हां ।

श्री सिंह के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के सन्दर्भ में प्राप्ति जांच आख्या पर विचार करते हुए अध्यक्ष जिला प्रशासनिक कमेटी के आदेशानुसार अन्तिम रूप से बहाल कर दिनांक 11-5-88 को पनौड़ी साधन सहकारी समिति पर नियुक्त किया गया था । श्री जयपाल सिंह के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर उन्हें दण्ड देकर दिनांक 23-9-88 को अन्तिम रूप से बहाल किया गया है ।

अब पुनः जांच के आदेश कर दिये गये हैं, यदि अब की जाने वाली जांच में अन्य कोई मामला प्रकाश में आता है तो नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ।

मोहल्ला रामगंज हुसैनाबाद, लखनऊ में कतिपय लोगों द्वारा बनाये गये अवैध मकान

62—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मोहल्ला रामगंज हुसैनाबाद, लखनऊ में श्री मुहम्मद आलिख, मुस्तफा, अब्दुल रहमान रफ्फत आलम, मोहम्मद साहिब, मोहम्मद वर्क्सराज, वद्दू व बंगलेवाला अजमद अली, कैसरजहां ताहर, अहतराम अली ने अभी कुछ वर्षों में अपने-अपने मकान बनाये हैं ? यदि हां, तो उन्होंने वह जमीनें किससे और कब खरीदी हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां । इन लोगों द्वारा यह मकान अनाधिकृत रूप से नजूल भूमि पर बनाये गये हैं ।

नजूल अभिलेखों के अनुसार इन व्यक्तियों को नजूल भूमि आवंटित नहीं की गई है ।

असहायिक स्थाई मान्यता की वरिष्ठता सूची में श्री पटेल आदर्श विद्यालय एेन लखनऊ का स्थान

63–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में कितने असहायिक स्थाई मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल हैं ? क्या इन विद्यालयों की वरिष्ठता क्रम से कोई सूची बनाई गई है ? यदि हां, तो श्री पटेल आदर्श विद्यालय एेन, लखनऊ का कौन सा स्थान है ? अंतिम बार कब और कितने विद्यालयों को सहायता प्राप्त सूची में लाया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्रदेश के गैदानी जनपदों में इस समय लगभग 2000 असहायिक स्थाई मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल हैं ।

जी हां ।

12 मई, 1987 को निदेशालय द्वारा प्रसारित ज्येष्ठता सूची में प्रश्नगत संस्था का नाम क्रम संख्या 590 पर अंकित है ।

वर्ष 1984–85 में 314 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया गया ।

64–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जौनपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में स्थानान्तरण योग्य कर्मचारी

65–श्री धनराज यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद में बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में स्थानान्तरण योग्य कुल कितने कर्मचारी हैं ? कितने जौनपुर के मूल निवासी हैं ? इनका स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

स्थानान्तरण योग्य एक भी कर्मचारी नहीं है ।

37 (सैंतीस)

प्रश्न नहीं उठता ।

मोहल्ला कैलासपुरी लखनऊ जिला जेल के पीछे से जाने वाली सड़क की मरम्मत

66–श्री शारदा प्रताप–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला कैलाशपुरी, लखनऊ की जिला जेल के पीछे की सड़क पर स्थित सोहन लाल की मिठाई की दुकान से पश्चिम की ओर जाने वाली सड़क का खड़ंजा और उसके किनारे की नालियां टूट गयी हैं ? यदि हां, तो सड़क को लेविल कर खड़ंजा तथा नालियों की मरम्मत कराने की कृपा करेंगे जिससे जल निकासी की समस्या दूर हो सके ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

महापालिका अपने सीमित साधनों से मरम्मत कार्य कराती रहती है । प्रश्नगत कार्य धन उपलब्ध होने पर ही कराया जा सकता है ।

67–श्री शारदा प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त खड़ंजा मार्ग से सम्बद्ध एक गली महोदय दूध वाले के मकान से होती हुई जाती है, जिसकी कुल लम्बाई 150 फीट होगी, उसमें खड़ंजा लगाये जाने के बारे में दिनांक 29 जनवरी, 5 नवम्बर, 1985 एवं 8 मार्च व 2 मई, 1988 को प्रार्थना-पत्र प्रशासक, नगर महापालिका लखनऊ को दिये जा चुके हैं ? यदि हां, तो अब तक उस पर खड़ंजा लगाये जाने की क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या मंत्री जी इस पर खड़ंजा प्राथमिकता के आधार पर लगवाने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

यह कार्य भी धन उपलब्ध होने पर ही कराया जा सकता है ।

नगरपालिका रुदौली जिला बाराबंकी में माह अक्टूबर 1986 में निलंबित हुए कर्मचारियों का विवरण

68–श्री मित्रसेन–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के अंतर्गत नगर पालिका रुदौली में माह अक्टूबर, 1986 में किन-किन कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है ? उनके निलम्बन के कारण क्या हैं ? क्या उन्हें निलम्बन की अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कितना-कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

शिवपुरी माध्यमिक विद्यालय खंडासा फैजाबाद के प्रधानाचार्य के विरुद्ध दर्ज मुकदमें

69–श्री मित्रसेन–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शिवपुरी माध्यमिक विद्यालय खंडासा फैजाबाद के प्रधानाचार्य श्री दान बहादुर पाण्डेय के गम्भीर अपराधिक चरित्र के संबंध में उनके विरुद्ध कई गम्भीर अपराध थाना खंडासा में अंकित हैं ? यदि हां, तो सहायता प्राप्त सरकारी संस्थाओं में वेतन भोगी कर्मचारी होने के कारण उनके विरुद्ध विभागीय स्तर से क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

शिक्षा निदेशक को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

तीन वर्ष या इससे अधिक समय से लखनऊ नगर में कार्यरत सहकारी आवास समितियों का चुनाव

70–श्री वीरेन्द्र सोन–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद लखनऊ के शहरी क्षेत्र में ऐसी कितनी सहकारी आवास समितियां कार्यरत हैं जिसके चुनाव हुये तीन वर्ष या उससे अधिक हो गये हैं ? क्या सरकार ऐसी सभी समितियों में प्रशासक की नियुक्ति करके पुनः चुनाव कराने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद लखनऊ के शहरी क्षेत्र में 81 ऐसी सहकारी आवास समितियां कार्यरत हैं जिनके चुनाव हुए तीन वर्ष या उससे अधिक हो गये हैं ।

जी हां । ऐसी सभी समितियों में प्रशासकों की नियुक्ति की जा चुकी है तथा पुनः चुनाव कराने के लिए निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ से अनुरोध किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपर्युक्त समितियों में चुनाव की कार्यवाही यथाशीघ्र सम्पन्न कराने हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ को लिखा गया है ।

सहकारी एवं कारपोरेट प्रबन्ध शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक से रुपया निकाल कर बैंक आफ बड़ौदा में नया खाता खोला जाना

71–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी एवं कारपोरेट प्रबन्ध शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ का उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक जहां पच्चीस पैसे प्रति सैकड़ा अधिक ब्याज मिलता था, से पचास लाख रुपये निकालकर बैंक आफ बड़ौदा की एक छोटी शाखा जो शिक्षण संस्था से कई किमी0 दूर है, में जमा कर नया खाता खोला गया है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? क्या सहकारी संस्थान द्वारा संस्थान को नुकसान पहुंचाने एवं सहकारी बैंक के बजाय दूसरे बैंक में खाता खोलने के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही की व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री समर पाल सिंह–

सहकारी एवं कारपोरेट प्रबन्ध शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को शासन एवं अन्य सहकारी संस्थाओं से भवन निर्माण के मद में प्राप्त धनराशि संस्थान के सामान्य खाते में जमा कर दिया गया था और समय-समय पर संस्थान के भवन निर्माण मद में प्राप्त धनराशि भी एक ही खाते में होने के कारण संस्थान के सामान्य मद में व्यय हो जाती थी । सम्प्रेक्षण के समय इस बात पर आपत्ति करते हुए यह सुझाव दिया गया कि भवन निर्माण के मद में प्राप्त धनराशि एक अलग खाते में रखी जाय । इस परिप्रेक्ष्य में यह भी सोचा गया कि उस समय भवन निर्माण मद में उपलब्ध धनराशि रुपये 21, 64, 287·95 को अधिक ब्याज प्राप्त करने के दृष्टिकोण से शार्ट-टर्म-डिपाजिट इन्वेस्ट स्कीम में जमा कर दी जाय और तद्नुसार बैंक आफ बड़ौदा की इस स्कीम में जहां अधिक ब्याज मिल रहा था, वहां दिनांक 7 अप्रैल, 1988 को बचत खाता संख्या–1809 खोलकर उसमें यह धनराशि जमा कर दी गयी और उसी खाते में से दिनांक 8 अप्रैल, 1988 को 20·00 लाख रुपये शार्ट-टर्म-डिपार्टमेन्ट में जमा कर दिया गया । यह उल्लेखनीय है कि बैंक आफ बड़ौदा एक शेड्यूल बैंक है ।

उक्त धनराशि कोआपरेटिव बैंक से निकाल कर सहकारी बैंक के बजाय दूसरा बैंक में खाता खोलने की कार्यवाही, संस्थान को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं की गयी थी अपितु केवल अधिक ब्याज प्राप्त करने के उद्देश्य से की गयी थी, क्योंकि 8 अप्रैल, 1988 को बैंक आफ बड़ौदा में शर्ट-टर्म-डिपाजिट स्कीम में अधिक ब्याज उपलब्ध था । दिनांक 2-5-88 को उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक में भी शार्ट-टर्म डिपाजिट इन्वेस्टमेंट स्कीम का प्रपत्र जारी हुआ है और इस स्कीम के प्राप्त होते ही बैंक आफ बड़ौदा से धनराशि निकाल कर उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक से शार्ट-टर्म-डिपाजिट-स्कीम में जमा करने की कार्यवाही की जा रही है । अतः उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण अभियंत्रण संघा विभाग हरदोई के पास स्कूल भवनों के अतिरिक्त अन्य सरकारी भवनों के निर्माण कार्यों का विवरण

72–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के ग्रामीण अभियंत्रण संघा के पास प्रा0 स्कूलों के भवनों के अतिरिक्त अन्य सरकारी भवनों के निर्माण से संबंधित कौन-कौन कार्य कब-कब से लम्बित हैं और उनके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

शिक्षा विभाग के अंतर्गत 9 जू0 हा0 स्कूल भवनों के कार्य वर्ष 84-85 (एक), 86-87 (दो) व 87-88 (छः) से लंबित हैं, जिनमें से 7 कार्यों को मार्च 1989 तक पूर्ण कराये जाने की सम्भावना है । दो कार्य भूमि/स्थल विवाद के कारण लम्बित हैं ।

पशु पालन विभाग के 6 निर्माण कार्य वर्ष 82-83 (एक) 83-84 (एक), 84-85 (दो), 86-87 (एक), 87-88 (एक), से लम्बित हैं जिनमें से 5 कार्यों को मार्च, 1989 तक पूर्ण कराये जाने की सम्भावना है । शेष एक कार्य (पशु चिकित्सालय भवन) कुरसठ पर धन अभाव के कारण कोई कार्य नहीं कराया जाना है ।

कृषि विभाग के 8 पैडी गोडाउन का निर्माण कार्य वर्ष 87–88 से लम्बित हैं जिसमें 3 कार्यों को मार्च, 1989 तक पूर्ण कराये जाने की सम्भावना है क्योंकि इन कार्यों की जमीन अक्टूबर, 1988 में ही मिली है, शेष 5 अन्य पर जमीन मिलने के पश्चात 6 माह में पूर्ण कराया जायगा ।

ग्राम्य विकास विभाग के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य वर्ष 86-87 (एक), 87-88 (44), थे, जिनमें 13 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 32 कार्य मार्च, 1989 तक पूर्ण कराये जाने की सम्भावना है ।

सामुदायिक विकास केन्द्र के कुल 7 निर्माण कार्य वर्ष 86-87 (3), व 87-88 (4), लम्बित हैं जिनमें से 4 का निर्माण कार्य मार्च, 1989 तक पूर्ण कराये जाने की सम्भावना है । शेष 3 कार्य विवाद ग्रस्त है जिनका लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता ।

विकास खण्ड मल्लावां जनपद हरदोई द्वारा निर्मित गोसवां बीकापुर खड़ंजा मार्ग की मरम्मत

73–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां द्वारा निर्मित गोसवां-बीकापुर खड़ंजा मार्ग अपनी जीर्णावस्था के कारण आवागमन में अवरोध बन गया है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत एवं पुलियों की व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण हैं और व्यवस्था कब तक करा दी जायेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वर्ष 1982-83 में निर्मित प्रश्नगत मार्ग पर आवागमन में असुविधा हो रही थी । अतः उसकी मरम्मत हेतु आवश्यक आवंटन कर दिया गया है ।

एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हेतु लखनऊ में खेलकूद स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव

74–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हेतु प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोई खेलकूद स्टेडियम बनवाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी इसकी कोई व्यवस्था कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं ।

क्रिकेट मैच के लिए आवश्यक व्यवस्था के0 डी0 सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ में पहले से ही उपलब्ध है ।

ग्राम विकास अधिकरण मुरादाबाद द्वारा वर्ष 1986-87 व 1987-88 में साई पाइप फैक्ट्री मूढ़ा पान्डे से खरीदे गये पाइप की ढुलाई का मामला

75-कुंवर रेवती रमण सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में वर्ष 1986-87 और 1987-88 में "साई पाइप फैक्ट्री" मूढ़ा पाण्डे से जो ग्राम्य विकास अभिकरण मुरादाबाद द्वारा पाइप खरीदा गया है उसके ढुलाई चार्ज का भुगतान टैक्निकल रिपोर्ट के बाद किया गया है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत किया गया और उसकी दरें क्या थीं ? क्या ये दरें शासन द्वारा निश्चित दरों के अनुकूल हैं ? यदि नहीं, तो उसमें सरकार को कितनी हानि हुई और उसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय-

जनपद मुरादाबाद में वर्ष 1986-87 एवं 87-88 में साई पाईप इन्डस्ट्रीज मूढ़ा पाण्डे से जिला ग्राम्य विकास अभिकरण मुरादाबाद द्वारा क्रय किये गये पाईप की ढुलाई चार्जेज का भुगतान न्यूनतम कोटेशन के आधार पर किया गया । पर उद्योग निदेशक द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट के 4 प्रतिशत की निर्धारित दर की जानकारी होने पर फर्म को ढुलाई के रूप में किये गये रु0 20,529.30 पैसे के अधिक भुगतान की वसूली फर्म से कर ली गयी है । इस प्रकार सरकार को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई तथा इसमें किसी अधिकारी का दुराशय नहीं पाया गया । अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

क्षेत्र विकास अधिकारी मूढ़ा पाण्डे (मुरादाबाद) द्वारा ब्लाक छजलैट में तैनाती के दौरान अपने पिता के नाम कोल्ड स्टोरेज बनवाने का मामला

76-कुंवर रेवती रमण सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि क्षेत्र विकास अधिकारी, श्री के0 के0 मेहरोत्रा मूढ़ापाण्डे (मुरादाबाद) जब ब्लाक छजलैट में कार्यरत थे उस समय उन्होंने अपने पिता के नाम से एक कोल्ड स्टोरेज "बृज कोल्ड स्टोरेज" का निर्माण अगवानपुर में बनवाने का लाइसेंस लिया था और कोल्ड स्टोरेज के नाम पर सरकारी कोटे से सीमेन्ट लिया था जिसे उन्होंने चोरी से बेच दिया जिसे खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा पकड़ा भी गया था ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय-

श्री के0 के0 मेहरोत्रा, खण्ड विकास अधिकारी, मूढ़ा पाण्डेय, मुरादाबाद जब ब्लाक छजलैट में कार्यरत थे तो उन्होंने अपने पिता के नाम से "बृज कोल्ड स्टोरेज" का कोई लाइसेंस नहीं लिया था । यह लाइसेंस श्री के0 के0 मेहरोत्रा, खण्ड विकास अधिकारी के भाई श्री जे0 के0 मेहरोत्रा व श्री श्याम मेहरोत्रा एवं पत्नी श्रीमती सुशीला

मेहरोत्रा के नाम से लिया गया था । "बृज कोल्ड स्टोरेज" के नाम पर सरकारी कोटे से कुल 80 मै0 टन0 सीमेंट का आवंटन किया गया था । दिनांक 19-6-82 को खाद्य विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा 234 बोरी सीमेन्ट पकड़ी गयी थी । श्री के0 के0 मेहरोत्रा, खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध दिनांक 19-6-82 को थाना कोतवाली में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 का अभियोजन दर्ज हुआ था । विवेचना के फलस्वरूप कोई अपराध न बनने के कारण पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में दिनांक 9-2-84 को भेज दी गयी थी जो जुडीशियल मजिस्ट्रेट मुरादाबाद द्वारा दिनांक 18-2-84 को स्वीकृत की गयी थी ।

लैन्सडौन वन प्रभाग द्वारा कोटद्वार रेंज में लकड़ी का गलत वितरण

77–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि लैंसडौन वन प्रभाग द्वारा कोटद्वार रेंज के माध्यम से ग्राम सभा बालासौड़ को वर्ष 1987-88 की लकड़ी हक हकूक में दी गयी थी ? यदि हां, तो कितनी घनफुट ? क्या यह सच है कि वन अधिनियम के विपरीत ग्राम सभा तथा वन विभाग की सांठ-गांठ से कृषकों को न देकर उद्योग पतियों को बेच दी गई है ? क्या सरकार इस मामले की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह–

लैन्सडौन वन प्रभाग द्वारा कोटद्वार रेंज के माध्यम से ग्राम सभा बालासौड़ को वर्ष 1987–88 में साल प्रजाति की निम्न लकड़ी हकहकूक में दी गई थी :–

1–ग्राम काशीरामपुर	60	घनफुट
2–ग्राम कोंड़िया	15	घनफुट
3–ग्राम हरिसिंगपुर	30	घनफुट
4–ग्राम बालासौड़	60	घनफुट
कुल	165	घनफुट (गोल)

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा बालासौड़ विकास खण्ड दुगड्डी जनपद पौंडी गढ़वाल में आय व्यय का लेखा जोखा का प्रस्तुत न किया जाना

78–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा बालासौड़ विकास खण्ड दुगड्डी जनपद पौड़ी गढ़वाल में आय व्यय की लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया जाता है ? क्या सरकार ग्राम सभा के रिकार्ड तथा कराये गये कार्यों की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

ग्राम सभा बालासौड़ की मासिक बैठक प्रत्येक माह विधिवत की जाती है जिसमें ग्राम सभा प्रधान द्वारा आय-व्यय का पूर्ण विवरण ग्राम सभा सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है । आज तक संपन्न हुयी बैठकों में किसी भी सदस्य द्वारा आय-व्यय के संबंध में कोई भी शिकायत नहीं की गयी है । चूंकि आय-व्यय का लेखा प्रस्तुत किये जाने के विषय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है, इसलिए उक्त ग्राम सभा के अभिलेखों की जांच कराने का कोई प्रश्न सम्प्रति विचाराधीन नहीं है ।

79–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

[3रे सोमवार के लिए स्थगित]

जनपद बहराइच में सूखा राहत कार्य योजना के अन्तर्गत हुए तालाबों की खुदाई एवं उन पर व्यय हुआ धन

80–श्री जंगबहादुर सिंह तथा श्री त्रिभुवन प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच खाद्यान्न योजना एवं सूखा राहत योजना अन्तर्गत कितने तालाबों की खुदाई हुई है और कितना धन व्यय हुआ है ? विकास खण्ड नवाबगंज के ग्राम जमोग के तालाब खुदाई पर कितना धन व्यय हुआ है ? क्या यह सही है कि उक्त तालाब जोर (झील) में खोदा गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद बहराइच में श्रम के बदले खाद्यान्न योजनान्तर्गत 58 तालाबों तथा सूखा राहत योजना के अन्तर्गत 19 तालाबों की खुदाई हुई है जिन पर क्रमशः 8,53,879 रु0 तथा 9,58,954 रु0 व्यय हुआ है। विकास खण्ड नवाबगंज में ग्राम जमोग तालाब के नाम से कोई तालाब का खोदा जाना स्वीकृत नहीं है । इसी विकास खण्ड में चर्दा मनमगरा नामक तालाब जो राजा तालाब के नाम से जाना जाता है और जो चर्दा ग्राम सभा में जमोग बाजार के निकट स्थित है, को गहरा किये जाने का कार्य वर्ष 87–88 में एन0 आर0 ई0 पी0 के अन्तर्गत किया गया इस पर 95,499 रु0 का भुगतान इस योजना निधि से हुआ । कार्य के प्राक्कलन के अनुसार यह तालाब मूलतः 1.20 मी0 गहरा था जिसे 1.59 मीटर और गहरा किये जाने का प्रस्ताव था । किये गये कार्य के सम्बन्ध में जिला स्तर पर अभी तक कोई शिकायती पत्र प्राप्त न होने से कोई जांच नहीं कराई गई ।

श्री गांधी विद्या मन्दिर फतेपुर, जनपद एटा की इण्टर कक्षाओं में अंग्रेजी व संस्कृत विषयों की मान्यता हेतु प्रार्थना-पत्र

81–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या शिक्षा मंत्री को श्री बी0 सी0 भारद्वाज, प्रबन्धक श्री गांधी विद्या मंदिर फतेपुर, जनपद एटा का दिनांक 2-9-87 का कोई पत्र जो कि इण्टरमीडिएट कक्षाओं में अंग्रेजी एवं संस्कृत विषय में वित्त रहित मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शासन उस पर क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

हां । प्रकरण पर विचार किया जा रहा है ।

श्री गांधी विद्या मंदिर में संचालित इण्टरमीडिएट कक्षाओं में अनिवार्य विषयों की पढ़ाई में भिन्नता

82–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद एटा के श्री गांधी विद्या मंदिर में 1986 से संचालित इण्टरमीडिएट कक्षाओं में पांच विषयों की अनिवार्यता के उपरान्त भी मात्र चार विषयों की मान्यता प्रदान होने के कारण छात्रों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो शासन इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

संस्था को वर्तमान में 5 विषयों मे मान्यता प्राप्त है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत कतिपय विकास खण्डों में सहकारी समिति के सचिवों का सेवा काल एवं स्थानान्तरण की मांग

83–श्री हर्ष वर्धन–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि गोरखपुर जनपद अन्तर्गत फरेन्दा, धानी एवं बृजमनगंज विकास खण्डों में अनेक सहकारी सचिव पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से उक्त क्षेत्रों की ही सहकारी समितियों में नियुक्त रहे हैं ? यदि हां, तो सचिवों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शासकीय नीति क्या है और उसका अनुपालन उक्त सहकारी समितियों में न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री समर पाल सिंह–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश प्राइमरी कृषि सहकारी ऋण समिति केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1976 के अनुसार सचिव का स्थानान्तरण एक समिति से दूसरी समिति में 5 वर्ष के बाद किया जाता है । संबंधित विकास खण्डों के सचिवों का स्थानान्तरण जिला प्रशासनिक कमेटी द्वारा किया गया परन्तु जनहित में स्थानान्तरण आदेशों का कार्यान्वयन जिला प्रशासनिक कमेटी द्वारा स्थगित कर दिया गया है । निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0, लखनऊ के आदेश दिनांक दिसम्बर 19, 1988 के परिपालन में सहकारी वर्ष की समाप्ति के उपरान्त स्थानान्तरण/कार्यमुक्ति सुनिश्चित किया जायेगा ।

84–श्री मैनेजर सिंह–

[मा0 सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

85–श्री मैनेजर सिंह–

[मा0 सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

बेसिक शिक्षा परिषद्, लखनऊ के प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत सी0 टी0 प्रशिक्षित अध्यापकों को सी0 टी0 वेतनक्रम में समायोजित किये जाने की मांग

86–श्री मूल चन्द तथा श्री यदुनाथ सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपर शिक्षा निदेशक बेसिक, इलाहाबाद अ0 शा0 पत्र–अ0 शि0 नि0 बेसिक/8117-27/1987–88, दिनांक 15 फरवरी, 1988 के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद् लखनऊ के प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत सी0 टी0 प्रशिक्षित अध्यापकों को सी0 टी0 वेतनक्रम में कब तक समायोजित किया जायेगा ? लखनऊ मण्डल में महिलाओं हेतु सी0 टी0 वेतनक्रम में स्थान रिक्त होने के बावजूद स्थानीय अधिकारियों द्वारा आदेश का पालन न किये जाने के क्या कारण है ? क्या शासन इस पर कार्यवाही करेगा? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्रश्न में उल्लिखित पत्र अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत ग्राम सेवक/सेविका के समायोजन के संबंध में है अतः इसके अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद्, लखनऊ के प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत सी0 टी0 प्रशिक्षित अध्यापकों के सी0 टी0 वेतनक्रम में समायोजन का प्रश्न नहीं उठता ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन विद्यालयों में सी0 टी0 वेतनक्रम अनुमन्य न होने के कारण इस वेतनक्रम में स्थान रिक्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद नगर में वर्ष 1985 से अक्टूबर, 1988 तक के दौरान बनाये गये सुलभ शौचालय एवं उन पर व्यय की गई धनराशि

87–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर में वर्ष 1985–86, 86-87, 87-88 तथा अक्टूबर, 1988 तक कितने सार्वजनिक सुलभ शौचालय बनाये गये और इसमें शासन का कितना धन व्यय हुआ ? इस माह में कितना धन उपरोक्त वर्षों में कब-कब और किस एजेन्सी को बनाने हेतु दिया गया और कितने धन का उपयोग किया जा चुका है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

इलाहाबाद नगर में वर्ष 1985-86, 1986-87, 1987-88 तथा अक्टूबर, 1988 तक कुल 51 सार्वजनिक सुलभ शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा कराया गया है । वर्ष 1985-86 में रु0 7,89,328 व्यय हुआ, वर्ष 1986-87 में कोई व्यय नहीं हुआ तथा वर्ष 1987-88 तथा माह अक्टूबर, 1988 तक रु0 95,00,000 अर्थात् कुल रु0 1,02,89,328 का व्यय हुआ । उक्त धनराशि मेसर्स सुलभ इण्टरनेशनल संस्था को समय-समय पर दी गयी ।

इलाहाबाद के महिला ग्राम के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कला आदि विषयों को मान्यता दिए जाने का मामला

88–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद के महिला के ग्राम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कला आदि अतिरिक्त विषयों की मान्यता 1985–86 में देने के बावजूद नये पदों को सृजित नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक नये पदों के सृजन की अनुमति प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

धनाभाव के कारण नये पदों के सृजन पर रोक लगी होने से प्रश्नगत पदों का सृजन फिलहाल सम्भव नहीं है ।

बरेली नगर के कतिपय मोहल्लों में जलभराव की समस्या एवं उसका समाधान

89–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बरेली नगर के इन्द्रानगर, राजेन्द्र नगर, जनकपुरी, शैपिला बगिया डेलापीर आदि क्षेत्रों में विगत बरसात में जल भराव के कारण नागरिकों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी व पानी घरों में भर गया ? यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य–

जी हां ।

नगर महापालिका द्वारा अविलम्ब उक्त स्थानों का पानी नाला खुदवा कर तथा पम्प लगाकर निकाल दिया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सहकारी बैंक लिमि0, शाहजहांपुर में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत वरिष्ठ प्रबन्धक की सेवाएं संवर्ग प्राधिकारी सहकारी बैंक केन्द्रीयत सेवा द्वारा आमंत्रित किया जाना

90–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संवर्ग प्राधिकारी सहकारी बैंक केन्द्रीयत सेवा के अधीन वरिष्ठ प्रबन्धकों की सीधी भर्ती का अनुपात कुल पदों का 25 प्रतिशत है ? यदि हां, तो कुल कितने पद हैं तथा अब तक कुल कितने पद सीधी भर्ती से भरे गये हैं? वर्तमान में जिला सहकारी बैंक लि0, शाहजहांपुर में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत वरिष्ठ प्रबन्धक श्री बाजपेयी की सेवाएं संवर्ग प्राधिकारी सहकारी बैंक केन्द्रीयत सेवा द्वारा आमंत्रित की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों? सीधी भर्ती के स्थानों की पूर्ति होते हुए भी श्री बाजपेयी का आमंत्रण, जो सीधी भर्ती माना जाता है, क्यों किया जा रहा है ?

श्री समर पाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सचिव टाउन एरिया पुवायां, शाहजहांपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की कतिपय शिकायतें एवं उसकी जांच

91–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की टाउन एरिया पुवायां के सचिव (श्री दिलीप कपूर) के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सिलसिले में श्री राजीव सिंह, श्री घसीटे आदि के शिकायती पत्र की जांच हेतु जिलाधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी को दिनांक 2 अप्रैल, 1988 को अधिकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रभारी अधिकारी (एस0 डी0 एम0 पुवायां) द्वारा जांच रिपोर्ट पत्र संख्या 240 दिनांक 7 मई, 1988 द्वारा जिलाधिकारी को प्रेषित की गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

जी हां ।

जांच के फलस्वरूप श्री दिलीप कपूर, सचिव, टाउन एरिया कमेटी पुवायां प्रथमदृष्टया दोषी पाए गए अतः उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच लखनऊ स्टेडियम कूर्सी रोड पर कराये जाने की व्यवस्था

92–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की राजधानी, लखनऊ के कूर्सी रोड स्थित खेलकूद स्टेडियम में एक द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कराने की कोई व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त स्टेडियम में एक दिवसीय क्रिकेट मैच कराये जाने की व्यवस्था कराने पर विचार करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं । स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में ध्यान चन्द स्टेडियम का निर्माण केवल हाकी के लिए ही किया गया है तथा उसमें कृत्रिम घास बिछाई गई है, जो केवल हाकी के लिए ही उपयुक्त है । कृत्रिम घास पर क्रिकेट का खेल अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा मान्य नहीं है। अतः उक्त स्टेडियम में एक दिवसीय क्रिकेट मैच कराये जाने का कोई प्रश्न नहीं है ।

93–श्री राम आसरे वर्मा–

[2रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 160 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोविन्द बल्लभ पन्त डिग्री कालेज कछला, बदायूं के अधिग्रहण/प्रान्तीयकरण का मामला

94–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के गोविन्द बल्लभ पंत डिग्री कालेज, कछला के प्रबन्धतंत्र द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर जनहित में कालेज का अधिग्रहण/प्रान्तीयकरण शासन द्वारा किये जाने का मामला काफी समय से लम्बित पड़ा है ? यदि हां, तो इस देरी का कारण क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त कालेज के संरक्षक तथा अध्यक्ष श्री कृष्णचन्द्र पंत, रक्षा मंत्री, भारत सरकार द्वारा भी अधिग्रहण/प्रान्तीयकरण का अनुरोध एक वर्ष पूर्व किये जाने के बाद भी इस दिशा में अभी तक कोई प्रगति नहीं हो सकी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

उक्त प्रकरण काफी समय से लम्बित नहीं है । प्रश्न में उल्लिखित प्रस्ताव लगभग एक वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ था ।

प्रकरण पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

एस0 एन0 एम0 इण्टर कालेज, कायमगंज, फर्रुखाबाद में कार्यरत हेमन्त कुमार का बकाया वेतन

95–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद में एस0 एन0 एम0 इण्टर कालेज, कायमगंज में कार्यरत लिपिक श्री हेमन्त कुमार द्विवेदी को दिनांक 1-1-84 से अब तक वेतन नहीं मिला है जबकि वे निरन्तर कार्य कर रहे हैं ? वेतन न दिए जाने का क्या कारण है ? इस अल्प वेतन भोगी कर्मचारी का अब तक बकाया सम्पूर्ण वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

प्रबन्धतंत्र के स्तर से की गई श्री हेमन्त कुमार द्विवेदी की उक्त नियुक्ति को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मान्य नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूगर्भ जल विभाग में श्रेणी दो तथा एक में दोहरे कार्य भार की योजना में कार्यरत कर्मचारी

96–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भू-गर्भ जल विभाग में श्रेणी दो तथा श्रेणी प्रथम के पद पर दोहरे कार्य भार के रूप में कितने अधिकारी कार्यरत हैं ? क्या इसी तरह श्रेणी दो तथा प्रथम के अन्य रिक्त पदों पर भी दोहरा कार्यभार दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

भूगर्भ जल विभाग में श्रेणी-1 के पद पर दो तथा श्रेणी-2 के पद पर एक अधिकारी दोहरे कार्यभार के रूप में कार्यरत है ।

अन्य रिक्त पदों पर आवश्यकता अनुसार यथा समय विचार किया जा सकता है ।

भूगर्भ जल विभाग में सार्वजनिक निर्माण विभाग अनुभाग-4 द्वारा अवर अभियन्ता एवं समकक्ष पदों की पदोन्नति में अनियमितता

97–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बतायेंगे कि भू-गर्भ जल विभाग में सार्वजनिक निर्माण अनुभाग-4 द्वारा निर्गत पदोन्नति कोटे में वृद्धि से संबंधित शासनादेश के अनुसार अवर अभियन्ता एवं समकक्षीय पदों के पदोन्नति कोटे 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 33-1/3 प्रतिशत अब तक न किये जाने के लिए कौन दोषी हैं ? शासनादेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा पदोन्नति कोटा कब तक बढ़ा दिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

भूगर्भ जल विभाग, उ0 प्र0 में शासनादेश सं0–2379/54–3–1800(8)/87, दिनांक 10-5-88 द्वारा श्रेणी-2 में नियुक्ति 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा तथा 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा किये जाने का प्राविधान किया गया है ।

जहां तक सार्वजनिक निर्माण विभाग-4 द्वारा निर्गत पदोन्नति कोटा में वृद्धि से संबंधित शासनादेशों के अनुरूप कार्यवाही का प्रश्न है । इस संबंध में उल्लेखनीय है कि भूगर्भ जल विभाग में अवर अभियन्ता के अतिरिक्त वैज्ञानिक संवर्ग के पद भी स्वीकृत हैं । इस प्रकार यह विभाग पूरी तरह से अभियंत्रण विभाग नहीं है ।

जिला ग्राम विकास अभिकरण जौनपुर के शासी निकाय द्वारा मार्ग की स्वीकृति की जानकारी

98–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित श्री राय लक्ष्मी नारायण एवं श्री राज बहादुर द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या–17 के उत्तर के संबंध में क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सम्पर्क मार्ग की स्वीकृति हेतु वांछित सूचना प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

दिनांक 27 मई, 1988 को ग्राम गौरा सम्पर्क मार्ग स्वीकृति का प्रस्ताव जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की शासी निकाय की बैठक में रखा गया बैठक में मा0 सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि पहले अपूर्ण अधूरे कार्यों को पूरा किया जाय बाद में नई परियोजनाओं का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा । अतः अभी तक उक्त सम्पर्क मार्ग की निर्माण योजना की स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई है ।

समस्त नगर पालिका प्रथम नगरपालिका द्वितीय तथा नगर महापालिकाओं में रिक्त पदों पर नियुक्तियों का मामला

99–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका प्रथम व द्वितीय श्रेणी तथा महापालिकाओं में लेखाकार के कितने पद रिक्त हैं तथा कितने अर्ह लेखाकार हैं ? क्या उनकी नियुक्ति रिक्त पद पर शासन स्तर पर विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य–

नगर पालिका प्रथम व द्वितीय श्रेणी तथा नगर महापालिकाओं में सम्प्रति लेखाकार का कोई पद रिक्त नहीं है । इन निकायों में 95 अर्ह लेखाकार कार्यरत हैं ।

चूंकि लेखाकार का कोई पद रिक्त नहीं है, अतः नियुक्ति का प्रश्न नहीं है ।

इलाहाबाद क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के विरुद्ध शिकायती पत्र

100–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी की मनमानी, दुर्व्यवहार, वित्तीय अनियमितताओं संबंधी कोई शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा 1 नवम्बर, 88 को दिया गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या खेल एवं जनहित में ऐसे अधिकारी को तत्काल हटाकर, जांच कराने व दण्डित करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी इलाहाबाद के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं और दुर्व्यवहार संबंधी शिकायती पत्र दिनांक 17 नवम्बर, 1988, जो माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ।

शिकायत की जांच की जा रही है । जांच पूर्ण हो जाने के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

नगरपालिका शाहगंज जनपद जौनपुर में कार्यरत दैनिक वेतन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

101–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका शाहगंज जनपद जौनपुर के अन्तर्गत कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी दैनिक वेतन पर किसके आदेश से किस-किस वर्ष से कार्यरत हैं और कितना राजकोष धन का दुरुपयोग इन पर किया गया ? क्या दैनिक वेतन पर रखने वाले अधिकारी जिन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, के विरुद्ध कार्यवाही करने पर शासन विचार करेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

कार्य की महती आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए निवर्तमान प्रशासक/जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 26-12-82 द्वारा 3 मुहर्रिर 3 चपरासी तथा आदेश दिनांक 7-9-84 के अनुपालन में 3 स्वच्छक एवं प्रभारी अधिकारी के आदेश दिनांक 30-5-85 के द्वारा एक मुहर्रिर कर वसूली हेतु एवं प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी/प्रशासक के आदेश द्वारा दिनांक 1-11-88 से 2 पम्प आपरेटर व एक चपरासी की दैनिक वेतन पर नियुक्ति की गयी ।

दिनांक 31-12-88 तक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर रु0 1,90,590/-व्यय हो चुका है ।

उपरोक्त नियुक्तियों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है । स्पष्टीकरण प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र अनुभागीय मुख्य लिपिक जिला परिषद् इटावा के प्रोन्नत का मामला

102–श्री आसान सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4 अक्टूबर, 1988 संलग्नक सहित श्री रमेश चन्द्र मिश्र अनुभागीय मुख्य लिपिक जिला परिषद् इटावा को कार्यालय अधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किये जाने विषयक प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां, श्री रमेश चन्द्र मिश्र, अनुभागीय मुख्य लिपिक ने जिला परिषद् इटावा में कार्यालय अधीक्षक के पद पर श्री मुन्नालाल की हुई पदोन्नति के विरुद्ध अपील/अभ्यावेदन मंडलायुक्त को प्रस्तुत किया है क्योंकि उ0 प्र0 जिला परिषद् सेवा नियमावली 1970 के नियम 41(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत इस प्रकार की अपील/अभ्यावेदन पर निर्णय लिए जाने का अधिकार मंडलायुक्त में निहित है । मंडलायुक्त द्वारा निर्णय लिए जाने के पश्चात ही शासन द्वारा कार्यवाही किया जाना सम्भव है ।

बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा मेसर्स दिग्विजय पाल सिंह एण्ड कम्पनी की रजिस्ट्रेशन फाइल तथा कान्ट्रेक्ट बान्ड नं0 3 गायब करने की शिकायत

103–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने मेसर्स दिग्विजयपाल सिंह एण्ड कम्पनी की रजिस्ट्रेशन फाइल तथा इसी फर्म का कान्ट्रेक्ट बाण्ड नं0 3 को गायब कर दिया है ? यदि हां, तो अब तक इस विषय में क्या कार्यवाही की गई ? क्या इस मामले की एफ0 आई0 आर0 पुलिस में दर्ज की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां । पत्रावली उपलब्ध नहीं है और प्रश्नगत प्रकरण की जांच खण्ड अधिकारी अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश, बरेली द्वारा की जा रही है ।

नगर महापालिका बरेली के सामने, वर्ष 1986-87 में बनी कतिपय दुकानों के संबंध में शिकायत

104–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर महापालिका बरेली के सामने 35 दुकानों का निर्माण हुआ था और निर्माण के दो वर्ष के अन्दर ही वे बुरी तरह टपकने लगी व दीवारों व छतों में क्रेक आ गये हैं व सभी दुकानें जर्जर हालत में पहुंच गयी हैं ? यदि हां, तो इस निर्माण में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

नगर महापालिका बरेली कार्यालय के सामने वर्ष 1986-87 में 36 दुकानों का निर्माण हुआ था । यह दुकानें न तो टपक रही हैं और न ही इनकी दीवार व छतों में कोई क्रैक आया है । यह समस्त दुकानें ठीक हालत में हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाल मंदिर, जिला परिषद् बरेली की सेवा निवृत्त सहायक अध्यापिका श्रीमती वासन्ती सिंह की पेंशन आदि का भुगतान

105–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती वासन्ती सिंह जून, 1986 में सहायक अध्यापिका के पद से बाल मन्दिर जिला परिषद् बरेली से 29 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर्ड हुई थीं किन्तु अभी तक उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी श्रीमती सिंह को पेंशन, ग्रेच्युटी व अन्य लाभ दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जिला परिषद् कर्मचारी सेवा निवृत्त लाभ नियमावली, 1972 के नियम 3(2) के अन्तर्गत शिक्षण कर्मचारियों पर उक्त नियम प्रभावी नहीं है। अतः श्रीमती वासन्ती सिंह सेवा निवृत्त अध्यापिका को पेंशन आदि अनुमन्य नहीं है । नियमानुसार इनकी भविष्य निधि का भुगतान अंशदान सहित किया जा चुका है।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधोगंज तथा शिवराम द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों का जीर्णोद्धार

106–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि द्वितीय सत्र 88 के पहले सोम के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0–146 के उत्तर के सन्दर्भ में अब तक कितनी प्रगति हुई ? यदि प्रगति नहीं हुई, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

विकास खण्ड माधौगंज स्थित प्रताप नगर रोड से बरैयन पुरवा सम्पर्क मार्ग एवं विकास खण्ड बिलग्राम स्थित हबीबपुर से रैना सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का प्रस्ताव गवर्निंग बाडी की बैठक 26-11-88 को स्वीकृत हुआ था । इन सड़कों पर मरम्मत हेतु क्रमशः 1.78 लाख रु0, 1.29 लाख रु0 के आगणन तैयार किये गये तथा पूर्ण धनराशि आवंटित कर दी गई है । प्रताप नगर रोड से बरैयन पुरवा सम्पर्क मार्ग पर नया खड़न्जा लगाने हेतु पुराने खड़न्जे की डिस्मेटलिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा हबीबपुर से रैना सम्पर्क मार्ग पर लगभग 200 मीटर की लम्बाई की मिट्टी का मरम्मत कार्य कराया जा चुका है ।

विद्युत अनुरक्षण व स्थापना हेतु अवर अभियन्ता के पद सृजित करने वाली नगरपालिकाओं का विवरण

107–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितनी नगरपालिकायें व टाउन एरियायें ऐसी है, जहां विद्युत अनुरक्षण व स्थापना हेतु विद्युत अवर अभियंता का पद सृजित किया गया है ? नगर पालिकाओं में विद्युत अवर अभियंता के नये पद के सृजन हेतु विद्युत का प्रतिवर्ष कितने लाख रुपए का कार्य होना आवश्यक है ? क्या यह सही है कि नगरों में सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था अस्त-व्यस्त रहने का एक कारण वहां कोई तकनीकी विद्युत इंजीनियर की नियुक्ति न होना भी है ? यदि हां, तो शासन द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

अवर अभियन्ता विद्युत का पद उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) संवा में सम्मिलित न होने के कारण यह सूचना शासन स्तर पर उपलब्ध नहीं है ।

160 नगर पालिकाओं तथा 170 नगर क्षेत्र समितियों से प्राप्त सूचना के अनुसार वहां पर विद्युत अवर अभियन्ता के पद सृजित नहीं हैं । शेष नगर पालिकाओं तथा नगर क्षेत्र समितियों से सूचना एकत्र की जा रही है । विद्युत अवर अभियन्ता के पद सृजन हेतु कोई मानक निर्धारित नहीं है । कुछ नगर महापालिकाओं में जहां अवर अभियन्ता, विद्युत के पद सृजित हैं वहां पर बल्ब, ट्यूब लाइट्स आदि की आपूर्ति/बदलाव व उनके निरीक्षण का कार्य इन अवर अभियन्ताओं द्वारा किया जाता है । नगरों की प्रकाश व्यवस्था मुख्यतः विद्युत विभाग द्वारा देखी जाती है । प्रकाश स्तम्भों पर ट्यूब लाइट व बल्ब आदि नगर स्थानीय निकायों द्वारा लगवाया जाता है । जिन नगर निकायों में प्रकाश निरीक्षक या लाईन मैन के भी पद सृजित नहीं हैं, वहां विद्युत विभाग द्वारा ही मार्ग प्रकाश व्यवस्था देखी जा रही है । शासन स्तर पर इस समय कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

108–श्री शारदा प्रताप –

[दि0 3-10-88 को अता0 प्र0 सं0 70 द्वारा उत्तरित]

ग्राम्य विकास प्राधिकरण मुरादाबाद द्वारा एन0 पी0-2 के पाइप की खरीद एवं उसका भुगतान

109–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा एन0 पी0-2, आर0 सी0 सी0 ह्यूम पाइप खरीदने के क्या आदेश हैं और उनके ढुलाई चार्ज की निश्चित दरें क्या हैं तथा उनके भुगतान के लिए क्या किसी टेक्निकल रिपोर्ट का होना आवश्यक है ? यदि हां, तो 1986-87, 1987-88 में साई पाईप फैक्टरी, मूढ़ा पाण्डे जनपद मुरादाबाद से ग्राम्य विकास अभिकरण मुरादाबाद द्वारा एन0 पी-2 पाइप खरीदा गया है और उसका भुगतान हुआ ? यदि हां, तो उसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

एन0 पी0-2 आर0 सी0 सी0 ह्यूम पाईप के क्रय के लिए रेट कान्ट्रैक्ट के गजट नोटीफिकेशन के द्वारा ढुलाई चार्जेज की दर 4 प्रतिशत निर्धारित की गई । ढुलाई चार्जेज के भुगतान के लिए किसी टेक्निकल रिपोर्ट का होना आवश्यक नहीं है । वर्ष 1986-87 तथा वर्ष 1987-88 में जनपद मुरादाबाद में मेसर्स साई पाईप फैक्ट्री मूढ़ा पाण्डे से जिला ग्राम्य विकास अभिकरण मुरादाबाद द्वारा क्रय किये गये पाईप की ढुलाई चार्जेज का भुगतान न्यूनतम कोटेशन के आधार पर किया गया । रेट कान्ट्रैक्ट द्वारा निर्धारित 4 प्रतिशत की दर की जानकारी होने पर फर्म को किए गए रु0 20,529·30 पैसे की अधिक भुगतान की वसूली कर ली गई है । इसमें किसी अधिकारी का दुराशय नहीं पाया गया । अतः कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

विकास क्षेत्र मूढ़ा पाण्डे में कार्यरत फारेस्ट गार्ड कुन्दन सिंह तथा वन दरोगा श्री रमेश चन्द्र के खिलाफ शिकायती पत्र

110–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत श्री रईसुद्दीन द्वारा दिनांक 17-3-88 व 8-4-88 को विकास क्षेत्र मूढ़ा पाण्डे में कार्यरत फारेस्ट गार्ड कुन्दन सिंह व वन दरोगा श्री रमेश चन्द्र के खिलाफ शिकायती प्रार्थना-पत्र उप-निदेशक, सामाजिक वानिकी, मुरादाबाद को दिए गए थे ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अजीत प्रताप सिंह–

श्री रईसुद्दीन निवासी सकट नगला, ब्लाक मूढ़ा पाण्डे, जिला मुरादाबाद का दिनांक 17-3-1988 का कोई शिकायती पत्र प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ, श्री रईसउद्दीन का दिनांक 8-4-1988 का एक शिकायती पत्र प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद के

कार्यालय में प्राप्त हुआ था। यह शिकायती पत्र मुरादाबाद राजि के अन्तर्गत विकास खण्ड मुढ़ापाण्डे के क्षेत्र में कार्यरत श्री रमेश चन्द्र राठौर, वनविद तथा श्री कुन्दन सिंह, वन रक्षक के विरुद्ध था। इस शिकायती पत्र के प्राप्त होने पर इसकी जांच राजपत्रित अधिकारी द्वारा की गयी, जांच कराने पर शिकायती पत्र में उल्लिखित कथित शिकायतें मिथ्या एवं निराधार पाई गयीं।

111–113–श्री मैनेजर सिंह–

[मा0 सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

रतनसेन डिग्री कालेज, बांसी, बस्ती की प्राभूत सम्पत्ति की अवैध रजिस्ट्री विषयक सूचना

114–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

तृतीय सत्र 87 के प्रथम सोमवार को (4 जनवरी, 88) के अता0 प्र0 सं0 69 में रतनसेन डिग्री कालेज, बांसी के प्राभूत सम्पत्ति के रूप में उल्लिखित 8 एकड़ भूमि जिसमें, कालेज का नवीन भवन स्थित है के सन्दर्भ में मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त भूमि तहसील रिकार्ड में क्या रतन सेन डिग्री कालेज, बांसी, जनपद बस्ती के नाम दर्ज है? यदि हां, तो उक्त भूमि कालेज के नाम किस तिथि को किसकी द्वारा रजिस्ट्री की गई? यदि नहीं, तो संदर्भित प्रश्न में कथित भूमि को किस आधार पर कालेज की प्राभूत सम्पत्ति बतायी गयी है? क्या मंत्री जी सम्पूर्ण प्रकरण की सूक्ष्मता से जांच कराकर गलत सूचना देने वालों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भूमि पर कालेज का भवन निर्मित है एवं परिसर पर कालेज व्यावहारिक रूप से काबिज है। कोई गलत सूचना नहीं दी गई थी।

रतन सेन डिग्री कालेज, बांसी, बस्ती के वेतन संवाय खाता बन्द होने से उत्पन्न स्थिति

115–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या रतन सेन डिग्री कालेज बांसी, जनपद बस्ती के दो वेतन संदाय खाता सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा प्रतापपुर और जिला सहकारी बैंक लि0, बांसी, जनपद बस्ती में है और जिला सहकारी बैंक

लिमिटेड बांसी (बस्ती) का वेतन संदाय खाता पिछले कई वर्षों से ठप्प पड़ा है ? यदि हां, तो एक ही संस्था का दो वेतन संदाय खाता किन कारणों से है और किन कारणों से जिला सहकारी बैंक लि0, बांसी के वेतन संदाय खाते में हजारों रु0 बेकार पड़ा है ? क्या कालेज के अब तक हुए आडिट में उक्त दो वेतन संदाय खाते की जांच की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त संस्था का जून, 88 में स्पेशल आडिट कराया गया ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव दिनांक 14-11-81 के आधार पर निर्णय लिया गया कि जिला सहकारी बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है अतएव खाता सेन्ट्रल बैंक में खोला जाये । अतः दिनांक 4-6-82 को वेतन संदाय खाता सेन्ट्रल बैंक में खोला गया । जिला सहकारी बैंक का खाता बन्द करने की कार्यवाही की जा रही है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

आडिट रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

रतन सेन डिग्री कालेज, बांसी, बस्ती के पुराने भवन को लान व फील्ड सहित प्राचार्य की माता के नाम रजिस्ट्री

116–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रतन सेन डिग्री कालेज, बांसी, जनपद बस्ती के पुराने भवन, लान व फील्ड सहित जिसकी मालियत लाखों रुपये है प्रबन्ध समिति के आदेशानुसार प्राचार्य ने प्रबन्धक की मां के नाम 31 मार्च, 1983 को रजिस्ट्री संख्या 1225 सब रजिस्ट्रार कार्यालय बांसी में मात्र चालीस हजार में बेंच दी है ? यदि हां, तो उक्त बेचीनामा द्वारा कालेज की अचल सम्पत्ति को कितनी क्षति हुई है ? कालेज की इस अपूर्णनीय क्षति के लिए उत्तरदायी प्रबन्ध एवं प्राचार्य के विरुद्ध शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

यह सही है कि प्राचार्य ने प्रश्न में उल्लिखित भूमि व भवन प्रबन्धक की मां के नाम चालीस हजार रुपये में बेंच दी है । सार्वजनिक निर्माण विभाग, बस्ती द्वारा भवन की कीमत शून्य आंकी गई है । भूमि के मूल्य की जानकारी की जा रही है।

शिक्षा निदेशक को इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दे दिए गए हैं ।

रतन सेन डिग्री कालेज, बांसी की सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण

117–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

तृतीय सत्र 87 के प्रथम सोमवार (4 जनवरी, 1988) के अतारांकित प्रश्न संख्या 71 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री रतन सेन डिग्री कालेज, बांसी, बस्ती की प्रबन्ध समिति के उस संविधान की (जिसमें सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अधीन रजिस्ट्रेशन से मुक्त दर्शाया गया है) प्रमाणित प्रति संदर्भित शासनादेश दिनांक 16-11-1923 तथा उ0 प्र0 गजट दिनांक 19-11-1966 की प्रतियों के साथ क्या मंत्री जी सदन के पटल पर प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ? क्या उपर्युक्त संविधान पर वि0 विद्यालय अधिनियम, 1973 और गोरखपुर विश्वविद्यालय परिनियमावली, 1977 के प्राविधान लागू होते हैं ? यदि हां, तो उपर्युक्त अधिनियम एवं परिनियमावली के अनुसार उक्त संविधान में किन-किन तिथियों में कौन-कौन संशोधन किये गये तथा उन संशोधनों को कुलपति, गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा किन तिथियों को अनुमोदित किया गया ? क्या मंत्री महोदय उक्त संशोधनों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्रश्नगत अभिलेखों की फोटो प्रति मेरे कार्यालय कक्ष में अवलोकनार्थ उपलब्ध है तथा सत्र की अवधि में किसी समय देखी जा सकती है । यह एक विधिक प्रश्न है ।

कोई संशोधन नहीं किए गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खमोली पेयजल योजना टिहरी गढ़वाल के संबंध में विस्तृत विवरण

118–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित खमोली पेय जल योजना पर जल निगम द्वारा कितना खर्चा किया गया? यह योजना किस सन् में तैयार की गई? क्या इस योजना द्वारा कभी पानी उपलब्ध हुआ है ? यदि पानी नहीं उपलब्ध हुआ है तो क्या शासन ने इसकी जांच कराई है ? यदि हां, तो क्या विभागीय कदम इस योजना को ठीक कराने के लिए उठाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

खमोली पेयजल योजना पर 6.352 लाख रुपया व्यय हुआ है।

यह योजना वर्ष 1985-86 में तैयार की गयी ।

जी हां ।

पानी चलाया गया परन्तु वर्ष 1985–86 के भयंकर सूखे से स्रोत सूख जाने के कारण तदुपरान्त योजना 1985–86 की वर्षा से क्षतिग्रस्त होने के कारण बन्द हुई। वैकल्पिक स्रोत हेतु जांच करायी गयी । अन्यत्र स्रोत जोड़ने हेतु सर्वेक्षण किया गया तथा प्राक्कलन विचाराधीन है ।

जनपद बहराइच श्री पूरन चन्द्र गोयल प्रबन्धक, श्री सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रिसिया द्वारा अनुचित फीस लिए जाने की शिकायत

119–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रिसिया जिला बहराइच के प्रबन्धक (श्री पूरन चन्द्र गोयल) द्वारा वर्ष 1982-83 से लगभग प्रति वर्ष विद्यार्थियों के विद्यालय प्रवेश के समय अनुचित धन रु0 1,101 75 रु0 लेने की शिकायत श्री मनोरम व बदलू ने जिला विद्यालय निरीक्षक, बहराइच को जुलाई, 1988 में किया है तथा सचेतक रिसिया जिला बहराइच ने भी दिनांक 1-9-88 के कथित मैनेजर द्वारा अनुचित धन लेने की एक सूची मंत्री जी को भी भेजी गई है ? यदि हां, तो सूचीबद्ध विद्यार्थियों/अभिभावकों एवं शिकायतकर्ताओं से पूछ-ताछ के आधार पर कोई जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो कब तक कराई जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

प्रश्न में उल्लिखित सूची प्राप्त नहीं हुई है ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, बहराइच द्वारा जांच की जा रही है ।

ग्राम सभा सेमरा मुतालिके चिखड़ी तथा ग्राम सभा आदिलपुर विकास खण्ड हरिगंटनगंज फैजाबाद की मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत

120–श्री मित्रसेन—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा सेमरा मुतालिके चिखड़ी तथा ग्राम सभा आदिलपुर वि0 ख0 हरिगंटनपुर फैजाबाद की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी एवं अनियमितता के संबंध में श्री जगत नरायन तिवारी आदिलपुर तथा श्री जगप्रसाद, देव बक्श सिंह, रामदास सेमरा द्वारा तहसीलदार/परगनाधिकारी बीकापुर फैजाबाद को शिकायतें जून, 88 में प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उनमें जांच किसके द्वारा कराई गई ? क्या यह सही है कि जांच सही न होने के कारण बहुत से मतदाता अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित रह गये हैं ? तो क्या पुन: जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूगर्भ जल विभाग के प्राविधिक सहायकों की वरिष्ठता सूची प्रकाशित न किये जाने की शिकायत

121–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूगर्भ जल विभाग के प्राविधिक सहायकों की वरिष्ठता सूची प्रकाशित न किए जाने का क्या कारण है ? सूची कब तक प्रकाशित कर दी जायेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

भूगर्भ जल विभाग के प्राविधिक सहायकों की वरिष्ठता सूची को अनन्तिम रूप दिए जाने की कार्यवाही लगभग पूर्ण की जा चुकी है । अनन्तिम वरिष्ठता सूची के प्रकाशन के उपरान्त निर्धारित कार्यवाही पूर्ण करके शीघ्र अनन्तिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जाएगी ।

भूगर्भ जल विभाग में ज्योलोजी संवर्ग में तदर्थ रूप से कार्यरत कर्मचारियों का मामला

122—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बतायेंगे कि भूगर्भ जल विभाग में ज्योलोजी संवर्ग में में द्वितीय श्रेणी के पद पर कितने अधिकारी तदर्थ रूप में कार्य कर रहे हैं ? इनकी नियुक्ति किस-किस संवर्ग के विरुद्ध की गई है ? क्या ये सभी पद सीधी भर्ती के कोटे के हैं या आरक्षण तथा पदोन्नति कोटे के हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

भूगर्भ जल विभाग में ज्योलोजी संवर्ग में द्वितीय श्रेणी के पदों पर वर्तमान समय में कुल 12 अधिकारी तदर्थ रूप से नियुक्त होकर कार्यरत हैं ।

इनमें से 5 अधिकारियों की नियुक्ति दूसरे संवर्ग अर्थात् 3 जियोफिजिक्स संवर्ग के विरुद्ध एवं 2 सिविल संवर्ग के विरुद्ध की गयी थी ।

उक्त सभी तदर्थ रूप से कार्यरत अधिकारियों के 12 पदों में से 6 पद पदोन्नत कोटे के अन्तर्गत आते हैं तथा शेष पद सीधी भर्ती के हैं । जिसमें से पद आरक्षण श्रेणी में आते हैं ।

ग्राम समाज इण्टर कालेज जयनगर की प्रबन्ध समिति का कार्यकाल

123—श्री राम बदन (एडवोकेट)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम समाज इण्टर कालेज जयनगर आजमगढ़ की प्रबन्ध समिति का कार्यकाल कब से समाप्त है तथा समिति का नवीनीकरण कब से नहीं हुआ ? क्या मंत्री जी उक्त विद्यालय की प्रबन्ध समिति का कार्यकाल एवं नवीनीकरण की तिथि बताने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रबन्ध समिति का कार्यकाल दिनांक 29-1-83 को समाप्त हो गया था । दिनांक 14-11-86 को जो चुनाव हुआ था उसे जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गयी किन्तु माननीय उच्च न्यायालय ने जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश को स्थगित कर दिया है । संस्था की समिति का नवीनीकरण नवम्बर 1982 से नहीं हुआ है । दिनांक 5-12-80 को संस्था की समिति का नवीनीकरण दिनांक 9-11-80 से दो वर्ष के लिए कराया गया था ।

उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध नेता विरोधी दल द्वारा भेजी गई शिकायतों पर कृत कार्यवाही की जांच

124—श्री रमेश चन्द्र उर्फ श्री रमेश यादव तथा श्री अचल सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 जल निगम के वर्तमान प्रबन्धक निदेशक द्वारा किये जा रहे कतिपय अनियमितताओं के संबंध में नेता विरोधी दल विधान सभा के कतिपय अनियमितताओं के संबंध में नेता विरोधी दल विधान सभा के कतिपय शिकायती पत्र क्रमशः दिनांक 15-6-88, 16-9-88, 1-10-88, 3-10-88, 18-10-88 उनको प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

शिकायती पत्र दिनांक 15-6-88 के अतिरिक्त प्रश्न में उल्लिखित शेष सभी शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं ।

शिकायती पत्रों में वर्णित आरोपों की जांच प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रबन्ध निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाये जाने का मामला

125—श्री रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव, श्री भोपाल सिंह तथा श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या सरकार को जानकारी है कि शासनादेश संख्या—5195/ब्यूरो-2-2(45)-79, दिनांक 14-12-79 के पैरा—4 (7) का उ0 प्र0 जल निगम में विधिवत् पालन न होने के कारण वहां के वरिष्ठ अधिकारियों में भारी असंतोष व्याप्त है ? क्या यह भी सही है कि वर्तमान प्रबन्ध निदेशक द्वारा बढ़ा हुआ कार्यकाल भी 25 अप्रैल, 88 को पूरा हो चुका है ? यदि हां, तो प्रबन्ध निदेशक उक्त दिनांक के बाद किसके आदेश से कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि प्रबन्ध निदेशक के तीनों बार सेवाकाल की बढ़ोत्तरी का अनुमोदन शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है ? क्या सरकार प्रश्नगत मामले में वर्ष 1986 से अब तक प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति में की गई धांधली की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

शासनादेश संख्या—5195/ब्यूरो-2-2(45)/79, दिनांक 14 दिसम्बर, 1979 के पैरा—4(7) का उत्तर प्रदेश जल निगम में पालन किया जा रहा है, अतः अधिकारियों में असंतोष व्याप्त होने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं, क्योंकि शासन के आदेश दिनांक 4 मई, 1988 के द्वारा जल निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति शासन के अग्रेतर आदेशों तक की गई है और इन्हीं आदेशों के अनुसार वे अपने पद पर कार्य कर रहे हैं ।

यह कहना सही नहीं है कि तीनों बार प्रबन्ध निदेशक, जल निगम के सेवाकाल की बढ़ोत्तरी का अनुमोदन शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है क्योंकि तीनों बार बढ़ोत्तरी का अनुमोदन शासन से हुआ है ।

चूंकि प्रबन्ध निदेशक, जल निगम की नियुक्ति विधिवत् की गई है, अतः किसी जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश जल निगम के मध्य क्षेत्र लखनऊ के अन्तर्गत वर्ष 1981 से लगे हैण्ड पाइप एवं उस पर व्यय की गयी धनराशि

126–डाक्टर बंगाली सिंह, श्री मयंकर सिंह तथा श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) जल निगम के अधिकार क्षेत्र में वर्ष 1981 से अब तक कितने नलकूप व हैण्ड पम्प लगाए गए ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन सभी नलकूप एवं हैण्ड पम्पों पर सरकार द्वारा जल निगम के माध्यम से कितना रुपया व्यय किया गया ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि भारी मात्रा में नलकूप और हैण्ड पम्प बनने के बाद असफल हो गये हैं जिससे न तो जनता का हित हुआ बल्कि सरकार की भारी धनराशि का अपव्यय हुआ ? क्या सरकार इस मामले की तकनीकी जांच कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मुख्य अभियन्ता मध्य क्षेत्र जल निगम द्वारा जिला फर्रुखाबाद में अनधिकृत रुपये से खरीदी गई भूमि का मामला

127–डाक्टर बंगाली सिंह, श्री अचल सिंह तथा श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मुख्य अभियन्ता मध्य क्षेत्र ने अपने पत्र संख्या–4582/मुख्य अभियन्ता (मध्य)/एम-750/4 दिनांक 17-12-85 के द्वारा डा0 बृजराज सिंह कौटियार, निवासी ग्राम मैसानी के चक संख्या 164 से 2·9 एकड़ जमीन रु0 6·50 लाख पर खरीदने हेतु संबंधित अधीनस्थ अधिकारी को आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि मुख्य अभियन्ता द्वारा दिनांक 24, 25, 26-12-85 को इस जमीन का निरीक्षण करते हुए पूर्ण सहमति के साथ तत्काल खरीद संबंधी कार्यवाही पूरी करने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए गये थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस कार्यालय भवन आवासीय कालोनी एवं निरीक्षण भवन हेतु भूमि मुख्य अभियन्ता को क्रय करने का अधिकार नहीं है और जिला अधिकारी फर्रुखाबाद के गोपनीय अर्द्धशासकीय पत्रांक-1296/अ-ले/जिलाधिकारी/के0 अहं0/वी0 (86-87) दिनांक 14-7-87 के अनुसार इस 2·9 एकड़ जमीन की वास्तविक कीमत 96 हजार लगभग बैठती है ? क्या यह भी सही है कि इसमें हुई अनियमितता के कारण एक अधीक्षण अभियन्ता, एक अधिशासी अभियन्ता, दो सहायक अभियन्ता दण्डित किये गये ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए मूलरूप से जिम्मेदार मुख्य अभियन्ता को भी निलम्बित करने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां । मुख्य अभियन्ता (मध्य) ने अपने पत्र संख्या–4582/मु0 अ0 (मध्य)/एम-750/4, दिनांक 17 दिसम्बर, 1985 द्वारा डा0 बृजराज सिंह कटियार की प्रश्नाधीन 1200 वर्ग मीटर भूमि रुपया 6.42 लाख में क्रय करने का मामला जल

निगम मुख्यालय को स्वीकृति हेतु भेजा था एवं प्रतिलिपि अधीक्षण अभियंता, निर्माण मण्डल, उत्तर प्रदेश जल निगम, कानपुर को इस आशय से प्रेषित की थी कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण करके भूमि क्रय की कार्यवाही करें ।

जी नहीं ।

जी हां । यह सत्य है कि प्रश्नगत भूमि क्रय करने की स्वीकृति देने का अधिकार मुख्य अभियन्ता को नहीं था, क्योंकि भूमि क्रय की कार्यवाही अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम की स्वीकृति एवं क्रय हेतु जल निगम मुख्यालय द्वारा विशिष्ट रूप से गठनोत्तर के बाद किए जाने का प्राविधान है । यह भी सही है कि जिलाधिकारी के संदर्भित पत्र दिनांक 14 जुलाई, 1987 के अनुसार इस 2.92 एकड़ के भू-खण्ड की वास्तविक कीमत रु0 96,360/-आती है ।

इस मामले में प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होने वाले एक अधीक्षण अभियंता, एक अधिशासी अभियन्ता एवं दो सहायक अभियन्ता को निलम्बित किया गया था । इन सभी अभियन्ताओं को आरोप-पत्र देकर अनुशासनिक जांच की जा रही है । अनुशासनिक जांच पूर्ण होने पर ही दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों को दण्डित किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

चूंकि मुख्य अभियन्ता (मध्य) इस मामले में मूलरूप से जिम्मेदार नहीं पाये गये, अतः उन्हें निलम्बित करने का औचित्य नहीं पाया गया, फिर भी इस मामले में उनका स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है जिस पर अन्य अधिकारियों के विरुद्ध प्रचलित अनुशासनिक जांच पूर्ण होने पर उसके परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत पर कार्यवाही की जानकारी

128–श्री भोपाल सिंह, श्री अचल सिंह, श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर), श्री बाबू राम यादव तथा श्री बलराम यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15-6-88 को 6 विधायकों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित कोई शिकायती पत्र उ0 प्र0 जल निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक द्वारा करोड़ों रुपये घोटाले करने के संबंध में उन्हें तथा विभागीय मंत्री व सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य–

जी हां ।

शिकायती पत्रों में वर्णित आरोपों की जांच प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश जल निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति में हुई धांधली

129–श्री अचल सिंह, श्री भोपाल सिंह तथा श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा, सदस्य श्री फूल कुंवर (एडवोकेट) का कोई पत्र जल निगम उ0 प्र0 के वर्तमान प्रबंध निदेशक की नियुक्ति में की गयी धांधलियों के संबंध में दिनांक 24-10-88 को मुख्य मंत्री उ0 प्र0 को सम्बोधित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायती पत्र में किन-किन बिन्दुओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया है तथा शासन ने इन पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती पत्र में मुख्यतया उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रबंध निदेशक श्री शिव कुमार शर्मा को अवैधानिक तरीके से प्रबंध निदेशक बनाये रखने , श्री शर्मा के विरुद्ध भ्रष्ट आचरण, करोड़ों रुपये के घोटाले, जनता के धन के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें की गयीं हैं तथा उन्हें प्रबंध निदेशक के पद से हटाने की मांग की गयी है । इन शिकायतों पर जांच प्रगति पर है ।

उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद/ लखनऊ में कतिपय पदों में आरक्षित जातियों का कोटा पूरा किये जाने की मांग

130–श्री दीपचन्द सोनकर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशालय, उ0 प्र0 इलाहाबाद/ लखनऊ में कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ सहायक, आशुलिपिक, अधीक्षक ग्रेड–2 तथा अधीक्षक ग्रेड-1 के कितने-कितने पद शासन द्वारा अब तक स्वीकृत हैं और इन पदों पर कार्यरत अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की कितनी-कितनी संख्या है ? क्या सरकार उक्त वर्ग के कर्मचारियों को उनके कार्यरत पदों पर शीघ्र स्थायी किये जाने तथा आरक्षित कोटा पूर्ण कराये जाने हेतु कोई ठोस कदम उठायेगी ? क्या आरक्षण कोटा पूरा करने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र कुमार उपमंत्री सहित पांच विधायकों का 7 अक्टूबर, 1988 का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

विवरण निम्नवत है :–

पद का नाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत की संख्या	कार्यरत अनुसूचित जाति की संख्या	कार्यरत अनुसूचित जनजाति की संख्या
1–कनिष्ठ लिपिक ..	188	131	15	---
2–वरिष्ठ लिपिक ..	160	160	33	---
3–वरिष्ठ सहायक ..	159	141	02	---
4–आशुलिपिक संबद्ध शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 ..	2	2	---	---
5–आशुलिपिक श्रेणी (1) ..	46	43	03	---
6–आशुलिपिक श्रेणी (2) ..	3	3	---	---
7–अधीक्षक ग्रेड (2)	54	53	03	---
8–अधीक्षक ग्रेड (1) ..	9	9	---	---

भविष्य में की जाने वाली नियुक्तियों के समय शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

पत्र प्राप्ति की पुष्टि नहीं हो सकी ।

नगरपालिका शाहगंज, जौनपुर के अन्तर्गत आजमगढ़ रोड पर बनी चुंगी के बारे में विवरण की मांग

131–श्री दीपचन्द्र सोनकर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर नगरपालिका शाहगंज के अंतर्गत आजमगढ़ रोड पर स्थित भादी चुंगी जो वर्ष 1975–76 में बनी थी, वह किस आराजी नम्बर में बनी थी तथा कितने लागत से बनी थी ? क्या उस भूमि पर आज भी चुंगी है ? यदि हां, तो कितने वर्ग फिट में ? यदि नहीं तो क्या इसे किसी दूसरे को आवंटित कर दिया गया है? यदि हां, तो उसका नाम, पता व पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

वर्ष 1967 में निवर्तमान नोटीफाइड एरिया कमेटी, शाहगंज द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग मार्ग की पटरी पर आराजी संख्या–3626/2 में एक कमरे का चुंगी भवन बनवाया गया था जिसकी लम्बाई चौड़ाई तथा निर्माण लागत पुराने अभिलेखों के अभाव में बताया जा सकना संभव नहीं है ।

जी नहीं । उक्त चुंगी भवन के बगल में पानी से भरा एक गहरा गड्ढ़ा था अतएव वर्ष 1983 में वह गिर गया और उसके मलबे को सार्वजनिक रूप से नीलाम कर दिया गया।

आराजी सड़क होने के कारण उसके आवंटन का प्रश्न नहीं उठता ।

अधीक्षण अभियंता झांसी मंडल तथा नैनीताल मंडल द्वारा वर्ष 1984 में की गयी बोरिंग के रेट में भिन्नता

132–डाक्टर बंगाली सिंह तथा श्री भोपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जल निगम के मुख्य अभियंता, मध्य जोन के अंतर्गत कार्यरत अधीक्षण अभियंता, झांसी मंडल द्वारा 1984 में बोरिंग के रेट 84 रु0 प्रति मीटर स्वीकृत की थी एवं इसी प्रकार की मिट्टी में उस समय में बीसलपुर, जिला नैनीताल क्षेत्र में , वहां के अधीक्षण अभियंता द्वारा उसी कार्यालय में 30 रुपये प्रति मीटर की दर से बोरिंग की दरें स्वीकृत की थी ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि 1987 में झांसी मंडल के अधीक्षण अभियंता द्वारा उसी प्रकार के बोरिंग के लिए 47 रु0 प्रति मीटर की दरें स्वीकृत करके बोरिंग करायी गयी थीं ? क्या शासन को इस संबंध में 1987–88 एवं 1988-89 में इस प्रकरण में 62 लाख की सरकार को हानि होने की शिकायत मिली है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

वर्ष 1984 में अधीक्षण अभियंता (पंचम मण्डल) झांसी द्वारा ऐसी कोई दर स्वीकृत नहीं की गयी ।

बीसलपुर, जनपद नैनीताल में नहीं है । बीसलपुर विकास खण्ड जनपद पीलीभीत में 83–84 में बोरिंग की दरें लगभग रु0 40.00 प्रति मीटर थीं । जनपद पीलीभीत के विकास खण्ड बीसलपुर में एवं बुन्देलखण्ड में भिन्न प्रकार की मिट्टी है ।

ऐसी कोई दर स्वीकृत करके बोरिंग नहीं करायी गयी है ।

एक शिकायती पत्र दिनांक 3-6-88 प्राप्त हुआ है। इसमें एक बिन्दु प्रश्न में दिये गये विषय से मिलता है जिसमें रु0 68.4 लाख की हानि का उल्लेख है।

शिकायत सही नहीं पायी गयी ।

कोटद्वार वन प्रभाग से सेवा निवृत्त रेंज आफिसर श्री शिव चरण प्रसाद के पेंशन भविष्य निधि आदि देयों का भुगतान

133–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि श्री शिव चरण प्रसाद बुढ़ाकोठी रेंज आफिसर श्यामपुर रेंज बिजनौर वन प्रभाग (कोटद्वार) से 31 मार्च, 1988 से सेवानिवृत्त हो गये हैं ? क्या उक्त अधिकारी को विभाग द्वारा भविष्य निधि , पेंशन तथा सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत कर भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विभाग द्वारा कब तक उक्त भुगतान किया जायेगा ?

श्री अजीत प्रताप सिंह–

जी हां । श्री बुढ़ाकोठी को पेंशन ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा चुका है। श्री बुढ़ाकोठी को 90 प्रतिशत सामान्य भविष्य निर्वाह निधि का भुगतान भी कर दिया गया है, शेष 10 प्रतिशत भुगतान के आदेश महालेखाकार से जारी किये जायेंगे । श्री बुढ़ाकोठी उप वन संरक्षक को दिनांक 5 मार्च , 1973 द्वारा वन रक्षिक के पद पर नितान्त अस्थायी तौर पर पदोन्नति की गयी जो कि नियमित नियुक्ति नहीं थी । अतः वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 6 नवम्बर, 1985 के अनुसार नियमित नियुक्ति न होने के कारण इनको सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य नहीं है।

134–श्री मैनेजर सिंह–

[प्रा0 सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

जिला सहकारी बैंक बस्ती के कतिपय कर्मचारियों की नियुक्तियां एवं पदोन्नति

135–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

प्रथम सत्र 88 के तीसरे बृहस्पतिवार के अता0 प्र0 सं0-53 के उत्तर में क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब दि0 25-7-72 के पश्चात् पदोन्नति एवं नियुक्ति का अधिकार सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल को है, तो जिला सहकारी बैंक, बस्ती से सम्बन्धित श्रम न्यायालय गोरखपुर के श्रम विवाद सं0 285/73 में 29-3-74 को स्थानीय बैंक प्रबन्धक समिति द्वारा कर्मचारियों को पदोन्नति के संबंध में किये समझौते से सम्बन्धित कर्मचारियों की 1-7-73 से की गयी पदोन्नति किस प्रकार वैध मानी जायेगी? क्या उक्त अवधि में पदोन्नति सम्बन्धी अधिकार स्थानीय बैंक प्रबन्ध समिति को था?

श्री समर पाल सिंह–

इन कर्मचारियों की पदोन्नति वैध माने जाने सम्बन्धी मामला सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल के स्तर पर विचाराधीन है।

जी नहीं।

उक्त अवधि में पदोन्नति सम्बन्धी अधिकार सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल लखनऊ को था ।

रतनसेन डिग्री कालेज बांसी बस्ती में 1987-88 में बी0 एड0 के प्रवेश में प्राचार्य द्वारा की गई कथित धांधली की शिकायत

136–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1987-88 में रतन सेन डिग्री कालेज, बांसी, बस्ती में प्रविष्ट बी0 एड0 के छात्रों ने प्राचार्य द्वारा अवैध धन उगाही किये जाने की शिकायत कुलपति, गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं जिलाधिकारी, बस्ती से की थी? यदि हां, तो प्राचार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

परगना अधिकारी बासी द्वारा की गई जांच में धन उगाही की शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई। अतः प्राचार्य के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जिला सहकारी बैंक बस्ती द्वारा पांच कर्मचारियों की पदोन्नति को नियमित किये जाने का औचित्य

137–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

प्रथम सत्र 88 के तीसरे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न सं0-55 के उत्तर के संदर्भ में क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि0, बस्ती में कर्मचारियों की पदोन्नति 1-7-73 से माने जाने की प्रक्रिया श्रम न्यायालय गोरखपुर द्वारा अवैध माने जाने पर भी इन कर्मचारियों को दिना वैध पदोन्नति के वर्ग-2 'क' में क्यों रखा गया है? क्या यह सही है कि पदोन्नति अवैध होने की दशा में सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल के परिपत्र संख्या सी0 8/मण्डल/19/84, दि0 28-5-82 के अनुसार इन कर्मचारियों को नियमतः 25-7-72 के पूर्व स्थित अर्थात् वर्ग-3 में रखना चाहिए? यदि हां, तो उल्लंघन किये जाने का क्या कारण है?

श्री समर पाल सिंह–

इन कर्मचारियों को वर्ग-2 'क' में रखे जाने सम्बन्धी मामला सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल स्तर के विचाराधीन है।

इन कर्मचारियों को वर्ग-2 'क' में रखे जाने का आधार इन कर्मचारियों के 28-3-72/29-3-72 से शाखा, प्रभारी के रूप में कार्य करने, श्रम न्यायालय गोरखपुर में श्रम विवाद संख्या 285/73 में कर्मचारियों तथा बैंक प्रबंधक के बीच हुआ समझौता (जिसमें उन्हें शाखा प्रभारी के रूप में कार्य करने की तिथि से शाखा प्रबंधक पद का वेतन देने तथा 1-7-73 से शाखा प्रबंधक माना जाना) रहा है।

वर्ष 80 में एक वरिष्ठता सूची बनी थी जिसमें इन कर्मचारियों को वर्ग-2 में रखा गया था। सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल के पत्रांक 2337/मण्डल/9/84-85 दिनांक 11-6-85 के बिन्दु 4 में यह निर्देश था कि यदि 30-7-83 के पूर्व कोई वरिष्ठता सूची बनी है तो वह यथावत रहेगी अतः इस आधार पर वर्ष 1985 में बनायी जाने वाली वरिष्ठता सूची में इन कर्मचारियों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया क्योंकि यह कर्मचारी वर्ष 80 में बनी सूची में इसी वर्ग में रखे गये थे।

पदोन्नति अवैध होने सम्बन्धी मामला सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल स्तर पर विचाराधीन है।

सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल के परिपत्र सं0 सी-08/मंडल/9/84 दिनांक 28-5-82 में यह निर्देश है कि ऐसे कर्मचारियों जिनकी पदोन्नति मंडल से नहीं की गयी है उन्हें उसी स्थान एवं क्रमांक पर रखना होगा जिस पर वे मण्डल के गठन के पूर्व कार्यरत थे। श्रम विवाद सं0 285/73 में हुयें समझौते के अनुसार इन कर्मचारियों को 28/29-3-72 (शाखा प्रभारी के रूप में कार्य करने की तिथि) से शाखा प्रबंधक का वेतनमान दिया गया अतः इन्हें मंडल के गठन (25-7-72) से पूर्व शाखा प्रबंधक वर्ग में कार्यरत मानकर शाखा प्रबंधक वर्ग में रखा गया है।

रतन सेन डिग्री कालेज बांसी, बस्ती के प्राचार्य द्वारा अवैध ढंग से बी0 एड0 में प्रवेश तथा प्रभूत सम्पत्ति की अवैध रजिस्ट्री

138–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

तृतीय सत्र 87 के प्रथम सोमवार के (4 जनवरी, 88) के अता0 प्र0 सं0-69 में रतन सेन डिग्री कालेज, बांसी, जनपद बस्ती के प्राभूत सम्पत्ति के रूप में ग्राम गोन्हा तथा ग्राम बसहिया की जिस कथित कृषि योग्य भूमि का उल्लेख किया गया है, के सन्दर्भ में मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त भूमि बांसी तहसील के रिकार्ड में रतन सेन डिग्री कालेज, बांसी (बस्ती) के नाम दर्ज है ? यदि हां, तो उक्त भूमि के अलग-अलग प्लाट नम्बर और रकबे क्या है ? यदि नहीं, तो संदर्भित प्रश्न में गलत सूचना देने के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

ग्राम गोनहा तथा ग्राम बसहिया की संदर्भित भूमि तहसील अभिलेखों में डिग्री कालेज के नाम दर्ज नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

संदर्भित प्रश्न में कोई गलत सूचना नहीं दी गई थी।

राजकीय बालिका इण्टर कालेज गोसाईगंज फैजाबाद में कतिपय नये सेक्शन एवं नये कमरों के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र

139–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में स्थित राजकीय बालिका इण्टर कालेज, गोसाईगंज की समस्याओं के बारे में जिला अधिकारी, फैजाबाद को संबोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 23-7-88 का पत्र शासन को मिल गया है? यदि हां, तो नये सेक्शन तथा नये विषय खोलकर और नये कमरों का निर्माण कराकर छात्राओं की समस्याओं का निराकरण करने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

हां।

जनपद फैजाबाद के जिला योजना के अन्तर्गत नये संक्शन तथा नये विषय खोलने हेतु प्राविधान न होने तथा विद्यालय का परिषदीय भवन शिक्षा विभाग को हस्तानान्तरित न होने के कारण नये संक्शन, नये विषयों के खोलने तथा नये कमरों का निर्माण कराया जाना सम्भव नही हो सका है।

बेसिक शिक्षा परिषद्, फैजाबाद द्वारा संचालित स्कूल में सेवारत अध्यापकों को जी0 पी0 एफ0 का मामला

140–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित स्कूलों में सेवारत अध्यापकों द्वारा जी0 पी0 एफ0 में अंशदान की जमा होने वाली धनराशि अधिकांश मामलों में जमा नहीं की गयी है और परिषदीय लिपिकों तथा बैंक कर्मियों की मिली भगत से बिना धन जमा किये ही फर्जी बाउचर बनाकर पचासों लाख रुपये की सरकारी धनराशि का गबन कर लिया गया है? क्या यह सही है कि इस बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री कमला प्रसाद शुक्ल ने लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा परिषद्, फैजाबाद श्री घनश्याम लाल श्रीवास्तव को लगभग 3-4 माह पूर्व कोई पत्र लिखा था जिसकी प्रतिलिपि जिला अधिकारी, फैजाबाद श्री रामशरण श्रीवास्तव को पृष्ठांकित थी और जिलाधिकारी, फैजाबाद ने कोषाधिकारी, फैजाबाद को इसके सत्यापन के लिये लिखा था ? यदि हां, तो पूरे तथ्य और उस पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं।

बेसिक शिक्षा अधिकारी ने लेखा शीर्षक 8338 में दिनांक 31-3-86 के अवशेष की जानकारी हेतु पत्र लिखा था।

अवशेष का सत्यापन अभी तक नहीं हो सका है, आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेशीय विद्यालय निरीक्षक संघ शाखा फैजाबाद के विरुद्ध उपविद्यालय निरीक्षकों द्वारा टी0 ए0 बिलों के भुगतान के संबंध में दिये गये शिकायती-पत्र

141–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में उत्तर प्रदेशीय विद्यालय निरीक्षक संघ शाखा फैजाबाद के प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों ने दिनांक 4-5-88 को अपने मंत्री श्री मारकन्डे शुक्ल के संयुक्त हस्ताक्षरों से एक प्रार्थना-पत्र दिया था जिसमें उप विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद द्वारा टी0 ए0 बिलों का भुगतान काफी विलम्ब से करने तथा 12 प्रतिशत एवं सौ रुपये प्रति निरीक्षक की दर से कटौती करने का आरोप लगाया

था जिससे रुष्ट होकर उप विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद ने उनमें से कई प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों को स्थानान्तरित कर दिया था ? क्या यह भी सही है कि तथ्यों के, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में आने पर उन्होंने उन स्थानान्तरण आदेशों को निरस्त कर दिया था जिस पर उप विद्यालय निरीक्षक ने सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, फैजाबाद से कहकर पुनः स्थानान्तरण करा दिया? यदि हां, तो वर्तमान गुटबन्दी और भ्रष्टाचार को देखते हुए सभी सम्बन्धित अधिकारियों का सामूहिक स्थानान्तरण करके शिकायतों की जांच कराने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

जी नहीं।

जी नहीं।

जांच की जा चुकी है तथा जांच के फलस्वरूप शिकायत सही नहीं पाई गई।

चापीटिया मोहल्ला, लखनऊ में दिनांक 26-6-88 को जर्जर मकान की दीवार गिरने से 13 व्यक्तियों की मृत्यु तथा घटना का विवरण

142–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 26-6-88 को लखनऊ स्थित चापीटिया मोहल्ले में एक जर्जर भवन की दीवार ढहने से 13 व्यक्ति मर गये ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है ? क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा नगर महापालिका लखनऊ के अधिकारियों को इस भवन की जर्जरता के बारे में जानकारी दिए जाने के बाद भी अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ? कार्यवाही न करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है? गरीबी के कारण जो लोग आवास विहीन हैं उन्हें उचित स्थान पर बसाने हेतु सरकार द्वारा क्या सहयोग तथा सहायता दिये जाने की योजना है?

श्री बलदेव सिंह आर्य–

इस दुर्घटना में 11 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी।

स्थल की जानकारी तथा निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत भवन तथा उसकी छतों में उस रात किसी विवाह के उपलक्ष में काफी भीड़ एकत्र थी, एक बरामदे की छत की एक शाहतीर जो एक खम्भे पर टिकी थी, खम्भे के धसक जाने से उस बरामदे की छत गिर गई उसके नीचे सो रहे कुछ व्यक्तियों की दब जाने के कारण मृत्यु हो गई।

दुर्घटना से पूर्व भवन की जर्जरता के विषय में नगर महापालिका को कोई जानकारी नहीं थी।

प्रश्न नहीं उठता ।

ऐसी कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

वन विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के विनियमितीकरण का मामला

143–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वन विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के विनियमितीकरण के संबंध में श्री सोमेश्वर दत्त शुक्ल अध्यापक, राजा

बहादुर सूर्य बख्श सिंह इण्टर कालेज, कमलापुर, सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित कोई शिकायती पत्र 20-7-88 को अथवा उसके आसपास किसी दिन मिला ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अजीत प्रताप सिंह–

जी हां ।

श्री सोमेश्वर दत्त शुक्ल, अध्यापक, राजा बहादुर सूर्य बक्श सिंह इण्टर कालेज कमलापुर सीतापुर का पत्र जो मथुरा वन प्रभाग में दैनिक वेतन कर्मचारी श्री कमलेश कुमार शुक्ल के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में था, दिनांक 19-7-1988 को मिला ।

श्री कमलेश कुमार शुक्ल दिनांक 27 दिसम्बर, 1988 के आयोजित वन रक्षकों के पदों की भर्ती हेतु लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सम्मिलित हुए थे एवं लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप उन्हें साक्षात्कार हेतु भी बुलाया गया था । लिखित एवं साक्षात्कार परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर बनी 17 अभ्यर्थियों की लिस्ट में श्री कमलेश कुमार शुक्ल का नाम उनके द्वारा कम अंक प्राप्त करने के कारण नहीं आ सका । अतः श्री शुक्ल को वन रक्षक के पद पर जिसके लिये उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था, नियुक्त नहीं हो सकी । श्री शुक्ला वर्तमान में मथुरा वन प्रभाग में दैनिक वेतन पर ही कार्यरत हैं ।

श्री राम शंकर मिश्र, सहायक अध्यापक, राजा रघुवर दयाल इण्टर कालेज सीतापुर पर बकाया जी0 पी0 एफ0 का भुगतान

144–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम शंकर मिश्र, सहायक अध्यापक, राजा रघुवर दयाल इण्टर कालेज, सीतापुर का प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ कोई इस आशय का शिकायती पत्र 28-4-88 तथा 15-5-88 के बीच मिला कि उन्हें सुभाष इण्टर कालेज, बांगरमऊ, उन्नाव में संवारत रहने के कार्यकाल का प्रॉविडेन्ट फण्ड नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? प्राविडेन्ट फण्ड न देने का कारण क्या है तथा कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

प्राविडेन्ट फण्ड की सम्पूर्ण धनराशि जिला विद्यालय निरीक्षक, सीतापुर को दिनांक 25-1-89 को प्रेषित की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर नगर महापालिका कानपुर के निर्माणाधीन कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत

145–श्री आसान सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को प्रश्नकर्ता का कोई पत्र संलग्नक सहित नगर महापालिका, कानपुर के निर्माणाधीन मार्गों में व्याप्त भ्रष्टाचार सम्बन्धित दिनांक 31-7-87 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां, किन्तु संलग्नक प्राप्त नहीं हुआ ।

संलग्नक प्राप्त न होने के कारण मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

आवास विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 29 के द्वारा इज्जतनगर भूमि विकास एवं गृह संस्थान योजना के लिए अर्जित भूमि पर ए0 सी0 मण्डल शान्तीनगर कालोनी का निर्माण

146–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बरेली महानगर की उदयपुर खास की जमीन खसरा नम्बर 98/1 जो कि श्री कुंवर बहादुर पुत्र होरी लाल एवं उनके वारिसान भूड़ बरेली के नाम थी, के सम्बन्ध में वर्ष 1984 में क्या आवास विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 29 के अधीन इज्जतनगर भूमि विकास एवं गृह संस्थान योजना सं0 6 बरेली के लिए अर्जित करने की नोटिस दी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त 100 बीघा जमीन पर ए0 सी0 मण्डल शान्तीनगर कालोनी किन परिस्थितियों में विकसित हुई और उसे आवास विकास परिषद् द्वारा अर्जन से मुक्त करने के क्या कारण थे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा इज्जतनगर विस्तार भूमि विकास एवं गृह संस्थान योजना संख्या-6, बरेली की योजना की भूमि अर्जन हेतु धारा–28 के अधीन 100 एकड़ भूमि के अर्जन हेतु विज्ञापन किया गया था । उक्त योजना की भूमि में से 45 एकड़ भूमि बरेली विकास प्राधिकरण के लिये शासनादेश दिनांक 20-12-85 द्वारा छोड़ दी गयी थी । उक्त भूमि पर ए0 सी0 मण्डल शान्तीनगर कालोनी का अनधिकृत निर्माण/विकास कार्य किया गया है ।

बरेली नगर में नवनिर्मित कालोनी एकता नगर में प्रियदर्शिनी नगर के भवनों में खामियां

147–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बरेली नगर में बरेली विकास प्राधिकरण की नवनिर्मित कालोनी एकतानगर में प्रियदर्शिनी नगर में भवन निर्माण सामग्री बहुत घटिया स्तर की इस्तेमाल हुई है जिससे अनेक भवनों में फ्रेक आ गए हैं, छतें टपक रही हैं, प्लास्टर गिर रहा है व सड़कें टूट गई हैं ? यदि हां, तो क्या इस घटिया निर्माण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मुख्य अभियन्ता विकास प्राधिकरण बरेली नगर महापालिका बरेली ने इस संबंध में जांच की और भवनों की निर्माण सामग्री का स्तर ठीक पाया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टाउन एरिया तेतरी बाजार शोहरतगढ़ बढ़नी में कतिपय वर्षों के तहबाजारी का मामला

148–श्री धनराज यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1984-85, 85-86, 86-87 एवं 87-88 के वित्तीय वर्ष में बस्ती जिले के टाउन एरिया तेतरी बाजार, शोहरतगढ़ एवं बढ़नी में तहबाजारी वसूल करने की नीलामी कितनी-कितने रुपये में किन-किन ठेकेदारों के नाम से की गयी तथा प्रश्नगत वर्षों में कितना-कितना धन ठेकेदारों के द्वारा जमा किया गया, कितना-कितना अवशेष है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अवशेष धन ठेकेदारों से जमा करने की अब तक क्या कार्यवाही की गई एवं कब तक अवशेष धन शासन द्वारा जमा करा लिया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

वांछित सूचना संलग्न है ।

टाउन-एरिया कमेटी, तेतरी बाजार में श्री मोहम्मद शरीफ पुत्र श्री अब्दुल अजीज से वर्ष 1984-85 में रुपये 48,047 तहबाजारी वसूल होना शेष है । इस सम्बन्ध में एक वाद माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके निर्णयानुसार वसूली के सम्बन्ध में टाउन एरिया द्वारा कार्यवाही की जायेगी । अन्य अवशेषों की वसूली के सम्बन्ध में संबंधित तहसील को भू-राजस्व की भांति वसूली करने के निर्देश दिए जा चुके हैं । टाउन एरिया शोहरतगढ़ में अवशेष की वसूली किए जाने के आदेश शासन द्वारा दिए जा चुके हैं । टाउन एरिया बढ़नी बाजार में तहबाजारी नीलामी की कोई धनराशि बकाया नहीं है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 177 पर ।)

राजकीय सीनियर कन्या विद्यालय, फर्रुखाबाद की मृतका सहायक अध्यापिका श्रीमती शैल कुमारी सक्सेना के आश्रित को सेवा में लेना

149–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सीनियर कन्या विद्यालय फर्रुखाबाद में कार्यरत सहायक अध्यापिका श्रीमती शैल कुमारी सक्सेना की अपने सेवाकाल में ही मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो कब ? क्या शासनादेश का पालन करते हुए मृतका के परिवार में से किसी एक व्यक्ति को सेवा में लिया गया है ? यदि हां, तो कब और किसे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि मृतका को देय पेंशन, बीमा तथा फण्ड आदि धनराशि का भुगतान नियमानुसार उसके आश्रितों को अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

श्रीमती सक्सेना की मृत्यु दिनांक 26 जुलाई, 1974 को हुई थी ।

जी नहीं ।

मृत्यु के समय श्रीमती सक्सेना के पुत्र नाबालिग थे, इसलिए उन्हें राजकीय सेवा में नहीं लिया जा सका था । वर्ष 1988 के अन्त में उनके आश्रित पुत्र श्री अरुण कुमार सक्सेना का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिस पर नियुक्ति हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

श्रीमती सक्सेना के आश्रितों को पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा चुका है । सामूहिक बीमा नियमानुसार देय नहीं है । जी0 पी0 एफ0 की धनराशि के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

भूगर्भ जल विभाग में संवर्गवार पदोन्नति कोटे के नियम एवं विवरण

150–श्री हफीज भारती–

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूगर्भ जल विभाग श्रेणी–2 में संवर्गवार कितने पद निर्धारित है ? शासनादेश संख्या 2079 एन0 जी0/23–4–86–28 एन0 जी0/86 लखनऊ दिनांक 14 मई, 1986 के अनुसार इनमें कितने पद सीधी भर्ती के बनते है और कितने पद पदोन्नति कोटे के है ? क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सीधी भर्ती में संवर्गवार कितने पद पर नियमित नियुक्ति हो चुकी है और कितने पद शेष है ? इसी प्रकार पदोन्नति कोटे में कितने पद संवर्गवार पदोन्नति द्वारा भरी जा चुकी है और कितने पद शेष है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

भूगर्भ जल विभाग में श्रेणी-2 में सिविल अभियंत्रण संवर्ग में सहायक अभियंता के 10 पद तथा हाइड्रोलाजिस्ट के 14 पद, यांत्रिक अभियन्त्रण संवर्ग में सहायक अभियन्ता के 8 तथा हाइड्रोलाजिस्ट के 5 पद, भू-वैज्ञानिक संवर्ग में सहायक भूगर्भ शास्त्री के 10 पद तथा हाइड्रोलाजिस्ट के 14 पद, भू-भौतिकी संवर्ग में सहायक भू-भौतिक सिद् के 9 पद तथा वैज्ञानिक संवर्ग में 3 पद निर्धारित है ।

प्रश्नगत शासनादेश केवल अवर अभियन्ताओं की सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति करने के संबंध में है, जबकि इस विभाग में अवर अभियंता को अतिरिक्त वैज्ञानिक संवर्ग के समकक्ष पद भी स्वीकृत है । विभाग में शासनादेश संख्या–2379/54-3-1800 (8)/79, दिनांक 10-5-88 द्वारा श्रेणी–2 में 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के तथा 25 प्रतिशत पद श्रेणी–3 के अवर अभियंता एवं समकक्षीय पदों से पदोन्नति करने का प्राविधान किया गया है ।

भूगर्भ जल विभाग में सिविल अभियंत्रण संवर्ग के अंतर्गत सहायक अभियंता के 7 सीधी भर्ती के पदों में से 2 पद तथा हाइड्रोलाजिस्ट के 11 सीधी भर्ती के पदों में से 7 पद नियमित रूप से भरे है तथा सहायक अभियन्ता के 5 व हाइड्रोलाजिस्ट के 4 पद नियमित नियुक्ति हेतु शेष है ।

यांत्रिक अभियंत्रण संवर्ग में सहायक अभियन्ता के 6 सीधी भर्ती के पदों में से एक पद तथा हाइड्रोलाजिस्ट के 4 सीधी भर्ती के पदों में से 2 पद नियमित रूप से भरे है तथा सहायक अभियन्ता के 5 व हाइड्रोलाजिस्ट के 2 पद नियमित नियुक्ति हेतु शेष है ।

भू-वैज्ञानिक संवर्ग में सहायक भूगर्भ शास्त्री के 7 सीधी भर्ती के पदों में से 4 पद तथा हाइड्रोलाजिस्ट के 11 सीधी भर्ती के पदों में से 8 पद नियमित रूप से भरे है । सहायक भूगर्भ शास्त्री के 3 पद तथा हाइड्रोलाजिस्ट के 3 पद नियमित नियुक्ति हेतु शेष है ।

भू-भौतिक संवर्ग में सहायक भू भौतिकीविद् के 7 सीधी भर्ती के पदों में से 3 पद नियमित रूप से भरे हैं तथा 4 पद नियमित नियुक्ति हेतु शेष हैं ।

वैज्ञानिक संवर्ग के 2 सीधी भर्ती के पदों में से दोनों पद नियमित रूप से भरे हैं ।

सिविल अभियंत्रण संवर्ग में सहायक अभियन्ता/हाइड्रोलाजिस्ट के 6 प्रोन्नति कोटे के पदों में से 5 पद भरे हैं तथा एक पद शेष है ।

यांत्रिक अभियंत्रण संवर्ग के सहायक अभियंता/हाइड्रोलाजिस्ट के 3 प्रोन्नति कोटे के पदों के विरुद्ध 4 पद भरे हैं ।

भू-वैज्ञानिक संवर्ग के सहायक भूगर्भ शास्त्री/हाइड्रोलाजिस्ट के 6 प्रोन्नति कोटे के विरुद्ध कोई पद नहीं भरा है ।

भू-भौतिकी संवर्ग के सहायक भू भौतिकीविद् के 2 पदोन्नति कोटे के पदों में से कोई पद नहीं भरा है तथा वैज्ञानिक संवर्ग के एक पदोन्नति कोटे का पद नहीं भरा गया है ।

भूगर्भ जल विभाग हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्राविधिक सहायकों का मामला

151—श्री हफीज भारती—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि 1984 में लोक सेवा आयोग द्वारा जिन 18 प्राविधिक सहायकों (ज्योलाजी) को चयनित किया गया है उनमें से कितने लोगों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ? नियमानुसार इन पदों को भरने के लिए प्रतीक्षा सूची में से कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया और शेष को कब तक दिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वर्ष 1984 में लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 18 प्राविधिक सहायक (जियोलाजी) की नियुक्ति चयन सूची की प्रभावी अवधि के अन्दर कर दी गयी थी, जिसमें से 3 अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है । चयन सूची की प्रभावी अवधि समाप्त हो जाने के कारण प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किये गये । उल्लेखनीय है कि एक कार्यरत प्राविधिक सहायक (जियोलाजी) के त्याग पत्र दे देने के उपरांत, मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची के क्रमांक—1 पर संस्तुत अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है । अतः चयन सूची की प्रभावी अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत अब शेष प्रतीक्षा सूची में बचे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत करना सम्भव नहीं है ।

लखनऊ के सीतापुर रोड पर स्थित ब्रह्मनगर पतोरागंज इरादतनगर ग्रामों के अनुरक्षण का कार्य एवं भवन कर

152—श्री राम पाल वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर रोड स्थित ब्रह्मनगर, पतोरागंज व इरादतनगर ग्रामों की सीमा व उनमें मौजूदा सड़के अधिसूचना/प्रकीर्ण संख्या 4516 ए/11-7-86-1-2 (87)-83 दिनांक 3-2-87 के अनुसूची के अनुसार लखनऊ नगर

के रूप में सम्मिलित होकर नगरमहापालिका लखनऊ के अधीन व नियंत्रण में है ? क्या उल्लिखित ग्रामों की सड़कों के निर्माण व अनुरक्षण का कार्य अब नगर महापालिका लखनऊ द्वारा किया जायेगा तथा भवनों के सामान्य कर भी नगर महापालिका द्वारा ही निर्धारित करके वसूल किया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं । ये क्षेत्र पहले से महापालिका की सीमान्तर्गत हैं ।

ग्रामीण क्षेत्र जो महापालिका की सीमा में सम्मिलित किये जाते हैं उनके भू-अभिलेखों में जो रास्ते/सड़कें अंकित होती हैं उनके अनुरक्षण का कार्य महापालिका द्वारा किया जाता है । यदि किसी कृषि भूमि का बाद में विकास होता है तो उसकी सड़कों एवं गलियों के अनुरक्षण का कार्य नगर महापालिका को नियमानुसार हस्तान्तरण के पश्चात् किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 173 व 177 के अंतर्गत महापालिका की सीमा में आने वाले समस्त भवनों तथा भूमियों पर कर लिया जाता है ।

लखनऊ में सीतापुर रोड डालीगंज रेलवे क्रासिंग से पतोरागंज बृहमनगर सचिवालयों कालोनी को जाने वाली सड़क की मरम्मत

153–श्री राम पाल वर्मा–

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि लखनऊ में सीतापुर रोड, डालीगंज रेलवे क्रासिंग से पतोरागंज बृहमनगर सचिवालय हाउसिंग कालोनी को जाने वाले मार्ग का निर्माण न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह सत्य है कि उस क्षेत्र में रहने वाले भवन स्वामियों/नागरिकों से लखनऊ नगर महापालिका द्वारा नियमित रूप से भवन कर, जल कर व जल निस्तारण कर तथा भवन निर्माण हेतु अन्य कर पिछले 10 वर्षों से वसूल किये जा रहे हैं ? उक्त मार्ग का निर्माण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्रश्नगत मार्ग निजी कालोनाईजर द्वारा निर्मित है जो नगर महापालिका को नियमानुसार हस्तान्तरित नहीं है ।

नगर महापालिका द्वारा नियमानुसार केवल भवन कर ही लिया जाता है ।

प्रश्नगत कालोनी की सड़कें नगर महापालिका को हस्तान्तरित न होने के कारण उनका निर्माण सम्भव नहीं है ।

जल निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक को हटाये जाने एवं नये चुनाव कराये जाने के विषय में पत्र

154–श्री राजेन्द्र सिंह, श्री भोपाल सिंह तथा श्री मयंकर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जल निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक के हटाये जाने एवं निष्पक्ष चुनाव कराये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव की तरफ से नेता विरोधी दल, विधान सभा के पत्र दिनांक 28-10-88 श्री फूल कुंवर (एडवोकेट) सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 25-6-88 व निसार हुसैन सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 12-5-88 के संदर्भ में सचिव, नगर विकास को स्पष्ट निर्देश दिये थे कि पत्रों की प्राप्ति एवं उन पर हो रही कार्यवाही से शिकायत-कर्ता, माननीय सदस्यों को अविलम्ब अवगत करा दिया जाय ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सचिव नगर विकास द्वारा मुख्य सचिव के उक्त आदेशों को आज तक पालन नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

मा0 नेता विरोधी दल के पत्र की प्राप्ति की सूचना मुख्य सचिव द्वारा स्वयं उन्हें भेज दी गई थी एवं सचिव नगर विकास से आख्या सहित उत्तरालेख्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी ।

चूंकि जल निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध इन पत्रों में मा0 नेता, विरोधी दल तथा अन्य विधायकगण से बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच प्रगति में है । अतः जांच पूर्ण होने पर ही मा0 नेता, विरोधी दल एवं अन्य शिकायतकर्ता मा0 सदस्यगण को उत्तर दिया जाना सम्भव हो सकेगा ।

रानी गिरजा देवी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुण्डा प्रतापगढ़ में स्नातक वेतनक्रम रिक्त पदों पर नियुक्ति का मामला

155–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रानी गिरजा देवी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुण्डा, प्रतापगढ़ के स्नातक वेतनक्रम की दो सहायक अध्यापि-काओं के दो स्पष्ट रिक्त पद पर वर्ष 1973 में विधिवत चयनोपरांत श्रीमती पुष्पा गौड़ तथा कुमारी कमल शर्मा का चयन किया गया था ? यदि हां, तो श्रीमती पुष्पा गौड़ से संबंधित पद पर नियुक्ति हेतु अक्टूबर, 1974 को पुनः विज्ञाप्ति करने का क्या औचित्य था तथा कुमारी कमल शर्मा के त्याग पत्र दे देने के बावजूद उस पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित न करके श्रीमती सुशीला सिंह की नियुक्ति किये जाने का क्या आधार था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं ।

केवल एक ही स्पष्ट रिक्ति थी । दूसरी रिक्ति स्पष्ट रिक्ति नहीं थी ।

श्रीमती पुष्पा गौड़ की नियुक्ति स्पष्ट रिक्त में नहीं हुई थी । अत: जब स्पष्ट रिक्त उपलब्ध हो गई तब इस स्पष्ट रिक्त में नियुक्ति के लिये दुबारा विज्ञापन किया गया ।

जिस रिक्त के लिये कु0 कमल शर्मा का चयन किया गया था, उसी रिक्त के लिए चयनित अभ्यर्थियों में श्रीमती सुशीला सिंह का नाम कु0 कमल शर्मा के बाद द्वितीय स्थान पर था । अत: जब कु0 कमल शर्मा ने त्याग-पत्र दे दिया तब प्रतीक्षा सूची से दूसरे नम्बर की अभ्यर्थिनी श्रीमती सुशीला सिंह की नियुक्ति कर दी गयी । इसके लिए दुबारा विज्ञापन की आवश्यकता नहीं थी ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्थान बहेड़ाखाल में जूनियर हाई स्कूल में क्रीड़ास्थल, प्राइमरी स्कूल की सुरक्षा हेतु चहार दीवारी का निर्माण

156–श्री भगौती सिंह—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्थान बहेड़ाखाल में जूनियर हाई स्कूल में क्रीडास्थल, प्राइमरी स्कूल की सुरक्षा दीवार और पंचायत भवन की चहार दीवारी का निर्माण कराये जाने की मांग के संबंध में संसद सदस्य, श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी के दिनांक 17 फरवरी, 1986 के पत्र द्वारा जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल निजी सचिव, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या 3749 (11) दिनांक 26-11-85 के द्वारा निजी सचिव मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा के दिनांक 30-10-86 तथा 27-7-87 के पत्र द्वारा पर्वतीय विकास मंत्री उत्तर प्रदेश लखनऊ को लिखा गया था ? यदि हां, तो उक्त मांगों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है और कब तक उक्त प्रस्तावित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु धन स्वीकृत किया जा सकेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रश्न में उल्लिखित पत्र, पर्वतीय विकास विभाग में प्राप्त नहीं हुये हैं । अत: मांगों के क्रियान्वयन का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद गढ़वाल, राजकीय उच्चतर माध्यमिक हाई स्कूल कोटद्वार में गिरता हुआ परीक्षाफल

157–श्री भगौती सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक हाई स्कूल कोटद्वार जनपद गढ़वाल में विगत तीन वर्षों से उत्तर प्रदेश बोर्ड का परीक्षाफल गिरता जा रहा है ? क्या यह सच है कि वर्ष 1987–88 में परीक्षाफल मात्र 20 प्रतिशत रह गया था ? क्या यह सही है कि इसका कारण अर्ह अध्यापकों का अभाव है ? यदि हां, तो क्या भविष्य में सरकार अर्ह अध्यापकों की व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय कन्या इन्टर कालेज तेतरी बाजार बस्ती के विद्युतीकरण का मामला

158–श्री भनराज यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में राजकीय कन्या इण्टर कालेज तेतरी बाजार के विद्युतीकरण हेतु स्टीमेट बनकर स्वीकृति हेतु शिक्षा निदेशालय को मार्च, 1987 में भेजा गया था ? यदि हां, तो अभी तक इस महत्व पूर्ण कार्य की स्वीकृति निदेशालय द्वारा न होने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

159–श्री मैनेजर सिंह–

[मा0 सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

160–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

[3रे सोमवार के लिए स्थगित]

जिला परिषद् फैजाबाद द्वारा निर्माण कार्यों में भेदभाव बरतने की शिकायत

161- श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी, फैजाबाद को सम्बोधित दिनांक 16-5-88 का पत्र, जिसमें जिला परिषद् फैजाबाद द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन करके निर्माण कार्यों में भेदभाव एवं पक्षपात करने की शिकायत की गई थी, मिल गया है ? यदि हां, तो शिकायतों और कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला पिथौरागढ़ ग्राम परेवां, पोस्ट चौड़ा के वन पंचायत सरपंच का चुनाव

162–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1971-72 से 1988 तक जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम परेवां, पो0 चौड़ा के वन पंचायत सरपंच का चुनाव कितनी बार, कब-कब हुआ? इसमें कौन-कौन से उम्मीदवार विजयी घोषित हुए ? क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में अवैधानिक रूप से वन पंचायत सरपंच की नियुक्ति कर एक ही व्यक्ति को कई वर्षों से इस पद पर बनाये हुए हैं ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? यदि नहीं, तो श्री हयात सिंह परवाल कितने दिनों से वन पंचायत सरपंच हैं तथा इनके क्रिया कलापों की जांच किसी उच्च अधिकारी द्वारा कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह–

वर्ष 1971-72 से 1988 तक ग्राम परेवां में वन पंचायत सरपंच का चुनाव दो बार दिनांक 16-6-73 तथा 16-9-88 को हुआ, जिसमें क्रमशः श्री हयात सिंह परवाल पुत्र श्री जीत सिंह व श्री भगवान सिंह पुत्र श्री जोध सिंह, सरपंच के उम्मीदवार विजयी घोषित हुए ।

श्री ह्यात सिंह परवाल दिनांक 16-6-73 को वैधानिक रूप से पंचायत सरपंच नियुक्त किये गये । दिनांक 12-11-78, 24-4-86, 6-9-86, 14-3-88, 19-6-88 व 15-9-88 को नूतम चुनाव के प्रयास किये गये परन्तु कोरम पूरा न होने से सरपंच उपलब्ध न होने से चुनाव नहीं हो पाये । दिनांक 16-9-88 को नया चुनाव सम्भव हो सका तथा श्री जीत सिंह सरपंच हो गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ह्यात सिंह परवाल दिनांक : 16-6-73 से 15-9-1988 तक वन पंचायत सरपंच रहे । इनके क्रिया कलापों की जांच वन पंचायत निरीक्षक लोहाघाट एवं पर्यवेक्षक कानूनगो द्वारा की गई है परन्तु कोई विपरीत तथ्य प्रकाश में नहीं आये ।

फर्रुखाबाद नगर में सार्वजनिक ट्रस्टों की संख्या तथा उसकी सम्पत्ति का अवैध अध्यासन

163–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि फर्रुखाबाद नगर में कुल कितने सार्वजनिक ट्रस्ट हैं और उनमें क्या-क्या कौन-कौन सी सम्पत्ति संलग्न है ? क्या यह भी बतायेंगे कि पिछले पांच वर्षों में इन ट्रस्टों की कितनी सम्पत्ति पर अवैध अध्यासन/अवैध विक्रय कर दिया गया है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

फर्रुखाबाद नगर में कुल तीन सार्वजनिक ट्रस्ट हैं :—

(1) पं0 लक्ष्मी नारायण एण्ड मु0 जसोदा चैरिटेबिल इण्डाउमेंट ट्रस्ट, फर्रुखाबाद सिटी ।

(2) संस्कृत विद्यालय चैरिटेबिल इन्डाउमेंट ट्रस्ट, फर्रुखाबाद सिटी ।

(3) बढ़पुर देवीजी महारानी टेम्पुल ट्रस्ट, बढ़पुर, फर्रुखाबाद ।

उक्त ट्रस्टों से संलग्न सम्पत्तियों का विवरण संलग्न है ।

जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद से प्राप्त सूचनानुसार पं0 लक्ष्मी नारायण एण्ड मु0 जसोदा चैरिटेबिल इन्डाउमेंट ट्रस्ट से सम्बन्धित आदर्श संस्कृत महाविद्यालय ग्राम पचपुखरा की पश्चिम की ओर खाली पड़ी 0.20 एकड़ भूमि पर श्री गिरीश चन्द्र दुबे, पुत्र श्री चन्द्रिका प्रसाद दुबे, निवासी जसमई ने अवैध कब्जा करके उसे चारों तरफ चहारदीवारी से घेर लिया है तथा सड़क के किनारे 7 दुकानें बना ली हैं । उक्त अवैध अध्यासन ट्रस्ट की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद के न्यायालय में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अन्तर्गत वाद दायर कर रखा है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 178 पर)

जनपद उन्नाव में एक वर्ष पूर्व सेवा निवृत्त अध्यापक व अध्यापिकाओं के पेंशन आदि देयों के भुगतान में विलम्ब

164—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में बेसिक शिक्षा परिषद् के ऐसे कितने सेवा निवृत्त अध्यापक एवं अध्यापिकायें हैं जिन को एक वर्ष से अधिक अवधि के बीत जाने के बाद भी अभी तक पेंशन, बीमा एवं भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया गया है ? अब तक भुगतान न होने के क्या कारण हैं ? इनका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद उन्नाव में दिनांक 30-6-87 तक 65 सेवा निवृत्त अध्यापकों में से दो अध्यापकों को पेंशन, 11 को बीमा तथा 58 को भविष्य निधि की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है ।

दो शिक्षकों द्वारा प्रपत्र प्रस्तुत न करने के कारण उन्हें पेंशन स्वीकृत नहीं हुई ।

11 शिक्षकों के बीमा सम्बन्धी क्लेम पूर्ण न होने के कारण भुगतान नहीं हो सका ।

1972 से पूर्व का लेखा जिला परिषद् द्वारा उपलब्ध न कराये जाने के कारण भविष्य निधि का भुगतान नहीं हुआ ।

प्रयास किया जा रहा है । यथाशीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा ।

भूगर्भ जल विभाग में सिविल अभियंत्रण के अधिकारियों के पदों का बंटवारा

165—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री प्रश्नकर्ता के द्वितीय सत्र 1987 के चौथे सोमवार के अता0 प्र0 सं0 59 के उत्तर के संदर्भ में यह बतायेंगे कि जब विभाग में 35.16 प्रतिशत भू-वैज्ञानिक एवं 24.17 प्रतिशत सिविल अभियंत्रण के अधिकारी कार्यरत हैं तो दोनों संवर्गों को 30—30 पदों के बंटवारे का क्या औचित्य था ? क्या उक्त बंटवारा कार्यहित में किया गया था ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी विभाग में राजपत्रित पदों के बंटवारे पर पुनः विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

भूगर्भ जल विभाग के द्वारा जो कार्य सम्पादित किये जाते हैं उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न संवर्गों के पदों की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी है । इस प्रकार कार्य के औचित्य को देखते हुए ही भू-वैज्ञानिक एवं सिविल अभियंत्रण दोनों संवर्गों में 30—30 पदों का आवंटन किया गया है।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिद्धार्थ नगर में आवास विकास परिषद् द्वारा भवन बनाने की मांग

166–श्री धनराज यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के नौगढ़ के उपनगर तेतरी बाजार में आवास विकास परिषद् नौगढ़ में भवनों के अभाव को देखते हुए जमीन खरीदकर सिद्धार्थ नगर के नाम से भवन बनवाने का कार्य करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं ।

नौगढ़ के उपनगर तेतरी बाजार का क्षेत्र वर्तमान में उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के क्षेत्राधिकार में नहीं है । अतः उक्त कस्बे में भवन का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है ।

वैद्य भगवान दीन बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नानपारा, जिला बहराइच के प्रधानाचार्य को पूर्ण वेतनमान अथवा अनुमन्य भत्ता दिया जाना

167–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वैद्य भगवान दीन बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नानपारा, जिला–बहराइच की वर्तमान कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद के लिए अनुमन्य पूर्ण वेतनमान दिया जा रहा है अथवा कार्यवाहक पद के लिए अनुमन्य भत्ता दिया जा रहा है ? यदि पूर्ण वेतनमान दिया जा रहा है तो क्यों ? क्या यह माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा चयनित प्रधानाचार्या है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि पूर्ण वेतनमान देने का कारण तथा आधार क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

कार्यवाहक प्रधानाचार्या के पद के लिए पूर्ण वेतन दिया जा रहा है।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वेतन दिया जा रहा है।

जी नहीं ।

ऊपर बताया जा चुका है ।

राजकीय कन्या इण्टर कालेज, बाराबंकी में विज्ञान अध्यापिकाओं की कमी का मामला

168–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इण्टर कालेज, बाराबंकी लड़कियों के विज्ञान कक्षाओं की पढ़ाई का एकमात्र विद्यालय है और इसमें विज्ञान पढ़ाने वाली हाईस्कूल की अध्यापिकाओं की संख्या छात्राओं की तुलना में बहुत कम है ? यदि हां, तो क्या वहां अतिरिक्त अध्यापिकाओं तथा समुचित प्रयोगशाला की तुरन्त व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे ? क्या यह भी सच है कि विज्ञान पढ़ाने वाली एल0 टी0 ग्रेड की अध्यापिकाओं के स्थान पर सामान्य ग्रेड (नान-साइंस) की अध्यापिकाओं को भेजा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस अनियमितता को शीघ्र दूर करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

जी नहीं ।

धन की व्यवस्था हो जाने पर ही प्रयोगशाला का निर्माण सम्भव हो सकेगा । विद्यालय की आवश्यकतानुसार एल0 टी0 वेतनक्रम की विज्ञान पढ़ाने वाली केवल एक अध्यापिका के स्थान पर सामान्य विषय पढ़ाने वाली अध्यापिका को पदस्थापित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

169–170–श्री मैनेजर सिंह–

[मा0 सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

जिला सहकारी बैंक लि0, बस्ती में अपर निबन्धक अधिकोषण द्वारा कतिपय रिक्त पदों पर पदोन्नति के निर्देश

171–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

प्रथम सत्र 1988 के तीसरे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0–54 में सहकारिता मंत्री ने स्वीकार किया है कि अपर निबन्धक अधिकोषण ने दिनांक 10-2-78 को जिला सहकारी बैंक लि0, बस्ती में सृजित वर्ग 2 "क" के 14 पदों में सभी को रिक्त घोषित कर 7 पदों को पदोन्नति द्वारा भरने का निर्देश दिया था ? यदि हां, तो क्या सहकारी सेवा विनियमावली में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार इन 7 कर्मचारियों की पदोन्नति करायी गयी ? बिना वर्ग–2 "क" में नियमित पदोन्नति हुए वर्ग–2 "क" की वरिष्ठता सूची में सम्मिलित किये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री समर पाल सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

कर्मचारियों के शाखा प्रबन्धक पद पर कार्य करने की स्थिति के अनुसार वरिष्ठता-क्रम श्रेष्ठता के आधार पर वर्ग–2 'क' की वरिष्ठता सूची में बैंक स्तर से सम्मिलत किया गया । इसके विरुद्ध कतिपय कर्मचारियों द्वारा संस्थागत सेवा मण्डल को प्रत्यावेदन प्रेषित किया गया है । संस्थागत सेवा मण्डल स्तर पर सम्बन्धित कर्मचारियों को वर्ग–2 "क" में रखे जाने के औचित्य पर विचार चल रहा है ।

172–श्री मैनेजर सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

किसान प्रशिक्षण केन्द्र, फर्रुखाबाद के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र

173—श्री सन्तोष चतुर्वेदी, एडवोकेट—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास प्रशिक्षण केन्द्र, फर्रुखाबाद के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र जिसके संदर्भ में कृषि मंत्री का पत्र 2466/ए0 एम0/88, दिनांक 7-5-88 जारी किया गया था, पर क्या निर्णय लिया गया ? छिबरामऊ में किसान प्रशिक्षण केन्द्र बनाए जाने हेतु सरकार कब तक निर्णय लेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

छिबरामऊ में किसान प्रशिक्षण केन्द्र बनाये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र प्राप्त हुआ । फर्रुखाबाद जनपद के ग्राम याकूतगंज तहसील फर्रुखाबाद में किसान प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने का निर्णय स्थलीय निरीक्षण के बाद जिले स्तर पर लिया गया है । प्रशिक्षण केन्द्र हेतु अधिग्रहीत भूमि पर निर्माण कोर्ट के आदेश से स्थगित है तथा मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता ।

नियम 301 की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

आज दिनांक 13 फरवरी, 1989 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से ग्राह्यता के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 14 सूचनायें स्वीकार की गयीं ।

इसमें से पहली सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर) की है । दूसरी सूचना डाक्टर दिनेश जौहरी की, तीसरी सूचना श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की है । चौथी सूचना श्री कौशिक रमाशंकर की है । पांचवीं सूचना श्री मान बहादुर सिंह की है। छठी सूचना श्री रामचन्द्र बख्श सिंह की है । सातवीं सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही की है । आठवीं सूचना श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी की है । नवीं सूचना श्री हृदय नारायन दीक्षित की है। दसवीं सूचना श्री राज किशोर सिंह की है । ग्यारहवीं सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की है । बारहवीं सूचना श्री सरदार सिंह की है । तेरहवीं सूचना श्री हर्षवर्धन की और चौदहवीं सूचना श्री कमलेश कुमार पाठक की है ।

जिन तीन लोगों की सूचनाओं को अस्वीकार किया गया उनके नाम श्री विष्णु देव, श्री मंगल देव और श्री बलराम यादव हैं ।

यदि माननीय सदस्य सहमत हों, तो इन सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाय । सदन की सहमति से सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं ।

जनपद गाजीपुर के कृषि प्रसार विभाग द्वारा कथित रूप से की जा रही धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

[मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व की जनपद-गाजीपुर के कृषि प्रसार विभाग द्वारा धांधली और भ्रष्टाचार की ओर ले जाना चाहता हूं । कृषि प्रसार विभाग द्वारा शासन के माध्यम से तीन विकास खण्ड भदौरा, जमानियां एवं सादात चावल उत्पादन के लिए चयनित किया गया और जिसमें धान के बीज में कृषकों को 100/-की छूट दी जानी थी । लेकिन विभाग की गलत नीतियों के कारण वहां के कृषकों को इस छूट का लाभ नहीं मिल पाया । जनपद में जिले स्तर के गोदामों में कृषि प्रसार द्वारा बीज को सुरक्षित रखकर वहां से जनपद के बनियों के यहां बिक्री कर दी गई तथा कृषकों का फर्जी नाम छूट की सूची में दर्ज कर दिया । उदाहरणार्थ कृषि गोदाम बहादुरगंज, बाड़ाबाज, मिरजाबाद, बिरनों, जमनियां जखनियां एवं सैदपुर सभी गोदामों से विभाग द्वारा धान के बीज की बिक्री नकद व पूरे मूल्य पर कराया गया, जिससे कृषकों के बीच काफी रोष व्याप्त है ।

कृपया सरकार को निर्देशित करें और उक्त तथ्यों की जांच कार्यालय कृषि गोदाम के अभिलेखों के अनुसार किया जाय एवं कृषक जिनके नाम छूट में दिखाये गये हैं प्रत्येक से सत्यापन कराया जाय जिससे कृषकों को छूट का उचित लाभ मिले ।]

बरेली महानगर से निकलने वाले दैनिक विश्व मानव समाचार पत्र के संवाददाता को अराजक तत्वों द्वारा मारने पीटने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डाक्टर दिनेश जोहरी–

[महोदय, गत जनवरी के दूसरे पखवाड़े में बरेली महानगर से निकलने वाले दैनिक विश्वमानव समाचार पत्र के कार्यालय पर कुछ बदमाशों ने जो जीप पर भर कर आए थे तोड़फोड़ की व नगर संवाददाता श्री हरिओम गुप्ता से मारपीट की व उन्हें जीप में डाल के ले जाने लगे । गुण्डे अपने नेता के विरुद्ध छपे समाचार से बेहद नाराज थे । अन्य लोगों के आ जाने पर गुण्डे श्री गुप्ता को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये ।

इस प्रकार की रिपोर्ट थाना कोतवाली में उसी दिन लिखाई गई किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । इस घटना से बरेली के पत्रकारों में रोष व्याप्त है व उन्होंने जिला अधिकारी के यहां धरना दिया व एक दिन बरेली बन्द भी रहा ।

अतः आपसे अनुरोध है कि हमलावर गुण्डों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश सरकार को दें ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

जनपद गोरखपुर के थाना महराजगंज के ग्राम मटिहनियां में आग से हुई धन धन की हानि के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जनार्दन प्रसाद गोंझा–

[महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक अत्यन्त लोक महत्व के सुनिश्चित विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

गत 10-2-89 की रात के करीब 11 बजे ग्राम मटिहनियां थाना महराजगंज जिला गोरखपुर के कल्लू हरिजन के घर अचानक आग लगी जिससे उसका सारा घर जलकर राख हो गया। इस अग्निकाण्ड में परिवार के चार लोग जलकर राख हो गये। और दो लोगों को सदर अस्पताल में भरती कराया गया जिनकी हालत अब चिन्ता जनक है । कल्लू चमार की एक मात्र भूमि 30 मुर्गियां एवं उनके बच्चे भी जलकर राख हो गये । इस भीषण और दर्दनाक अग्निकाण्ड की जानकारी होने पर अधिकारी मौके पर गये, लेकिन सरकार द्वारा कोई सार्थक सहायता अब तक नहीं की गई।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस सुनिश्चित घटना-की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मेरी मांग है कि कल्लू के परिवार की क्षतिपूर्ति किया जाय, उसका मकान बनवाया जाय तथा अस्पताल में भर्ती लोगों को समुचित उपचार दिया जाय ।]

जनपद मुरादाबाद में विद्युत ट्रान्सफार्मरों की कमी के कारण फसलों को भारी हानि के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कौशिक रमाशंकर–

[मान्यवर, पूरे जनपद मुरादाबाद में आम तौर से तथा विद्युत डिवीजन अमरोहा में विशेष रूप से सैकड़ों की तादाद में ट्रान्सफार्मरों के फुंक जाने, खराब हो जाने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है । इनमें से अधिकतर मई-जून 1988 से खराब पड़े हुए हैं । हजारों उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और हजारों एकड़ रबी की फसल खराब हो रही है । उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड, मुरादाबाद के लिए पर्याप्त ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति नहीं कर रहा है ।

मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से सरकार से तत्काल ट्रान्सफार्मरों की व्यवस्था कराये जाने की मांग करता हूं ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

जनपद गोण्डा के बलरामपुर तहसील को जनपद बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मान बहादुर सिंह–

[मान्यवर, मैं नियम-301 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

सन् 1962 में तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अधिवक्ता संघ, बलरामपुर के ज्ञापन पर बलरामपुर को जिला बनाने पर विचार करने का आश्वासन दिया था । इस पुरानी मांग को लेकर आन्दोलन शुरू किया गया है ।

बलरामपुर को जिला घोषित करने के लिए 12 दिसम्बर, 1988 से अधिवक्ता संघ, बलरामपुर द्वारा तहसील और कचहरी का बहिष्कार तथा आन्दोलन किया जा रहा है । दो महीने से नगर का जन-जीवन अस्त-व्यस्त है ।

बलरामपुर तथा तुलसीपुर नगर में 5, 6 तथा 7 फरवरी, 1989 को "बन्द" रखा गया एवं जेल भरो आन्दोलन भी 7 फरवरी, 1988 से चलाया जा रहा है । काफी संख्या में लोग जेल गये हैं और सिलसिला जारी है ।]

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को प्रोन्नति में आरक्षण दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

[मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं लोक महत्व का प्रश्न मा0 सदन के संज्ञान में लाकर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं ।

"शासनादेश संख्या 65/2/69-रा एको दिनांक 8-3-73 द्वारा ज्येष्ठता तथा श्रेष्ठता के आधार पर प्रोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को राज्य सेवाओं में आरक्षण उपलब्ध कराया गया । लोक सेवा आयोग चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली 1970 के नियम 21 जिसके अन्तर्गत ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति का प्राविधान है, में शासनादेश संख्या 15/38/84-कार्मिक दिनांक 11 जून, 84 द्वारा संशोधन करके सामान्य अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति की अलग-अलग सूची बनाने का प्राविधान कर दिया गया है, परन्तु उपरोक्त नियमावली के नियम 8 का जिसमें, श्रेष्ठता के आधार पर सूची बनती है, संशोधन नहीं किया गया है जिससे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को आरक्षण की सुविधा नहीं मिल पा रही है ।"

शासन से मेरी मांग है कि उपरोक्त नियमावली के नियम 8 का संशोधन करके सामान्य अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति का अलग-अलग सूची बनाकर प्रोन्नति सुनिश्चित करें जिससे संविधान में प्रदत्त सुविधायें हरिजनों को मिल सकें ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

जनपद देवरिया में गन्ने के सट्टे तथा पर्चियों के वितरण में धांधली से त्रस्त गन्ना कृषकों की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सूर्य प्रताप शाही–

[मान्यवर, देवरिया जनपद के गन्ना किसान गन्ने के सट्टे तथा पर्चियों के वितरण की धांधली से त्रस्त हैं। देवरिया, बैतालपुर, भटनी, कसया, कठकुइया, सेवरही केन यूनियन के अन्तर्गत आने वाले गांवों में गन्ना परताल करने में घनघोर धांधली की गई और मनमाने ढंग से गन्ने के परताल किया गया जिससे गन्ने सप्लाई की पर्चियां काले बाजारों में ऊंचे दामों पर बेची जा रही हैं। पथरदेवा, मलसी, बजडहा, सुनहलारामनगर, गोपालगढ़, पकवा इनारडमरी, पंचनपुर बरवाजंगल, तिरमा साहुन, शाहपुर भीखल, सिरसिया खीहिया तरुकुलवा, अनिरुधवा, सबैया, बरवाजंगल खेसारी गिंदहा, बीरया, हौतमपुर, पिपरिया, सपहा आदि दर्जनों गन्ना क्रय केन्द्रों पर पांच-पांच दिन गन्ने से लदी गाड़ियां खड़ी रह जा रही हैं। चीनी मिलों द्वारा ठीक ढंग से पेराई न करने तथा ढुलाई की व्यवस्था में गड़बड़ी करने के कारण 3 माह से अधिक पेराई सीजन बीतने के बाद भी कुल सट्टे का 2/3 हिस्सा गन्ना खेतों में खड़ा है। यदि धीमी पेराई, गन्ना सप्लाई, ढुलाई तथा इण्डेंट की यही व्यवस्था रही तो देवरिया जनपद का गन्ना किसान अपने गन्ने को खेत में जलाने को इस वर्ष बाध्य हो जायेगा। इस दुर्व्यवस्था से किसानों में रोष क्षोभ व असन्तोष है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से मांग करता हूं कि जनहित में अविलम्ब गन्ने का पुनः परताल कराने तथा गन्ना पर्चियों के वितरण की धांधली को ठीक करने के साथ ही मिलों द्वारा इण्डेंट और ढुलाई की व्यवस्था को भी ठीक करें।]

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील बांसी में ओलावृष्टि से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

[मान्यवर, सिद्धार्थनगर जिले की बांसी तहसील में जनवरी के प्रथम व द्वितीय सप्ताह में ओलावृष्टि के कारण सरसों, मटर और गेहूं की फसल को भारी क्षति पहुंची है। सरसों और मटर के फल झर गये हैं तथा गेहूं की फसल क्षति-ग्रस्त होकर गिर गई है। इस समय जबकि माघ और पौष के महीने में ग्राम्य जीवन आर्थिक दृष्टि से अधिक कष्टपूर्ण रहता है। उनके भविष्य की आशा रबी की फसल भी ओलावृष्टि से नष्ट हो गयी है, इसके बावजूद सभी सरकारी और सहकारी विभागों की वसूली कड़ाई के साथ जोरों में जारी है।

अतः इस आदरणीय सदन के माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि सभी सरकारी एवं सहकारी देयों की वसूली 30 जून, 1989 तक स्थगित कर दी जाय, ओला से क्षतिग्रस्त फसल की लगान माफ की जाय तथा राहत कार्य चालू किये जायं।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा में नहरों में पानी के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[मान्यवर, उन्नाव जनपद की सभी नहरों में चालू वर्ष 88-89 में पानी की आपूर्ति इतनी कम रही कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र पुरवा–उन्नाव में शारदा नहर की पुरवा ब्रांच के पुरवा रजबहा में पानी टेल तक नहीं गया । बीनगांव माइनर में तो बीनगांव के बाद पिछले 30 साल से पानी नहीं आया और रतवासिया माइनर में भी पिछले 30 साल तथा इसी प्रकार मिर्रा कलां को जाने वाली माइनर आदि के अन्तिम छोर तक एक बार भी पानी नहीं पहुंचा, यही हाल काशीपुर माइनर (मौरावां ब्रांच) का रहा, मौरावां ब्रान्च की शाहपुर रजबहा में बरवा खुर्द गडरियन खेड़ा के किसानों को पानी नहीं मिला, इस रजबहा में असरेन्दा तक 10 साल से पानी नहीं गया । पारा माइनर भी ऐसी ही रही । हिलौली रजबहा में मवई के बाद 10 साल से नरीचक रजबहा में लच्छीखेड़ा के बाद 10 साल से पानी नहीं गया, लोटना माइनर में कभी पानी नहीं गया ।

पुरवा विधान सभा क्षेत्र की पूरी नहर प्रणाली बेकार हो चुकी है । लाखों रुपये की रबी व खरीफ की फसल बर्बाद हो चुकी है । इसलिए जनता दल ने बेकार पड़ी नहरों को पाटकर बन्द कर देने के लिए आन्दोलन का सूत्रपात कर दिया है। इसी फरवरी माह 89 के अंतिम सप्ताह में नहरें पाटी जानी हैं।

नहरों में पानी न आने और नहरें पाटे जाने की घोषणा से उत्पन्न अव्यवस्था की आशंका की अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या की ओर आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद वाराणसी की सेवापुरी ब्लाक में वरुणा नदी पर स्थित जर्जर पुल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राज किशोर सिंह–

[मान्यवर, वाराणसी जनपद के सेवापुरी ब्लाक अन्तर्गत पंचकोशी मार्ग पर स्थित ग्राम रामेश्वर के पास वरूणा नदी का पुल बहुत पुराने जमाने का बना हुआ है । इसके सारे सामान बिल्कुल सड़ गये हैं । इस पुल की जिन्दगी बहुत पहले से खत्म हो चुकी है । इसकी नींव में बिल्कुल दम नहीं रह गया है और इतना जर्जर हो चुका है कि किसी क्षण अचानक धराशायी होकर भीषण हादसा का कारण बन जायेगा ।

पंचकोशी मार्ग से देश के विभिन्न अचलों से भक्तगण व अद्धालु तीर्थ यात्रा करने के सिलसिले में गुजरते हैं रामेश्वर एक तीर्थ स्थल है । पुल के जर्जर होने से इन तीर्थ यात्रियों के जिन्दगी के लिए हर क्षण खतरा बना हुआ है । यातायात व आवागमन के योग्य प्रश्नगत पुल कतई नहीं रह गया है । जनता को महान कष्ट हो रहा है और अपूर्णीय आर्थिक क्षति शासन व आम जनता को हो रही है।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नये पुल के निर्माण के लिए शासन की ओर से कोई पहल न होने से जनता में असन्तोष व्याप्त है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन में रखते हुए शासन से नये पुल निर्माण की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा की तहसील फिरोजाबाद के ग्राम डबरई में हुए अग्निकाण्ड से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रघुवर दयाल वर्मा–

[मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन के संज्ञान में एक हृदय विदारक घटना का विवरण लाना चाहता हूं कि दिनांक 10-2-89 को फिरोजाबाद के ग्राम डबरई (दांरेली) के किसान श्री गीतम सिंह, मुन्शीराम, मुरारीलाल, रामदास के घरों में रेल इंजन से कोयला छूट जाने से आग लग गई जिसमें उनका सब कुछ जल गया, खुले में पड़े हैं।

ग्राम बरगदपुर में 7-2-89 को श्री हेतीसिंह के घर में आग लग गई, सब कुछ जल गया, कुछ भी खाने को नहीं बचा है।

मुझे खेद है कि अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई, तुरन्त समुचित सहायता की मांग करता हूं।]

मांट ब्रान्च गंगा नहर, जिला मथुरा में पानी की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सरदार सिंह–

[मान्यवर, मांट ब्रांच गंगा नहर मथुरा में इस समय पानी न होने के कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र के हजारों किसानों की फसल सूख रही है। खारे पानी होने के कारण किसानों पर सिंचाई हेतु अन्य कोई साधन नहीं है। मांट ब्रांच की टेल है इस कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पानी बहुत कम आता है। जल आबंटन का कार्य अधीक्षण अभियन्ता (प्रथम) मेरठ करते हैं इस कारण वह मांट ब्रांच के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। किसानों को गत खरीफ की फसलों से भी हाथ धोना पड़ा है। पानी के अभाव के कारण वर्तमान फसल के अच्छे होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जो पानी मिला है वह कम है। महाबन पिन्डारी, कटैला, कारब, कुरसन्डा, जुगसना, छगेहंटा, बल्देव, पचावर, माइनर डेहेरुवा एवं खरवा राजवाहे एवं माइनरों की टेल फीड नहीं हो पाई है। किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। बेरहमी से जिला प्रशासन वसूली कर रहा है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को शासन के संज्ञान में लाते हुए मांट ब्रांच में गंगा नहर को अविलम्ब जारी करने की मांग करता हूं।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के दैनिक श्रेणी लिपिकों की सेवा विसंगतियों को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हर्ष वर्धन–

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के दैनिक श्रेणी लिपिक वर्ग के कर्मचारी विगत एक माह से आन्दोलनरत हैं। शक्ति भवन, लखनऊ के समक्ष विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन के नेता श्री वी0 एन0 कपूर गत 6 फरवरी, 1989 से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इन लोगों की मांग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त, 1988 में एक निर्णय कर सभी दैनिक श्रेणी लिपिकों की वेतन विसंगति को समाप्त किया था, जिसका क्रियान्वयन करने में शासन द्वारा अनावश्यक रूप से विलम्ब किया जा रहा है। परिणामस्वरूप सम्बन्धित वर्ग के कर्मचारियों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार दिया जाने वाला वेतनमान नहीं मिल पा रहा है। संबंधित अनशन के चलते कार्यालय कर्मचारियों में व्यापक रोष एवं निराशा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस विषय को माननीय अध्यक्ष जी की अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद इटावा के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कमलेश कुमार पाठक–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जनपद इटावा के परगना औरैया में स्थित ग्राम सानपुर भरसैन, इकौरापुर, माल्हेपुर, भीखापुर, क्योंटरा एवं टाउन एरिया फफूंद में ट्रांसफार्मरों की खराबी से विगत दो महीनों से बिजली नहीं पहुंच रही है। जिससे विद्यार्थियों को अध्ययन में घोर असुविधा हो रही है तथा बिजली पर आधारित उपरोक्त ग्रामों में सभी लघु उद्योग धन्धे बन्द पड़े हैं और अंधेरे के कारण चोरी आदि की घटनायें भी बढ़ गई हैं। उपरोक्त ग्रामों के नागरिकों के द्वारा स्थानीय विद्युत अधिकारियों को कई बार प्रार्थना-पत्र देने के बाद भी ट्रान्सफार्मरों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जिससे इन ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की उदासीनता पर घोर असंतोष व्याप्त है। बिजली न पहुंचने से जन जीवन प्रभावित हो रहा है।

अतः इन ग्रामों में ट्रान्सफार्मरों की व्यवस्था कराये जाने के लिए सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

आज की कार्यसूची के नत्थी 'ख' तारांकित प्रश्न संख्या 3 को निरस्त किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, प्रश्नों के संबंध में एक बात पूछना चाहता हूं । आज दिनांक 13 फरवरी, 89 को नत्थी (ख) तारांकित प्रश्न संख्या-3 को न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निरस्त कर दिया गया । मुझे इस संबंध में आपसे निवेदन यह करना है कि इस प्रश्न के संबंध में सन् 87 से न्यायालय में और मामलों में मुकदमा चल रहा है । इस प्रश्न का उत्तर वर्ष 87 के सत्र के प्रथम मंगलवार को दिया गया । इसके बाद विधान सभा के द्वितीय सत्र के पहले गुरुवार के लिये यह प्रश्न निर्धारित था, तब भी इसका जवाब दिया गया । इसके बाद यही प्रश्न वर्ष 1988 के प्रथम सत्र के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित था, तब भी इसका उत्तर दिया गया । जबकि मामला न्यायालय में अपनी जगह चलता रहा । परन्तु आज इसे न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निरस्त कर दिया गया । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी इस विभाग द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया गया, बराबर इसको टालते रहे । कभी स्थगित करा दिया । मेरा अनुरोध है कि विधान सभा के प्रश्न विभाग में प्रश्नों को कैसे निरस्त किया जाता है, इस चीज को आप सुनिश्चित करा लें और इसको आप देखें ।

जनपद बुलन्दशहर के थाना कोतवाली के ग्राम साखनी में सामूहिक हत्याकाण्ड के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, हमने कौशिक जी व रेवती रमण जी की तरफ से नियम 300 में सूचना दी है, उसी के संबंध में जानना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपने जो बिन्दु उठाये हैं, वह नियम 300 के अर्न्तगत नहीं आते हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आप पहले हमारी बात को सुन लीजिये, उसके बाद अपना निर्णय दें, जो मुझे शिरोधार्य होगा । लेकिन आपने तो बिना सुने ही फैसला कर लिया । मुझे अफसोस इस बात का है कि यह आपके ही गांव का मामला है और आप इसे सुनने को तैयार नहीं हैं । मान्यवर, यह बहुत गंभीर मामला है और जनपद बुलन्दशहर में साखनी गांव में 11 लोगों की हत्या से संबंधित है ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह जिस गांव की भी बात हो, गांव नियमों से बड़ा नहीं है । नियम का पालन पहले होगा । आपने जो मामला दिया है, वह नियम 56 के लायक है । जिस दिन 56 होगा, उस दिन आपका हो जायगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, अगर इस मामले में पुलिस द्वारा तुरन्त कार्यवाही कर दी गयी होती, तो कोई बात ही नहीं थी । अभी कल ही मेरठ में 9-10 व्यक्तियों की हत्या कर दी गयी । मान्यवर, जो मुख्य अभियुक्त हैं, उनको सरकार की तरफ से संरक्षण मिल रहा है । एक रिपोर्ट पहले भी दी जा चुकी है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम-56 हाउस ने निरस्त कर दिया है । जो ईश्यू आपने उठाया है वह नियम-56 का है । जिस दिन नियम-56 आयेगा, उस दिन आप इसे उठा लेना । नियम-300 में यह नहीं आता है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

इसका मतलब यह हुआ कि नियम-56 में आप इसे स्वीकार करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

स्वीकारने वाली बात नहीं है । मैं तो कह रहा हूं कि जिस दिन नियम-56 आयेगा, उस दिन आप इसे उठाइये । उस दिन आप नोटिस दीजिए ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, आप सरकार को निर्देश तो दे दीजिए । उस गांव में मुल्जिम आतंकित कर रहा है । गांव में मरघट की तरह सन्नाटा छाया हुआ है । जिला प्रशासन व सरकार मुल्जिमों को संरक्षण दे रही है । इसका कोई तो इलाज होना चाहिए ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो विषय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने उठाया है, उसकी तरफ मैं भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आपने कहा कि नियम-56 में आज यह नहीं दिया जा सकता है । समस्या बहुत ही अविलम्बनीय महत्व की है । जो भावना श्री मुलायम सिंह यादव जी ने रखी है, उससे मैं अपने को भी सम्बद्ध करता हूं । नियम-51 में मैंने भी वह सूचना दी है । आप उसे स्वीकार भी कर लेंगे और शासन को वक्तव्य के लिए निर्देशित भी कर देंगे, किन्तु वक्तव्य देने मात्र से इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है । आज वहां पर मुख्य अभियुक्तों को सरकार जानबूझकर संरक्षण दे रही है । समय रहते एहतियाती तौर पर सरकार ने कार्यवाही की होती तो यह हृदय-विदारक घटना वहां पर न होती । आज सरकार के पास इस संबंध में जो भी सूचना है, उससे वह सदन को अवगत करायें ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, जो मामला उठाया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है । पूरे प्रदेश की जनता आतंकित है । लोग असुरक्षा की भावना से त्रस्त हैं । आपके जिले का मामला है । जहां तक तकनीकी बात है, आपकी बात शिरोधार्य है । इस पर आपको शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

जब वक्त आयेगा तो मैं शासन का ध्यान आकर्षित कर दूंगा, किन्तु इस वक्त नहीं ।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

नियम-56 में यह आयेगा नहीं । नियम-300 में इसे आप स्वीकार करेंगे नहीं, तो फिर इसका निराकरण कैसे होगा ? ग्यारह आदमी मार दिये गये । पूरे गांव में आतंक फैला हुआ है । मुख्य अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं । आप कहते हैं कि बाद में देखा जायेगा ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने तो पूर्व में ही कहा कि नियम-300 में यह नहीं आता है। जब नियम-56 आयेगा तो आप इसकी नोटिस दीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, आपके गांव का ही मामला है।

श्री उपाध्यक्ष–

सवाल गांव का नहीं, सवाल नियम का है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

कोई गम्भीर घटना हो जाय, आप देखेंगे नहीं। 4 दिन तक नियम-56 आयेगा नहीं और आप इस पर कुछ करेंगे नहीं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय उपाध्यक्ष जी ने कहा कि नियम 56 में इसको स्वीकार कर लेंगे। अब इसमें दो बातें हैं। एक तो मुख्य अभियुक्त शमशुल खां अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। दूसरे, सरकार का, जिला प्रशासन का और एस0 एस0 पी0 का उस मुख्य अभियुक्त को पूरा संरक्षण है। इसीलिये 11 हत्यायें हुई हैं। जिला प्रशासन को सूचना दे दी गयी थी, दिल्ली से कुछ लोग आये थे एक मृतक को दफनाने इसके बाद भी 11 हत्यायें हो गयीं। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें जिम्मेदारी किसकी है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो लोग दिल्ली से आये थे, वह पुलिस के पास गये थे, श्रम मंत्री जी के घर भी गये थे।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें, जिस दिन चर्चा हो उस दिन बोल लीजियेगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय मुलायम सिंह जी, रेवती रमण जी, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी और कौशिक जी ने जो प्रश्न उठाया है, यह निर्णय हो चुका था कि नियम 56 में, जब तक श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है, कोई बात नहीं ली जायगी। एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ मा0 सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है। स्वयं आपने कहा है कि जब नियम 56 को लेंगे तब ले लेंगे। उस समय तक जितनी भी जानकारी हो सकेगी, सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायगी। माननीय मुलायम सिंह जी ने जो शंका व्यक्त की है कि सरकार संरक्षण दे रही है, तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार न क्रिमिनल्स को, न मुलजिमों को किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। उनके विरुद्ध जो भी कार्यवाही होगी, की जायेगी। उनके साथ कोई रियायत नहीं की जायगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आज सदन के उठने के पहले पूरी जानकारी ले लें। अभी उस अभियुक्त के मकान पर कुड़की भी नहीं गयी है।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया आप बैठें ।

दिनांक 9 फरवरी, 1989 को निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 2 को निरस्त किए जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैंने जो औचित्य का प्रश्न दिया है, गेहूं का उत्पादन लागत मूल्य क्या होता है, इस पर श्री हृदय नरायन दीक्षित का एक प्रश्न था, जो कि द्वितीय सत्र 1988 के प्रथम गुरुवार 6-10-88 को आया । हमारी जो प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमावली है उसके नियम 29 में अल्पसूचित स्वीकार किये जाते हैं, नियम 30 में तारांकित और अतारांकित स्वीकार किए जाते हैं । अगर कोई प्रश्न गोपनीयता के आधार पर निरस्त किया जाना होता है तो हमारी नियमावली के नियम 28 (15) में इसकी व्यवस्था है, उसको नकारते हुए आपकी पीठ से उस प्रश्न को स्वीकार किया गया था । माननीय अध्यक्ष महोदय ने नियम 34 में उसके लिए प्रथम गुरुवार का दिन भी निर्धारित कर दिया । नियम 32 में माननीय सदस्य को माननीय मंत्री जी के अन्तरिम उत्तर की प्रति भी उपलब्ध करा दी गयी । नियम 36 में निर्धारित तिथि पर मा0 मंत्री जी ने उत्तर भी दे दिया । जब इस सत्र में वह प्रश्न लगा एजेन्डा में आइटम नं0 2 पर था तो कह दिया कि "गोपनीयता के आधार पर निरस्त" ।

मेरा एक निवेदन है दो ही अवसर होते हैं किसी प्रश्न को स्वीकार या अस्वीकार करने के । एक तो नियमावली के नियम 28 (15) के अनुसार गोपनीयता के आधार पर निरस्त कर सकते हैं । दूसरे जब मा0 मंत्री जी उत्तर देंगे तो नियमावली के नियम 38 (3) में व्यवस्था है कि वह कह सकते हैं कि "लोकहित में उत्तर देना उचित नहीं है" यदि आप उनके इस तर्क से सहमत हों तो उत्तर देने की सहमति दे सकते हैं । ये दोनों बातें नहीं हुईं । मा0 मंत्री जी ने अपने अन्तरिम उत्तर में कहा कि "सूचना एकत्रित की जा रही है" जब इस सत्र में एजेण्डा पर आया तो कहा कि गोपनीयता के आधार पर निरस्त कर दिया गया । मेरा एक निवेदन है कि गोपनीयता का बहाना लेकर जो इस प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है इस सरकार द्वारा, इस पर आपका संरक्षण चाहता हूं । असलियत यह नहीं है, असलियत यह है कि सरकारी फार्मों पर जो गेहूं की उत्पादन लागत आती है वह सपोर्ट प्राईस से कहीं ज्यादा है । इसका जो जवाब दिया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है, तो सूचना तो आ गयी है और उससे ये बौखला गए हैं और अब बहाना बना कर गोपनीयता के आधार पर उत्तर को टालना चाहते हैं, यह एक षड़यंत्र है । मुख्य मंत्री जी, यह संक्रमण काल है, आप यह याद रखिए कि राजीव गांधी की सरकार का यह आखिरी बजट सत्र है, इसलिए आप कोई ऐसी व्यवस्था न कीजिए कि आगे लोग याद करें कि आपके द्वारा प्रदेश के किसानों का शोषण किया गया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

चूंकि नियमों के अन्तर्गत ऐसे एक प्रश्न का उत्तर सदन में, एक बार, इसका अन्तरिम उत्तर दे दिया गया है और अब यह गोपनीयता के आधार पर निरस्त किया जा रहा है। इसलिए मैं इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में लाकर आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने माध्यम से इस प्रश्न को अल्पसूचित प्रश्न के रूप में किसी दिन कार्यसूची पर निर्धारित करें जिससे कि इस प्रश्न का सही उत्तर सामने आ सके।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी जो माननीय तिवारी जी ने सवाल उठाया है वह औचित्य का सवाल बनता है। इसमें गोपनीयता का कोई सवाल नहीं है। आप कानपुर के चन्द्र शेखर आजाद विश्वविद्यालय की टेबिल मंगा कर देख लें कि वहां कितना खर्चा आया, यह किसानों के साथ षड्यन्त्र किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, यह उत्तर को छिपाने की साजिश है। पन्तनगर यूनीवर्सिटी, फैजाबाद की यूनीवर्सिटी या कानपुर की यूनीवर्सिटी जो है उससे पता किया जा सकता है। सरकार ने कह दिया, भजन लाल ने घोषणा कर दी कि गेहूं का समर्थन मूल्य 183 रु0 प्रति क्विन्टल है जबकि मेरी जानकारी है कि इस वर्ष पन्तनगर विश्वविद्यालय ने कानपुर के चन्द्र शेखर आजाद विश्वविद्यालय ने तथा फैजाबाद विश्वविद्यालय ने कहा है कि इस वर्ष गेहूं का लागत मूल्य कम से कम 247 रु0 आया है और आपने उसका मूल्य केवल 183 रु0 तय कर दिया ? मान्यवर, इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है और न किसी प्रकार की गोपनीयता का सवाल है। अगर इनकी सूचना की आवश्यकता है तो आप टेलीफोन करिये, मान्यवर, आप अपने चैम्बर से ही फोन करके पूछ लीजिए कानपुर से, फैजाबाद से या फिर पन्तनगर से कि उनकी लागत कितनी है, कितना इसमें खर्चा आया है। ये सदन में यह बात इसलिए नहीं बताना चाहते हैं कि सारे किसानों के साथ यह जो बेइन्साफी की जा रही है उसको ये छिपाना चाहते हैं, यह एक साजिश है। उपाध्यक्ष महोदय, यह औचित्य का सवाल है और इसे आप स्वीकार कीजिए।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो हो गया।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, मैंने सूचना दी है।

श्री उपाध्यक्ष–

अच्छा, एक मिनट में कहिये।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जैसा अभी माननीय तिवारी जी ने औचित्य का प्रश्न उठाया है उसी पर मैं भी बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह ऐसा मामला है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और गम्भीर है और साथ ही ऐसा लगता है कि विधायकों का जो विशेषाधिकार है उसको कम करने की साजिश में [x x x] शामिल है। उत्तर प्रदेश में गेहूं के समर्थन मूल्य की घोषणा कम

नोट–[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कीमत पर की गई है जबकि गेहूं की लागत का मूल्य उससे कहीं अधिक आता है और जब इस पर प्रश्न किया जाता है जैसा कि मेरा अपना प्रश्न था तो सरकार कह देती है कि "सूचना एकत्रित की जा रही है।" इस सत्र में पुनः जब यही प्रश्न आया तो मुझे लिखकर मिला कि गोपनीयता के आधार पर प्रश्न निरस्त कर दिया गया है। मान्यवर, इस प्रश्न से किसी दूसरे देश को लाभ पहुंचने वाला नहीं था। किसी प्रश्न को गोपनीयता के आधार पर कब निरस्त किया जाता है, यह नियमावली में स्पष्ट है। अगर उसमें कोई सरकार की या मंत्रि-मंडल की किसी प्रकार की गोपनीयता भंग हो रही होती तो कोई बात भी थी, परन्तु वहां पर ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरे द्वारा सिर्फ यह प्रश्न किया गया था कि उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा गेहूं प्रति क्विंटल लागत क्या निर्धारित की गयी है, इसके अंदर गोपनीयता का प्रश्न कहां से उत्पन्न हो गया। इससे मान्यवर, यह स्पष्ट हो रहा है कि इस सरकार द्वारा इस प्रदेश के किसान का खुलेआम शोषण हो रहा है। मान्यवर, मेरे हिसाब से उत्पादन लागत प्रति क्विंटल 252 आती है समर्थन मूल्य इससे कम है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठें, अब इस विषय में कोई चर्चा नहीं करेंगे, जब इसका अवसर दिया जायेगा तो उस समय . . .

(एक साथ कई सदस्यों के बोलने से सदन में शोर)

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर, आपने अभी कहा कि श्री हृदय नरायन जी का नाम है, इसलिए उनको बोलना है आप कृपया यह बताने का कष्ट करें, कि अब तक इस विषय में जिन लोगों ने भाग लिया है क्या उन लोगों के नाम इसमें थे, यदि उनके नाम उसमें नहीं थे, तो कृपया मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाय।

मान्यवर, प्रदेश के आर्थिक जीवन का किसान मेरुदण्ड है प्रदेश का मुख्य आर्थिक स्रोत जो है वह है रबी के फसल में गेहूं का उत्पादन। परन्तु इस ओर इस सरकार द्वारा बजाय किसानों के प्रोत्साहन बढ़ाने के उनका खुलेआम शोषण किया जा रहा है। जब इस आशय का एक प्रश्न इस सदन के अंदर आया कि गेहूं की लागत क़ीमत क्या है तो उसका जवाब भी उसी प्रकार से स्पष्टतया आ जाना चाहिए था। गोपनीयता के बहाने इसको छिपाने का कोई औचित्य नहीं है परन्तु इस कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों के हितों का पहले भी हनन किया गया है और आज भी

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया आप बैठें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, जो बात माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने कही है वह इस प्रकार नहीं है । जो प्रश्न माननीय हृदय नरायन दीक्षित द्वारा किया गया था, जिसमें यह अंतरिम उत्तर दिया गया था कि अंतरिम सूचना आ चुकी है तथा अन्य सूचनायें एकत्र की जा रही हैं और यदि सरकार की मंशा साफ न होती तो किसी न किसी सहारे को लेकर प्रश्न टाला जा सकता था जैसे "माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी करण का ही सहारा लिया जा सकता था जिसे आप पृष्ठ "8" पर नियम 27 में देख सकते हैं जिसमें स्पष्टतया दिया गया है कि "यदि किसी प्रश्न में कोई ऐसा दोष हो जिसको दूर करके कार्यालय प्रश्न को नियमानुकूल बना सकता हो तो उसको कार्यालय सुधार दे । यदि कोई ऐसा प्रश्न भी स्वीकार हो जाए जो नियमानुसार नहीं है तो सरकार को जो 15 दिनों की सूचना दी जाती है, उसके भीतर सरकार अभ्यावेदन कर सकती है कि प्रश्न अमुक नियम के अमुक उपबंध का उल्लंघन करता है या प्रश्न अस्पष्ट अथवा अनिश्चित है। अध्यक्ष द्वारा उस प्रश्न पर पुनर्विचार किया जा सकता है।" लेकिन ऐसा कोई सहारा इस प्रश्न में लिया नहीं गया है और न ही जनहित का सहारा लिया गया है, इसलिए ऐसा किसी भी बात को कहना उचित नहीं है और अब उस पर अपील या औचित्य का प्रश्न कहां आता है ? यह प्रश्न औचित्य के योग्य नहीं बनता है। तिवारी जी जो अपनी बात कहना चाहते थे, उसको उन्होंने कह दिया । आप इसको अस्वीकार करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर अध्ययन के बाद मैं अपना निर्णय दूंगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, सरकार गेहूं के लागत मूल्य को नहीं बता रही है। हम लोग सरकार की इस नीति के खिलाफ सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

यह सरकार संसदीय परम्पराओं को तोड़ रही है। सरकार जानबूझकर सारे तथ्यों को छिपा रही है। इसके विरोध में हम लोग वाक आउट करते हैं।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, सरकार के इस रवैये से जो किसान विरोधी है, हम लोग सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, अम्मार साहब ने सही कहा है कि ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर देना जनहित में न हो, उनके बारे में तो गोपनीयता के कारण का उत्तर दिया जा सकता है । लेकिन जो प्रश्न यहां पर है, वह ऐसा नहीं है जिससे कोई सरकार की

नीतियों की गोपनीयता भंग होती हो । अगर सरकार इस प्रकार के उत्तर देती है, तो मैं उसका विरोध करता हूं और सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री कौशिक रमाशंकर भी अपने समुदाय सहित सदन त्याग कर चले गये)

जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा सरकारी खर्चे पर कांग्रेस पार्टी की मीटिंग कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री सूर्य प्रताप शाही–

माननवर, मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि संविधान के अन्तर्गत. . . .

श्री उपाध्यक्ष–

आपने कोई धारा वगैरह तो दी नहीं है। मैं इसको समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

आप मेरी बात को सुन लें । मेरा यह औचित्य का प्रश्न बनता है । आप सुन तो लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

जी नहीं, यह नहीं बनता है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

सरकार प्रशासन तंत्र को अपने हितों को पूरा करने के लिये उसका दुरुपयोग कर रही है ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह नियम 300 में नहीं आता है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

देवरिया के जिलाधिकारी ने सरकारी खर्चे पर इनकी पार्टी की मीटिंग करायी। उसकी सारी व्यवस्था सरकारी खर्चे पर की गयी ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह नियम 300 में नहीं आता है। आप बैठ जाइये ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

उत्तर प्रदेश की साढ़े 13 करोड़ जनता पर जो कर लगाया जाता है, राजस्व वसूली किया जाता है, उसका दुरुपयोग किया गया है । एक पार्टी ने प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग किया है। मेरा यह औचित्य का प्रश्न बनता है । आप इसका स्वीकार करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष–

विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 9 फरवरी, 1988 की बैठक में सिफारिश की है कि सदन का दिनांक 16 फरवरी से 27 फरवरी, 1989 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय :–

फरवरी, 1989

16 गुरुवार	राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (चौथा एवं अंतिम दिन) ।
17 शुक्रवार	असरकारी कार्य (पूरा दिन) ।
18 शनिवार 19 रविवार 20 सोमवार	बैठक नहीं होगी ।
21 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (पहला दिन) ।
22 बुधवार	वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (दूसरा दिन) ।
23 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (तीसरा दिन) ।
24 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (चौथा दिन) ।
25 शनिवार 26 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
27 सोमवार	वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (पांचवा एवं अंतिम दिन) ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को दी है, सहमत है ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है और जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष ने सदन को दी है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल, आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक 1989 †

ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री-कराधान (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1989 †

ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आबकरी (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(श्री लाल प्रताप सिंह का नाम पुकारे जाने पर घोर व्यवधान)

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । दिनांक 5 फरवरी को माननीय मुख्य मंत्री जी ने फिरोजाबाद जिले का वहां पर उद्घाटन किया और यह घोषणा कर दी गई कि फिरोजाबाद

---

†दिनांक.....1989 के असाधारण गजट को विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

†दिनांक.....1989 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

जिला बना दिया गया है लेकिन उस जिले में एतमादपुर ब्लाक जिसमें 52 गांव सभायें हैं, वे सब फिरोजाबाद जिले में शामिल कर ली गई हैं जब कि एतमादपुर आगरे से 12 किलोमीटर और फिरोजाबाद से 40 किलोमीटर दूर है । सिरसागंज और अरांव ब्लाक जो कि फिरोजाबाद की सीमा से लगा हुआ है उसको फिरोजाबाद में शामिल नहीं किया गया है और इससे वहां की जनता आन्दोलन कर रही है । वहां की जनता आगरे में रहने के लिये आन्दोलन कर रही है । लेकिन सरकार की हठधर्मी के कारण, जन भावना, भौगोलिक और सांस्कृतिक एवं आर्थिक तथा व्यापारिक स्थिति का खुला उल्लंघन करके जनता की इच्छा के विपरीत इन्हें फिरोजाबाद जिले में शामिल किया जा रहा है . . ((व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है . . . (व्यवधान)

श्री बदन सिंह–

वहां की जनता चाहती है कि . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप यह किसी नियम के अन्तर्गत उठायें । . . . (व्यवधान) आप नियमानुसार चलें ।

(श्री चन्द्रभान मौर्य के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री चन्द्रभान जी, आप नियमानुसार आइये । व्यवस्था के प्रश्न को लेकर, इसे न उठायें । इसमें सदन की किसी व्यवस्था का सवाल नहीं है ।

श्री चन्द्रभान मौर्य–

इस विषय पर आप चर्चा करा दें । . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इस सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं होने दूंगा । कृपया बैठें ।

(श्री चन्द्र भान मौर्य के अपने स्थान पर खड़े रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें, इस तरह से व्यवस्था बिगड़ेगी, नियमानुसार लिख कर भेजियें ।

(व्यवधान)

श्री गोपी नाथ वर्मा—

[x x x]

क्या आप व्यवस्था का प्रश्न भी नहीं सुनेंगे ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

क्या सुनाना है ?

श्री गोपी नाथ वर्मा—

[x x x]

नोट- [xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । (व्यवधान) यह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें, नहीं लिखा जायेगा ।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी जो सूचना है वह अलग से आयेगी ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

*श्री लाल प्रताप सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपकी इजाजत से यह तजवीज पेश करता हूं कि "यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 8 फरवरी, 1989 को दिया है, कृतज्ञता-पूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ।"

माननीय उपाध्यक्ष जी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद पर चर्चा आरम्भ करते हुए मैं सबसे पहले आदरणीय सभी विधायकों को हृदय से नव वर्ष की मुबारकबाद देता हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

बहुत देर में दे रहे हैं ।

श्री कौशिक राम शंकर—

हर साल यह मौका आपको ही मिलता है इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, माननीय राज्यपाल महोदय का भाषण बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही प्राणदेय है । उन्होंने साल भर की हमारी पालिसीज और प्रोग्राम के संबंध में ध्यान आकर्षित किया है । क्या कार्य हमने गुजिस्ता साल में किये और किस तरह वर्तमान को साकार होकर वह हमारे सामने भविष्य में आयेंगे । इन सबकी रूप-रेखा हमारे सामने रखी है । राज्यपाल महोदय का अभिभाषण बहुत ही सोलेम होता है । ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स में इसे ग्राण्ड इंक्वेस्ट आफ दि नेशन कहते हैं । मैं आशा करता हूं कि इसकी शालीनता बरकरार रखी जानी चाहिए । मैंने उनके

नोट—[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

अभिभाषण को बड़े गौर से सुना और गहराई से अध्ययन किया । जिन प्रश्नों पर उन्होंने प्रकाश डाला है वह हमारे जीवन से गहराई से जुड़े हुए हैं और वह इस कदर गहराई से जुड़े हैं कि उन पर संजीदगी से विचार विमर्श करने की जरूरत है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने बहुत ही संजीदगी के साथ तकरीर फरमाई और यही नहीं जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया, भाषा से मेरा मतलब जो भाव उस भाषा में लिपटे हैं शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो उससे प्रभावित न हुआ हो, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उनको धन्यवाद न दे ।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने हम सभी से कुछ अपेक्षा की है कि हम सभी अपनी जिम्मेदारी के प्रति अंजाम देंगे, अपनी ड्यूटी निष्ठापूर्वक देंगे । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी इच्छा की पूर्ति करने में हम सभी कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे ।

मान्यवर, अब मैं कुछ जो सफलतायें, अचीवमेंटस, हैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । कुछ छठी पंचवर्षीय योजना के संबंध में कहना चाहता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना 1985 में समाप्त हुई और बहुत बड़ी उपलब्धि हमको हर क्षेत्र में मिली । कृषि, उद्योग, साइन्स एण्ड टेक्नालोजी, शिक्षा के क्षेत्रों में और विकास के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें हमको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई और पूरी तरह से सफलता छठी पंचवर्षीय योजना में मिली और पूरी हुई । यही नहीं, इसके इतने सुदृढ़ आधार कायम हुये कि उसके मुकम्मल होने से सातवीं पंचवर्षीय योजना एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई गयी और यह योजना एक मार्च, 1985 से शुरू हुई और अंतिम वर्ष में है । इसमें हमने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की । छठी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य 5.2 प्रतिशत रखा था विकास दर का वह पूरा हुआ । यही नहीं खाद्यान्न के संबंध में और अन्य क्षेत्रों में हमें आशातीत सफलता प्राप्त हुई ।

इसलिये निवेदन किया और मा0 सदस्यों के सामने यह बात रखी कि हमारा जो आर्थिक ढांचा है वह एक मजबूत ढांचा तैयार हुआ और हम एक ऐसी आर्थिक स्थिति में आ गये हैं कि हम दूर तक चल और सोच सकते हैं । यह सातवीं पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष है और इसके सम्बन्ध में बजट 14 फरवरी को मुख्य मंत्री जी प्रस्तुत करेंगे और इसके पहले भी 12 जुलाई 1985 को यहीं बजट प्रस्तुत किया था जब सातवीं पंचवर्षीय योजना का आरम्भ हुआ था । मान्यवर, जैसा महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बताया है कि 11 हजार करोड़ रुपये की योजना है । यह योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना है और जो लक्ष्य रखा है, विकास की दर, जो होगी वह, 6 प्रतिशत है ।

मान्यवर, अभी तक जो कामयाबी, जो सफलता मिली है उसकी पूरी उम्मीद है कि हम बहुत से क्षेत्रों में लक्ष्य से आगे जायेंगे । मान्यवर, अब मैं कुछ खास बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सफलता क्या मिली है और किस तरह से वर्क सिस्टम मजबूत हुआ है। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के माध्यम से, उनकी खूबियों का रिफलेक्शन हर क्षेत्र में हुआ है और वर्क सिस्टम में एक आर्थिक कल्चर पैदा हुआ है । उस सिस्टम में, वर्क सिस्टम में मुख्य मंत्री जी ने नीचे से ऊपर तक एक इस तरह का मानीटरिंग सिस्टम लागू किया है, जिससे

वर्क कल्चर लागू हुआ है और शुरू हुआ है, जिसकी बहुत हमें जरूरत थी। उसी के चलते हमारे विभिन्न कार्यक्रम और बीस सूत्री कार्यक्रम पूरी तरह से इम्पलीमेंट किये जा रहे हैं और उन पर पूरी निगाह रखी जा रही है और इस वर्क सिस्टम के माध्यम से ही हम देश को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज और है अभिभाषण में और वह यह है कि जो शिकायत होती थी कुछ निर्बल वर्ग या शैड्यूल्ड कास्टस वर्ग के लोग सर्विसेज में नहीं आते हैं और उनके लेखा जोखा की शिकायतें होती थी, तो इस सम्बन्ध में बहुत बड़ी बात अभिभाषण में कही गयी है कि वह मामला अब लोकायुक्त को दिया जा रहा है। अब एक जुडिशियल सिस्टम इसमें इन्वाल्वड हो गया है। उसकी रिपोर्ट होगी और उस पर विचार विमर्श यहां होगा। यह अब तक नहीं हुआ था, जिस पर शिकायतें आती रहती थीं। मैं चाहता हूं और समझता हूं कि यह जुडिशियल सिस्टम एक इंस्टीट्यूशनल शेप लेगा और इससे किसी को शिकायत नहीं रह जायगी।

महामहिम राज्यपाल जी ने और भी बहुत चीजों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जिनका मैं यहां पर जिक्र करना चाहता हूं। अभिभाषण पढ़ने से साफ जाहिर होता है कि हमारी रियायत में तथा स्टेट में एक क्लाईमेट पैदा हुई है, एक सुन्दर क्लाईमेट पैदा हुई है प्रदेश और देश को आगे ले जाने की। यह भी जाहिर है कि हम किसानों को हर तरीके की सुविधा तो प्रदान कर ही रहे हैं . . (व्यवधान) आप सुनें तो, आपका नजरिया तंग है। वह न हो तो आप बहुत कुछ देख सकते हैं। बहुत सी और सुविधाएं हम उन्हें देने जा रहे हैं, उनका भी जिक्र मैं आपसे आगे करूंगा। इस वक्त जाहिर है कि राज्य में कोई बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने नहीं है। केवल समस्या इस बात की है कि हम एक जुट होकर पूरी मेहनत के साथ प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाएं।

राज्यपाल महोदय ने यह भी कहा है कि जस्टिस के मामले में, मैं वकील होने के नाते उसे आपके सामने रखना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस सबको प्रदान की जाएगी और एक शोध इंस्टीट्यूट शोध पीठ ला के सम्बन्ध में कायम करने की बात कही गयी है। यह बहुत बड़ी बात है। हमारे सारे ला पर शोध हो तो एक बहुत अच्छे ढंग का लीगल सिस्टम वहां पैदा हो जाए। मुझे यह भी कहने में कोई संकोच नहीं है और कहना चाहता हूं कि कर्मचारी समस्या और दीगर लोगों की समस्या बहुत ही अच्छे ढंग से सुलझा दी गई है, जिससे प्रदेश में शान्ति स्थापित हुई। हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं और हमारी आशा है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।

मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण चन्द बातें कहना चाहता हूं। हमने क्या-क्या हासिल किया है, उनको सामने रखना चाहता हूं। इसके पहले कि मैं और विभागों के बारे में आपसे निवेदन करूं, यह भी आपके सामने बताना अपना फर्ज समझता हूं और महामहिम ने भी उसका जिक्र किया है कि किस तरीके से इतना बड़ा कुम्भ मेला जो लगा, जिसमें एक करोड़ से अधिक तीर्थ यात्री आए और महीनों से रह रहे थे, वह पूरी तरह से सक्सेसफुली पूरा हुआ। उसमें किसी किस्म की कोई दुर्घटना नहीं हुई और जो चन्द लोगों को कुछ आशंका थी वह भी दूर हो गई। इसकी तारीफ हर कोई ने की है। जो इलाहाबाद के लोग बाहर बैठे हैं उन्होंने भी तारीफ हमारी की और कहा बहुत कुछ हुआ है। बसों के संबंध में कुछ नयी तकनीक अपनाई गई जिसकी वजह से कोई मुसाफिर

एसा नहीं रहा जिसकी वजह से भीड़ इकट्ठी रही हो, सारी व्यवस्था बहुत बेहतरीन रही। इसके लिए मैं सरकार को, मुख्यमंत्री जी को तथा परिवहन मंत्री जी को बधाई देता हूं। जिस तरह से देश का सबसे बड़ा मेला हैण्डल हुआ है उसके लिए यह बधाई के पात्र हैं। उर्दू के बारे में कहना चाहूंगा। उर्दू के विकास के लिए माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कहा है उर्दू बहुत ही शीरी-कलाम है, बहुत ही मीठी भाषा है मैंने उर्दू पढ़ी है उर्दू विकास के रास्ते पर है इसका विकास होना चाहिए, लेकिन कुछ साम्प्रदायिक विचारधारा के लोग उर्दू से नफरत करते हैं किसी जवान से नफरत नहीं होनी चाहिए। मानसिक कल्चर को ऊंचा उठना चाहिए जब एक जवान दूसरी जवान के करीब आती है तो एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। हम तो चाहते हैं कि थ्री लैंगुएज फार्मूला बनाया जाना चाहिए इसमें दक्षिण की जवान को भी लिया जाना चाहिए, जिससे कि हम और प्रान्तों की भाषा भी सीख सकें। जिन बातों का मैंने आपके सामने जिक्र किया जो बातें मैंने आपके सामने रखीं, उससे इस तरह का माहौल पैदा होता है जिससे मेल-जोल की जड़ें मजबूत होती हैं।

मान्यवर, मैं इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष का पूरा इतिहास राष्ट्रीय एकता का इतिहास रहा है। मेल-जोल का इतिहास है। हमें सदैव कैसे मेल-जोल का वातावरण पैदा हो इसके लिए तत्पर रहना चाहिए। हमारी जो कांग्रेस की सरकार है यह मेल-जोल की सरकार है ऐसी और कोई सरकार नहीं हुई। कांग्रेस की सरकार पर हमें गर्व है.. (माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) जैसा कि मैंने निवेदन किया कि हमने हर क्षेत्र में विकास किया है जो विकास की दर हमने पांचवी पंचवर्षीय योजना में रखी उसको हमने पूरा किया। 6ठी पंचवर्षीय योजना में जो विकास की दर रखी है वह भी पूरी होगी ।

अब हम एग्रीकल्चर को लेते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश अगर कृषि के क्षेत्र में असफल होता है तो हर क्षेत्र में असफल हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है । सरकार ने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से कृषि कमीशन बैठाया और इस बात पर गौर किया गया कि उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए ? कृषि को कैसे बढ़ाया जाए, इससे हमने बहुत कुछ हासिल किया अब हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष आत्मनिर्भर है, प्रदेश आत्मनिर्भर है । अगर मेरी याद खता नहीं कर रही तो मुझे याद पड़ता है कि सारे देश का 35 फीसदी गल्ला हमारे प्रदेश में पैदा होता है । सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो हमने लक्ष्य रखा है उसके अनुसार 1989-90 में 424 मीट्रिक लाख टन गल्ला पैदा होगा । फूड ग्रेन के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा है।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि "देयर हैज बीन एन एक्सप्लोजन इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इण्डिया"...उनका कहना है कि भारतवर्ष में खाद्यान्न उत्पादन में एक विस्फोट हुआ है। इस सिलसिले में हमारा गौरव बढ़ा है। मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि सन् 1949 के आसपास एक-एक दाने के लिये भारतवर्ष तरस रहा था और बाहर से गल्ला मंगाया जाता था लेकिन अब हम गल्ले के मामले में आत्मनिर्भर है। किसी यूरोपियन विद्वान ने कहा है कि यदि भारतवर्ष अपने

गल्ले के मामले में, फूडग्रेन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाता है तो यह एशिया की सबसे बड़ी सफलता है, एशियाई बर्रेआलम की सबसे बड़ी सफलता है । एग्रीकल्चर में, इरीगेशन के सम्बन्ध में उसको माडर्नाइज करने के सम्बन्ध में प्रोग्राम चल रहा है।

मैं आपको बता दूं कि लेटेस्ट साइंस और टेक्नालाजी का प्रयोग एग्रीकल्चर में किया जा रहा है और खेती को माडर्नाइज करने के सिलसिले में अनेक कदम उठाये जा रहे हैं । जो देश हमारे साथ फ्री हुये थे संभवत: कोई और देश नहीं है जिसने एग्री-कल्चर के सिलसिले में इतनी प्रगति की है। इसी सिलसिले में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1980 में एक वल्र्ड कन्जरवेशन स्ट्रेटेजी का प्रोग्राम लांच किया था । उसका बड़ा लाभ हुआ । उसका मतलब था कि जो प्रोडक्टीविटी में डिटीरियोरेशन हो रहा है उसको रोका जाय, स्वायल इरोजन को रोका जाय । इसी सिलसिले में रिमोट सेंसिंग का प्रोग्राम और दूसरे प्रोग्राम लाये गये। रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम का बड़ा लाभ मिल रहा है। इससे पता चलता है कि जमीन में पानी का लेविल कितना है, क्लासीफिकेशन आफ स्वायल क्या है, मौसम की जानकारी भी इससे मिलती है । तो इस तरह से साइंस और लेटेस्ट टेक्नालाजी का प्रयोग किया जा रहा है ।

हमारा यह भी प्रोग्राम है कि ऊसर, परती और बंजर लैंड को कैसे उपजाऊ बनाया जाय । एग्रीकल्चर एरिया को कैसे आगे बढ़ाया जाय । तो इन चीजों में भी हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और उसका नतीजा है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। ऐसे प्रोग्राम चलाकर हम अपनी पैदावार को दो गुना, तीन गुना कर सकते हैं । मैं किसान भाइयों को आपके माध्यम से कांग्रेचुलेट करता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं कि खेती की उपज को बढ़ाने में उन्होंने बड़ा योगदान दिया है । इसी के साथ-साथ मैं सरकार के प्रयासों की सराहना करता हूं । दोनों के प्रयासों से आज हमारी खेती इस पोजीशन में हो गयी है कि हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गये हैं । इन्हीं प्रोग्रामों के तहत जो हमारी सेल्फ रिलायंस की पालिसी है उसको कामयाब बना सकते हैं और तेजी से तरक्की कर सकते हैं । हम कृषि के मामले में आत्मनिर्भर तो हुये ही हैं साथ ही जो हमने लक्ष्य रखे हैं उनको लेटेस्ट टेक्नालाजी का उपयोग करके पूरा करने जा रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं है । कृषि के संबंध में मैं और कहना चाहता हूं कि चावल पैदा करने की जो नयी तकनीक है कई स्थानों पर लागू की गयी है और इसको अब हम और बड़े साइज पर लागू करने जा रहे हैं । इसी तरह से दलहन और तिलहन की पैदावार बढ़ी है । कृषि के हर क्षेत्र में हम विकास कर रहे हैं ।

मैं 1987-88 में पड़े सूखे के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि बहुत ही मजबूती के साथ हमने उस सूखे की विभीषिका का सामना किया और उसको बहुत मजबूती के साथ हैंडिल किया। ऐसे बहुत से स्थानों पर जहां नहरें और ट्यूबवेल थे वहां सूखे का कोई प्रभाव नहीं पड़ा । इसी संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि ट्रेनिंग एंड विजिट का प्रोग्राम लगाया गया है खासकर पूर्वी जिलों के लिये ताकि गांव के लोगों को पूरी तरीके से एजूकेट किया जा सके ताकि वह लेटेस्ट तकनीकी का प्रयोग कृषि के सम्बन्ध में करें । इस सम्बन्ध में हमें आशातीत सफलता हो रही है ।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमने किसानों के लिये क्या किया ? मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि जो इस सरकार ने किसानों के साथ किया वह कोई दूसरी सरकार किसानों के साथ करने में सक्षम नहीं हो सकती है । हमने जो कुछ किया है, वह तो सारी की सारी बातें आपके सामने भी हैं । मैं कृषि की बात आपसे निवेदन कर रहा था और इसी सिलसिले में मैं थोड़ी सी बात गन्ने के सिलसिले में कहना चाहता हूं, जिसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है । गन्ना कृषकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने की दृष्टि से पेराई सत्र 1988-89 के लिए पिछले वर्षों की तुलना में सबसे अधिक गन्ना मूल्य घोषित किया है एवं पहली बार पूरे प्रदेश के लिए गन्ने का समान मूल्य निर्धारित किया गया है । सामान्य प्रजाति के गन्ने के लिए 30 रुपये प्रति क्विंटल एवं शीघ्र पकने वाली प्रजाति के लिए 34 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य देने का निर्देश चीनी मिलों को दिया गया है ।

गन्ना किसानों का भुगतान हमारा ख्याल है मिलों के द्वारा 99 प्रतिशत हुआ । यह भी हमारी अभूतपूर्व सफलता है । आगे चलकर मैं उद्योग के संबंध में जिक्र करना चाहता हूं । एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । एक इण्डस्ट्रियल कल्चर होता है, एक अभिरुचि होती है । जब तक अभिरुचि नहीं होती है, तब तक इंडस्ट्रियल कल्चर नहीं पैदा होती है । लोगों में अभिरुचि पैदा हुई है कैपिटल इन्वेस्ट करने की। हम चार बड़े कारखाने लगाने जा रहे हैं। यह भी हमारी बहुत बड़ी सफलता है कि हमारा उत्तर प्रदेश भारतवर्ष के इण्डस्ट्रियल मैप पर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है । चार बड़े कारखानों का जिक्र पहले आ चुका है कि किस तरह से 18 करोड़ की लागत पर कारखाने स्थापित किये गये हैं। इटावा में पेट्रो-केमिकल्स कारखाने के लिए पाइप लाइन बिछाई जा रही है । इस तरीके से एक लाख से अधिक यूनिट्स लगाने का इरादा हमारी सरकार का है । लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से इण्डस्ट्रीज लगायें । उनके सामान की भी जिम्मेदारी सरकार लेती है । बड़े उद्योग, मध्यम उद्योग और लघु उद्योग लगाये जा रहे हैं । हम यह पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारी इस इण्डस्ट्रियल ग्रोथ में पूरा का पूरा हाथ रहेगा ।

इण्डस्ट्रीज के सम्बन्ध में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जापानीज कम्पनीज के साथ इण्डस्ट्री लगाने का हमारा वादा हुआ है । इस सिलसिले में मैं आगे चलकर कुछ और बातों की सफलताओं की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । इरीगेशन पोटेंशियल बहुत बड़ी है जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको पूरा किया जा रहा है और सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम बहुत कुछ जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको पूरा कर लेंगे । यही नहीं, मैं यह आपसे कहना चाहता हूं कि इस वक्त तक 40 फीसदी जो कृषि योग्य भूमि है, उसका 40 प्रतिशत सिंचन हमें पूरे तरीके से प्राप्त है । बाई दि एण्ड आफ सेंचुरी कोई भी खेत ऐसा नहीं बाकी रहेगा, जहां पर कि सिंचाई का साधन उपलब्ध न हो जाय । ट्यूबवेल के माध्यम से, बड़ी नहरों के माध्यम से मीडियम माइनर पोटेन्शियल के माध्यम से तथा और तरीके से पूरी की पूरी सिंचाई व्यवस्था प्रदेश में की जा रही है। हमारे वह एरियाज जहां पानी नहीं पहुंचता था, जहां टेल पर पानी नहीं पहुंचता था वहां पर पानी पहुंचाने की व्यवस्था है और पानी पहुंच रहा है । हमारे बहुत से प्रोजेक्ट जिनका जिक्र आगे आयेगा जो व्यवस्था बड़ी से बड़ी जैसे

टिहरी बांध की है या और है उनका भी पूरी तरह से पूरी क्षमता के साथ प्रयास हो रहा है कि पूरा किया जाय और उसका लाभ हमको और आपको मिलेगा ।

मान्यवर, सड़कों के सम्बन्ध में मैंने आपसे निवेदन किया कि हर क्षेत्र में हमारी प्रगति हुई है । इसी सिलसिले में चन्द विभागों के बारे में जिनका मुझे खुद भी अनुभव हुआ है कि प्रगति हुई है, जिक्र करना चाहता हूं सहकारिता विभाग से भी किसानों को काफी राहत मिली है । पिछले वर्ष जितना हमने कर्ज बांटा था उससे लगभग एक करोड़ से ज्यादा पैसा हमने किसानों को दिया है जो बंगलिंग फ्राड और चीटिंग होती थी उसकी रोकथाम की गयी है और चेक सिस्टम इजाद किया गया है जिसमें किसी चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं रह जायेगी । सिंगिल विन्डो सिस्टम कायम किया गया है। सिंगिल विन्डो सिस्टम के माध्यम से सारा एग्रीकल्चर एक स्थान पर लाना होगा और उनकी सारी आवश्यकताएं सिंगिल विन्डो सिस्टम के माध्यम से पूरी की जायेगी । यह सिस्टम एवाल्व हुआ है । इस तरह से हम देख रहे हैं कि सहकारिता के क्षेत्र में परिवहन के, यातायात के और ग्राम्य विकास के क्षेत्र में उन्नति हुई है । मान्यवर, ग्राम्य विकास के सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं । अब शायद ही कोई इलाका बाकी रह जाय जहां रोड न पहुंचे । हाटीमिक्स प्लांट के सिस्टम से हमारे रोड का निर्माण होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है । आप किसी शहर में चले जांय सड़कें बेहतर बनायी जा रही है और ड्यूरेबिलिटी शो की जा रही है । यातायात के साधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं । यह सारे साधन चाहे सड़के बनें, नहरें बनें, इण्डस्ट्री में प्रोडक्शन हो इससे किसानों को और सभी को ज्यादा से ज्यादा फायदा है। गांवों में सड़कें जिला परिषद् बना रही है, ब्लाक बना रहा है, आर0 ई0 एस0 और पी0 डब्लू0 डी0 बना रहा है । यह मैं कह सकता हूं कि आज से 30-35 साल पहले की बात सोचें इसी कंकरीट की सड़क को पक्की सड़क कहते थे आप देखें अब सड़कें गांव तक पहुंच रही है और यातायात बेहतर हो रहा है । यह सब हमारी सफलता है । मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया कि हमने जो कुछ सफलता इस दरम्यान की है यह अभूतपूर्व सफलता है और यह कोआपरेशन से हुआ है ।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी प्रदेश में आर्थिक विकास के लिए शांति व्यवस्था की बात बहुत जरूरी है । अगर मुल्क में शांति कायम रहेगी तभी हम उन्नति कर सकते हैं जब हमारे प्रदेश में शान्ति काम है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं । हम यह कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश में शांति व्यवस्था संतोषजनक रही है ।। मान्यवर, यह भी कहना चाहता हूं और विशेष रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा खतरा हमको जो है वह रिलीटेबली और रिवाइवलिज्म से है और इसे पूरी तरह से कुचलने की आवश्यकता है । मैं सरकार को और मुख्य मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सैक्यूलर फोर्सेस को मजबूत करने के लिए और कम्यूनल फोर्सेस को कुचलने के लिए जो भी कदम उठाये जायेंगे उसमें हम सभी लोग आपके साथ हैं इसमें सैक्यूलर डैमोक्रेसी और सैक्यूलर तरीके पर हम जोर देंगे तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से यह विदित होता है कि हमारा जो प्रदेश है उसकी जो नीतियां हैं वह यह कहती है कि हमको सैक्यूलर डैमोक्रेसी को मजबूत करने की आवश्यकता है बहुत से ऐसे दल हैं, बहुत से ऐसे संकुचित विचारधारा के व्यक्ति हैं ।

यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि धर्म की भी एक सीमा है, इबादत और उपासना की भी एक सीमा है। यह सीमा से आगे बढ़ जाती है तो तूफान आ जाता है। एक फिट जमीन के लिये किसी प्रकार का झगड़ा पैदा हो, जज्बात उभाड़ कर फायदा लिया जाय, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिये यह यू0 पी0 में कदापि नहीं करने दिया जायगा। जो ताकतें देश को कमजोर करना चाहती हैं, उनको ऐसा नहीं करने दिया जायगा। हमें इस देश में एक सेकुलर वातावरण स्थापित करना है। इस प्रकार का वातावरण यहां पर स्थापित करना है। इस प्रकार का वातावरण यहां पर स्थापित हुआ है। इस सम्बन्ध में मा0 उपाध्यक्ष जी, मैं आपके सामने यह भी कहना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष—

अभी समय और मिलेगा।

श्री लाल प्रताप सिंह—

बहुत अच्छी बात है।

श्री गोपी नाथ—

मान्यवर, सरकार को काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सिर्फ दिखावा मात्र किया गया है। इतना बहुमत होते हुए भी इनके केवल 50 लोग यहां महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हैं। उसमें भी ये समय बर्बाद कर रहे हैं। इनको राज्यपाल के अभिभाषण पर कोई दिलचस्पी नहीं है। ये तो मात्र दिखावा कर रहे हैं। इनको कहां दिलचस्पी है।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैंने आपके सामने कुछ बातें रखीं। मैं आशा करता हूं कि जैसा कि महामहिम जी हमसे चाहते हैं, मैं आशा करता हूं कि एक जुट होकर हम मेल मुहब्बत का माहौल सारे देश में पैदा करेंगे और सारे प्रदेश में एक नमूना पेश करेंगे। हम अपना पूरा योगदान भारतवर्ष को अच्छा करने में और हिन्दुस्तान का गौरव बढ़ाने में देंगे। यू0 पी0 एक महत्वपूर्ण स्थान है और इस प्रदेश में हम सबको मिलजुलकर इसका गौरव बढ़ाने और देश को आगे ले जाने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ, मैं आशा करता हूं कि महामहिम जी ने जो अभिभाषण दिया है, उस पर मैंने जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है, वह पास होगा और हम सब मिलकर उस फिजा को बनायेंगे जिसकी इच्छा महामहिम जी ने की है।

*श्री राजेन्द्र शर्मा—

मा0 उपाध्यक्ष जी, परम श्रद्धेय महामहिम जी द्वारा दिये गये भाषण के सम्बन्ध में मा0 लाल प्रताप सिंह जी द्वारा जो धन्यवाद प्रस्ताव यहां पर रखा गया है, मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, भारत की आजादी महान परम्पराओं और पूज्य बापू की देखरेख में हमने प्राप्त की है। आजादी के प्रारम्भ में नेहरू जी की सरकार में हमारे देश को लोकतांत्रिक ढांचा प्राप्त हुआ है। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल के भाषण में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में गांव सभा से लेकर जिला परिषद् के चुनाव मा0 तिवारी जी के नेतृत्व में कराये गये, उसके लिये यह सरकार बधाई की पात्र है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

के लिये गांव सभा, प्रखण्ड, ब्लाक और जिला परिषद् के स्तर पर जो चुनाव हुए करीब-करीब दो दशक के बाद, यह इस सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं।

मान्यवर, इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिला परिषद् बनी है, हमारी सरकार कोशिश करे कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र और गुजरात में जिला परिषदों को अधिकार मिले हैं, मा0 तिवारी जी हमारे प्रदेश की जिला परिषदों को भी वही अधिकार देने की कृपा करें। मान्यवर, यह प्रदेश कृषि प्रधान देश है। हमारा जन-जीवन खेती पर आधारित है। खेती के क्षेत्र में हमारे विपक्ष के साथी चर्चा कर रहे थे फसलों के मूल्य की, तो उत्तर प्रदेश में जहां किसानों ने मेहनत की, इस प्रदेश की सरकार की, जब मा0 तिवारी जी केन्द्र में वित्त मंत्री थे और वहां उन्होंने बजट पेश किया, उन्होंने प्रदेश के किसानों के लिये कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जहां सुविधा न प्रदान की गयी हो। खाद के रूप में, बीज के रूप में, कृषि रक्षा कैमिकल्स के रूप में करीब-करीब 50 प्रतिशत छूट देकर जो किसानों को सुविधा दी है, उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में जहां वर्ष 1986-87 में करीब 281 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न पैदा हुआ, इस वर्ष आशा है कि उत्तर प्रदेश में 335 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन होगा। यह आशा निश्चित रूप से पूर्ण होगी। तिलहन के क्षेत्र में 8.5 लाख मैट्रिक टन उत्पादन हुआ जबकि इस वर्ष 10 लाख मैट्रिक टन उत्पादन होगा। कपास, जूट आदि के क्षेत्र में निश्चित रूप से प्रगति हुई है। दलहन के क्षेत्र में हम लगातार पिछड़ते चले जा रहे थे, लेकिन आने वाले वर्ष में सरकार के प्रयास से, किसानों के प्रयास से, निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि होगी, इसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। सिंचाई संसाधनों के क्षेत्र में, सिंचाई खेती का मूलाधार है। सिंचाई के बिना खेती का कार्य नहीं हो सकता है। सरकार ने जो छूट दी है, फ्री बोरिंग की स्कीम चलायी है, उससे लाभ हो रहा है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से अगले साल एक हजार नलकूप लगाने की योजना है। इन सुविधाओं से किसान, अल्पजोत किसान, जो सिंचाई संसाधन के बिना महरूम रहते हैं, जो अपने खेतों की सिंचाई नहीं कर पाते हैं, लाभांवित होंगे। उनको सुविधा प्राप्त हो सकेगी, जिससे खेती में प्रगति होगी, यह मेरा निश्चित विश्वास है।

हमारी सरकार ने इस वर्ष गन्ने का मूल्य 30 और 34 रु0 देकर गन्ना किसानों को लाभ पहुंचाया है। जो विपक्ष के साथी इस बारे में कई बार चर्चा करते थे और अपने समय में 4 रु0 और 6 रु0 गन्ने का दाम देते थे, आज हमारी सरकार गन्ना किसानों को 30 रु0 और 34 रु0 दाम दे रही है। यही नहीं धान का मूल्य, आलू का मूल्य की बाबत प्रयास हो रहा है कि लागत के अनुरूप किसानों को उनका मूल्य दिया जाय। किसानों को उनकी फसलों का मूल्य देने के लिये, मण्डी परिषद् की ओर से 80 प्रतिशत ऋण देने की घोषणा की गयी है। इससे किसान जो बिचौलियों से लूटता रहा है, बच जायेगा शोषण से बचेगा। इसी तरह से फसल बीमा योजना लागू की गयी है। मैं इस संबंध में सरकार से निवेदन करूंगा कि सभी फसलों के ऊपर बीमा योजना लागू की जाय। क्योंकि कभी-कभी किसानों की सारी फसल नष्ट हो जाती है और किसान बर्बाद हो जाता है। सरकार ने जो फसल बीमा योजना शुरू की है, उसके लिये वे निश्चित रूप से बधाई की पात्र हैं।

औद्योगिक क्षेत्र का जहां तक प्रश्न है, और बेरोजगारी का जहां तक प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये, छोटे-छोटे उद्योगों को लगाने के लिये और उसमें तमाम सुविधायें देने के लिये, सरकार ने योजना बनायी है। इससे निश्चित रूप से युवा बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर होगी, उत्तर प्रदेश का विकास होगा और औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी मदद होगी। यह भी हमारी सरकार ने तमाम जिम्मेदारी बनाये हैं, इससे निश्चित रूप से विकास होगा, यह मेरा विश्वास है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, अनेक बड़े शहरों में, वहां की प्रशासनिक सुविधा और जन आकांक्षाओं का देखते हुए, जो नये जिलें बनाये गये हैं, उससे मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से वहां की जनता को बहुत फायदा होगा। सस्ता न्याय सुलभ कराने के लिये अनेक जगहों में उस स्तर पर सर्किट न्यायालय बनाये गये हैं। इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। इससे मेरी निश्चित धारणा है कि गरीब जनता को सस्ता न्याय सुलभ हो सकेगा। मालदार, मेरठ में, पश्चिमी क्षेत्र में, मुख्य मांग रही है कि सस्ते और सुलभ न्याय के लिये वहां हाईकोर्ट की बैंच बनायी जानी चाहिये। इसी के साथ आवासीय क्षेत्र में भी उल्लेखनीय काम हुआ है। उत्तर प्रदेश में, गरीब, हरिजन गिरीजन तमाम ऐसे लोग हैं हजारों की तादाद में जिनके पास न रहने के लिये कोई झोपड़ी है और न बसने के लिये कोई छोटी-मोटी जमीन है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, सरकारी नीतियों को बनाया गया है, उन नीतियों को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। इस तरह से हजारों की तादाद में आवासीय व्यवस्था सुलभ कराने की सरकार की योजना है इंदिरा आवास योजना के तहत और दूसरी योजनाओं के तहत। इस योजनाओं के माध्यम से निश्चित रूप से प्रदेश के गरीब लोगों को सिर ढकने के लिये घर मुहैया हो गया है।

पशुपालन के क्षेत्र में भी काफी कार्य हुआ है। प्रदेश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा पशुपालन का धंधा करता है और उससे अपना जीवन-यापन करता है। मत्स्य पालन, दूध का धंधा—जनजीवन में बहुत बड़ा योगदान रखता है। पशुओं की नस्ल बढ़ाने के लिए प्रगतिशील कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। मछली पालन, तालाब सुधार योजना और गांवों में तालाबों के पट्टे देने की योजना, गांव सभाओं को 10 साल के लिये तालाबों के पट्टे देने की योजना, इन योजनाओं से निश्चित रूप से लाभ हो रहा है। मछुआरों की समितियां बनाकर, उनको लाभ पहुंचाने का बहुत बड़ा काम पशुपालन विभाग ने किया है। इतना ही नहीं, उन के उत्पादन में, मुर्गी पालन उद्योग के संबंध में इस प्रदेश ने बड़ा विकास किया है और तमाम विकासशील योजनायें बनायी गयी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण बैंकों को खोला है, जिसकी चर्चा हमारे लाल प्रताप सिंह जी ने भी की। जिला सहकारी बैंकों में भी पचासों योजनायें शुरू की गयी हैं इनके अन्तर्गत बिना प्रीमियम जमा किये गांव के लोगों को, बेरोजगार युवकों को धन्धा शुरू करने के लिये 50 हजार रुपये तक देने की व्यवस्था है। इन सारी चीजों से निश्चित रूप से गांव तथा शहर दोनों के लोगों का विकास होगा।

मैं आशा करता हूं कि राज्यपाल महोदय ने जो अपना भाषण पढ़ा है, उससे हम लोग शिक्षा लेंगे और इस प्रदेश के विकास कार्यों में अपना पूर्ण सहयोग देंगे।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय विरोध पक्ष के लोगों ने, माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण के समय व्यवहार किया, उसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं । मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रदेश हम सबका है और इसके विकास के लिये हम सब लोग इकट्ठे होकर आगे बढ़ें। अक्सर विरोध पक्ष के लोग यह कहते हैं कि सड़कें नहीं बनीं, नहरें नहीं बनीं, यह काम नहीं हुआ, वह नहीं हुआ । लेकिन सही है, यह प्रदेश के विकास के लिये बहुत कुछ हुआ है और इन लोगों को सत्य को सत्य मानना चाहिए । यह जरूर है कि सभी काम पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कार्य किया है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है । उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी, विश्वास रखें कि यह विकास की गंगा है, तो कोई अंतर्व्यथा न होगी । अंत में श्री राजनीथ सिंह जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, धन्यवाद, जयहिन्द ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यप्रकाश मालवीय)–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने 8 फरवरी को जो अभिभाषण इस सदन में प्रस्तुत किया, वह वर्तमान सरकार की कारगुजारियों का आइना है और उन नीतियों तथा कारगुजारियों पर मैं प्रकाश डाल कर विरोध करता हूं और इसीलिये मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। साथ ही जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है, है, उसके संबंध में, मैं कुछ संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं ।

मान्यवर, प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय । श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया । प्रदेश के कृषकों के साथ हो रहे घोर अन्याय एवं उपेक्षा के सम्बन्ध में, प्रदेश के लगभग डेढ़ करोड़ कपड़ा एवं कालीन बुनकरों की आर्थिक स्थिति सुधारने के संबंध में, प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई पर नियन्त्रण लगाने के सम्बन्ध में, प्रदेश में नौकरशाही पर नियंत्रण लगाये जाने के सम्बन्ध में, प्रदेश में बढ़ती हुई साम्प्रदायिक भावना को रोकने के सम्बन्ध में, प्रदेश में बढ़ते हुए पुलिस उत्पीड़न से जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में, प्रदेश में मिलों द्वारा नदियों में प्रदूषित कचरा छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, प्रदेश में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, विश्वविद्यालयों में नियुक्त तदर्थ अध्यापकों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में, राज्य कर्मचारियों की वेतन समिति की रिपोर्ट को घोषित/लागू न किये जाने के सम्बन्ध में, प्रदेश के गांजरी क्षेत्र में नहरों द्वारा उत्पन्न सीपेज की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में, प्रदेश के पिछड़ेपन को समाप्त करने के सम्बन्ध में, हरिजन एवं खेतिहर मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने तथा उन्हें उचित मजदूरी व भूमि दिलाने में सरकार विफल रही है ।

औद्योगिक घरानों व कृषि उत्पादों के मूल्यों में सन्तुलन कायम करने तथा किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के सम्बन्ध में । सरकारी चिकित्सालयों में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

व्याप्त भ्रष्टाचार, दुर्व्यवस्था को समाप्त करने तथा गरीब एवं अल्प आय वालों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में । जंगल की फालतू जमीन व डूब की जमीन का भूमिहीनों, हरिजनों एवं आदिवासियों में वितरण करने के सम्बन्ध में, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने, साम्प्रदायिकतावादी एवं पृथकतावादी शक्तियों के निर्मूलन के लिए प्रभावकारी कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में, प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने एवं व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के संबंध में, प्रदेश की लगातार गिरती कानून व्यवस्था, लूट, डकैती, बलात्कार व हत्याओं के अपराधों को रोकने में सरकार अक्षम रही है, प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी से नवयुवकों में असन्तोष के सम्बन्ध में, जनपद शाहजहांपुर में रामगंगा गहबुल नदियों पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में, तिलहर में कन्या इण्टर कालेज व कस्बा कटरा जनपद शाहजहांपुर में कन्या हाईस्कूल बनवाने के सम्बन्ध में, शाहजहांपुर में प्रस्तावित खाद का कारखाना शीघ्र खुलवाने के सम्बन्ध में, मण्डल कमीशन लागू करके अनुसूचित व पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में और प्रदेश के राज्य उद्यमों, शीर्ष स्तरीय सहकारी संस्थाओं, औद्योगिक/शहरी विकास प्राधिकरणों में व्याप्त भ्रष्टाचार, वित्तीय कुप्रबन्ध खाते बनाने, आडिट कराने, जन विरोधी नीतियों के अपनाने सरकार को देय ब्याज तथा लगी पूंजी पर लाभांश न देने के सम्बन्ध में ।

श्री उपाध्यक्ष–

अन्य माननीय सदस्यों ने भी जो संशोधन दिये हैं, उन्हें भी जोड़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सर्वसम्मति से अन्य संशोधनों को भी जोड़ा हुआ मान लिया गया ।)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, 8 तारीख को जब इस आदरणीय सदन में राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया तो सभी विरोध पक्ष ने एक राय होकर उस अभिभाषण का बहिष्कार किया । उस बहिष्कार का यह इरादा नहीं था कि हम राज्यपाल महोदय का सम्मान नहीं कर रहे हैं या कोई ऐसी दुर्भावना नहीं थी कि हम राज्यपाल महोदय का सम्मान न करें अपितु हमने जो बहिष्कार किया, उसका एक मुख्य कारण था. वह था इस वर्तमान सरकार की नीतियों, कारगुजारियों जिससे प्रदेश का विकास होने के बजाय यह प्रदेश पीछे होता जा रहा है। उस दिन हमने जो बहिष्कार किया, जिस कुर्सी पर मान्यवर, आप बैठे हैं, इसी कुर्सी से माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमें धन्यवाद दिया । हमने एक नई परम्परा डाली । जिसकी वजह से पहली बार राज्यपाल महोदय को 40 मिनट तक अपने अभिभाषण को पढ़ने में कष्ट उठाना पड़ा । इससे पूर्व वह अपने अभिभाषण को सदन में पटक कर चले जाते रहे हैं । बहुत वर्षों के बाद राज्यपाल ने अपने अभिभाषण को पढ़ा और सारे सदस्यों ने उसे सुना । मुख्य रूप से जो अभिभाषण था वह पूर्णतया उपलब्धिविहीन था और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए निराशाजनक है। वर्तमान सरकार ने अतीत में कोई उपलब्धि हासिल की है, जो कि उसमें अंकित हो, ऐसा कुछ नहीं है। आंकड़ों के भंडारण के माध्यम से प्रयास किया गया है कि हमने यह-यह कार्य किया

है । जो यह अभिभाषण है, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रदेश में विकास के नाम पर यह सरकार कुछ नहीं करेगी और इसके अतीत को देखकर इससे आशा भी नहीं की जाती है। सरकार का ही दायित्व है कि भाषण को तैयार कराने के बाद राज्यपाल महोदय के माध्यम से सदन में प्रस्तुत करते हैं। इस सरकार के मुखिया मुख्य मंत्री जी होते हैं । उन्होंने प्राथमिकताएं दी हैं उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और कई बार इन प्राथमिकताओं के लिए कहा है । पहले इन्होंने कहा है कि सर्वोच्च विकास कार्यों के लिये संसाधन जुटायेंगे । इन्होंने यह भी कहा है कि विकास कार्यों के कार्यान्वयन में तेजी लाकर जनता और विशेषकर पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार लायेंगे । इन्होंने कमजोर वर्गों के लिये भवन निर्माण हेतु अपनी प्राथमिकता दी है और बेरोजगारी को दूर करने के लिये मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि लघु उद्योग और मध्यम उद्योगों के माध्यम से बेरोजगारी को दूर करेंगे ।

यह सही है, जैसा लाल प्रताप सिंह जी कह रहे थे, प्रदेश में बड़ा विकास हुआ है। हम इस बात से सहमत हो सकते हैं कि 43 साल की आजादी के दौरान आपने प्रदेश में कारखाने खोल दिये, बहुमंजिली इमारतें बना दीं, अच्छी सड़कों के लिये भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस प्रदेश के जो मालदार लोग हैं, उनकी हैसियत बढ़ती चली जा रही है जबकि दूसरी तरफ गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। विकास के नाम पर आपने बहुमंजिली इमारतें बनवायी हैं, कारखाने लगवाये हैं, अमीरों के स्तर को सुधारा है, लेकिन गरीबों के स्तर को नहीं सुधार पाये हैं । यह वर्तमान सरकार से विशेष रूप से विरोध है । इसी सम्बन्ध में कहना है कि भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह जैसा माननीय सदस्य बोल रहे थे तो उन्होंने पंडित जवाहर लाल नेहरू जी का नाम लिया, लेकिन सबसे पहले इस इस देश के गरीब को पहचानने की कोशिश की दादा भाई नौरोजी ने । उन्होंने अंग्रेजों से भी कह दिया कि जब तक इस देश का दरिद्र नारायण नहीं उठेगा, देश का कल्याण नहीं होगा । उसके बाद दरिद्रता के उद्धार के प्रतीक बने महात्मा गांधी । उन्होंने अपने जीवन में विशेषकर दरिद्रों के प्रतीक बनने के बाद ग्राम स्वराज की कल्पना की । उनका कहना था कि इस देश का 80 प्रतिशत किसान जब तक गरीब है, जब तक वह तरक्की नहीं करता है तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है । उनके बाद चौधरी चरण सिंह जी ने भी कहा कि हमारे देश की तरक्की का रास्ता खेतों और खलिहानों से जाता है। चौधरी साहब ने दरिद्र नारायण को उठाने की कोशिश की, उत्तर प्रदेश के किसानों की तरक्की के लिये बल दिया और इसीलिये वह "किसानों के मसीहा" और "धरती पुत्र" कहलाये । उन्होंने संकल्प किया था कि जब तक किसान नहीं उठेगा प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है।

पंडित नेहरू ने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, 15 अगस्त, 1952 को कि इस देश में हजारों काम हैं, हम हजारों करेंगे फिर भी हजारों काम बाकी रहेंगे । काम का इस तरह अन्दाजा करें कि कोई नयी इमारत बनायी हो, कोई नया स्कूल बनाया हो, कोई नया बड़ा काम किया तो ठीक है लेकिन

बड़े काम का अन्दाजा यह है कि इस मुल्क में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी आंखों में आंसू बहते हैं, उसमें से कितने पोंछे हैं कितने कम किये हैं, यह अन्दाजा है इस मुल्क की तरक्की का न कि इमारतों जो हम बनायें न कि कोई सुन्दर इमारतें जो हम बनायें । क्योंकि आखिर में यह मुल्क क्या है, यह हिमालय पहाड़ नहीं है, न कन्या कुमारी है। मुल्क में रहने वाले 36 करोड़ आदमी हैं, यह मर्द, औरत और बच्चे हैं और आखिर में इसकी भलाई, बुराई 36 करोड़ आदमियों की भलाई-बुराई है। यह माननीय पण्डित नेहरू जी ने कहा था ।

वर्तमान सरकार तो भवनों का निर्माण करा रही है, पूंजीपतियों की तरक्की कैसे हो, वह सब उपाय कर रही है लेकिन दरिद्र नारायण के आंसू पोंछने में यह सरकार विफल रही है । दरिद्रों के प्रति जो सपना दादा भाई नौरोजी का था, महात्मा गांधी का था, उस सपने को पूरा करने में यह सरकार विफल रही है । आज सरकार में नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है और उनमें गिरावट आयी है।

वर्तमान शासन की हालत देख कर एक शायर ने कहा है वह मैं यहां सुनाना चाहता हूं कि "बहुत आगे बढ़े हो काफिले वाले हकीकत है, मगर मंजिल की वह दूरी जो पहले थी, वह अब भी है।" आजादी प्राप्ति की पहली वाली मंजिल की दूरी आज भी उतनी ही है। वर्तमान सरकार की कारगुजारियां दोषपूर्ण रही हैं जिससे कि प्रदेश का विकास नहीं हुआ है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

माननीय राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया, उस पर 20-सूत्रीय कार्यक्रम पर बहुत ज्यादा बल दिया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों के चुनाव के बारे में जिला परिषदों के चुनाव के बारे में। इस सम्बन्ध में यह कहना अधिक मुनासिब होगा कि जिला परिषदों के चुनाव, प्रधानों के चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव जो कराये गये इसमें प्रदेश का 6 महीने का अमूल्य समय लग गया। यह सारे के सारे चुनाव आपने बरसों से ड्यू कर रखे थे जिसका अधिभार जिला प्रशासम पर पड़ा। विकास की मुख्य कड़ी जो जिला प्रशासन है वह सारे के सारी चुनाव में लग गयी, विकास के कार्य इस बीच ठप्प पड़ गये या उनके विकास की गति धीमी पड़ गयी।

यह ठीक है कि अब आपने चुनाव कराये, यह एक अच्छा काम हुआ लेकिन यह ऐसे हो हुआ कि जैसे आपको भोजन करना है, या दूध पीना है तो एक साथ ही इतने बरसों का भोजन कर लें या दूध पी लें तो कुपच हो जायेगा। लम्बे अरसे से जो यह सरकार यह सारे चुनाव कराने में विफल थी, अब लोकतांत्रिक पद्धति के अनुसार यह सारे चुनाव तो हो गये हैं लेकिन इसके कारण प्रदेश का विकास पीछे रह गया है। हमने स्वयं अपने जनपद में जाकर देखा है गवर्निंग बाडी की मीटिंग्स में कि अभी तक जिला योजना स्वीकार हो कर जिलों तक नहीं पहुंची है जबकि वर्ष 1988-89 का समय ही कितना शेष रह गया है? मुश्किल से डेढ़ या दो महीना? लेकिन अभी तक आपके बजट की स्वीकृति नहीं हुई, जिला योजनायें स्वीकृत नहीं हुई तो फिर किस तरह से काम हो सकेगा?

आपके अधिकारीगण इस पैसे का दुरुपयोग करेंगे और प्रदेश का विकास वैसे ही काफी पिछड़ गया है। सहकारिता विभाग के अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। लोकतांत्रिक

प्रतिबद्धता एवं व्यवस्था के अनुरूप विधान परिषद् की 39 सीटें जो बिना भरी थी, उनके चुनाव नहीं हुए और न ही अब तक नामांकन हुए तो इस प्रकार से जो हमारे प्रदेश का मुख्य उच्च सदन है विधान मण्डल में अभी वही अधूरा पड़ा हुआ है। इसके साथ-साथ अभी और भी बहुत से चुनाव अधूरे पड़े हुए हैं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी जो सामने विराजमान हैं वह स्वयं इस स्वाभाविक चुनाव प्रक्रिया के समर्थक हैं और इसको अच्छा मानते हैं, लेकिन अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं इनके कार्य काल में, वर्तमान सरकार के जमाने में, सत्ता का दुरुपयोग करते हुए पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए हैं, जिससे हमारे प्रदेश के लोकतंत्र के अधिकारों का बहुत बड़ा हनन हुआ है, अधिकतर जिन स्थानों पर इनकी जीत हुई है वह निष्पक्ष नहीं कही जा सकती है, बूथ कैपचरिंग के बल पर पुलिस व अन्य हथकण्डों के बल पर हुई है।

जिसे किसी भी प्रकार से लोकतांत्रिक व निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा आपने एक बहुत बड़ा ढिंढोरा मा0 राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के नाम पर पीटा है, आपकी यह जो सूत्री है मैं समझता हूं कि इस पर जैसा कि आपके सत्ता पक्ष के लोग बहुत कहा करते हैं पैसे के खर्च करने के बारे में तो इसमें जो भी पैसा खर्च हो रहा है या हो चुका है, वह किसी भी पार्टी या किसी दल विशेष का नहीं है बल्कि वह पैसा राज्य सरकार का है जो परोक्ष रूप में हमारे प्रदेश की गरीब जनता व किसानों का है, जिसको इस मंत्रि-मण्डल के लोग समझ रहे हैं कि यह कांग्रेस पार्टी का है और यह प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी के पैसे के बल बूते पर फल-फूल रहा है, ऐसा नहीं है, इस बारे में अभी कुछ दिन पहले आपके बच्चा पाठक साहब ने स्वयं कहा है कि इस प्रोग्राम द्वारा देश व प्रदेश के धन का बहुत दुरुपयोग हो रहा है और इस प्रोग्राम का सही रूप में पालन नहीं हो रहा है और इस सम्बन्ध में कांग्रेस पार्टी के लोगों से अपील है कि इस सम्बन्ध में आगे आएं लेकिन मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में पूर्व के मुख्य मंत्री, श्री वीर बहादुर सिंह जी इस सम्बन्ध में फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करने में एक बार या दो बार प्रथम आए हैं और उन्होंने अपने काल में दोनों बार यही कोशिश की है फर्जी आंकड़े तैयार कर, प्रथम आने में। उदाहरण के लिए मैं एक नहीं इनके कई प्रोगामों के बारे में बता सकता हूं।

नस-बंदी योजना में भी यही स्थिति रही है उदाहरण स्वरूप मैं कहना चाहता हूं कि कानपुर के सतारा ब्लाक का एक मामला मैंने पिछली बार प्रस्तुत किया था इसी आदरणीय सदन में, जहां पर डिप्टी सी0एम0ओ0 को प्रथम इनाम नसबन्दी में दिया गया था, जिसका कोटा 600 का निर्धारित था, परन्तु उसने 2,600 करके दिखाए जो सरासर कागजी आंकड़े थे, इसी प्रकार से वीर बहादुर सिंह के जमाने में न मालूम ऐसे ही कितने गलत केस किए गए, विधुर की नसबंदी करके दिखा दिया गया कहीं पर बुजुर्गों की नसबन्दी करके दिखाया गया और कहीं पर बच्चों की, इस प्रकार से जबर-दस्ती आंकड़े तैयार किए गये, एक वक्त था लोगों की जबरिया नसबंदी हुयी अब इस बार ऐसा न करके जबरदस्ती गलत आंकड़े दिखाकर प्रथम पुरस्कार वितरित हुए हैं और इस प्रकार कोटा पूरा करके दिखा दिया गया है और इसी प्रकार से जनपद के जिलाधिकारी, सी0एम0ओ0 व डिप्टी सी0एम0ओ0 को जो प्रमाण पत्र दे रहे हैं वह सब फर्जी दे रहे हैं और फर्जी आंकड़ों के माध्यम से आपके अधिकारी परिवार

नियोजन के प्रमाण पत्र दे रहे हैं। मैं आपसे विशेषकर कहना चाहता हूं कि आप किसी भी जिले की जांच करवा लें, आप चाहें तो मेरे जिले शाहजहांपुर की जांच करा लें, तो आपको पता चल जायेगा कि परिवार नियोजन फर्जी हो रहा है और परिवार नियोजन के नाम पर बजट का बहुमूल्य धन खर्च किया जा रहा है। जो सही उद्देश्य है आप का उसकी ओर नहीं चल रहे हैं। अगर परिवार नियोजन के फर्जी आंकड़े दिये जा रहे हैं, तो हमारे धन की बर्बादी हो रही है।

मैं कहना चाहता हूं कि नेहरू जी ने 1952 में कहा था कि हमारी जन संख्या 36 करोड़ है और आज 80–82 करोड़ हो गयी है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आबादी बराबर बढ़ रही है, क्योंकि परिवार नियोजन पर आपका कोई अंकुश नहीं है। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर आपने एक मंत्री को नियुक्त किया है, जो उस मण्डल का निरीक्षण करता है और बीस सूत्री कार्यक्रम की सफलता के बारे में निरीक्षण करता है और प्रदेश स्तर पर आप स्वयं इसकी सफलता का पुनर्निरीक्षण करते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम को देखने के लिये सचिव स्तर पर आपने उसको पूरा स्टाफ दे रखा है। इस प्रकार से 20 सूत्री कार्यक्रम को देखने के लिये मण्डल स्तर पर और कैबिनेट स्तर पर मंत्री आपने बनाये हैं।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इन दोनों के आदेशों में बड़ी टकराहट होती है और कभी-कभी कड़ुआहट भी होती है। कैबिनेट रैंक के जो मंत्री हैं, वह दूसरा आदेश देते हैं और मण्डल स्तर पर जो मंत्री आपने नियुक्त किये हैं, वह कोई दूसरा आदेश देते हैं, इसका परिणाम यह होता है कि अधिकारी बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं और उनके लिये जो यह परेशानी हो जाती है कि वह किस मंत्री का आदेश मानें। तो यह समस्या है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है कि कैबिनेट स्तर पर अलग-अलग मंत्री हों। आप का जो बीस सूत्री कार्यक्रम है, उसके कुछ बिन्दु ठीक हैं, परन्तु उन पर कार्यवाही ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल के नाते मैंने आंकड़े कई विभागों से मांगे, वह आंकड़े इसलिये नहीं प्राप्त हो सके क्योंकि उनके पास कोई आंकड़े हैं ही नहीं। इस प्रकार से वर्तमान सरकार कोई भी आंकड़े नहीं दे पा रही है। मैंने सचिव और विभागाध्यक्ष से आंकड़े मांगे परन्तु वह उपलब्ध नहीं करा सके। मैं कहना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 33007 सत्यापन हुए जो लक्ष्य का 15.9 प्रतिशत है। वर्ष 1987-88 में 15.9 प्रतिशत में जो सत्यापन हुए उसमें केवल 7 प्रतिशत ही केसेज सही पाये गये। आप 20 सूत्री कार्यक्रम का जो ढिंढोरा पीट रहे हैं उसकी यह स्थिति है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम पर बजट का बहुमूल्य रुपया बर्बाद किया जा रहा है। आपका जो इशारा है, वह यह है कि प्रदेश विकास कर रहा है। अगर आप इसका सही प्रकार से कार्यान्वियन करें, तो मैं समझता हूं कि इसमें ऐसे सूत्र हैं, जिनसे प्रदेश का विकास हो सकता है।

माननीय मुख्य मंत्री जी गांव सभाओं की मीटिंग कर रहे हैं, विभिन्न विभागों के कार्यों का पुनरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी भी इस बात पर जोर नहीं दिया कि नौकरशाही का रवैया क्या है, जब तक उसको आप ठीक नहीं करेंगे, उस पर अंकुश नहीं लगायेंगे, तब तक प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है।

और यह वर्तमान नौकरशाही जो है यह आपके कब्जे में नहीं है । मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष 88 में दिल्ली में भयानक हैजा फैला । प्रधान मंत्री विदेश में थे । हमने तो टेलीविजन पर देखा कि प्रधान मंत्री ने दिल्ली में उन क्षेत्रों का दौरा किया था । उन्होंने गुस्सा किया और आदेश भी दिया कि जो गड्ढे हैं, जो गन्दा पानी है उनको ठीक किया जाय और वहां पर स्वच्छ जल की व्यवस्था की जाय । उन्होंने यह भी आदेश दिया कि लोगों को पौष्टिक भोजन दिया जाय , दवाई वगैरह की व्यवस्था की जाय । लेकिन तब तक 100 आदमियों की मृत्यु हो चुकी थी ।

प्रधान मंत्री दिल्ली में तो बैठे हैं, हर जगह वे नहीं जा सकते । अगर यह बीमारी और कहीं फैलती है तो क्या यह हमारी नौकरशाही का, प्रशासनिक अधिकारियों का फर्ज नहीं है कि वह तुरन्त मौके पर जाकर उसके लिए तुरन्त व्यवस्था करें ? यह नौकरशाही कोई व्यवस्था नहीं करती है । जब तक समाज के अंदर बौखलाहट न हो जाय, वह आन्दोलन न कर ले, क्रांति न हो जाय और मुख्य मंत्री जब तक आदेश न दे दें तब तक यह वर्तमान नौकरशाही कोई कदम नहीं उठाती है । मेरा कहना है कि प्रधान मंत्री के पहुंचने के पहले ही अगर ध्यान दिया गया होता तो दिल्ली में 100 निरीह लोगों की मृत्यु न होती । हमारे प्रदेश के अन्दर भी कई संक्रामक रोग, मस्तिष्क ज्वर, आन्त्रशोथ आदि की बीमारियां फैलीं । बनारस में और प्रदेश के अनेकानेक जिलों में ये बीमारियां फैलीं ।

मुख्य मंत्री हर जगह तो पहुंच नहीं सकते । एक दो जगह ही पहुंच सकते हैं और उन एक-दो जगहों पर पहुंचने के बाद भी वहां पर कोई कार्य नहीं होता है । तो इससे प्रदेश का भला नहीं हो सकता है । प्रदेश का भला तब हो सकता है जब स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में नौकरशाही जिम्मेदार हो । अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी जनता के बीच में है और उनमें अगर संवेदनशीलता है तो उन्हें मौके पर पहुंच कर तुरन्त इसका उपाय करना चाहिए । लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वर्तमान शासन का ध्यान इस तरफ नहीं जाता है।

जिला विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जिलों में ट्राइसेम योजना , एस0 एम0 एफ0 योजना , निःशुल्क बोरिंग की सुविधा, आर0 एल0 जी0 ई0 पी0, एन0 आर0 ई0 पी0, एकीकृत ग्राम्य विकास योजना , लघु सीमान्त कृषक योजना आदि अनेकानेक योजनायें चलाई जा रही हैं । आप आंकड़ों के माध्यम से इन्हें साबित भी कर सकते हैं कि हमने सर्वाधिक लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है लेकिन यह सही है कि जो गरीबों को सब्सिडी देने की आपकी इच्छा है, उन्हें सिंचाई के साधन उपलब्ध हों, उनके यहां, बोरिंग हो , मैं विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं कि यह सारे आंकड़े फर्जी दिखाये जाते हैं और किसान मारे-मारे फिरते रहते हैं। गरीब किसान और हरिजन मारे-मारे फिरते हैं कि उन्हें सब्सिडी मिल जाय । यह प्रशासन की संवेदनशीलता है उन्हें सब्सिडी नहीं मिल पाती है । यह अगर मिलती है तो कमीशन और घूस देकर ही वह कुछ प्राप्त कर लेते हैं । मुझे यह कहना है कि सरकार द्वारा दर्शाया गया 20 सूत्री कार्यक्रम वास्तविक और सही दिशा में काम नहीं कर रहा है । जो सूत्र हैं, उनके विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है । इन सूत्रों के माध्यम से प्रदेश की तरक्की हो सकती है लेकिन अगर उनका कार्यान्वयन सही ढंग से नहीं होगा उनके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया जायेगा तो प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है।

सरकार द्वारा 576 नगर समूहों में केवल 151 नगर समूहों में पेय जल की व्यवस्था अब तक की गयी है , 57 नगरों में सीवर की व्यवस्था हो पायी है । हमारे प्रदेश की 9 करोड़ से अधिक जनता देहातों में रहती है जिसमें एक तिहाई से भी अधिक यानी 3 करोड़ 58 लाख की ऐसी आबादी है जिनके पास शुद्ध जल की व्यवस्था हमारी यह वर्तमान सरकार उपलब्ध नहीं करा पायी है।

1,12,566 गांवों में से केवल 61,362 गांव ही समस्याग्रस्त आपको लगे । इस प्रकार केवल आप तिहाई गांवों में ही पानी की व्यवस्था कर पाये हैं । शुद्ध पेयजल मैं समझता हूं कि मिनिमम आवश्यकता है इसको यह सरकार पूरा नहीं कर पाई है ।

इसके साथ ही साथ वर्तमान हमारे प्रधान मंत्री जी ने कई बार इसके लिए कमीशन बैठाये और 20 सूत्री कार्यक्रम में प्रयास किया गया कि इसमें सफलता प्राप्त हो लेकिन सरकार आगे नहीं बढ़ पा रही है। आपके अधिकारियों का प्रयास है कि वह थोथे आंकड़ों के माध्यम से आपके इस 20 सूत्री कार्यक्रम की सफलता को दिखा दें । जब तक इस सम्बन्ध में संवेदनशीलता नहीं पैदा होगी तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता है।

इसके साथ ही हमारे साथी शर्मा जी ने और लाल प्रताप सिंह जी ने खेती पर बहुत बल दिया और वह कह रहे थे कि सरकार ने इसके लिए किसानों को बहुत सुविधायें दी हैं और इस दिशा में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है इतना अच्छा काम दूसरी सरकारें नहीं कर रही हैं । आप यह जानते हैं कि हमारे प्रदेश में खेती मुख्य पेशा है और उसकी तरक्की के बगैर देश की तरक्की नहीं हो सकती है। सभी लोगों ने इस बात पर बल दिया है कि जब तक किसान की अहम भूमिका नहीं होगी तब तक विकास नहीं हो सकता है । गांधी जी ने भी ग्राम स्वराज की कल्पना की थी । उनका भी यही कहना था कि जब तक बापीण नहीं उठेंगे तब तक ग्राम स्वराज की कल्पना अधूरी रहेगी । जब तक किसानों को आप सही लाभकारी मूल्य नहीं देंगे तब तक उनकी तरक्की नहीं हो सकती है और वह लाभकारी मूल्य आप नहीं दे पाये हैं। उसका सबूत यह है कि 1970 के सूचकांक के मुताबिक 70 में जिस चीज के दाम 100 रुपये थे आज 1988 समाप्त होते-होते उनके दाम 426 रु0 हो गये हैं यह दामों की बढ़ोत्तरी कारखानों में पैदा हुए माल पर हुई है लेकिन किसान द्वारा उत्पादित वस्तुओं के दामों में वृद्धि नहीं हो पायी है ।

जब तक किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तब तक किसान की तरक्की नहीं होगी । हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है वहां के मुख्य मंत्री ने 10 रुपये तक के कर्ज किसानों के माफ कर दिये हैं । हमारी यह सरकार 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से अधिकारियों के कहने पर धन खर्च कर देती है आंकड़ों में वह व्यय हो जाता है और केवल धन खर्च हो जाना ही तरक्की का द्योतक नहीं है । उसमें कितनी सफलता मिली यह भी देखने की बात है । जिन हरिजनों को या छोटे किसानों को पंपिंग सेट खरीदने के लिए लोन दिया उनकी हालत क्या है इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है । जब तक इस पर ध्यान नहीं देंगे तब तक तरक्की नहीं हो सकती है । यह सरकार कहती आई है कि हरिजन और सीमान्त किसानों को बहुत मदद कर रहे हैं लेकिन उनकी हालत यह है कि उनकी जमीनें नीलाम हो गयी हैं और उनको जेल जाना पड़ा है । आप जरा देखें कि आपके अधिकारी और कर्मचारी उन बड़े-बड़े पूंजीपतियों को जिनके

उनपर बकाया है या जो ऋण लिए हैं किसानों को बन्द किये हैं। इसके अलावा जिन किसानो को आपने ऋण दिया है उनको पूरा-पूरा ऋण नहीं मिल पाता है उनमें भी कमीशनबाजी बढ़ गयी है और कुछ दिनों से जब से भारत के प्रधान मंत्री पर आरोप लगा तब से कमीशनबाजी का यह हाल है कि कोई भी अधिकारियों से शिकायत करता है कि रिश्वत क्यों ली जा रही है तो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ले सकते हैं तो हम क्यों न लें। पहले कमीशन इंजीनियर लोग 18 प्रतिशत लेते थे लेकिन आज कमीशन 50 प्रतिशत हो गया है। गरीब और सीमान्त किसानों के लिए जो रुपया कर्ज के रूप में दिया जाता है जब तक देने वाले अधिकारियों को सुविधा शुल्क नहीं दिया जाता तब तक किसानों को कर्जा नहीं मिलता है और कर्जा नहीं मिलता है तो अधूरा रुपया किसान योजना में नहीं लगाते हैं जिससे उस पैसे का भी दुरुपयोग होता है और उसकी सारी जमीन नीलाम कर दी जाती है और बाकी रहने पर उसे जेल तक जाने की नौबत आती है इसलिए वर्तमान सरकार घोषणा करे, चूंकि किसान की हमदर्दी की बात राज्यपाल महोदय के माध्यम से कही गयी है कि उत्तर प्रदेश के गरीब किसान और हरिजनों को कर्जे के नाम पर जेलों में नहीं बन्द होने देंगे, उनकी जमीन नीलाम नहीं होने देंगे और किसान कर्जों को माफ करेंगे, इसकी आज आवश्यकता है।

मान्यवर, छोटा सा प्रदेश हरियाणा जब कर्जे किसान के माफ कर सकता है तो इतना बड़ा प्रदेश आज कर्ज माफी की बात क्यों नहीं कर रहा है। इसलिए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किसानों के हित की कौन सी बात दिखा दिया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है और सत्ता पक्ष के लोगों की तो अभिभाषण के और मुख्य मंत्री समर्थन में भाषण देना उनकी वैधानिक मजबूरी है अन्यथा वह भी अपने-अपने क्षेत्रों में देखेंगे कि किसान उनको रोता हुआ मिलेगा। किसान को जो संरक्षण और मदद मिल रही है उसके सम्बन्ध में आप लोगों को भी पता होगा।

मान्यवर, किसानों की फसल के लाभकारी मूल्यों के संबंध में कह रहा था कि उनको लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने, किसानों के लिये लागत मूल्य के सम्बन्ध में 15 जनवरी, 1986 को भारत सरकार के कृषि मूल्यों विपणन एवं कृषि संरक्षण की स्वर्ण जयन्ती समारोह के अवसर पर कहा था कि जिन किसानों को उनकी उपज लागत से 2 प्रतिशत अधिक पर प्रति क्विंटल कृषि उत्पादों की कीमत निर्धारित की जाती है। इसमें बीज, रासायनिक खाद, पानी और मजदूरी शामिल होती है। लेकिन इसमें किसान के हल और बैल का एवं उसका मेहनताना शामिल नहीं होता है। क्या बैलों को खिलाने में पैसा नहीं लगता है ? आयोग को मालूम है कि क्या किसान होटलों में मुफ्त खाना खाने जाता है। यह शब्द भूतपूर्व राष्ट्रपति के हैं जिन्होंने चिन्ता व्यक्त की है कि मूल्य निर्धारण के लिये जो आयोग बनाया गया है वह आयोग इस किसान की परिस्थिति को नहीं देखता है, उसकी मेहनत को नहीं देखता है।

इसलिये उत्तर प्रदेश के गरीब किसान और सीमान्त किसान की हालत दिनप्रति दिन गिरती जा रही है यद्यपि वर्तमान सरकार दावा करती है कि हम किसानों को राहत और पैसा दे रहे हैं। इसलिये मुख्य मंत्री जी से कहना है कि धन व्यय करने के माने कार्य का सम्पादन और विकास नहीं है। मान्यवर, चन्द्र शेखर आजाद कृषि

विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने तीन फसलों के सम्बन्ध में लागत मूल्य निर्धारण के संबंध में कहा है जिसको मैं बताना चाहता हूं कि यह नीतिगत विषय है इसलिये ज्यादा आंकड़े तो बजट के दिन प्रस्तुत करूंगा लेकिन इस समय गेहूं का लागत प्रति क्विंटल 237.66 रुपये है जबकि सरकार द्वारा 162 रुपये है, यह आंकड़ा 1985 का है। गन्ने का 29.12 रुपये है और उस समय 23–24 रुपये था। धान का 178 रुपये और उस समय 142 रुपये था। इस प्रकार कृषि आयोग किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। यह किसानों की भावनाओं पर खरा नहीं उतर रहा है। इसका अंजाम यह है कि प्रदेश हमारा तरक्की नहीं कर रहा है। अभी लाल प्रताप सिंह जी ने दलहन और तिलहन के बारे में कहा है। मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि शाकाहारी आदमियों को प्रोटीन देने के लिये जो दलहन है उसका उत्पादन कम हुआ है, तो उसके लिये वह क्या उपाय कर रहे हैं ? यह माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि इसका उत्पादन प्रदेश में बढ़ा है। दलहन और तिलहन दोनों फसलें ऐसी हैं, जिनके उत्पादन में इधर काफी कमी आई है और इससे प्रदेश के किसानों की हालत में दिनों दिन गिरावट पैदा हो रही है। जहां तक लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए लगान माफी और सरकारी देयों के माफी की बात है, वह इस पर भी गम्भीरता से विचार करें। वह मुझे प्रतिपक्ष के नाते आलोचक ही न समझ लें, उस पर वह विचार करें। मुझे खुशी होगी कि आप इस पर गम्भीरता से अपनी राजनैतिक और नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए किसानों को राहत देने के लिए उचित निर्णय लें और उसकी इसी बजट सत्र में घोषणा करें तो मैं समझता हूं कि उससे किसानों और प्रदेश का बहुत भला होगा।

आलू उत्पादन और शीतगृहों की बात कही गयी है। जितना आलू उत्पादन हमारे प्रदेश में होता है, उतना आलू रखने के लिए आपके पास शीतगृह नहीं हैं। मुख्य मंत्री जी पर्वतीय इलाके से आते हैं, वहां पर कुफरी और ज्योती प्रजाति का आलू पैदा होता है, आपके क्षेत्र में और प्रदेश में उसके रखने की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। मालूम पड़ता है कि इन अच्छी प्रजाति को पैदा करने में सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए आज हालत यह है कि आलू उत्पादक किसानों की हालत दिनों-दिन गिरती चली जा रही है। वही दयनीय स्थिति और दोषपूर्ण नीति आपके पर्वतीय क्षेत्र के सबों के सम्बन्ध में भी है। उसके लिए भी वहां शीतगृहों की कमी है। उसके रखरखाव की वहां व्यवस्था नहीं है और उसी का नतीजा यह है कि प्रदेश का पर्वतीय इलाका गरीबी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। जिस समय अरहर पैदा होती है, उसका मूल्य पांच-छः सौ रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा नहीं होता है और आज वही दाल जब आप बाजार में लेने जाएं तो आज मार्केट में उसका मूल्य है 12 रुपया 50 पैसा प्रति किलो। तो जिसको वह पांच-छः रुपये किलो से ज्यादा नहीं बेच पाता है, उसका एक प्रासेस कारखाने में होने के बाद उसकी कीमतें एकदम दुगुनी हो जाती हैं। इसमें सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, जिससे उसकी कीमतें इतनी ज्यादा न बढ़ें, और उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। साथ ही किसानों को भी बढ़ाकर कीमत अरहर की दिलायी जाय।

लेकिन इसमें कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज मुख्य मंत्री जी का अखबार में मैंने एक वक्तव्य पढ़ा था, आपने चिन्ता व्यक्त की थी कि हमारे प्रदेश में आधे से अधिक हिस्सा ऊसर हो जाएगा। ऊसर सबसे ज्यादा मैनपुरी और इटावा में है, लेकिन उसका कार्य सबसे ज्यादा रायबरेली में हो रहा है, जहां ऊसर की इतनी बड़ी समस्या नहीं है। मुख्य मंत्री जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश का आधे से अधिक हिस्सा ऊसर हो जायेगा। ऊसर सुधार के सम्बन्ध में जो योजना है, बीस सूत्री कार्यक्रम में पांचवें नम्बर पर जिसे रखा गया है, आप ऊसर सुधार में विशेष ध्यान दें। इससे जो हमारे प्रदेश में कृषि योग्य क्षेत्र है वह बढ़ सकता है, लेकिन ऊसर सुधार की ओर भी वर्तमान सरकार का कोई ध्यान नहीं है और इसका नतीजा यह है कि प्रदेश की वांछित तरक्की नहीं हो पा रही है।

इसके साथ ही माननीय, मैं किसानों को राहत देने के संबंध में यह भी कहना चाहता हूं कि जो आपने किसानों को राहत देने के संबंध में विभिन्न योजनायें चलाई हैं उन योजनाओं से माननीय, सही और समुचित लाभ शासन की शिथिलता से नहीं मिल पा रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि आप सर्वेक्षण न करें, ग्राम सभाओं की मीटिंग अटैंड न करें आप प्रशासन को संवेदनशील बनायें ताकि वह इस तरफ ध्यान दे सके और निश्चित रूप से जनता का भला हो सके क्योंकि जब तक जनता में हंगामा नहीं मचता है तब तक वर्तमान प्रशासन ध्यान नहीं दे पाता है। जिला स्तर पर शायद ही कोई जिलाधिकारी ऐसा हो जो किसानों के हित में बगैर घूस लिए कार्य करता हो। इसका घूस का प्रतिशत बंध गया है जिसकी वजह से आप जो प्रगति करना चाहते हैं वह नहीं कर पा रहे हैं जो प्रगति, जो विकास आप प्रदेश का करना चाह रहे हैं वह नहीं हो रहा है।

इसलिए मैं विशेष रूप से इस बात पर बल देता हूं कि आप इस भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश करें। वर्तमान मंत्रि मण्डल के मुख्य मंत्री जी मुखिया हैं इनके विषय में कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर खासतौर से जहां कांग्रेस शासित सरकारें हैं वहां के मुख्य मंत्रियों का कोई स्टेट्स नहीं रह गया है इनको जब चाहें हाई कमान उठाकर बाहर फेंक देती है। एक चपरासी को निकालने के लिए भी नोटिस देनी पड़ती है, लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी को हटाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। अब यह सुनने में आ रहा है कि नारायण दत्त तिवारी जी जो मुख्य मंत्री हैं वह इस बजट सेशन के बाद हटा दिये जायेंगे, तो इन चीजों का प्रशासन के अधिकारियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अधिकारियों के मन में यही रहता है कि वह मुख्य मंत्री नहीं रहेंगे, तो वह कुछ नहीं करते हैं।

एक सदस्य–

यह भ्रामक विचार आपका है।

(शोरगुल)

श्री सत्यपाल सिंह–

जब अनुशासन की सीमा इतनी बड़ी हो जाए कि गुलामी में परिवर्तित हो जाए तो उसमें मुख्य मंत्री को हटने में देर नहीं लगती है।

(व्यवधान)

श्री प्रदीप माथुर–

"दल से दल बना दलदल न्यारा"

(व्यवधान)

[x x x]

(व्यवधान)

जनता दल पैदल हो गया है।

श्री सत्यपाल सिंह–

जनता दल पैदल नहीं है जनता दल का जन्म अभी हुआ है। जनता दल आपको पैदल कराने का संकल्प लेकर आगे बढ़ा है जिस वर्ष 1989 का बजट आप पास करायेंगे यह क्रान्तिकारी परिवर्तन का वर्ष होगा–

एक सदस्य–

"मुंगेरी लाल के हसीन सपने"

(हंसी)

श्री सत्यपाल सिंह–

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां गाजीपुर जनपद के अधिशासी अभियन्ता मिस्टर सोनकर हैं उन सोनकर के खिलाफ बड़ी गम्भीर शिकायतें थीं वह प्राग्दर्शन में साबित भी हो गई। मान्यवर, उस समय सुशीला रोहतगी मंत्री जी थीं इन्होंने निलम्बन के आदेश दिए और दस दिन में जांच के आदेश किए उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि इंजीनियर सोनकर ने बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। लेकिन एक हफ्ते के अन्दर जैसे ही उनका मंत्रालय बदला और नरेन्द्र सिंह जी मंत्री हो गये तो मंत्री जी ने सुशीला रोहतगी जी के आदेश को फौरन निरस्त करके उस इंजीनियर को बहाल किया। सवाल यह पैदा होता है कि एक ही सरकार के मंत्रियों का केवल पोर्ट फोलियो बदल जाने से आपस में यह टकराव क्यों हुआ। यह इस बात का परिचायक है कि वर्तमान मंत्रिमण्डल एकता के सूत्र में बांधकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहता है बल्कि गुटवाजी का परिचय दे रहा है।

मैं कहना चाहता हूं कि जब पिछले साल मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल रहा था तो उस समय हमारे वीर बहादुर सिंह जी की सरकार थी। मुख्य मंत्री वीर बहादुर जी हों या तिवारी जी, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, एक ही बात है। वीर बहादुर सिंह की सरकार के जमाने में जो आश्वासन दिये गये थे वर्तमान सरकार ने उनका पालन नहीं किया। पिछले साल मैं ने यह कहा था कि आपकी जेलों के अन्दर बहुत से ऐसे कैदी हैं जो 30-35 साल से जेल में सजा काट रहे हैं, उम्र कैद की । सन् 84 में कांग्रेस के एक केन्द्रीय मंत्री ने कहा था कि उम्र कैद के माने 14 साल अपरिहार्य । फतेहगढ़ जेल में मैंने देखा कि कई बंदी लंगड़ाते थे, उनको दिखाई नहीं दे रहा था, मैंने कहा था कि उनको आप छुड़वाइये क्योंकि उनकी बहुत सजा हो गयी है तो वीर

नोट–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही में निकाल दिया गया।

बहादुर सिंह जी ने सदन में कहा था कि आप यही सुझाव सही दे रहे हैं उन्होंने स्वीकार किया था । फिर मैंने कहा था कि जितने बंदी हैं उनमें ऐसे भी बंदी हैं जो वर्तमान कानून की कमियों खामियों की वजह से सजा काट रहे हैं, उन्होंने जुर्म नहीं किया है। चूंकि हमारा वर्तमान कानून ऐसा है कि यदि कोई शहादत दे दे तो चाहे दोषी हो या न हो सजा हो जाती है। इसके बारे में वीर बहादुर सिंह जी ने स्वीकार किया था और कहा था कि आपने जो सुझाव दिये उनमें यही एक सुझाव सही है। तो 25 फरवरी, 1988 को वीर बहादुर सिंह जी ने यह कहा लेकिन उनके सदन में स्पष्ट घोषणा करने के बाद आज तक इस सरकार ने उस आश्वासन को पूरा नहीं किया। वीर बहादुर सिंह जी चले गये। उस आश्वासन को पूरा करने की कोशिश नहीं की गयी । आज वह बंदी जेलों में सजा काट रहे हैं।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री राम अौतार दीक्षित)–

70 साल की आयु तक के बंदियों की सजा माफ करने की घोषणा की गई है आपने अखबार को नहीं पढ़ा होगा ।

श्री सत्यपाल सिंह–

जो मैंने 25 फरवरी, 1988 का कहा और जिस संबंध में सदन में आश्वासन दिया गया था मैं समझता था कि मुख्य मंत्री जी उसको पूरा करेंगे। आपको सारे लोग संसदीय परम्पराओं का पंडित मानते हैं, भले ही आप जानबूझकर पूरा न करें। विपक्ष और सत्तापक्ष के लोग आपको संसदीय परम्पराओं का पंडित मानते हैं इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था उसको पूरा कराने का आप प्रयास करें । इससे एवसचेंकर पर पड़ने वाला भार कम होगा और जो लोग जेलों में अंतिम घड़ियां बिता रहे हैं वह मुक्त होंगे।

आपने बड़े जोरदार शब्दों में कहा कि बड़ा साम्प्रदायिक सद्भाव है। लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में साम्प्रदायिक सद्भाव के बारे में कोई शब्द नहीं कहा गया है। आपसे पहले वीर बहादुर सिंह जी मुख्य मंत्री थे तो उन्हीं के जमाने में, उन्हीं के कार्यकाल में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद नये रूप में उभरा है। यद्यपि पिछले 50 वर्षों से यह विवाद चल रहा था लेकिन वह फाइलों में था। वीर बहादुर सिंह जी की कार्यकुशलता है कि सारे प्रदेश के अन्दर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय समस्या के रूप में यह मामला उभर कर आया। मैंने सदन में कहा था कि मुख्य मंत्री के रूप में आपका नाम काले अक्षरों में लिखा जायगा। मान्यवर, यह साम्प्रदायिक झगड़े की स्थिति यह है कि कोई जिला नहीं, कोई कस्बा नहीं जहां पर कि हिन्दू और मुसलमान, हिन्दू और सिक्ख जो भाई-चारे के साथ रह रहे थे, आज वे साम्प्रदायिक ज्वाला में न पनप रहे हों कि कब और किस दिन साम्प्रदायिक तनाव पैदा न हो जाय। पिछले दिनों मुजफ्फरनगर, खतौली, अलीगढ़, फैजाबाद और इलाहाबाद में लाल गोपाल गंज एक कस्बा है, वहां पर एकदम साम्प्रदायिक दंगा भड़क उठा था। वीर बहादुर सिंह जी के जमाने में जहां पर यह साम्प्रदायिक दंगा भड़क उठा था, वहां पर यह सरकार इस दंगे के लिए दोषी है। उस समय सारे प्रदेश के अन्दर उत्तर प्रदेश बन्द का आह्वान हुआ था और यह बन्द का आह्वान कुछ धर्म विशेष वर्ग के लोगों ने किया था। जिस समय इस उत्तर प्रदेश बन्द की घोषणा की गयी थी, उस समय ये चाहते तो सुव्यवस्था कर

सकते थे, लेकिन उस समय कोई भी व्यवस्था कहीं पर भी नहीं की गयी, जिसका अंजाम यह हुआ कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से हमारा प्रदेश साम्प्रदायिक ज्वाला में पड़ रहा और बहुत सी सम्पत्ति बर्बाद हुई।

जब मैं खतौली गया था, तो उस समय जनता दल के अध्यक्ष वी0पी0 सिंह जी भी 21 अक्टूबर को वहां पर गये थे। वहां पर दिल्ली से यह आदेश गया था कि इनको दौरा न करने दिया जाय। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना कार्यक्रम निरस्त नहीं किया और जो लोग उनसे मिलने आये थे उनके लिए खाने पीने का कोई भी प्रबन्ध वहां पर नहीं था। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपके सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस समय साम्प्रदायिक सद्भावना उत्तर प्रदेश के अन्दर होना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए आप कोई ठोस कदम उठायें । इसके समाधान की जिम्मेदारी नैतिक और कानूनी रूप से आपकी है, क्योंकि इस समस्या को आपकी सरकार ने पैदा किया है। बहुत से विपक्ष के लोग सवाल करने के लिए उठते हैं कि इसको कैसे निपटाया जाय? मान्यवर, आप इसमें कोई समझौता कराइये अथवा शासन ही निर्णय करे या हाई कोर्ट के जज का कोई पेनल बनाइये। लेकिन जब तक इस समस्या को लम्बित रखे रहेंगे, तब तक यह प्रदेश तबाही की ओर बढ़ता जायगा। इस ओर सरकार को विशेष गम्भीरता से ध्यान देकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए, ताकि प्रदेश की हर वर्ग की जनता एक राहत की सांस ले सके। इसके अलावा आज सदन के बाहर हमारे कुछ विधायकगण अनशन पर बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वे बगैर किसी सूचना के अनशन पर बैठे हुए हैं। उन्होंने अनशन पर बैठने से पहले माननीय अध्यक्ष को सूचित किया था कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, अगर कुम्भ मेले के दरमियान वहां पर प्रबन्ध नहीं होता है, तो 12 तारीख से अध्यक्ष जी के कक्ष के सामने बैठ कर अनशन करेंगे। इसके बारे में गोपाल दास यादव जी ने माननीय अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है।

(इस समय 2 बजकर 45 अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)

उन्होंने मान्यवर, जो पत्र लिखा है—माननीय अध्यक्ष जी, विधान सभा, उत्तर प्रदेश । मान्यवर, मैंने इलाहाबाद के आयुक्त एवं उ0 प्र0 शासन को अवगत कराया था कि इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी में 90 प्रतिशत शहरों की गन्दगी गिरायी जा रही है इसको रोका जाय क्योंकि शासन ने वादा किया था कि कुम्भ मेला 89 से पूर्व संगम क्षेत्र और महत्वपूर्ण घाटों पर गन्दगी नहीं गिरने दी जायेगी । प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा था कि कुम्भ मेले के अन्दर कोई भी गन्दगी नालों की नहीं गिरने दी जायेगी । किन्तु आज तक घाटों तथा संगम क्षेत्र में लाखों लीटर गंदा पानी गंगा में गिराया जा रहा है जल निगम ने करोड़ों रुपये पम्पिंग स्टेशन की मरम्मत और सीवर डालने में खर्च कर दिये किन्तु यह गन्दा पानी कहां ले जायेंगे इसका ध्यान नहीं दिया । यदि यह नदियों में गंदगी नहीं बहाते तो पूरे नगर में, गन्दा पानी इकट्ठा होने से गंदगी एवं संक्रामक रोग फैल जायेगा। प्रथम चरण में ट्रीटमेंट प्लांट बनना अति आवश्यक था। किन्तु इसका निर्माण न करके इन्होंने करोड़ों रुपये पानी की तरह व्यय कर दिये और आज करोड़ों लीटर पानी गंगा और यमुना में बहाया जा रहा है । आज करोड़ों लोग गन्दे पानी में स्नान करने को बाध्य हैं और गन्दे पानी में स्नान करने को बाध्य है और गंदे पानी को पीने

से संक्रामक रोग के शिकार हैं । अतः आपसे अनुरोध है कि यदि 12 फरवरी के पहले शासन गन्दगी जो नदियों में गिर रही है नहीं रोक पाता तो मैं आपके विधान सभा कक्ष के सामने आमरण अनशन करने के लिए बाध्य हूं । भवदीय, गोपाल दास यादव, नगर पश्चिम क्षेत्र, इलाहाबाद ।

यह मान्यवर, आपको सूचना 3-2-89 को दी गयी है इसके पहले भी माननीय गोपाल दास यादव ने इलाहाबाद के अन्दर एक हफ्ते की भूख हड़ताल की थी उस समय भी माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि हम यहां से अधिकारियों को भेज रहे हैं और व्यवस्था करा रहे हैं । 90 फीसदी गंदा पानी विभिन्न नालों के माध्यम से गंगा में गिराया जा रहा है उसको रोकने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन नहीं कर पाये । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि एक ट्रीटमेंट प्लांट बन चुका है और दूसरा बनाया जा रहा है । हमारी निश्चित जानकारी है कि एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए जो आपने टेन्डर मांगा था उसके टेन्डर मांगने के समय जो टेन्डर दिये गये तो उसमें से जिस व्यक्ति का 2 करोड़ से अधिक का टेन्डर था उसका स्वीकार किया गया और जिनका 2 करोड़ से कम का टेडर था उसका स्वीकार नहीं किया गया और इसका अंजाम यह हुआ कि वह व्यक्ति जिसका कम का टेन्डर था उच्च न्यायालय में चला गया और इसका स्टे ले आया और अंजाम यह हुआ कि कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना । इसी तरह से सीवर लाइन बिछाने को था, वह नहीं बिछी।

मान्यवर, गंदे पानी को अगर आप रोकते हैं तो इलाहाबाद में संक्रामक बीमारी फैल जायेगी । जब तक ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनता है तब तक आप कोई भी सुचारू व्यवस्था नहीं कर सकते हैं । आपने एक तरफ कानपुर में ट्रीटमेन्ट प्लांट की व्यवस्था के आदेश दिये और जिन्होंने नहीं लगवाया उनके खिलाफ आपने कार्यवाही की लेकिन वर्तमान सरकार ने आश्वासन दिया था कि ट्रीटमेंट प्लांट लगवायेंगे इस कुम्भ मेले के पहले लेकिन आप ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाये । इस कुम्भ मेले में आपने 77 करोड का बजट निर्धारित किया जो एक छोटी राशि नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के लिए 77 करोड की राशि कोई छोटी राशि नहीं है लेकिन इसके बाद भी इस सारे धन का दुरुपयोग हो रहा है । यह धन वहां के नागरिकों और धर्मावलम्बियों की भावनाओं को किसी भी प्रकार से राहत नहीं पहुंचा रहा है। गंगा की सफाई अभियान के आज 5 साल पूरे होने जा रहे हैं लेकिन अब भी अगर आप कानपुर जाकर देखें तो घाटे के किनारे सड़ी गली लाशें मिलेंगी। गंदा नाला आज भी गिर रहा है लेकिन वर्तमान सरकार ने जो इस बात के लिए वचनबद्ध थी और जिसने यह आश्वासन दिया था कि 5 साल में गंगा सफाई का अभियान पूरा कर दिया जाएगा लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनका सफाई अभियान पूरा नहीं हो पाया तब मजबूर होकर हमारे माननीय विधायक गोपाल दास यादव और अनुग्रह नारायण सिंह आज भूख हड़ताल पर माननीय अध्यक्ष महोदय के कक्ष के सामने बैठे हुए हैं । मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी विशेषकर वह इसमें हस्तक्षेप करें उन्होंने मुख्य रूप से इस बात की मांग की है कि 77 करोड़ रुपया जो कुम्भ मेले पर खर्च किया जाना है जो 14 जनवरी को प्रारम्भ हुआ था और मुख्य रूप से 6 फरवरी को समाप्त हो गया है अब जो मेला

वहां चल रहा है, वह मुख्य पर्व नहीं है । मुख्य पर्व समाप्त हो गये हैं । मेरा आरोप है कि मेले के अधिकारीगण मेले के लिये जो बजट का प्राविधान किया गया था, उसमें से 6 तारीख तक जो खर्च हो गया, उसके बाद बचे पैसे डकारने के लिये मैन्यूपुलेशन करेंगे । जो पैसा खर्च हुआ है या नहीं खर्च हुआ है उसके खर्च को बढ़ा चढ़ाकर बतायेंगे ताकि वह पैसा उनकी जेब में जाय । आप सदन में घोषणा करें, इस बात की व्यवस्था दें कि 6 तारीख तक जितना खर्च हुआ उसके एकाउन्ट सील कर दिये जायेंगे, ताकि वहां के भ्रष्ट अधिकारी मैन्यूपुलेशन न कर सकें । इस बात को लेकर हमारे विधायकगण धरने पर बैठे हैं ।

मैं समझता हूं कि इसमें उनके किसी स्वार्थ की बात नहीं है । उन्होंने इसको अपनी इज्जत का प्रश्न नहीं बनाया है । उन्होंने इस प्रदेश के धन को बचाने के लिये यह कदम उठाया है । इसलिये मा0 मुख्य मंत्री जी इस विषय पर विचार कर लें और सोच लें ताकि उन विधायकों की भावनाओं का आदर हो सके और हमारे प्रदेश के गरीबों का धन बर्बाद न हो सके । यह मुझे आपसे कहना है । अब मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो यह अभिभाषण दिया है, इस पर एक बात कही कि हम आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिये पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं, मैं मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में यह बात विशेष रूप से लाना चाहता हूं कि अब देहात के रहने वाले, कस्बों के रहने वाले लोगों के लिये जो मिट्टी के तेल की या शक्कर की सप्लाई की व्यवस्था की गयी है, वह इतनी गलत है कि जिससे आज पूरे प्रदेश के अन्दर जितनी शक्कर मिट्टी का तेल या अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं, उन पर सत्ता पक्ष के लोग कुण्डली मार कर बैठे हैं । जो भी स्थानीय प्रभावी लोग हैं, कांग्रेस के सदस्य हैं, ऐसे लोग कुण्डली मार कर बैठे हैं। ये लोग गरीब किसानों को शक्कर या तेल नहीं बांट रहे हैं। यह जो कि 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रथम सूत्र है, मा0 मुख्य मंत्री जी इस व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करके आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की व्यवस्था करें ताकि जो आपकी भावनायें हैं, या सरकार की नीयत है, वह फलीभूत हो सके। आप इस वितरण व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करने का प्रयास करें । कुम्भ मेले में आ भी व्यवस्था चल रही है, दवा के संबंध में, खाद्य पदार्थों के वितरण के संबंध में, इनमें बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं ।

इसीलिये मा0 विधायकगण मांग कर रहे हैं कि वहां पर जो खर्च 6 फरवरी तक हो गया, उसके बाद खर्च पर रोक लगावें और 6 तारीख तक जितना खर्च हुआ उसके बाद भ्रष्ट अधिकारी मैन्यूपुलेशन करके धन का दुरुपयोग न कर सकें, इसकी व्यवस्था करें । यह मुझे आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से कहना है । अब उत्तर प्रदेश में मा0 मुख्य मंत्री जी ने बेरोजगारी की समस्या को प्राथमिकता दी थी । उन्होंने कहा कि हमारे यहां जो चार प्रमुख समस्याएं हैं उनमें बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है और इसको हल करने के लिए आपने छोटे और मध्यम उद्योगों का सहारा लिया । इसके सहारे आप बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं । इसमें मुझे कहना है कि इस बेरोजगारी को दूर करने की आपकी नीयत नहीं है । इसको दूर

करने का आपने प्रयास भी किया, इसका उल्लेख अभिभाषण में नहीं है। हमारा देश जब आजाद हुआ उस समय हमारे प्रदेश में 3 लाख बेरोजगार थे और आज 88 में 33 लाख बेरोजगार हैं। बेरोजगारों की संख्या इतनी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन आप इस बेरोजगारी पर कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। आज पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग मारे-मारे फिर रहे हैं, उनको आप कोई राहत नहीं दे पा रहे हैं। उन पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों के लिए हरियाणा जैसे छोटे से प्रदेश ने अखबारों में विज्ञापन दिया, घोषणा प्रकाशित की, अगर सही नहीं होता तो अखबारों में क्यों आता, हरियाणा में बेरोजगार नवयुवकों को 100 रु0 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गयी। उसी के साथ-साथ वहां जो भी बेरोजगार नवयुवक इन्टरव्यू के लिए कहीं भी जायेगा, तो उसे बस का पास फ्री दिया जायेगा। एक छोटे से प्रदेश की यह उपलब्धि है। हमें अफसोस है कि हमारा इतना बड़ा प्रदेश है, बेरोजगारी की विकट समस्या है, लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस पर कोई विचार नहीं किया। माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि इस समस्या को गम्भीरता से देखें, यह प्रदेश की जटिल समस्या है। बेहतर होगा अगर आप घोषणा करेंगे कि हरियाणा के समान यहां भी बेरोजगारों को 100 रु0–150 रु0 बेरोजगारी भत्ता देंगे। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बात को कह दिया कि इंजीनियरिंग कालेज, पालिटेकनिक कालेज खोलने जा रहे हैं, बेरोजगारी समाप्त करने के लिये, इतनी मोटी सी बात कह दी, हजारों हजार डिप्लोमा होल्डर्स इंजीनियरिंग की डिग्री होल्डर्स बेकार बैठे हुए हैं, वे लोग विधान सभा के बाहर कई दिनों से धरना दे रहे हैं, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं है। एक तरफ प्रदेश के 8 हजार इंजीनियर्स बेकार पड़े हुए हैं, दूसरी तरफ महामहिम राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में पालीटेकनिक कालेज और इंजीनियरिंग कालेज खोलकर बेकारी दूर करने की बात कह रहे हैं।

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से सरकार पर आरोप है कि पालिटेकनिक कालेज खोलकर आप बेरोजगारी की फौज को बढ़ावा देने जा रहे हैं। बेरोजगारी की समाप्ति के लिए जिस दिशा में आपको विचार करना चाहिए था, वह आप नहीं कर रहे हैं। आप बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे हैं, एक मैंने पालिटेकनिक कालेज की बात कही, दूसरे कई विभागों के अन्दर आपने माननीय प्रधान मंत्री से प्रेरणा लेकर कम्प्यूटर सिस्टम लागू कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि यह कम्प्यूटर सिस्टम उत्तर प्रदेश की धरती पर, हिन्दुस्तान की धरती पर शोभा नहीं देता है, यह यहां के अनुकूल नहीं है, बिल्कुल प्रतिकूल है। हमारे देश/प्रदेश के अन्दर गरीबी है दूसरे मुल्क इंग्लैंड, अमेरिका, जहां कम्प्यूटर सिस्टम चलता है, जहां कम्प्यूटर सिस्टम स्वागत होता है, वह इसलिये कि वह धनाढ्य देश हैं, वहां पर आबादी कम है, देश अमीर है। हमारे यहां आबादी अधिक है, देश गरीब है। वहां कम्प्यूटर सिस्टम लागू कर रहे हैं तो क्या अंजाम हो रहा है। आपने बैंक में, रेलवेज में कम्प्यूटर सिस्टम को लागू किया हजारों हजार लोग बेरोजगार हो गये।

मैं इसके आंकड़े आगे प्रस्तुत करूंगा । मैं नीतिगत रूप से कहना चाहता हूं कि कम्प्यूटर सिस्टम उत्तर प्रदेश की धरती पर, हिन्दुस्तान की धरती पर मुनासिब नहीं है शोभनीय नहीं है ।इससे आप बेरोजगारी को बढ़ावा देने जा रहे हैं, इससे बेरोजगारी कम होने वाली नहीं है ।

मान्यवर मैंने यह प्रश्न किया था कि क्या 25 क्यूसेक से कम क्षमता वाली 5 बिल्कुल बन्द कर रखी हैं, तदर्थ नियुक्तियां बन्द कर रखी हैं, कोई भी रोजगार के साधन आपने इस प्रदेश के अन्दर पैदा नहीं किये । मुझे खुशी होती यदि महामहिम राज्यपाल अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र करते कि बन्द नियुक्तियां खोली जा रही हैं, बन्द नियुक्तियों को खोलने के विषय में उन्होंने कुछ नहीं कहा । खाली पड़े स्थान थे, वह भी सीज हो गये, मृतप्रायः हो गये । उन जगहों को भरने के लिए अब कोई भी तरीका नहीं रह गया, वह स्थान सीज हो गये, एडहाक नियुक्तियां बन्द हैं। माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ टीचर्स हड़ताल कर रहे हैं, उनको तीन साल पहले अंशकालीन रूप से नियुक्त किया गया, उनका कहना है कि सेवा आयोग में जाने के बजाय उनको मुस्तकिल किया जाय । उनकी बात यह सरकार नहीं सुन रही है, कई महीनों से वह हड़ताल पर चल रहे हैं। जो लोग अंशकालीन रूप से कार्यरत हैं, उनको आप सेवा का अवसर देने नहीं जा रहे हैं। मान्यवर, यही नहीं हमारे प्रदेश के अन्दर एक कानून है कि अगर किसी सेवारत कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका आश्रित चाहे उसकी पत्नी हो, भाई हो, लड़का हो, में से किसी एक को नौकरी दी जायेगी । लेकिन मैं वर्तमान सरकार से यह कहना चाहता हूं कि कानून यथास्थान बना हुआ है लेकिन किसी भी सेवारत कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु होने के बाद उसके आश्रितों को नौकरी नहीं दी जा रही है । राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में ऐसी किसी बात का उल्लेख नहीं किया । यह प्रदेश इस बात का स्वागत करता यदि इस समस्या पर विचार किया गया होता ।

आपकी जो इस समय नीतियां चल रही हैं, उससे प्रदेश के अन्दर बेरोजगारी बढ़ रही है । जैसे आप पुनर्नियुक्ति को ले लें । पुनर्नियुक्ति करने में केवल एक ही सहारा लिया जाता है कि अमुक व्यक्ति बहुत सुयोग्य और अनुभवी है । इससे होता यह है कि उस आदमी के रिटायर होने से किसी एक व्यक्ति को जो रोजगार मिलता, व उसे न मिलकर उसका नाम बेरोजगारों की लिस्ट में ही बढ़ता चला जाता है । दूसरी तरफ इसका दुष्परिणाम यह होता है कि जो बेरोजगारी की लाइन में लगे हुए लोग हैं, उनके अन्दर यह कुंठा व्याप्त हो रही है कि वह योग्य नहीं है अनुभवी नहीं है । इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पुनर्नियुक्ति को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए । वर्तमान सरकार ने इस संबंध में कुछ नहीं कहा है । इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जब किसी कर्मचारी/अधिकारी को उसी वेतन पर, उसी स्केल पर पुनर्नियुक्त कर दिया जाता है, तो जाने अनजाने ही उसकी निष्पक्षता खत्म हो जाती है और वह निष्पक्ष होकर कार्य सम्पादन नहीं करता है और वह

किसी दल विशेष या सत्ता दल के पीछे चलने के लिये मजबूर हो जाता है, इसका परिणाम यह होता है कि जो निष्पक्ष प्रशासन इस समाज को मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है।

इसी तरह से हमारे खेतिहर किसान मजदूर हैं, छोटे किसान हैं। मुख्य मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे यहां किसानों को साल में केवल 90 दिन ही काम मिल पाता है और बाकी 9 महीने उन्हें इन्तजार करना पड़ता है। हमारे यहां के किसान पूरी तरह से खेती पर ही मुनस्सिर हैं, इन किसानों को भी काम न मिल पाने के कारण उन लोगों के लिए अपने परिवार तथा बच्चों को जिलाना मुश्किल हो जाता है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि वर्ष 88–89 का समय श्रमिकों के लिए बड़ी शान्ति से बीता। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस 88-89 के वर्ष में 4 बार हमारे प्रदेश के कर्मचारियों ने हड़तालें की, जिससे हमारे प्रदेश का कामकाज ठप्प हो गया, पूरा प्रशासन पंगु हो गया, पैरालाइज हो गया, जिससे पूरे अवाम को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा और हमारे राज्यपाल महोदय प्रशंसा कर रहे हैं कि यह वर्ष बड़ी श्रमिक शान्ति का बीता। मान्यवर, जो हमारे खेतिहर मजदूर हैं, बेरोजगार लोग हैं, उन सभी को काम देना सरकार का प्रथम दायित्व है। आपको उन्हें काम देने की निश्चित व्यवस्था करनी चाहिए। आज आजादी के 40 साल बाद भी इस प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या का कोई हल नहीं हो सका है, यह इस प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।

इसके साथ ही, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक तरफ आप कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करते हैं और कहते हैं कि सरकार कल्याणकारी योजनायें बनायेगी। जबकि दूसरी ओर आप गरीब लोगों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, मजदूरों को काम नहीं दे पाते हैं। आप इस सदन में घोषणा करें कि हरियाणा सरकार के समान आप भी इन लोगों को महंगाई भत्ता, बेरोजगारी भत्ता देंगे। ऐसा नहीं है कि आपके लिये इस सुविधा को देना शक्ति के बाहर हो आपकी सीमाओं के बाहर हो, प्रदेश के संसाधनों में इतनी ताकत है। आसानी से हरियाणा का मुकाबला कर सकते हैं। हम इस बेरोजगारी को दूर करेंगे और छोटे तथा मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देंगे। हैण्ड लूम, पावर लूम व हथकरघा उद्योग की जो वस्तुएं हैं, ये सब छोटे उद्योग में आते हैं। गांव का रहने वाला मजदूर अपनी रोजी-रोटी का गुजारा इन्हीं से करता है। 8 फरवरी से हमारे सदन का सत्र प्रारम्भ हुआ और राज्यपाल महोदय घोषणा कर रहे हैं कि हम छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देंगे लेकिन 6 तारीख को 20 से लेकर 40 प्रतिशत तक हथकरघा वस्तुओं के दामों में वृद्धि कर दी। इनकी कथनी और करनी में कितना अन्तर है। यह जो आप कर रहे हैं, यह गरीबों के साथ घोर अन्याय है। इसका निराकरण करना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन इसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है।

हमारे प्रदेश के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्राथमिकता दी है कि हम रिसोंसेज बढ़ायेंगे और आय के साधन बढ़ायेंगे, लेकिन राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहीं पर भी एक लाइन नहीं लिखी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी किस तरह से आय के स्रोत बढ़ायेंगे । मितव्ययता का भी जिक्र नहीं किया गया है । समाचार पत्रों में पहले ही आ गया है कि आप टैक्स फ्री बजट ला रहे हैं। जिस समय माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर दें, उस समय वह यह बतायें कि वह आय के स्रोत कैसे बढ़ायेंगे ?

मान्यवर, हमारे प्रदेश में सबसे बड़ा सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो है । इनकी संख्या 62 है और 7 हजार करोड़ रुपये का इन पर विनिमय है । दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सार्वजनिक उद्यम करोड़ों रुपये के घाटे में चल रहे हैं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि कई सार्वजनिक उपक्रम तो ऐसे हैं जिनका 15–16 साल से कोई आडिट नहीं हुआ है कि कितने घाटे में वे चल रहे हैं । मैं पिछले दो साल की जानकारी के आधार पर बड़े विश्वास के साथ इस सदन को बताना चाहता हूं कि इन उपक्रमों में 7 हजार करोड़ रुपये के घाटे में से 3700 करोड़ रुपये का घाटा पिछले 2 सालों में हुआ है । विद्युत विभाग जिसमें सबसे ज्यादा धन लगा हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा घाटा हुआ है । जब से इसकी स्थापना हुई है, तभी से इस विद्युत परिषद् में घाटा होना शुरू हो गया है । इस घाटे को कैसे कम किया जाय, इस ओर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है । हमारे प्रदेश के अन्दर 22 प्रतिशत लाईन लास है, जबकि रूस में केवल 2 प्रतिशत लाईन लास है । एक फीसदी लाईन लास से 15 करोड़ रुपये का घाटा होता है, यदि एक फीसदी लाईन लास को बचा लिया जाय तो 15 करोड़ की बचत हो जायेगी । यदि हम रूस के लाईन लास के बराबर अपने प्रदेश के लाईन लास को ले आयें तो 300 करोड़ रुपये की बचत अकेले विद्युत परिषद् में हो जायेगी । लेकिन इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है । न तो विद्युत परिषद् को इस घाटे से मुक्त किया जा रहा है और न ही उपभोक्ता को किसी प्रकार की सुविधा दी जा रही है । विद्युत के संबंध में राज्यपाल महोदय ने कहा कि विद्युत सप्लाई की जा रही है लेकिन जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं किसी भी माननीय सदस्य के क्षेत्र में नियमित रूप से 10 घण्टे बिजली नहीं मिल रही है । उपभोक्ता को भी बिजली पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है । उपभोक्ता पर दोहरी मार पड़ रही है । बहुत सी जगहों पर जहां बिजली का घाटा होता है जहां बहुत से उपभोक्ता अवैध कनेक्शनों के माध्यम से बिजली का उपभोग कर लेते हैं, वहां ईमानदार लोगों पर लोड बढ़ा दिया जाता है, गलत बिलिंग होती है । घरेलू उपयोग के लिए जो लोग बिजली खर्च करते हैं, उनके बिल इस आधार पर बनाये जाते हैं कि उन्होंने उद्योग में बिजली खर्च की है । गलत बिलिंग हो रही है । जिस ईमानदार उपभोक्ता ने सही रूप से बिजली का इस्तेमाल किया है, उनको यह वर्तमान सरकार कोई राहत नहीं दे पा रही है । शाहजहांपुर में दो इन्जीनियर थे, शायद बिजली मंत्री जी ने हटा दिया । श्री राम अौतार दीक्षित जी बैठे हुए हैं, मेरे बड़े भाई हैं, यह जानते हैं कि किस संवेदन-हीनता से जनता को परेशान किया जाता है। ये इन्जीनियर वहां की जनता को परेशान कर रहे हैं । मजबूर होकर माननीय मंत्री जी ने आदेश दिया लेकिन यहां इस सरकार के

आदेशों का पालन नहीं होता है । जब मुख्यमंत्री जी के आदेशों का पालन नहीं होता है तो मंत्री महोदय के आदेशों का तो खुदा मालिक है ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे दीक्षित–

बिजली विभाग में ऐसा नहीं है ।

श्री सत्यपाल सिंह –

आपने स्वयं कहा था कि वी0 पी0 सिंह इन्जीनियर हटेगा । आपने आदेश भी किया । बाद में आपने कहा कि आप शर्मिन्दा हैं कि वह नहीं हटा । वह तब हटा जब कैबीनेट मिनिस्टर के पास पूरा डेलीगेशन मिलने के लिये गया ।

एक सदस्य–

जिनको आपने यहीं पर गालियां दीं, अब तो वह जनता दल के अध्यक्ष हो गये हैं ।

श्री सत्यपाल सिंह–

जनता दल का अध्यक्ष वह है जिसने बेईमानी का पर्दाफाश किया है ।

(शोर व्यवधान)

जब उन्होंने सही बात कही है, तब हमने उनका स्वागत किया है ।

(शोर व्यवधान)

अब इसके बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था के संबंध में भी कुछ कहना चाहूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कितना समय और लेंगे ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं । प्रदेश की जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, वह दिनों दिन बिगड़ती जा रही है । और आजकल जो सबसे बड़ा कारण कानून व्यवस्था में अव्यवस्था का है वह यह है कि पहले हमारे प्रदेश में केवल एक आई0 जी0 हुआ करता था जबकि आज प्रदेश में तीन दर्जन आई0 जी0 हैं लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति दिन प्रति दिन गिरती जा रही है । अब करते क्या हैं कि अपराध का कन्सीलमेन्ट करने की कोशिश की जाती है, उसे मिनिमाईज करने का प्रयत्न किया जाता है । अगर कहीं कोई डकैती से प्रभावित है तो उसे रपट में चोरी लिख दिया जाता है । केवल आंकड़ों के माध्यम से आप यह साबित करना चाहते हैं, कि अपराधों में कमी आई है । किन्तु ऐसा नहीं, अपराध कम नहीं हो रहे हैं बल्कि आपकी मौजूदा पुलिस प्रशासन में अपराध और बढ़े हैं, हमारे प्रदेश में जुर्मों में कोई कमी नहीं आई है ।

मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस विभाग से सबसे अधिक प्रभावित रेन्ज मेरठ है हत्या के दृष्टिकोण से । खास करके वह जिले या वे मण्डल जो कि प्रदेश की राजधानी के नजदीक के हैं या फिर वह जो कि दिल्ली के पास के हैं उन्हीं में जुर्म ज्यादा बढ़े हैं । ऐसा लगता है कि शासन के साये में जुर्म करने वाले पनप रहे हैं ।

प्रदेश में लूट, हत्या, दंगा, डकैती, बलात्कार तथा चोरियों की तो जैसे बाढ़ आयी हुई है । डकैती की वारदातें 1983 में मेरठ में 839 हुई, कानपुर में 749 तथा लखनऊ में 636 व बरेली में 505 हुई । ऐसे ही फैजाबाद में 266 वारदातें हुई और 1987 तक इनमें निरन्तर बढ़ोत्तरी ही हुई है । इसी तरह से लूट की घटनायें फैजाबाद में 645, कानपुर में 626, लखनऊ में 527, बरेली में 464 हुई । इस तरीके से सबसे ज्यादा अपराध कानपुर, मेरठ, लखनऊ और फैजाबाद मण्डल में हुये हैं, जहां उच्चाधिकारी सबसे ज्यादा संख्या में हैं और जहां वे ज्यादा संख्या में नियुक्त किये गये हैं, वहीं जुर्म ज्यादा पनप रहे हैं और उन पर कोई नियंत्रण नहीं हो पा रहा है ।

प्रदेश में महिलाओं के प्रति भी अपराध ज्यादा बढ़े हैं, हरिजनों के उत्पीड़न के अपराध में वृद्धि हुई है । उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहां वर्ष 1986-87 और 1988 में अन्य राज्यों की तुलना में आंकड़ों के आधार पर महिलाओं पर अत्याचार के मामले अधिक हुए हैं । प्रदेश की गृह मंत्री जो कि स्वयं ही एक महिला हैं, इस समय वे यहां पर उपस्थित नहीं हैं, 21 मार्च, 1988 को यह जानकारी गृह राज्य मंत्री श्री पी० चिदाम्बरम ने राज्य सभा में श्री के० के० बिरला के प्रश्न के उत्तर में दी थी कि वर्ष 1987 में उत्तर प्रदेश में 703 नव-ब्याहताओं की हत्या दहेज न लाने के कारण से हुई जो कि 1988 में बढ़कर 902 हो गयी, यह अत्यन्त चिन्ता-जनक स्थिति की द्योतक है। इसी तरह से बलात्कार के मामले में 1983 में प्रदेश में इसकी संख्या 623 थी जो कि बढ़कर 1988 में यह 1,291 हो गयी, यानी कि अपराध दो गना हो गया । हमारे प्रदेश में गृह मंत्री जी ने एक सेल का गठन किया है जुर्म को रोकने के लिये, उसमें अधिकारी की नियुक्तियां तो हो गयीं किन्तु जुर्म में कोई कमी नहीं आयी है, जुर्म पर कोई नियंत्रण नहीं स्थापित हो सका है ।

व्यवस्था यह होनी चाहिये कि जो फोर्स हो उसके कर्मचारी, दरोगा की संख्या जो बढ़े वह सही दिशा में काम करने वालों की हो और उन्हें सही दिशा में काम करने के लिये मजबूर किया जाय, लेकिन इस ओर कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है और न वर्तमान सरकार उन पर कोई नियंत्रण ही कर पा रही है ।

जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, आप आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि हरिजनों के उत्पीड़न की जैसे बाढ़ सी आयी हुई है। वर्ष 1987 में कागनीजेबिल आफेन्सेज 3,906 थे जो कि वर्ष 1988 में बढ़ करके 4,250 हो गये । और नान कागनिजेबिल आफेन्सेज 1987 में 11,612 थे और 1988 के आते-आते 11,826

हो गये । इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर महिलाओं के साथ बलात्कार व दहेज के मामलों के लेकर जो जुल्म हो रहे हैं उनकी संख्या और बढ़ी है, इसी प्रकार से हरिजनों पर हो रहे अत्याचार में भी संख्या बढ़ी है और लखनऊ जो कि राजधानी है प्रदेश की जहां पर अधिकारियों की संख्या दिनों दिन बढ़ ही रही है, ऐसे स्थान पर भी यह वर्तमान सरकार जुल्म, अत्याचार व अपराध पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, परन्तु अपराध को हर जगह छिपाया जा रहा है, रिपोर्ट न लिखकर, इस प्रकार से अपराधों की संख्या को मिनीमाईज किया जा रहा है, एक नहीं इसके कोई उदाहरण दिए जा सकते हैं । अभी कानपुर में मोनू राठौर के ही मामले को ले लीजिए, जिस निर्दोष को पुलिस ने बे-इंतिहा पीटा, जो वहीं स्पाट पर बेहोश हो गया और जो आज भी मेडिकल कालेज में अपना इलाज करवा रहा है, की रिपोर्ट नहीं दर्ज की गयी है, जिसके बारे में अदालत में भी यह निर्णय हुआ कि उस पुलिस को व संबंधित अधिकारी के नाम एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी जायें, लेकिन आज तक उस निर्णय पर भी अमल नहीं किया गया, जब इस प्रकार से मामलों को दबाया जायेगा तो अपराध और भी बढ़ेगें ही और उन पर किसी प्रकार से भी नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है ।

इसी प्रकार से एक मामला हरदोई मल्लावां का है, जहां पर मई, 1988 में एक आदमी की हत्या हुई, वह कत्ल करने वाला आदमी उन्नाव का है और उन्नाव के ही एक खास राजनीतिक का आदमी है, इस मामले की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हो रही थी, परन्तु किसी तरह से हरदोई के एक विधायक, श्री राम आसरे जी के स्वयं के प्रयत्न पर रिपोर्ट तो दर्ज हो गयी, लेकिन उस मामले में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी और जब इस मामले पर कार्यवाही के लिए 8-10 लोगों ने प्रयास किए तो उन लोगों के घरों को बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर दिया गया बल्कि यूं यदि कहा जाए कि उनके घरों को नेस्त-नाबूद कर दिया गया तो गलत न होगा और तीन कत्ल और इस मामले में कर दिए गये, लेकिन आज तक इस घटना पर कोई कार्यवाही नहीं हुई 1 फरवरी, 1989 हो रहा है । तो इस प्रकार से वर्तमान सरकार द्वारा अपराधों पर जब संरक्षण दिया जा रहा है मुल्जिमों को और इन मुल्जिमों के खिलाफ जब कोई कार्यवाही नहीं होगी तो अपराधों की संख्या अपने आप बढ़ेगी और लखनऊ जैसे स्थान पर और इसके आस-पास जब अपराधियों को संरक्षण दिया जायेगा जो राजधानी है, जहां पर अधिकारियों की संख्या भी हर स्थान से अधिक है पुलिस व पुलिस अधिकारी भी अधिक हैं और इससे बढ़कर और आश्चर्य की बात क्या हो सकती है कि एस0 एस0 पी0 आवास के पास जून, 88 में एक काण्ड हो जाए, डकैती पड़ जाए और कोई कार्यवाही अब तक न हो, तो ऐसे मामलों पर पुलिस पर यदि संदेह किया जाए तो कोई गलत न होगा । पुलिस भी कई जगहों पर गड़बड़ कर रही है । मोनू राठौर की घटना हुई, बाराबंकी में छोटू को मारा गया । पुलिस द्वारा दो निरपराध लोगों की हत्या कर दी गयी, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई । विधान परिषद् में इस बात को उठाया गया कि एक प्रोफेसर

को हथकड़ी लगाकर जेल भेज दिया गया । इस घटना की जांच के लिये मांग की गयी, लेकिन आपकी मंत्रि परिषद् के जो सदस्य हैं, कार्यवाही करना तो दूर रहा, इस घटना की जांच भी कराने के लिए तैयार नहीं हुये । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष का विरोध पक्ष से तभी टकराव होता है, जब सरकार अपनी हठवादिता पर आ जाती है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप हठवादिता से काम न करें। गरीबों पर जो पुलिस जुर्म कर रही है, तो उनको पुलिस के जुर्मों से संरक्षण प्रदान करें । अगर आप सही बातों को समझकर चलेंगे, तो सदन बहुत ही शांति पूर्ण ढंग से चलेगा, लेकिन मजबूरी तब होती है जब कि सत्ता पक्ष हठवादिता करता है, सही बात को मानता नहीं है, सही बात की जांच कराता नहीं है । जनता की जो शिकायतें हैं, जिनको हम यहां पर आपके समक्ष रखते हैं, उनको आप सुनते नहीं हैं और हमें मजबूर होकर सदन में ऐसा कदम उठाना पड़ता है, जिसके लिये हम भी दिल और दिमाग से नहीं चाहते हैं । यह जो कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई हालत है, यह माननीय मुख्य मंत्री जी से छिपी नहीं होगी ।

ज्यादा घटनाओं का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, एक घटना हरदोई में हुई । मुजरिम को वहां की पुलिस ने पीटा, मोहम्मदी में सुरेन्द्र सिंह को पुलिस ने पीटा, जिसकी मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गयी, लेकिन फिर भी पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी । जहां पर पुलिस को जिम्मेदार ठहराया जाता है, विरोध पक्ष उस मामले की जांच सी0 आई0 डी0 से करने के लिए मांग करता है, लेकिन सत्ता पक्ष उसको मानने से इन्कार कर देता है । अगर आप अपनी जिद पर न रहें तो इस प्रकार की घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है । विरोध पक्ष केवल विरोध करने के लिए नहीं है, बल्कि सरकार की गलत नीतियों की ओर इशारा करता है और जब उसके इशारे को सरकार नहीं सुनती है, तो मजबूर होकर विरोध पक्ष को दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ता है ।

मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कोई राहत देने की घोषणा नहीं की है । उन्होंने कल्याणकारी राज्य की बात कही है । 20 प्रतिशत ही बेसहारा लोग ऐसे थे, जिनको अस्पताल में भोजन दिया जाता था, जो लोग स्वाभिमानी होते हैं, वह अस्पताल में खाना लेना पसन्द नहीं करते हैं, केवल 20 प्रतिशत लोगों को ही खाना दिया जाता था, लेकिन उसको भी अब इस सरकार ने बन्द कर दिया गया है और प्रवेश शुल्क दो रुपये से बढ़ाकर पांच रुपया कर दिया गया है । पहले परीक्षण निःशुल्क होता था, लेकिन अब जो मल, मूत्र आदि का परीक्षण होता है, उसके लिये फीस तय कर दी गयी है । आप पी0 एच0 सी0 खोलते जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितने अस्पताल ऐसे हैं, जहां पर डाक्टर नहीं हैं। हजारों डिग्री होल्डर डाक्टर आज भी बेकार पड़े हैं। गरीबों और बेसहारा लोगों को कल्याणकारी राज्य की अनुभूति तो तब होगी जब आपने जो यह शुल्क लगाये हैं, इनको समाप्त कर दें । जो बेसहारा लोग हैं उनके लिये भोजन की व्यवस्था करें । उनके लिये दवाओं का जो कोटा था वह कम कर दिया गया है,

इस तरफ आप विशेष ध्यान दें और उसे कम न किया जाय । ताकि अस्पतालों में जो दो-चार रुपये की दवा उनको दी जाती है, वह उन्हें मिल सके । दवा की जगह उनको पानी दिया जाता है, धोखा दिया जाता है । इसलिए जो कल्याणकारी राज्य की कल्पना लेकर आप चले थे, उस पर आप ध्यान दें ।

मान्यवर, कानून व्यवस्था पर जब मैं बोल रहा था उसमें एक बात यह कहना चाहता हूं कि मथुरा जिले के अन्दर एक वकील की हत्या कर दी गई । जब वकीलों ने इसकी जांच के लिए आग्रह किया कि मुल्जिमों को पकड़ा जाय, इसके लिये आग्रह किया तो उल्टे पुलिस ने उन्हें लाठियों से पीटा । उसमें हमारे विधायक सरदार सिंह जी भी थे । उनको अपमानित किया गया । गृह मंत्री जी ने कहा कि जाने अंजाने में ऐसा किया गया होगा । मान्यवर, हर व्यक्ति जानता है कि इग्नोरेन्स आफ ला इज नो एक्सक्यूज लेकिन फैक्ट भी कोई चीज होती है । यह विधायक जी के गृह जनपद की बात है । पुलिस हत्यारों को खोजने के बजाय वकीलों पर लाठियां बरसाये यह कहां का न्याय है ? आखिर न्याय की गुहार कौन सुनेगा ? यह कैसा प्रशासन है ?

इसलिए मुख्य मंत्री जी इस ओर आप विशेष ध्यान दें । इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो । 27 जनवरी से मथुरा में अदालतें बन्द हैं और आज भी मुख्य मंत्री जी और माननीय मंत्री जी का यह कहना है कि उनकी स्ट्राइक कल तक समाप्त हो जायेगी, लेकिन उनकी समस्या का समाधान आप नहीं कर रहे हैं । सिवाय इसके कि इस हड़ताल को फेल कराने के लिए आप कोई तांडव करें या कोई कार्य कलाप करें, आप गम्भीरता से उनकी समस्याओं पर विचार करें, अन्यथा इसका अन्जाम यह होगा कि प्रदेश की शांति व्यवस्था गिरती ही चली जायेगी । इसलिये मुख्य मंत्री जी आप देखें कि हमारे जो विधायक माननीय सरदार सिंह जी, माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी, माननीय गोपाल दास यादव जी जो यहां पर अध्यक्ष के कक्ष के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनकी समस्याओं पर गम्भीरता से विचार करें । यह कोई उनके लिए खुशी की बात नहीं है और यह अच्छा नहीं है कि माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग लेने के बजाय विधान सभा अध्यक्ष के सामने हड़ताल पर बैठें और मजबूरी से उन्हें न्याय की गुहार करनी पड़े ।

(व्यवधान)

एक सदस्य–

उनको आप समझा दें ।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

उनको तो समझा रहे हैं लेकिन आप भी समझने का प्रयास करें ।

मान्यवर, अब मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं । अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए यह सरकार वायदा करती है कि हम उनके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं । इन अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए नौकरियों में 18 प्रतिशत आरक्षण की जो आपने बात कही थी, उसे आप

पूरा नहीं कर रहे हैं । मेरा कहना है कि आज आजादी के 43 साल पूरे होने के बाद उनके आरक्षण का पूरा कोटा नहीं किया गया है । अब मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार के राज्याधीन सेवाओं के अंतर्गत इन अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए जो आपने आरक्षण दिया है, 1 जनवरी, 1987 को आपके ही यहां से जो पुस्तिका प्रकाशित हुई है, उसके कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । कितना प्रतिशत अब तक आप पूरा कर पाये हैं—समूह क, ख, ग तथा घ में यह इसमें दिया गया है । इसमें दिया है कि 7 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति के लिए अभी तक आप आरक्षण नहीं कर पाये हैं और सबसे बड़ी उल्लेखनीय बात यह है कि जिस अनुसूचित जाति के उत्थान की बात यह कहते हैं सरकारी नौकरियों में 1987 में 1986 की तुलना में उनकी संख्या में 1918 की कमी हुई है ।

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

कहां कम हो गये हैं कह रहे हैं?

श्री सत्यपाल सिंह—

अनुसूचित जाति के लोगों की सरकारी नौकरियां में कम होने की बात कह रहा हूं । वर्ष 1986 में जितनी संख्या थी उससे 1987 में कम हुई है समूह (क) में वर्ष 1986 के अंदर 455 थे अगले वर्ष यह संख्या 534 हुई यानी इसमें बढ़े लेकिन समूह (ख) में वर्ष 1986 में 2133 हरिजन कर्मचारी थे वह घट कर 1557 हो गये हैं । यह आपकी ही पुस्तक के आंकड़े हैं समूह (ग) में 62301 थे वह घट कर 59301 हो गये हैं । इसी तरह से समूह (घ) में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या 36029 थी वह घट कर 30354 रह गयी है । हमारी सरकार हरिजनों को आरक्षण देने की बात कहती है लेकिन दूसरी तरफ आपके ही आंकड़े बताते हैं कि स्थानों में कमी हुई है । मैं आशा करता हूं कि उत्तर भाषण में इस दुर्भाग्यपूर्ण बात को स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ।

इसी तरह से पिछड़ी जाति के लड़कों की छात्रवृत्ति में भी गिरावट आई है जो आंकड़े आपने दिये हैं उसके अनुसार 88-89 में 53106 छात्र लाभान्वित हुए जबकि वर्ष 87-88 में 55155 लाभान्वित हुये थे । इसी तरह अनुसूचित जाति के लोगों की छात्रवृत्ति में गिरावट आयी है वर्ष 86 में इनकी संख्या 2,57,849 थी जो वर्ष 87 में घट कर 2,40,988 रह गये हैं और अब वर्ष 88 में 2,28,000 रुपया ही रह गयी है । इस प्रकार पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की संख्या कम होती गयी है । जहां सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों की तरक्की की बात कर रही है वहां उनकी तरक्की की योजनाओं में कमी होती जा रही है ।

इसी तरह से अल्पसंख्यकों की हालत है, मैं उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । हमारे प्रदेश में 144 विभागाध्यक्षों में केवल एक विभागाध्यक्ष अल्पसंख्यक वर्ग का है और 62 निगमों में से केवल एक निगम में प्रबन्ध निदेशक अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यकों के साथ कितना सौतेला व्यवहार किया जा रहा है । मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी की सरकार न्याय नहीं कर रही है यह इनके ही आंकड़े बता रहे हैं ।

हमारा कहना है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था करें । अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो 15 प्रतिशत का आरक्षण किया गया है उसका भी इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ है । आप बराबर घोषणा करते हैं कि पिछड़े वर्ग के हमदर्द हैं लेकिन उनके लिए न तो आरक्षण का इम्पलीमेंटेशन हो रहा है और न मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स ही लागू कर रहे हैं। इससे लगता है कि वर्तमान सरकार इन सभी वर्गों की विरोधी है । यदि सरकार इनकी रक्षक है तो वर्तमान बजट सत्र तक मंडल कमीशन की रिपोर्टों को लागू करने की यह सरकार घोषणा करेगी । मेरा विश्वास है कि मुख्य मंत्री जी ऐसा नहीं करेंगे चूंकि उनकी नीयत में ऐसी भावना नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग को कोई सहूलियत दी जाये ।

मान्यवर, एक बात गन्ना के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि बड़ी राहत दे दी और गन्ने की कीमत 30 से 34 रुपये प्रति क्विंटल कर दी । मान्यवर, मालूम किया तो सी0 ओ0 जे-64 की कीमत 34 रुपये कर दी जबकि नाम मात्र का गन्ना भी उत्तर प्रदेश में उपलब्ध नहीं है और इसकी नर्सरी भी नहीं है । पश्चिम में कुछ जगहें हैं जहां नर्सरी की व्यवस्था की गयी है । इसलिए इसकी कीमत 34 या 44 रुपये कर दें इससे किसानों का भला नहीं होगा । मान्यवर, 30 रुपये जो किया गया है तो हर चीज की कीमत बढ़ी है तो गन्ने की कीमत भी बढ़ा दी । लेकिन ही साथ हो साथ यह भी देखें कि आपकी चीनी मिलों का प्रदेश में कितना उत्पादन है । जो सहकारी और सरकारी चीनी मिलें निगम की हैं उनके द्वारा 26 से 30 प्रतिशत ही गन्ना पेरा जाता है बाकी गन्ना प्राईवेट क्रेशरों और मिलों द्वारा पेरा जाता है जिसकी कीमतों को सुनिश्चित नहीं कराया जाता है और निगम की मिलों से एक-दो रुपये कम पर किसानों का गन्ना लिया जाता है । इस संबंध में वर्तमान सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है इसलिये सरकार इस ओर ध्यान दे ।

मान्यवर, गन्ना मूल्य के भुगतान के संबंध में कहा गया है कि चीनी मिलों ने सारा भुगतान कर दिया है । तो मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने पिछले वर्ष के आंकड़े देकर कहा है कि 99 प्रतिशत गन्ने की कीमत का भुगतान कर दिया गया है लेकिन मैं जानना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से कि आपकी चीनी निगम की जो मिलें हैं उन पर किसानों का कितना रुपया बकाया है ? वर्तमान सत्र में कितना रुपया आपने पेमेन्ट किया है ? मेरी जानकारी है कि वर्तमान सत्र में किसानों का अधिकतर हिस्सा गन्ने की कीमत का है । वर्तमान सरकार उसका पेमेन्ट नहीं कर रही है और राज्यपाल महोदय ने पिछले वर्ष के गन्ने की कीमत के संबंध में कहकर झूठी वाहवाही लूटी है ।

मान्यवर, तीसरी बात जो राज्यपाल महोदय ने भाषण दिया है और हमारी सरकार कहती है कि हम बहुत ज्यादा हिन्दी भाषा के पक्षधर हैं, इसलिए सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश में 79 प्रतिशत जनता हिन्दी बोलती है, 10 प्रतिशत उर्दू बोलती है और 10 प्रतिशत अन्य भाषायें बोलती हैं, इसलिए आपके प्रदेश, हिन्दी प्रदेश में कितने अफसोस की बात है कि यहां का जो हिन्दी संस्थान है । यहां पिछले दो वर्षों से किसी निदेशक तक की नियुक्ति नहीं की गयी है और जितने भी आपके हिन्दी भाषा में काम करने के आदर्श होते हैं, वह केवल फाइलों में बन्द रह जाते हैं । आज प्रदेश के अनेकानेक निगमों, कार्यालयों और अदालतों में हिन्दी में काम नहीं हो रहा है, अंग्रेजी में काम हो

रहा है और उसी भाषा को प्रोत्साहन भी मिल रहा है । आज वही विद्यार्थी कम्पटीशन में सफल हो पा रहे हैं, जो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े हैं और वह उसमें नहीं आ पा रहे हैं, जो गांवों के हिन्दी माध्यम वाले विद्यालयों में पढ़े हैं । इसका सबूत राज्यपाल ने भी अपने अभिभाषण में, अंग्रेजी भाषा के शब्दों का जगह जगह प्रयोग करके दे दिया है । मुझे उनसे हिन्दी के इस प्रकार की उपेक्षा की आशा नहीं थी ।

राज्यपाल के अभिभाषण में बहुत से अंग्रेजी के शब्द बेमतलब इस्तेमाल किये गये हैं, जैसे 'टास्क फोर्स', समझ में नहीं आता कि यह क्या है ? फिर सिंगल विन्डो सिस्टम, इसका उन्होंने हिन्दी में कुछ नहीं बताया है । इसी प्रकार स्प्रेकेलर सिस्टम, हाइड्रो-जियोलाजिकल, 'फोटोजियोलाजिकल' और रिमोट सेन्सिंग आदि तमाम अंग्रेजी भाषा के शब्द प्रयुक्त किये गये हैं । इस प्रकार से अपने अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने अना-वश्यक रूप से आंग्ल भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करके हिन्दी भाषा का मखौल उड़ाया है। इसीलिए मैं सरकार की भाषा नीति की निन्दा करता हूं । जो कम्प्यूटर्स भी खरीदे जा रहे हैं, उसके सम्बन्ध में आपको जानकारी होगी कि कितने कम्प्यूटर खरीदे गये और उसमें से कितने हिन्दी के और कितने अंग्रेजी के हैं । इस बात पर विशेषकर ध्यान देने की आवश्यकता है । मेरा कहना यह है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के माध्यम से सरकार की खोखली भाषा नीति को ही उजागर किया है ।

आजकल नरौरा में एक एटामिक रिएक्टर बन रहा है, शायद 600 करोड़ रुपये की योजना है । इस समय इण्टरनेशन स्थिति यह है कि जो एटामिक रिएक्टर बने हैं उनको लेकर मानवता के लिये एक भारी खतरे की आशंका पैदा हो गयी है। जिनमें किसी भी प्रकार की खराबी आदि पैदा हो जाने पर जन धन की भारी बर्बादी हो जाती है। जैसे रूस में चेरनबुल नामक स्थान पर स्थित एटामिक रिएक्टर में 27 अप्रैल, 86 को लीकेज हुआ, उसमें 30 किलोमीटर के इर्द गिर्द चौतरफा जमीन तक उखड़ गई थी ।

श्री अधिष्ठाता–

इस 'एटामिक रिएक्टर' का आप भी हिन्दी अनुवाद कर दें ?

श्री सत्यपाल सिंह–

मैं इसका अनुवाद यदि कर सकता तो मैं समझता हूं कि जो राज्यपाल महोदय ने अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किया है वह न करते । जो एटामिक रिएक्टर की बात कही जा रही है, वह आपकी भाषा में ही कही जा रही है ।

श्री राम आंतार दीक्षित–

अब इनका हिन्दीकरण हो गया है ।

श्री सत्यपाल सिंह–

नहीं, आपके हरदोई में इनका हिन्दीकरण हुआ होगा । आप ही मंत्री जी बताएं कि इनका क्या मतलब है ?

श्री राम आसरे वर्मा–

हरदोई में नहीं, इनके यहां होगा ।

श्री राम आंतार दीक्षित–

टास्क फोर्स का भी हिन्दीकरण हो गया है।

श्री सत्यपाल सिंह–

उसका हो गया, बाकी का आप बतायें तो मैं समझूंगा ।

श्री राम औतार दीक्षित–

हिन्दी का हृदय इतना विशाल है कि वह उसका हिन्दीकरण करके अपनी भाषा में अपना लेती है ।

श्री सत्यपाल सिंह–

जो आपका एटामिक रिएक्टर नरौरा में 600 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है, उसमें सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कोई दुर्घटना होगी तो हजारों किलो-मीटर क्षेत्रफल में तबाही आ जायेगी और उसका नतीजा यह होगा कि सैकड़ों वर्षों तक हमारी सन्तानें अपंग पैदा होंगी । इसलिए इन पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए । मान्यवर, रूस और अमेरिका में जो बने हैं उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । दूसरी बात कहना चाहता हूं वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही है यह भ्रष्टाचार में पूरी तरह आकंठ तक डूब गई है ? मान्यवर, किसी भी अधिकारी की कोई भी माननीय सदस्य शिकायत करता है या आरोप लगाता है तो उस पर कार्यवाही नहीं की जाती है । मान्यवर, एक नहीं अनेक अवसरों के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखित रूप में दिया गया, लेकिन कभी भी उस पर विचार नहीं हुआ । जल निगम में मध्य जोन के मुख्य अभियन्ता हैं जो नियमों के विरुद्ध 11 वर्षों से लखनऊ में कार्य कर रहे थे और अब फिर दुबारा 6 वर्षों से लखनऊ आ गये हैं। 20 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप इन पर लगाये गये हैं, लेकिन इनको न तो हटाया जा रहा है और न ही जांच की जा रही है, तो अनेकों मामले ऐसे हैं ।

मान्यवर, फर्रुखाबाद में आवासीय कालोनी के लिए जमीन 2.9 एकड़ खरीदी गयी थी। 96 हजार रुपये की कीमत की जगह 6 लाख 5 हजार रुपये में खरीदी गई। इसी तरह से कानपुर गंगा प्रदूषण वाटर पम्प में भी 8.5 लाख का घोटाला किया गया। इसी तरीके से 50 लाख रुपये की लागत का जलाशय जो रामसनेही घाट पर बना है उसमें पानी भरने पर दीवार धराशायी होने से 50 लाख की योजना बर्बाद हो गई । दो हजार हैण्ड पम्प लगाये जिसका कोई फायदा नहीं हुआ, हैण्डपम्प बेकार पड़े हैं। एक नहीं अनेक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें की जाती हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है। अगर सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए और अपनी कार्यशैली और तौर तरीके में कुछ परिवर्तन करे, तो इस प्रदेश की जनता का कुछ भला हो सकता है।

वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार से इतनी प्रेरणा ले चुकी है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा पा रही है न ही अंकुश लगाने पर विचार कर रही है। अपट्रान जो है इसमें वायरलेस सैट्स के बारे में मंत्री जी अपने बजट भाषण में बतायेंगे। अपट्रान वाले वायरलेस सैट्स 23 हजार में दे रहे हैं जबकि पंजाब की एक फैक्ट्री मात्र 11 हजार में दे रही है तो जो वायरलेस सेट्स पंजाब से 11 हजार में मिल सकता है वह अपट्रान से 23 हजार में लिया जा रहा है। भ्रष्टाचार को दिनों-दिन बढ़ावा दिया जा रहा है। किसी भी अधिकारी के खिलाफ यह जांच नहीं कराते हैं चाहे वह आर0ई0एस0 के खिलाफ हो चाहे चीफ इंजीनियर के खिलाफ हो चाहे पी0डब्लू0डी0 के खिलाफ हो, जितने भी अधिकारी हैं जिनके खिलाफ शिकायत की जाती है उनकी जांच नहीं कराई जाती है, जिससे सारी बात सामने आ सके।

वर्तमान सरकार का एक अपत्र जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से पेश किया गया उसमें जो प्रदेश की तरक्की के विषय में कहा गया है उस पर जब सत्ता पक्ष के लोग अपने दिल पर हाथ रखकर कहेंगे तो वह यह कहेंगे कि राज्यपाल का अभिभाषण प्रगति की दिशा में नहीं बढ़ा है प्रदेश में तरक्की नहीं हुई है देवी लाल जी कर्जा माफ कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। विधवा और वृद्ध लोगों को पेंशन दे रहे हैं लेकिन आपने विधवाओं के लिए वृद्धों के लिए कितना रुपया दिया है और कितना पहुंचा है। हमने अपने जिले में मालुमात की तो वहां के जो हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी हैं उन्होंने साफतौर से बताया कि हमारे पास कोई भी धनराशि पेंशन देने के लिये नहीं है इस साल के लिये कोई धनराशि नहीं आयी। लोग फार्म तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई फार्म लेकर क्या करोगे 100-50 रुपये फार्म भरने में ही खर्च हो जायेंगे । तो पेंशन देने की यह दशा है । हरियाणा में देवी लाल जी की सरकार बेसहारा वृद्धों के लिये पेंशन की गारंटी कर रही है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि समाज के निर्बल वर्ग की तरक्की के लिये आप कुछ करें। समाज के गरीब वर्ग की उपेक्षा न करें जिसके लिये कोई और सहारा नहीं है। विपक्ष में होने के नाते हमारा दायित्व यह नहीं है कि हम आपकी आलोचना केवल आलोचना के लिये करें बल्कि हमने यह प्रयास किया है हमारी आलोचना रचनात्मक हो और हम आपके दिल और दिमाग में यह बात भरें कि आपकी सरकार किसान विरोधी है। 20 सूत्रीय कार्यक्रमों को पूरा करने का वायदा करती है लेकिन भ्रष्टाचार और अधिकारियों की शिथिलता के कारण आप उस मकसद को पूरा नहीं कर सकते हैं जिस मकसद को पूरा करने के लिए आपने वायदा किया है। आप उस मंजिल पर नहीं पहुंच पायेंगे जिस मंजिल पर पहुंचने की बात आप कर रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि आपने कारखाने खुलवाये होंगे बड़ी-बड़ी इमारतें बनवायी होंगी, अमीरों को और अमीर किया होगा लेकिन गरीब के लिये कोई भी राहत आप दे नहीं पाये हैं। इसीलिये मैं कहता हूं कि हम आगे बढ़े हैं, काफिला आगे बढ़ा है वह हकीकत है, मगर मंजिल की वही दूरी है जो पहले थी। जो स्थिति सन् 1947 में थी वह अब भी है । इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर, धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है इसमें समय की सीमा निर्धारित करना उपयुक्त होगा। अत: विभिन्न दलों के नेताओं के लिये 20 मिनट तथा मंत्रि परिषद् के सदस्यों के लिये 20 मिनट तथा अन्य सदस्यों के लिये 10 मिनट का समय निर्धारित किया जा रहा है।

नेता सदन के लिये समय अनिश्चित है, वह जितना समय चाहे लें जैसे कि माननीय नेता विरोधी दल अनिश्चित समय तक बोले हैं।

श्री सूरपाल पाण्डे–

फिर इसके बाद आप और कटौती न करियेगा।

श्री अधिष्ठाता–

यदि बोलने वाले लोग ज्यादा हो जायेंगे तो इसका निर्णय उस वक्त होगा।

*श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उस पर बोलने का जो आपने अवसर दिया उसके लिये मैं आपका अनुग्रहीत हूं। मान्यवर, प्रगति के विभिन्न आयाम होते हैं और उन आयामों के बारे में हम अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं। श्रीमन्, विकास एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में कभी-कभी कुछ व्यवधान पड़ते हैं, कुछ गतिरोध आते हैं जिनकी चर्चा करना मैं उचित नहीं समझता। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के संरक्षण में कांग्रेस की सरकार ने सक्षम मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में इस प्रदेश में जनतांत्रिक प्रणाली को एक ऐसा स्वरूप जिला परिषदों और नगर निकायों के चुनाव के माध्यम से दिया है जिससे यह प्रतीत होता है कि पूरे प्रदेश में हम जन सामान्य के हितों की सुरक्षा के लिये कितना चिंतित हैं और उसके लिये कितना कटिबद्ध हैं और उसके लिये कितना प्रयास कर रहे हैं।

श्रीमन् वर्ष 1987-88 में प्रदेश को जो बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सम्पूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, इसका मुख्य कारण हम देखें तो इसका कारण एग्रीकल्चर ही है। अभी हमारे सम्मानित नेता विरोधी दल कृषकों के हितों की रक्षा की बात कह रहे थे। किसानों को एक ही स्थान पर सभी निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से "सिंगिल विन्डो सिस्टम" प्रणाली हमारी सरकार ने प्रारम्भ की है। इससे हमारे किसानों को सर्वाधिक लाभ विगत वर्षों की तुलना में प्राप्त हो सकेगा। मान्यवर, गन्ने के मूल्य के बारे में बार-बार इस पक्ष से और उस पक्ष से समान मूल्य के बारे में बात हुआ करती थी, इसके लिए हमारी सरकार ने सम मूल्य निर्धारित कर दिया है। इसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में ढाई लाख निर्बल लोगों को आवास उपलब्ध कराने की बात कही है। मान्यवर, हमारा उत्तर प्रदेश राष्ट्र में पहला प्रदेश होगा जो इस वित्तीय वर्ष में ढाई लाख निर्बल लोगों को आवास उपलब्ध करायेगा। जिनके लिए यह सुनहरा सपना होगा। मान्यवर, आप विद्युत उत्पादन की बात करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर एक तरफ आन्दोलन चल रहा था कि बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय, वहां पर ट्रांसफारमर नहीं हैं, स्वीच गेयर नहीं हैं, अपने सीमित संसाधनों को देखते हुए हमारी सरकार ने विद्युत आपूर्ति को भी सुनिश्चित किया है। इन सब कामों के लिए सबसे बड़ा आधार राजस्व होता है। जब हम किसी काम को आरम्भ करते हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि हमारे पास कितना धन है। आज सबेरे जब प्रश्न काल चल रहा था, तो उस समय यह प्रश्न आया था कि हम लोग किस तरह से विभिन्न मानकों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए। हमारी सरकार ने जहां राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से और छोटी-छोटी बचतों के माध्यम से धन का एकत्रीकरण किया है, वहीं पर हमने बकाया वसूली के लिए भी प्रयत्न किये हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

शराब से मिलने वाले राजस्व को क्यों छिपा गये ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

वह तो आपकी रुचि का विषय था, इसलिए उस तरफ हमारा ध्यान नहीं गया ।

पिछले वर्ष हमारा प्रदेश सूखे से पूरी तरह से प्रभावित था, वर्षा नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कांग्रेस दल के नेता माननीय राजीव गांधी और माननीय मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी जी ने किसी को भूखों मरने नहीं दिया और आवश्यक रोजगार के माध्यम से उनको रोटी उपलब्ध करायी। श्रीमन्, एक तरफ जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो हमें प्रदेश के औद्योगिक विकास की तरफ नजर डालना पड़ेगा । मान्यवर, प्रदेश की आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए उपयुक्त जन-शक्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमने वह योजनाएं प्रारम्भ कीं चाहे वह आर0 एल0 जी0 ई0 पी0 के अन्तर्गत रही हों चाहे एन0 आर0 ई0 पी0 के अन्तर्गत रही हों हमने सड़कों का एक जाल बिछाने का प्रयास किया । जब आवागमन का साधन उपलब्ध होगा, जब कम्यूनिकेशन काफी नहीं होगा तभी विकास को निरन्तरता प्राप्त हो सकती है । मान्यवर, मैं अपने कृषि मंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से बधाई देना चाहता हूं कि गेहूं का उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में 18 लाख मीट्रिक टन बढ़ा है, इसे हमने बढ़ाया है, कृषक भाइयों ने बढ़ाया है इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि कृषकों को उतने साधन उपलब्ध कराये गये । उन्होंने अपने सीमित संसाधनों से आवश्यकता से अधिक लक्ष्य निर्धारित कर गेहूं उत्पादन किया और विशेष रूप से दलहन तिलहन और चावल आदि का । जिन योजनाओं का लक्ष्य कम था हमने उस लक्ष्य को लाखों लाख मीट्रिक टन में बढ़ाया, यह भी उपलब्धियां हैं ।

मान्यवर, जो कमियां हैं उसके लिए भी आपका सहयोग और एक प्रतीकात्मक विरोध नहीं सकारात्मक विरोध होना चाहिए । कार्यहित के लिए विरोध होना चाहिए विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए । इन शब्दों के साथ, मैं अपेक्षा करूंगा कि हमारा प्रतिपक्ष प्रदेश के विकास के लिए और जो आर्थिक संसाधन जुटाने का हमारा प्रयास होगा, उसमें हमें सहयोग देगा । माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी को तो हमारे मुख्य मंत्री जी का विशेष रूप से आभारी होना चाहिए क्योंकि उनकी मांग थी कि फिरोजाबाद को जिला बनाया जाय जिसे हमने इस वर्ष जिला बनाकर घोषित कर दिया । हम आशा करेंगे कि माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी इसको भी विकास का एक पक्ष ही मानेंगे । इन शब्दों के साथ, मैं माननीय राज्यपाल जी के इस प्रगतिशील अभिभाषण के प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी को बधायी देना चाहता हूं । चूड़ी मण्डी की चूड़ियों का अधिकार केवल वर्मा जी का रहेगा और किसी का नहीं रहेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

उसका नाम फिरोजाबाद रहेगा या सुहाग नगर हो जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

इसमें यह कहलवायें कि यह चूड़ियां चलेंगी कहां?

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, ये बंटवारा करना अच्छी तरह से जान गये हैं इसीलिए पूरे प्रदेश का बंटवारा कर रहे हैं ।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण और माननीय लाल प्रताप सिंह जी का धन्यवाद प्रस्ताव का अभिभाषण और उनके समर्थक, इन सबको सुनने के बाद मैं श्रीमन्, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में उत्तर प्रदेश सरकार की जो दिशा दी गयी है वह प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए कितना अपेक्षाओं से भरा है और कितना उपेक्षाओं से भरा है । इस पर दृष्टिपात करना पड़ेगा । श्रीमन्, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर हमने आज जो एजेन्डे में अपने जो संशोधन प्रस्ताव दिए हैं एक लगायत सोलह को प्रस्तुत करते हुए उन पर मैं एक-एक को न रखकर समय को बचाकर केवल प्रस्ताव करके आगे यह कहना चाहता हूं कि माननीय कौशल साहब ने अभी एक माननीय सदस्य को सिखाकर कुछ कहलवाना चाहा अपनी प्रशंसा में तो मैं उन्हीं की कुछ प्रशंसा करना चाहता हूं और इसी के साथ-साथ रिजवी साहब की भी प्रशंसा में कुछ कहना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकारों के हितों की रक्षा के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार और भारतवर्ष की सरकार बड़े जोरों से डंका पीट रही है । श्रीमन्, मैं एक उदाहरण से शुरू करूंगा । उत्तर प्रदेश में यूरिया खाद की कीमत काश्तकारों के लिए.

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांति बनाएं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जिन कम्पनियों में यूरिया खाद काश्तकारों को दी जाती है, जो दुकानदार खाद खरीदते हैं, उसकी कीमत फारखाने में, कम्पनियों में 104 रुपये प्रति बोरी होती है और श्रीमन्, जो खाद 3 सरकारी संस्थाओं को दी जाती है, किसानों को राहत देने के नाम पर, कृषि बीज गोदामों, एजेन्सी और सहकारी संस्थाओं से, इनको एक बोरी पर 2 रुपये की छूट देकर 102 रुपये में प्रति बोरी पड़ती है, यह छूट इसलिए दी जाती है कि किसानों को राहत पर देंगे और बाजार से कम कीमत पर देंगे, लेकिन इन तीन सरकारी संस्थाओं द्वारा छूट लेने के बाद किसानों को इन तीनों संस्थाओं से जो खाद मिलती है, शायद कृषि मंत्री जी को ज्ञान नहीं है, मा0 सदस्य को ज्ञान नहीं है, उस खाद की कीमत 123 रुपये होती है । जो सरकार छूट के नाम पर किसानों से मुनाफा कमाती है वह अपने को किसानों की रहनुमा कैसे कहती है । मैं चुनौती देता हूं कि मार्केट में 104 वाली बोरी 106–107 में सारी-सारी फिर रही है और जो किसान कर्ज लेकर कृषि बीज गोदाम में छूट के लिए जाता है, उसे वही बोरी 123

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

रुपये में मिलती है । इससे ज्यादा लज्जाजनक बात, अपमानजनक बात और हो ही नहीं सकती है । श्रीमन्, मैंने इस बात को कृषि निदेशक के सामने रखा था और उनसे कहा कि किसानों की जो यह लूट हो रही है इसको रोकने का काम किया जाय । मैं मा0 अस्तावक महोदय से निवेदन करूंगा कि कम से कम इस पर अपने क्षेत्र में जाकर देख लें कि स्थिति क्या है ? इस पर आपकी सरकार रोजाना हल्ला मचा रही है कि पंचायतों को कुछ देंगे ।

मा0 श्याम सूरत उपाध्याय जी इसके मंत्री हैं । पुराने सोशलिस्ट हैं । ग्राम सभाओं को गांवों की स्वच्छता के नाम पर जो भी पैसा दिया जाता है, सरकार जो अनुदान देती है, उस पर गांव सभा अपनी ओर से 50 प्रतिशत फण्ड मुहैय्या न करे तो वह उस पैसे का इस्तेमाल गांव की स्वच्छता के नाम पर नहीं कर सकती है । रोजाना बी0 डी0 सी0 में प्रस्तावक आते हैं कि गांव सभा पैसा नहीं दे सकती है क्योंकि गांव सभा के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है । लेकिन इस निकम्मी मूर्ख सरकार ने परम्परा डाली है कि . .

श्री प्रदीप माथुर–

सरकार को मूर्ख क्यों कह रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल शर्मा–

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि किसानों के लिए जो परिस्थितियां आपने पैदा कर दी हैं कि ग्रामों की स्वच्छता के नाम पर जो पैसा दिया जाता है, उसमें ग्राम सभा यदि पचास प्रतिशत धन नहीं देगी तो गांव में स्वच्छता नहीं कर सकती । एक तरफ तो टाउन एरिया में केवल स्वच्छता करने के आंकड़े दिए जाते हैं कि ग्रान्ट का उपयोग कर लिया, केवल सर्टीफिकेट देना है और ग्राम सभा के प्रधान को सर्टीफिकेट देना है कि उनके पास 50 प्रतिशत पैसा है, तभी पैसा मिलेगा । तो एक तरफ तो केवल उपयोग का सर्टीफिकेट देना है और दूसरी तरफ गांव सभा में पैसा होगा तभी ग्रान्ट मिलेगी । तो यह दोहरी नीति सरकार ने चलाई है । इससे देहात और ग्राम्य जीवन के प्रति बड़ा भेदभाव हो रहा है । यह चिंता का विषय है । मैं चाहूंगा कि माननीय लाल प्रताप सिंह जी इस बात को गंभीरता से लें । मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो सरकार की कमी है, इस पर पुनर्विचार के लिए अपनी सरकार से कहें । यह ग्रामीणों का दर्द है जो आपके सामने रख रहा हूं । प्रदीप माथुर साहब तो शहरी क्षेत्र में चढ़े-बढ़े हैं, यह शहरी वेश भूषा के हैं, इनका गांव से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इनका आक्रोश ठीक है । मैं कहना चाहता हूं कि जो देहात और शहर के भेद की नीति अपनायी है सरकार ने यह हानिकारक है, यह खतरनाक है। ग्राम सभा के बारे में मंत्री जी और आपके प्रधानमंत्री जी कांग्रेस अधिवेशन करके कह रहे हैं कि अधिकार देंगे ।

ग्राम्य विकास मंत्री जी इनके अधिकारों तक 6 महीने से पहुंच ही नहीं पाये । 50 प्रतिशत खाते में आमदनी की बात को हटा नहीं पाये । 50 प्रतिशत जब तक गांव सभा अपनी आमदनी से मुहैय्या न करें, तब तक आप स्वच्छता के नाम पर एक पैसा दे नहीं सकते। ग्रामीण जीवन के साथ यह धोखा, खिलवाड़ कब तक करेंगे । ग्रामीण जनता जब महसूस करेगी कि उसके गांव की आमदनी को गांव पर खर्च नहीं किया गया, दिल्ली और लखनऊ को उस आमदनी से सुन्दर बनाया गया है, जब वह इस भेद को समझेगी, तो आपको माफ नहीं करेगी । आप के गले पर पैर रखकर, उनकी आमदनी से दिल्ली और लखनऊ को सुन्दर मत बनाइये, उनकी आमदनी को दिल्ली और लखनऊ में मत लगाइये । उनके सरपंचों को दिल्ली, लखनऊ में ले जाकर, आलीशान होटलों में ठहराकर, जो गांव सभा की तस्वीर बनाना चाहते हैं, वह गांव विनाश की तस्वीर हो सकती है, गांव विकास की तस्वीर नहीं हो सकती है । हो सकता है कि भाषा से आपको वेदना और तकलीफ हो लेकिन इस सदन में सच्चाई को छिपाना अपने कर्तव्य का पालन करना नहीं होगा । ग्राम्य विकास मंत्री जी से यह बात इसलिये कह रहा हूं कि पुराने साथी हैं, साथ-साथ रहे हैं, समाजवादी झण्डा उठाया है। पहले इस भेद को खत्म करें। स्थानीय निकाय का पैसा जा रहा है, बाहर चला जा रहा है। चैयरमैन अप्रयोग का सर्टीफिकेट दे रहे हैं।

दूसरी तरफ गांव सभा 50 प्रतिशत अपने खाते में न दिखा पाये, तो उसे ग्रांट नहीं मिल रही है। आप डा0 लोहिया के अनुयायी रहे हैं, इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं । इस देश में ग्रामीण जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे आवे सारा उद्योग धंधा देहात में खेती है, किसान को लाभकारी कीमत देने की बात है। विशेषकर ठाकर साहब से कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्याय जी से कहना चाहता हूं, माननीय कृषि मंत्री जी का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है, उनके पास तो डाक्टरी महकमा होता तो ज्यादा अच्छा होता । 1971 में गेहूं की कीमत सरकार ने तय की 76 पैसा किलो, 76 रु0 क्विंटल । अब कीमत तय की है 76 पैसे वह, 176 और जोड़ लें । 1971 से लेकर 1988 में गेहूं की कीमत बढ़ी है उसका प्रतिशत है 2.5 और कलकारखानों में 39 प्रतिशत तो कौन सा तालमेल है। गेहूं की कीमत बढ़ी 1971 से 1988 में 2.5 प्रतिशत और कल कारखानों का आंकड़ा है 39 । यह भारत सरकार के आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं. उनमें से बता रहा हूं। कृषि मंत्री जी ढिंढोरा पीट रहे हैं, प्रगति के आंकड़ों का । न्याय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, पहले सेल्स टैक्स देख रहे थे कृषि मंडी समितियां बना दी, मंडी शुल्क को कौन वसूल करेगा, कोई प्रारूप नहीं है। आढ़तिया वसूल करेगा । आढ़तिया बिक्री/खरीद करेगा 10 हजार, 50 हजार की और नम्बर 2 के खाते में 500–1000 की दिखायेगा, आपका अमीन जायेगा 50 प्रतिशत लेकर उसे और कम कर आयेगा । किसान का 1 प्रतिशत वसूल करने के बाद वह मण्डी शुल्क जमा करेगा । मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि आपने एक लाख रुपये की बिक्री पर बिक्रीकर की छूट दे रखी है। लेकिन क्या

किसी भी सामान को बेचने वाला कोई ऐसा व्यापारी है, जो एक गज कपड़ा बेचने पर भी किसी किसान से सेल्सटैक्स न लेता हो । माननीय, आज हर तरह से मण्डी शुल्क लेने वाला, अन्य वसूली करने वाला आढ़तिया अपने मुनाफे में इजाफा कर रहा है, चाहे वह नम्बर 1 के खाते से हो, चाहे नम्बर 2 के खाते से हो। श्रीमन्, आपकी इस विसंगति की पीड़ा को केवल किसान ही जान सकता है। इस विसंगति के कानून को आपको तोड़ना ही होगा । माननीय कृषि मंत्री जी आप मेरे मित्र हैं, मेरे जिले के हैं और हम सब साथ रहे भी हैं। इसीलिये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इस समस्या की ओर अवश्य ध्यान देंगे और किसानों की बात को सुनेंगे ।

माननीय, इस विसंगति की वजह से किसान को क्या नुकसान हो रहा है, यह बात हर आदमी के समझ में आने वाली नहीं है । माननीय मंत्रि परिषद् के सदस्यों के ऊपर अपनी कुर्सी बचाने का जो स्वार्थ लग गया है, उससे उनकी आंख पर परदा पड़ गया है, वरना उनकी आंख का परदा हटा हुआ होता और उन्होंने किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान दिया होता । माननीय, अभी पहले हमारे साथी ने एक बहुत अच्छी बात कह दी फिरोजाबाद को जिला बना दिया गया । इसी फिरोजाबाद के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि याचिका समिति के माध्यम से, नियम–52 के माध्यम से एक चर्चा इसी सदन में प्रस्तुत हुई। माननीय, अभी पिछले दिनों फिरोजाबाद जिले का उद्घाटन किया गया, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा, इस मौके पर श्री कृष्णवीर सिंह कौशल भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस मौके पर 3 मंत्रियों श्री माता प्रसाद, श्री कौशल तथा श्री रघुवीर सिंह यादव, नियोजन मंत्री ने हजारों लोगों के सामने, लाखों लोगों के सामने जिले की तस्वीर ही बदल दी। माननीय, इस अनिश्चय की स्थिति से क्या होता है ? होता यह है कि एटा में डकैती पड़ती है और मैनपुरी का जिलाधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं देता, इसी तरह एतमादपुर का भी हाल है ।

मेरा निवेदन है कि नये जिलों की सीमाओं के बारे में जो भी फैसला लिया जाय, वह फैसला इस तरह का होना चाहिए जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति पर कोई असर न पड़े । इसी तरह से आगरे के अन्दर अक्टूबर से लेकर जनवरी तक सार्वजनिक लूटों, गोली कांडों की घटनायें महानगर में हुई हैं जो अत्यन्त चिन्ता का विषय है। आगरे के अलावा फिरोजाबाद में भी कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त बिगड़ती जा रही है। वहां साढ़े 6 बजे शाम को ही डकैती पड़ जाती है, अभी चन्द्रपुर गेट पर ही डकैती पड़ी । वहां शासन नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। आज माफिया तंत्र पूरी तरह से सरकार पर हावी है। मैं निवेदन करता हूं कि इस तरह के कदम उठाये जायें, जिससे लोगों को महसूस हो कि उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज है। आज यह माफिया गिरोह प्रशासन को प्रभावित किये हुए हैं और उसका जबर्दस्त वर्चस्व व्याप्त है। यह चुनावों तक में हावी हो गयी है, जिसकी वजह से बूथों पर कब्जा किया गया । इसीलिए इन शब्दों के साथ, मैं आपका आभार प्रदर्शित करते हुए माननीय मंत्रियों से यह अपेक्षा करता

हूं कि वह किसानों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझेंगे और इस प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिये अपना योगदान देकर एक अच्छे प्रदेश का निर्माण करेंगे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री प्रेमपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारी सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने तथा हमारे युवा प्रधान मंत्री जी ने विदेश नीति में, महाभारत एवं रामायण की तरह जिस तरह से लंका व मालदीव में ख्याति प्राप्त की है, उसी तरह से हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने नगर महापालिकाओं, टाउन एरियाज व ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुखों का चुनाव कराके ख्याति प्राप्त की है। 40 साल पहले हमारे प्रदेश में 1 लाख गांव थे, परन्तु उस समय केवल 1 हजार गांवों में बिजली थी और आज 80 हजार गांवों में बिजली पहुंच गई है। सिद्धार्थ नगर, मऊनाथ भंजन, हरिद्वार व फिरोजाबाद को जिला बनाया, जिसकी घोषणा 5 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी ने की। यह 40 साल पहले की मांग थी।

सिंचाई के मामले में, किसान भाइयों को पानी मुहैय्या कराने के लिए नई-नई माइनरों को खोदा गया, पानी की नालियां बनाई गईं, नहरें बनाई गईं, यह सब हमारी सरकार की देन है। 1977 में आपने तो सोना बेच डाला देश की ऐतिहासिक चीज और भावना मिटा डाली थी। कोई सड़क का निर्माण नहीं कराया था, किन्तु आज हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया है। कृषि के मामले में हमारी सरकार ने किसानों को 24 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना का दाम दिया है आपने तो 1977 में ईख में आग लगवा दी थी। उद्योगों के संबंध में हमारी सरकार ने नोएडा (गाजियाबाद) व फिरोजाबाद में उद्योग लगाये हैं। किसानों को उद्योग चलाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं और बाल कल्याण की योजनाएँ भी लागू की गई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार की मदद से प्रदेश में प्रत्येक जिले में नवोदित विद्यालय खोले जा रहे हैं। अभी तक 24 नवोदित विद्यालयों के भवन खड़े हो गये हैं। हमारी सरकार ने मथुरा में इतना बड़ा बैराज बनाया है, इसका तो आपको समर्थन करना चाहिये। पर्यटन के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने चौमुखी विकास किया है।

श्री लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, माननीय सदस्य से मैं पूछना चाहता हूं कि एक एड्स रोग फैला हुआ है, बसई में इसका अस्पताल खुल गया है कि नहीं ?

श्री प्रेमपाल सिंह–

मान्यवर, 1977 में जब इनकी सरकार थी तो कई डाकू पैदा हो गये थे।

(हंसी)

परन्तु हमारी सरकार ने दस्यु उन्मूलन चला कर अच्छे-अच्छे डाकुओं का काम तमाम कर दिया है और जो बच गये हैं, उनका भी इन्तजाम किया गया है। आत्म

समर्पण करके अन्त में हमारी सरकार ने 28/29 तारीख को पंचायती राज्य सम्मेलन करके एक और विकास का काम किया है । प्रमुखों के चुनाव हमारी सरकार ने कराये हैं, न्यायपालिकाओं के चुनाव हमारी सरकार ने कराये हैं, लोकतंत्र को एक सुदृढ़ नींव दी है, आपको तो शर्म आनी चाहिए । आप तो देशद्रोह की बात करते हैं । देश की प्रगति को दस साल पीछे कर दिया । हमारे युवा प्रधान मंत्री ने देश की एकता एवं अखण्डता की बात की । आप देशद्रोह की बात करते हैं। चीन में, पाकिस्तान में हमारे प्रधान मंत्री गये, देश के विकास सीमा के निर्माण हेतु गये ।

(व्यवधान)

आप एक काम बता दें कौन सा आपने अच्छा काम किया है। इसके साथ ही मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बदन सिंह–

माननवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है, उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें कृषकों की तरक्की के लिए बहुत सी बातें कही गयीं । मैं साफ दावे के साथ कहना चाहता हूं कि कृषि विभाग में जो तरक्की होनी चाहिए थी, इन्होंने कृषकों के लिए कुछ भी नहीं किया । जो कुछ भी तरक्की हुई है कृषि क्षेत्र में यह कृषकों के द्वारा, उनके श्रम के द्वारा और उनके परिश्रम के द्वारा ही हुई है और यह कृषि विभाग किसानों को बर्बाद करने पर तुला है। खादों में होने वाली मिलावट को यह नहीं रोक पाये हैं। डी0 ए0 पी0, एन0 ए0 पी0 और यूरिया में बराबर मिलावट हो रही है । मैं कृषि मंत्री जी से और इस सरकार से अपेक्षा करूंगा कि शीघ्र ही कोई ऐसा कदम उठायें जिससे खादों में होने वाली मिलावट को रोका जा सके । खादों में मिलावट को न रोक पाने का परिणाम है कि कृषि भूमि रेतीली होती चली जा रही है । आंकड़े बताते हैं कि जबसे रासायनिक खादों का प्रयोग हुआ है कृषि भूमि अपनी क्षमता खोती जा रही है।

इस प्रदेश में जहां के कृषि मंत्री ऐसे हों जो कृषि के विषय में ज्ञान नहीं रखते हों, तो ऐसा होना स्वाभाविक है। मैं कृषि मंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं कि एक एकड़ भूमि में गेहूं का बीज कितना पड़ता है, यह बता दें ? यह बता दें कि एक एकड़ में खाद कितनी पड़ती है ? दलहन में रोग लग जाता है तो कौन सी दवाई प्रयोग की जाती है ?

(व्यवधान)

कृषि मंत्री (डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल)–

मैं माननीय बदन सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि एक एकड़ में पानी कितना लगता है?

(हंसी)

श्री बदन सिंह–

मैं इतना जानता हूं कि एक एकड़ में पांच पानी देने पर किसान का जो व्यय हो रहा है वह इतना है कि उसे आपने उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों को गम्भीरता से लें केवल जवाब देने के लिये जवाब न दें। मैं बताना चाहता हूं कि जब तक हरी खाद और गोबर की खाद के लिये किसानों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे तब तक प्रदेश की भूमि बराबर रेतीली होती जायगी। इस सरकार ने प्रदेश की जनता को धोखा देना सीख लिया है। प्रश्नकाल में चर्चा हो रही थी कि जो अभावग्रस्त गांव हैं उनमें पेयजल आपूर्ति नहीं करा पा रहे हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तो हैण्ड पम्पों के द्वारा और दूसरी पाईप लाइन्स के द्वारा ये जल आपूर्ति करते हैं। बड़े और छोटे दोनों ही गांवों में ये दो स्टैण्ड पोस्ट लगवाते हैं चाहे वह गांव दस हजार की आबादी वाला हो या चाहे वह गांव आठ हजार की आबादी वाला हो। सारे गांव प्यासे मर रहे हैं। मैंने प्रश्न किया था कि 40 एल0पी0सी0डी0 के स्थान पर आप 70 एल0पी0सी0डी0 की योजना लागू करेंगे या नहीं ? तो मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी नहीं दे सके। मंत्री जी को इसके बारे में स्वयं कुछ ज्ञान नहीं है।

मैं चाहूंगा कि जो भी जिस विभाग का मंत्री बनाया जाय वह यह जरूर जान ले कि उस विभाग की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं। पूरे प्रदेश में हैण्ड पम्प लग रहे हैं उनके भू-गर्भ जल संगठन की जांच नहीं की जाती है। आज ही मैंने उनके उत्तर के सम्दर्भ में प्रश्न किया था कि 30 मार्च, 1988 में जो आपने इस संगठन का पुनर्गठन किया है तो उसमें जो दोषपूर्ण रेजिस्टीविटी मीटर हैं उनका आप संशोधन करेंगे या नहीं? इसके उत्तर में मा0 मंत्री जी ने कहा कि इसमें दोषपूर्ण रेजिस्टीविटी मीटर नहीं है। मैं बतलाता हूं कि आगरा के जगनेर क्षेत्र में इसके द्वारा परीक्षण किया गया था, उसकी आख्या यह थी कि यहां और पानी मिल सकता है। लेकिन वहां पर 6-7 बार बोरिंग करायी गयी और पानी मिल पाना वहां असम्भव रहा। यह दोषपूर्ण रेजिस्टीविटी मीटर का ही परिणाम था। जहां पानी है वहां आप पानी नहीं निकाल सकते और जहां पानी नहीं है, वहां आप बार-बार बोरिंग करते हैं।

मैं दावे के साथ साफ कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की सरकार के पास बुद्धिमत्ता नाम की कोई चीज है ही नहीं, इनकी बुद्धि नष्ट हो गयी है। ये बराबर प्रदेश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। प्रदेश का सिंचाई विभाग किसानों को बराबर धोखा दे रहा है। किसानों की भूमि पर जो बनी हुई गूलें हैं, उनका प्रयोग वे ट्यूबवेल के द्वारा करते हैं क्योंकि नहर में पानी है नहीं तो ये उनसे भी आबपाशी वसूल करते हैं। इनकी सरकार किसी भी प्रकार से सिंचाई में सन्तुलित व्यवस्था नहीं कर पायी है। जहां सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, वहां पर नहरें हैं और जहां पर सिंचाई की आवश्यकता है वहां पर न नहरें हैं, न राजकीय नलकूप हैं और न बांध हैं। आगरा में फतेहपुर सीकरी में 60 गांव ऐसे हैं जो कि बिल्कुल शुष्क हैं। यह 21वीं सदी की बात करने वाली सरकार न नहरों की व्यवस्था कर पायी है, न राजकीय नलकूप ठीक प्रकार से लगवा पायी है और न कहीं बांध बनवा पायी है।

इसी प्रकार से जो महागिहम राज्यपाल का अभिभाषण है वह कोरे कागज की कल्पना है। इनकी सरकार ने प्रदेश की समस्याओं का हल ढूंढ़ने की कोशिश नहीं की है। इसी तरीके से रसायनिक खाद, पेय जल आपूर्ति का प्रश्न, सब वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। किसी भी गांव में चीनी, तेल की आपूर्ति नहीं हो रही है। आप आंकड़े देखते हैं

जो कि कागज पर चढ़ा दिये जाते हैं और आप यहां पर कह देते हैं कि हमने आवश्यक वस्तुओं को जनता को प्राप्त करने का पूरा मौका दे दिया है। लेकिन मैं साफ-साफ कह रहा हूं कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के सम्बन्ध में आपकी दोहरी नीति है शहर के लिये अलग और गांवों के लिये अलग। गांव में शहरों के अनुसार न चीनी मिलती है और न मिट्टी का तेल ही मिलता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं कहना चाहता हूं कि आप प्रदेश की जनता की भलाई के लिये कार्य करें अन्यथा आगे आने वाले समय में आपको इन्हीं सीटों पर बैठना पड़ेगा और जनता आपको उधर फिर से बैठने का मौका नहीं दे पायेगी। उधर बैठने वालों में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि एम0एल0ए0 नहीं हैं फिर भी मंत्री बने हुए हैं। अगर जनता के हित का और उसके कल्याण का आप काम नहीं करेंगे तो कुछ हो नहीं पायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठिये।

*श्री फूल सिंह सैदाई–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, यह अभिभाषण धन्यवाद का पात्र है ही क्योंकि इसमें लोकतंत्र का विकास और प्रगति परिलक्षित है । अभी माननीय वरिष्ठ सदस्य कह रहे थे कि इसमें कुछ नहीं किया गया है और किसानों को धोखा दिया गया है । इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नकारात्मक विचारों को रखने से तो कोई काम चलता नहीं है, जो काम हुए हैं उन पर हमें सच्चे दिल से धन्यवाद भी देना चाहिए, परन्तु इतना तो हम आप अवश्य कह सकते हैं कि जितने कार्य होने चाहिए थे, वह सब पूर्ण नहीं हो सके, लेकिन यह कहा जाए कि सभी काम नहीं हुए, यह गलत है ।

मैं स्वयं एक देहात से आया हूं लेकिन मैंने आज से पहले प्रदेश की सन् 1947 की तस्वीर भी देखी है, उस समय क्या स्थिति था हर क्षेत्र में ? सन् 1947 से लेकर आज तक यदि आप देखेंगे तो हर ओर हर क्षेत्र में विकास हुआ है, प्रगति हुयी है चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वह सिंचाई का क्षेत्र हो, हर ओर प्रगति हुयी है और किसान भी पहले से आज प्रगति के मार्ग पर आया है, उसको पहले से हर चीज अच्छी उपलब्ध कराई गयी है, नये-नये यंत्र भी दिए गये हैं, बीज व खाद इत्यादि सभी कुछ दिया गया है और इस किसान को प्रशिक्षित भी किया गया है, शिक्षा भी दी गयी है, जहां एक ओर हमारे किसानों में परिश्रम है, लगन है, बुद्धि है, वहीं दूसरी ओर इन्हें नये-नये साधन भी दिए गये गये हैं । यह इन्हीं सारी चीजों की महिमा है जिसकी वजह से हमारा उत्पादन बढ़ा है, चाहे वह गेहूं हो, तिलहन हो, दलहन हो, या गन्ना हो हर क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा । यह तभी हो सका है जब हमने किसानों को समय से हर चीज पानी है, बिजली है तथा खाद है, उपलब्ध कराई है, तभी यह सब दिखाई दे रहा है इसलिए यह कहना है कि सरकार सहायक नहीं बनी है इन किसानों के लिए उचित नहीं है । साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां एक ओर कृषि से हमारे देश

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

व प्रदेश की मुख्य आय है वहीं पर उद्योग भी हैं और आज हर क्षेत्र में छोटे-बड़े उद्योग लगाए जा रहे हैं, जगह-जगह पर इन उद्योगों की स्थापना की जा रही है, जिससे प्रदेश का आज चतुर्मुखी विकास हो रहा है और बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल रहा है तो इस प्रकार से जो आर्थिक विकास परिलक्षित है, वह भी किसी से छिपा नहीं है। और दूसरी ओर यह कहना कि जन संस्थाओं के चुनाव नहीं हो रहे हैं वह किसी से छिपा नहीं है, हर क्षेत्र के चुनाव भी हो रहे हैं चाहे वह सहकारी समितियों के चुनाव हों, चाहे जिला परिषद् के हों, नगर पालिकाओं के हों, टाउन एरियाज के हों या नगर महापालिकाओं के हर जगह चुनाव हो रहे हैं ताकि लोकतंत्र मजबूत हो और वहीं जो दूसरी ओर यह कहा गया कि माननीय कृषि मंत्री जी कृषि कार्य को जानते नहीं, वह तो सब कुछ जानते हैं, कहां पर कौन सी बीमारी हो सकती है और उसका क्या इलाज होगा, यह सब जानते हैं, इसी वजह से आज इस क्षेत्र में उत्पादन भी बढ़ रहा है। दूसरी बात जैसा कि माननीय सिंचाई मंत्री जी को कहा गया, ऐसी बात नहीं उन्होंने तो सिंचाई संबंधी हर सुलभ साधन उपलब्ध करा दिए हैं और हर जगह छोटी-बड़ी नहरों का जाल बिछा दिया है। इस प्रकार से अभिभाषण में जो प्रगति दर्शायी गयी है, इस प्रदेश की, वह सब परिलक्षित है। यहां पर अनेक प्रकार के लोग हैं, जिनमें अल्प संख्यक भी हैं, उनके लिए भी ध्यान रखा गया है कि उनका विकास हो। उनके उत्थान के लिए और सहायता करने के लिए वित्त निगम बनाया गया है, जो लोग हथकरघा उद्योग में लगे हुये हैं, उनके लिए कताई मिल लगाई गयी है और उनको सस्ते दाम पर सूत उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे उनका आर्थिक स्तर ऊंचा हो सके। जो भूमिहीन और निर्बल वर्ग के लोग हैं, उनको भूमि आवंटित की जा रही है, जिससे उनके साधन बढ़ें। उनको आवासीय स्थल दिये जा रहे हैं, मकान दिये जा रहे हैं, जिससे उन को बराबरी का दर्जा मिल सके।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने स्वास्थ्य की ओर बहुत को आप ले लीजिए, उनके उप केन्द्र खोले जा रहे हैं और उनकी अच्छी तरह से देखभाल को आप ले लीजिए, उनके उप केन्द्र खोले जा रहे हैं और उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है। संजय गांधी इन्स्टीट्यूट है, जो देश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है और वहां पर सभी आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार से हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी उस पर धन्यवाद देंगे।

श्री धनराज यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आपने जो विचार प्रकट करने का अवसर दिया उसके लिए, आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश किसानों का प्रदेश है और महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किसानों के लिए कुछ भी नहीं दिया है यहां तक कि उनके द्वारा उत्पादित किये जाने वाले अन्न गेहूं की उत्पादन लागत को भी नहीं बढ़ाया है न उसको दिलाने की गारन्टी की है। अगर यह चीज होती तो कम से कम किसान कुछ तो प्रभावित होता। आप राज्यपाल महोदय का पूरा अभिभाषण पढ़ डालिये, कहीं पर भी ऐसी कोई चीज नहीं है।

आज ही सवाल आया था कि गेहूं की लागत कितनी आती है, तो सरकार ने गोपनीयता का बहाना लेकर उसको बताने से मना कर दिया ।

मान्यवर, इसी प्रकार से हमारे यहां के सैकड़ों और हजारों विद्यालय ऐसे हैं, जो असहायक हैं विद्यालय के नाम से जाने जाते हैं। पता नहीं सरकार ने कौन सा नियम बना दिया है कि उन विद्यालयों को औसत स्तर पर नहीं लाया जायेगा। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि कम से कम आप वह बन्धन तो खोल दीजिये, जिससे वह प्रगति कर सकें । असहायक विद्यालयों के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है । मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं और मैंने इसमें संशोधन भी दिया है ताकि कम से कम इस सरकार की समझ में आ जाय जिससे असहायक विद्यालयों को सहायता पर लाने का प्रयास शुरू कर सके। मान्यवर, अभी पंचायतों के चुनाव हुये और उनका ढिंढोरा पीटा जा रहा है। कम से कम चुनाव तो आपने कराये। लेकिन जो चुनाव तंत्र है जिसमें प्रधानों का चुनाव आम जनता से होता है लेकिन जिला परिषदों के मेम्बरों और उसके अध्यक्षों का चुनाव आम मतदाताओं से न होकर प्रधानों से होता है । जो पैसे वाले लोग थे, गुंडा तत्व था उन्होंने अपने बल और पैसे के बूते पर प्रमुखों और जिला परिषदों में आ गये और वही सबसे बड़ी जिला परिषदों के अध्यक्ष बना दिये गये। मान्यवर, मैं माननीय राजीव गांधी के ही शब्दों में कहना चाहता हूं कि हम 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं। तो उसी के अनुसार हमारी इस चुनाव प्रणाली में भी परिवर्तन होना चाहिए। इस आदरणीय सदन में मैं चार बार कह चुका हूं कि जिला परिषदों को अधिक अधिकार देने चाहिए और उनका चुनाव आम मतदाताओं से कराया जाना चाहिए। सरकार द्वारा इस चुनाव को न कराकर चुनाव आयोग से यह चुनाव कराना चाहिए। चुनाव आयोग भी आपकी ओर से काम कर सकता है । इससे शासन का विकेन्द्रीकरण होगा और राज्य का भी विकेन्द्रीकरण होगा और साथ ही एम0 एल0 ए0 के लिए टिकट मांगने वालों की संख्या भी कम होगी।

अब मैं राजस्व विभाग की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह भी एक बहुत बड़ा विभाग है। इसके लिये वही घिसा-पिटा ढिंढोरा पीटा जाता है। पिछले बजट पर बहस के दौरान मैंने कहा था । उस समय राजस्व मंत्री माननीय गौरी शंकर जी थे । उस समय उन्होंने बड़े जोश-खरोश से भाषण दिया था कि फलां जिले को इतनी सहायता, फलां जिले को इतनी सहायता दी गई। बस्ती जिले के लिये उन्होंने कहा कि वहां पर हमने 34 लाख की सहायता दी है । लेकिन मान्यवर, वहां पर 3 लाख की सहायता भी नहीं पहुंची और आज भी 50 गांव ऐसे हैं, सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां पर किसानों की फसलों की 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति हुई है । केवल 1515 गांवों को ही सहायता पहुंचाई गई। मैं आज भी लिखता रहता हूं लेकिन वहां से पत्र जाता है और वहां का कलेक्टर हीला-हवाला करता है । मैंने सरकार से मांग की है, माननीय मंत्री बैठे हुए हैं वह घोषणा कर दें कि ऐसे गांवों जिनकी 50 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक की फसल की बर्बादी हुई है उनको सहायता मिलेगी । यह उनको मिलनी चाहिए । यदि नियमानुसार आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप राजस्व विभाग के इस नियम में संशोधन कर दीजिये कि यदि इस तरह से कोई भी क्षति होगी तो कोई सहायता नहीं मिलेगी । लेकिन जब आपने कानून बनाये हैं तो किसानों को सहायता मिलनी चाहिए ।

इसी तरह से कानून व्यवस्था की बात है। उत्तर प्रदेश में चारों ओर कहीं मेरठ में कुछ हो जाता है, कहीं फैजाबाद में कुछ हो जाता है कहीं और कुछ हो जाता है और अनेकानेक इस तरह की घटनायें हो जाती हैं जो बहुत ही शर्मनाक हो जाती है। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि इस देश की एकता के लिये हिन्दू-मुस्लिम एकता जरूरी है और इसके लिये राम जन्मभूमि अयोध्या, कृष्ण जन्म भूमि मथुरा और ज्ञान व्यापी मंदिर की भूमि बनारस, इन्हें हमें वापस मिलनी चाहिए । हिन्दू मुस्लिम में एकता होनी चाहिए इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

अब मैं सिंचाई की बारे में कहना चाहता हूं । मैं भाग्यशाली हूं कि माननीय सिंचाई मंत्री जी बैठे हुये हैं। हमारे बस्ती जिले में बानगंगा गंगा नहर बनी है जो श्रद्धेय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने बनवायी थी। लाखों बीघा सिंचाई की गारन्टी उसकी थी। लेकिन बात यह है कि बानगंगा जो है वह नेपाल से आती है और नेपाल सरकार ने उस पर बांध बनाकर अपने यहां सिंचाई करना शुरू कर दिया है।

आज से 100 साल पहले जमीदारी सिस्टम के अनुसार अंग्रेजों के जमाने में नहरें बनी थी और तब खेतों को भरपूर सिंचाई होती थी लेकिन आज वह फेल हो रही हैं । मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से अपील करता हूं सरयू नहर से रावती और फरेदा ब्रांच में जोड़ दिया जाय और इस प्रकार दोनों नहरें फीड हो जायेंगी । इस तरह से फीड होने से उनकी संभरण क्षमता बढ़ेगी ।

इसी तरह से पूर्वी क्षेत्र में नलकूपों की दुर्व्यवस्था हो रही है वहां आपरेटर नहीं है । एक-एक आपरेटर के पास 4-4, 5-5 नलकूप हैं और उसको 290 रुपया मिलता है और वह इधर-उधर घूमता रहता है । मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से अपील करूंगा कि बस्ती जिले में जो इंडोडच स्कीम के तहत नलकूप लगाये गये हैं, कांग्रेस भाईयों के क्षेत्र में लगे हैं, उनके दो-दो चैनल लगे हैं ।

आपने सिद्धार्थनगर जिला बनाया है बहुत अच्छा किया लेकिन वहां जो पानी की कमी है उसे तो दूर करिये उसे पानी तो दीजिए । जहां आपने कांग्रेस भाईयों को 10-10 15-15 चैनल दिये हैं वहां हमें भी जो गैर कांग्रेसी हैं उनको भी कुछ नलकूप दीजिये उतने नहीं तो आधे ही सही ।

इसी तरह से मान्यवर, उद्योगों की हमारे लाल प्रताप सिंह जी ने बड़ी चर्चा की उन्होंने कहा बड़ा काम हुआ है। लेकिन हमारे पूर्वांचल से बड़नी मिल को मेरठ ले गये हैं । मैं अपील करूंगा कि उस एरिया में एक चीनी मिल की स्थापना की जाय ताकि वहां से हजारों हजार की संख्या में जो लोग खेती काटने पंजाब जाते हैं और ठेला चलाने के लिए बम्बई चले जाते हैं उनको वहां काम मिल सके । गन्ना मिल स्थापित होने से किसानों को भी लाभ होगा वह भी गन्ना की पैदावार बढ़ायेंगे । इन शब्दों के साथ, मैं आपको पुन: धन्यवाद करता हूं कि जो आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने का अवसर दिया ।

श्री किशोरी लाल सकलानी–

मान्यवर, . .

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा कल जारी रहेगी, आप कल चर्चा जारी रखेंगे ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना बुलन्दशहर में सामूहिक हत्या तथा दूसरी सूचना श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री हृदय नरायन दीक्षित, श्री रघुवर दयाल वर्मा की उसी के साथ ही डाक्टर दिनेश जौहरी का नाम भी जोड़ रहे हैं जो के0 जी0 मेडिकल कालेज लखनऊ के जूनियर डाक्टरों की हड़ताल के संबंध में है। इन दो सूचनाओं पर वक्तव्य स्वीकार हुआ है, शेष सूचनायें अस्वीकार हैं ।

अब हम उठते हैं कल 14-2-1989 को 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊः
13 फरवरी, 1989

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थियां

नत्थी 'क'

(देखिए ता0 प्र0 सं0 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 14 पर)

31-10-88 को अवशेष समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या का विवरण

क्रम-संख्या	जनपद	कुल समस्याग्रस्त ग्राम	31-10-88 तक लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या	शेष समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या
1	2	3	4	5
	पर्वतीय क्षेत्र			
1	उत्तरकाशी	429	419	10
2	टिहरी	1609	1230	376
3	देहरादून	595	531	64
4	चमोली	1152	997	155
5	पौड़ी गढ़वाल	2242	1441	801
6	पिथौरागढ़	1569	1241	328
7	अल्मोड़ा	2398	2060	338
8	नैनीताल	1648	1624	24
	योग ..	11642	954	2099
	पश्चिमी क्षेत्र			
9	सहारनपुर	191	188	3
10	मुजफ्फरनगर ..	61	60	1
11	मेरठ	200	174	26
12	गाजियाबाद ..	271	239	32
13	बुलन्दशहर ..	1052	984	68
14	अलीगढ़	1288	1060	228
15	मथुरा	629	806	123
16	आगरा	948	908	40
17	एटा	730	638	72
18	मैनपुरी	1352	1327	25
	योग ..	7022	6404	618
	मध्य क्षेत्र			
19	बिजनौर	661	584	77
20	मुरादाबाद	1345	1257	88
21	रामपुर	588	588	—
22	बदायूं	1396	1317	9
23	बरेली	920	888	32
24	पीलीभीत	1193	1161	32
25	फर्रुखाबाद	957	924	33
26	शाहजहांपुर	1887	1550	477
27	इटावा	1057	1053	4

1	2		3	4	5
28	कानपुर (ग्रामीण)	..	431	395	36
29	कानपुर (नगर)	..	81	78	3
30	ललितपुर ..	..	497	486	11
31	झांसी ..	..	752	749	3
32	जालौन ..	..	769	760	9
33	हमीरपुर ..	..	668	666	2
34	बांदा ..	..	1001	976	25
35	खीरी ..	..	1702	1664	38
36	सीतापुर ..	..	1408	1313	95
37	हरदोई ..	..	835	833	2
38	उन्नाव ..	..	731	633	98
39	लखनऊ ..	..	31	31	—
		योग ..	18840	17766	1074
	पूर्वी क्षेत्र				
40	फतेहपुर ..	..	1272	880	392
41	इलाहाबाद ..	..	2822	2427	395
42	रायबरेली ..	..	1569	1516	53
43	सुल्तानपुर ..	..	2370	2127	243
44	प्रतापगढ़ ..	..	632	600	32
45	जौनपुर ..	..	1588	1587	1
46	बलिया ..	..	1118	1118	—
47	गाजीपुर ..	..	1386	1385	1
48	वाराणसी ..	..	2806	263	170
49	मिर्जापुर ..	..	2893	2678	215
		योग ..	18456	16954	1502
	वाराणसी क्षेत्र				
50	बहराइच ..	..	2032	2017	15
51	गोण्डा ..	..	2647	2010	637
52	बाराबंकी ..	..	2031	1688	343
53	फैजाबाद ..	..	1285	1164	121
54	बस्ती ..	..	4767	4728	39
55	गोरखपुर	..	2406	2383	23
56	देवरिया ..	..	2204	2203	1
57	आजमगढ़ ..	..	4718	3418	1300
		योग ..	22090	19611	2479
		महायोग ..	78050	70278	7772

नत्थी 'ख'।

(देखिए बसा0प्र0सं0 148 का उत्तर पीछे पृष्ठ 91 पर)

उत्तरालेख्य का संलग्नक

क्रम-संख्या	नाम	वित्तीय वर्ष	ठेकेदार का नाम	नीलामी की धनराशि	जमा की गई धनराशि	अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1—तेतरी बाजार	..	1984-85	श्री मो0 शरीफ	98,297-00	50,250	48,047
			श्री मो0 सलीम	9,828-00	4,563	5,265
			श्री सहदेव प्रसाद	71,000-00	36,350	34,650
		1985-86	श्री अजीत सिंह	1,12,000-00	1,06,500	5,500
		1986-87	श्री गुरमीत सिंह	1,13,000-00	77,250	35,750
		1987-88	श्री अकबाल अहमद	1,21,200-00	1,02,950	18,250
2—शोहरत गढ़	..	1984-85	श्री श्याम प्रकाश	1,50,051-00	77,051	73,000
		1985-86	श्री घनश्याम	1,84,000-00	1,18,700	65,300
		1986-87	श्री कमला प्रसाद	2,03,000-00	50,000	1,53,000
		1987-88	श्री भिखन प्रसाद	1,95,000-00	90,875	1,04,125
3—बढ़नी बाजार	..	1984-85	श्री हरिहर प्रसाद	2,00,551-35	2,00,551.35	निल
		1985-86	श्री राजेन्द्र यादव	81,000-00	81,000	निल
		1986-87	श्री हरिहर प्रसाद	1,33,051-00	1,33,051	निल
		1987-88	श्री शेष राम	1,34,000-00	1,34,000	निल

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 163 का उत्तर पीछे पृष्ठ 98 पर)

संलग्नक

फर्रुखाबाद नगर स्थित सार्वजनिक ट्रस्ट से संलग्न सम्पत्तियों का विवरण

(क) पं0 लक्ष्मी नारायण एण्ड मु0 जसोदा चैरिटेबिल इन्डाउमेन्ट ट्रस्ट, फर्रुखाबाद सिटी की सम्पत्ति :–

(1) भवन नम्बर 3/125, मो0 लोहाई रोड, पश्चिम फर्रुखाबाद ।

(2) आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, पचमुखरा व खाली भूमि

(3) भवन नम्बर 2/298 मु0 साहब गंज नारायनदास, फर्रुखाबाद

(4) दुकान नम्बर 2/221 व 2/222 मो0 लोहाई रोड, पूर्व फर्रुखाबाद 1/2 भाग ।

(5) दुकान नम्बर 3/120, 3/121 व 3/122 मो0 लोहाई रोड, पश्चिम फर्रुखाबाद का 1/2 भाग ।

(ख) संस्कृत विद्यालय चैरिटेबिल इन्डाउमेंट ट्रस्ट, फर्रुखाबाद सिटी की सम्पत्ति:–

(1) दुकान नम्बर 4/18, 4/19, 4/20, 4/21 ए, 4/21 बी, 4/22 ए, 4/22बी, 4/23, 4/25, 4/26 स्थित मो0 गुदड़ी जानवरान, पश्चिम फर्रुखाबाद ।

(2) भवन नम्बर 4/24 संस्कृत विद्यालय मु0 गुदड़ी जानवरान, पश्चिम फर्रुखाबाद ।

(3) भवन नम्बर 5/15 मो0 गुदड़ी जानवरान पूर्व फर्रुखाबाद ।

(4) दुकान नम्बर 2/221 व 2/222 स्थित मो0 लोहाई रोड, पश्चिम फर्रुखाबाद का 1/2 भाग ।

(5) दुकान नम्बर 3/120, 3/121, 3/122 मो0 लोहाई रोड, पश्चिम फर्रुखाबाद का 1/2 भाग ।

(6) एक फर्म काशीराम भजनलाल स्थिति मो0 लोहाई रोड, पूर्व फर्रुखाबाद।

(ग) बढ़पुर देवीजी महारानी टेम्पुल ट्रस्ट, बढ़पुर, फर्रुखाबाद की सम्पत्ति :–

(1) एक विशाल भवन जिसके बीच में मंदिर तथा चारों तरफ बरामदा बना है स्थिति ग्राम अल्लाहनगर उर्फ बढ़पुर, फर्रुखाबाद का 1/3 भाग ।

पी0एस0यू0पी0–एल0 442 वि0 सभा (718)–1989–813 ।